

53 वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
एवं
लेखा विवरण
2021-22



राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड

निदेशक मण्डल

(2 सितम्बर, 2022 को)

अध्यक्ष

श्री कुलदीप रांका, आई.ए.एस.

प्रबंध निदेशक

श्री शिवप्रसाद नकाते, आई.ए.एस.

निदेशक

श्रीमती वीनू गुप्ता, आई.ए.एस.
डॉ. सुबोध अग्रवाल, आई.ए.एस.
श्री अखिल अरोड़ा, आई.ए.एस.
श्री आनन्द कुमार, आई.ए.एस.
श्री महेन्द्र कुमार पारख, आई.ए.एस.
श्री शक्ति सिंह राठौड़, आई.ए.एस.
श्री ओम प्रकाश कसेरा, आई.ए.एस.
श्री सीताराम अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक
श्री सुनील परिहार, स्वतंत्र निदेशक

मुख्य वित्त अधिकारी

श्री मनीष शुक्ला

सचिव

श्री डी.के. शर्मा

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ बड़ौदा

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, जयपुर

पंजीकृत कार्यालय

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

दूरभाष : 0141-4593201-05, 2227751-755 • फैक्स : 0141-4593210

ई-मेल : riico@riico.co.in • वेबसाइट : www.riico.co.in

सी.आई.एन. : U13100RJ1969SGC001263

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	मण्डल का प्रतिवेदन	01-32
2.	एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	33-58
3.	एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	59-60
4.	एकल वित्तीय विवरण	61-162
5.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	163-179
6.	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	180-182
7.	समेकित वित्तीय विवरण	183-288

मण्डल का प्रतिवेदन

माननीय अंशधारकों,

निदेशक मण्डल को कम्पनी का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण को वैधानिक अंकेक्षकों एवं भारत नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के प्रतिवेदनों सहित प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

प्रमुखताएँ

प्रतिवेदन के अधीन वर्ष में कम्पनी की मुख्य उपलब्धियाँ – 1591.83 करोड़ रुपये की अब तक की सबसे अधिक राजस्व आय (गत वर्ष की तुलना में 29.35 प्रतिशत की वृद्धि), 786.81 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ (गत वर्ष की तुलना में 9.14 प्रतिशत की वृद्धि), 602.26 करोड़ रुपये का कर पश्चात् लाभ (गत वर्ष की तुलना में 13.44 प्रतिशत की वृद्धि), 1505.56 करोड़ रुपये की इन्फ्रा बकायों की वसूली (गत वर्ष की तुलना में 44.61 प्रतिशत की वृद्धि) और कम्पनी के औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास/संधारण गतिविधियों पर उपगत 498.05 करोड़ रुपये का व्यय (गत वर्ष की तुलना में 22.62 प्रतिशत की वृद्धि)। इसी प्रकार, वर्ष 2021-22 के दौरान, नये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास/विद्यमान क्षेत्रों के विस्तार के लिये 4354.88 एकड़ भूमि का अब तक का सबसे अधिक अधिग्रहण/आबंटन, तथा पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 2240.86 करोड़ रुपये के मूल्य की 1016.30 एकड़ विकसित भूमि का विक्रय है।

वित्तीय परिणाम:

समीक्षाधीन वर्ष के वित्तीय परिणाम संक्षेप में निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपयों में)

विवरण	2021-22	2020-21
राजस्व	1591.83	1230.68
व्यय	805.02	509.77
कर से पूर्व वर्ष का लाभ	786.81	720.91
घटाइये: कर व्यय		
— इस वर्ष का	191.00	190.00
— पूर्व वर्ष का	(-) 6.45	—
लाभ	602.26	530.91

लाभांश एवं संचयों में अन्तरित

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत की दर से 21.02 करोड़ रुपयों की राशि के लाभांश के भुगतान की अनुशंसा की हैं।

मण्डल ने अवधि ऋण राजस्व के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष संचय में 2.51 करोड़ रुपयों को अन्तरित करने की भी अनुशंसा की है।

शुद्ध मूल्य

इस वित्तीय वर्ष (2021-22) एवं गत वित्तीय वर्ष (2020-21) के अन्त में कम्पनी का शुद्ध मूल्य क्रमशः 3431.46 करोड़ रुपये एवं 2853.48 करोड़ रुपये था।

कम्पनी द्वारा कार्य निष्पादन का संक्षिप्त विवरण :

औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं का विकास

रीको ने अपनी स्थापना से अब तक 88796.04 एकड़ भूमि अवाप्त कर 390 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में, 4354.88 एकड़ भूमि अवाप्त की गई। 98.15 एकड़ भूमि विकसित की गयी तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1016.30 एकड़ भूमि (2556 भूखण्ड) आवंटित की गयी। वर्ष 2021-22 के दौरान, कुछ औद्योगिक इकाईयों ने उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ की जिससे 31 मार्च, 2022 को रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की संख्या 42319 हो गयी। सन्दर्भित वित्तीय वर्ष में, उनतीस नये औद्योगिक क्षेत्र अर्थात् बावलियापाडा, बांसवाडा; कोटरा, धोलपुर; मेडिकल ड्रिवाइस पार्क बोरण्डा, जोधपुर; लोहावट जोधपुर; सोपाडा जोधपुर; श्रीनगर; सवाई माधोपुर; चोसला; टोंक; बोरखण्डी कलां; टोंक; पीपेला रोहेडा, आबू रोड; मसूदा, अजमेर; बदली, अजमेर; बेवन्जा(विस्तार), अजमेर; कालेसर, अजमेर; चौहाटन, बालोतरा; रामनगर थोब-प्रथम, बालोतरा; फतेहपुर सामेलिया, भीलवाडा; ढोला जागीर, पाली; बिथान; पाली; शाहडोड, भिवाडी-प्रथम; हुकान, इपीआईपी सीतापुरा; मातासुला; जयपुर (ग्रामीण); तुंगा; जयपुर (दक्षिण); तालाबगांव, कोटा; बापवड, कोटा; जायल, नागौर; आमली, उदयपुर; कुराज, राजसमंद; निमोडिया, सीतापुरा जयपुर; रालावास, दौसा स्थापित किये गये थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 1315.00 करोड़ रूपयों के लक्ष्य के विरुद्ध आवंटियों से भूमि की बकाया के पेटे 1505.56 करोड़ रूपयों की वसूलियां की गयी और 30 इकाई कार्यालयों में से 21 इकाई कार्यालयों ने उनको दिये गये वार्षिक वसूली के लक्ष्यों से अधिक वसूली की। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, 2240.86 करोड़ रूपयों के कुल 1016.30 एकड़ भूमि क्षेत्र वाले 2556 भू-खण्ड आवंटित किये गये। भू-खण्डों को ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया गया था। कम्पनी के औद्योगिक क्षेत्रों में रख-रखाव रहित आधारभूत सुविधाओं के विकास पर 498.05 करोड़ रूपयों का व्यय किया गया।

वर्ष 2021-22 के दौरान नये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिये 853.38 करोड़ रूपये की नवीन प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गयी जबकि विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे की उन्नति के लिये 44.18 करोड़ रूपयों की अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गयी। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों की प्रगति की भी समीक्षा की गयी तथा समीक्षाधीन अवधि के दौरान 32 औद्योगिक क्षेत्रों के लिये 3280.65 करोड़ रूपयों की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृतियां भी जारी की गयी।

आवंटियों के लिये एमनेस्टी योजना 2022

भूखण्डों के आवंटिती को राहत प्रदान करने के लिए, रीको भूमि निपटान नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को शिथिल करके विभिन्न छूट/रियायतें/अधित्याग की अनुमति दी गई और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख राहतें प्रदान की गई:

- यदि सेवा शुल्क और आर्थिक किराए का बकाया मूलधन 30.09.2022 को या उससे पहले एक मुश्त जमा कराया जाता है, तो बकाया मूलधन देय राशि पर 100 प्रतिशत वसूली योग्य ब्याज का अधित्याग।
- प्रयोज्य शुल्क/भूमि की अतिरिक्त लागत के 75 प्रतिशत राशि की छूट ऐसे मामलों में जहां नियमों के अनुसार दिनांक 30.09.2022 को या उससे पहले प्लॉट का उपयोग किया गया/ किया जायेगा बशर्ते कि प्रतिधारण शुल्क की शेष 25 प्रतिशत राशि दिनांक 31.10.2022 को या उससे पहले जमा की जाये।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

- यह परिकल्पना करते हुये कि दिनांक 30.09.2022 तक भूखंड का उपयोग किया जायेगा, दिनांक 30.09.2022 तक प्रतिधारण शुल्क/भूमि की अतिरिक्त लागत की वसूली के समय को स्थगित करने की अनुमति देकर निर्धारित/विस्तारित समय के भीतर उपयोग न करने के कारण निरस्त किये गये भूखंड के प्रत्यापन के लिये प्रयोज्य प्रतिधारण शुल्क/भूमि की अतिरिक्त लागत की 75 प्रतिशत राशि का अधित्याग।
- दिनांक 30.09.2022 तक बनाये गये पूर्ण/उप-विभाजित भूखंड के पंजीकृत लिखत के माध्यम से हस्तांतरण पर हस्तांतरण प्रभारों के 50 प्रतिशत का अधित्याग, यदि दिनांक 31.10.2022 तक शेष 50 प्रतिशत प्रभार जमा करा दिया जाता है।
- दिनांक 30.09.2022 तक एक मुश्त में पानी/सीईटीपी प्रभारों को जमा करने पर जल की बकाया राशि/सीईटीपी प्रभारों पर जुर्माने/ब्याज का 100 प्रतिशत अधित्याग।
- 500 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भूखंडों पर दिनांक 30.09.2022 तक आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण होने पर एकमुश्त जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
- 50 प्रतिशत देय ब्याज की छूट, यदि दिनांक 30.06.2022 तक बकाया प्रीमियम की किश्तों के साथ शेष 50 प्रतिशत ब्याज राशि दिनांक 30.09.2022 तक जमा करा दी जाती है।

पर्यावरण प्रबन्धन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में, अपशिष्ट का संग्रह और पुनर्चक्रण में लगी इकाईयों के लिये प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के पांच भूखण्ड, नये औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान, 104544 वर्ग मीटर की भूमि के 145 भू-खण्डों को 21 औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित किया गया है, इस प्रकार, गैर-संकटमय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में लगी इकाईयों के लिये 31 मार्च 2022 तक 221914 वर्ग मीटर की भूमि के कुल 282 भू-खण्डों को 46 औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 20892 वर्ग मीटर की भूमि के 40 भू-खण्डों को 20 औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित किया गया जबकि ई-विखण्डन और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए 31 मार्च 2022 तक 51609 वर्गमीटर की भूमि के कुल 95 भू-खण्डों को 48 औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित किया गया। इसी तरह से, संकटमय अपशिष्ट पुनर्चक्रण, पूर्व प्रसंस्करण और संकटमय अपशिष्ट के अन्य उपयोग के लिये 31 मार्च 2022 तक 29000 वर्ग मीटर की भूमि के कुल 28 भू-खण्डों को 14 औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित किया गया।

विशिष्ट आर्थिक अंचल (सेज)

आपकी कम्पनी राज्य में सेजों के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। रीको ने स्वयं क्षेत्र विशेष के लिए सीतापुरा, जयपुर में जेम्स एवं ज्वैलरी के लिए सेज स्थापित किया है। वाणिज्यिक मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा जेम्स एवं ज्वैलरी के ये सेज अब बहु-क्षेत्र सेज हो गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, इन सेजों में लगभग 282.83 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जहां 152 इकाईयां काम कर रही है जिससे 11131 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा लगभग 2046.41 करोड़ रूपयों का माल निर्यात किया है।

महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा बहु-उत्पाद सेज एवं घरेलू टैरिफ क्षेत्र(डीटीए) स्थापित किया गया है जो रीको एवं महिन्द्रा समूह की संयुक्त उद्यम परियोजना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विकासकर्ता, सह-विकासकर्ता एवं व्यक्तिशः इकाईयों ने लगभग 5895.20 करोड़ रूपयों का निवेश किया है जो कि 58173 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करवा रही है। इस सेज से 2648.65 करोड़ रूपयों का निर्यात किया गया है।

अवधि ऋण सहायता

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं को 5228.40 लाख रुपये (गत वर्ष के दौरान 2436.38 लाख रुपये), के सावधि ऋण स्वीकृत किये। 2000.00 लाख रुपये (38.25%) की राशि के सावधि ऋण के उच्चतम स्वीकृति के साथ एल्युमीनियम क्षेत्र सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहा, इसके पश्चात् टेक्सटाइल क्षेत्र 1696.00 लाख रुपये (32.44%) की राशि आई।

कम्पनी ने गत वर्ष के दौरान वितरित किये गये 4642.33 लाख रुपये के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 4078.20 लाख रुपये के सावधि ऋणों का वितरण किया।

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सावधि ऋणों की बकाया के पेटे कुल वसूलियां 15627.12 लाख रुपये (मूलधन 10849.19 लाख रुपये तथा ब्याज 4777.93 लाख रुपये) की थी। अवमानक सम्पत्तियों से 1934.55 लाख रुपये (मूलधन 387.06 लाख रुपये तथा ब्याज 1547.49 लाख रुपये) वसूल किये गये। 31 मार्च 2022 को अवमानक सम्पत्तियों का स्तर गत वर्ष के 13.67 प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऋणियों को 736.53 लाख रुपये की राशि की समय पर भुगतान की छूट (जीआईआरएस के अन्तर्गत छूट सहित) दी गयी थी जिससे सावधि ऋणों के बकायों की समय पर वसूली होने में बहुत सहायता प्राप्त हुयी।

अंश पूंजी सहायता

वर्ष के दौरान, अंश पूंजी सहायता के तहत आरवीसीएफ-III को कुल 4500.00 लाख रुपये के प्रतिबद्ध अंशदान के विरुद्ध 1282.11 लाख रुपये की राशि का वितरण किया गया। निगम ने विभिन्न कम्पनियों में किए गये निवेश पर 1171.21 लाख रुपये का लाभांश प्राप्त किया।

व्यवसाय विकास :

डीएमआईसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन

राजस्थान एनआईसीडीआईटी के साथ, जो कि डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और एनआईसीडीसी के द्वारा उन्नत किया गया न्यास है, राज्य में दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के दो क्षेत्र कार्यान्वित कर रहा है, अर्थात् लगभग 559 हेक्टेयर भूमि पर खुशखेडा-भिवाड़ी-नीमराना औद्योगिक क्षेत्र (केबीएनआईआर) और 3300 हेक्टेयर भूमि पर जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए)। शीघ्र कार्यान्वयन को सुसाध्य करने के लिए, राज्य सरकार ने दोनों निवेश क्षेत्रों के लिए रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरडीए) के रूप में अधिसूचित किया है।

दोनों परियोजनाओं के निष्पादन के लिये किये गये प्रमुख उपाय इस प्रकार है :-

- केबीएनआईआर के 42 गांवों के लिये मास्टर प्लान दिनांक 22.05.2013 को और जेपीएमआईए के लिये दिनांक 02.11.2016 को अधिसूचित किया गया।
- जेपीएमआईए को दिनांक 12.10.2020 को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया और रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।
- एक और गांव, अर्थात् हरिनगर, को भी दिनांक 28.01.2022 को केबीएनआईआर के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है।

- जेपीएमआईए के विकास कार्य तीन चरणों में किये जायेगे। चरण-ए में 641.88 हेक्टेयर भूमि का समावेश होगा, चरण-बी 1042.14 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जायेगा और चरण-सी 1276.09 हेक्टेयर भूमि पर व एमएमएलएच को 244.78 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जायेगा।
- जेपीएमआईए के लिये 1086 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।
- दिनांक 29.09.2021 को राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात् शेयरधारक समझौता और राज्य सहायता समझौता पहले ही निष्पादित हो चुका है।
- इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 15 मार्च 2022 को एक एसपीवी कम्पनी – राजस्थान इण्डस्ट्रियल कॉर्रीडोरर्स डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरआईडीसीओ) को निगमित किया गया है, जिसमें रीको से 51 प्रतिशत और एनआईसीडीआईटी से 49 प्रतिशत का इक्विटी समर्थन है। राजस्थान इण्डस्ट्रियल कॉर्रीडोरर्स डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) की समनुषंगी कम्पनी है।

पेट्रोलियम, केमिकल्स एवं पेट्रो-केमिकल्स निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

निगम पचपदरा, बाडमेर में रिफाइनरी-सह-पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स के आसपास के क्षेत्र में पेट्रोलियम, केमिकल्स और पेट्रो केमिकल्स निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) विकसित कर रहा है। वर्तमान में निगम के पास उपलब्ध 243.48 हेक्टेयर भूमि पर बोरावास-कलावा औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और 471.77 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

एक और औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर (थोब) को 447.55 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है। पीसीपीआईआर के अनुमोदन के लिये, 24 जून 2021 को रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। इस क्षेत्र में निवेश को आमंत्रित करके पीसीपीआईआर की उन्नति का कार्य प्रक्रियाधीन है।

फिनटैक पार्क

देश में आईटी और वित्त क्षेत्र में महत्वपूर्ण एकीकृत केन्द्र बनाने की दृष्टि से रीको जयपुर में फिनटैक पार्क को विकसित कर रहा है। यह टॉक रोड पर बिल्कुल मध्य में स्थित है और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल 2 किमी की दूरी पर है। मिश्रित उपयोग विकास- वाणिज्यिक, आवासीय, मनोरंजन के प्रावधानों के साथ विभिन्न मापों के 36 भू-खण्ड काटकर 37 हेक्टेयर भूमि पर पार्क को विकसित किया जा रहा है जिसमें निर्बाध विद्युत आपूर्ति और फाइबर ऑप्टिक इन्टरनेट की सुविधा का भी प्रावधान होगा।

मेडिकल डिवाइस पार्क (चिकित्सीय उपाय)

औद्योगिक क्षेत्र बोरानन्दा, जोधपुर में 90.467 हेक्टेयर भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क को विकसित किया जा रहा है जिसमें से पृथम चरण में 40.036 हेक्टेयर भूमि पर पार्क को विकसित किया जा रहा है। मेडटेक-मेडिकल डिवाइसेज पार्क में कॉमन फैसिलिटीज सेन्टर (सीएफसी) विकसित करने के लिये आईआईटी-जोधपुर (आईआईटीजे) और जोधपुर सिटी नॉलेज एण्ड इनोवेशन फाउण्डेशन (जेसीकेआईएफ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

कम्पनी की आई.टी. सक्षमता

कम्पनी अपने परिचालन में दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार तथा नागरिकों/ हितधारियों को तीव्रतर सेवाओं को सुगम और कारगर बनाने हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर समाधान को कार्यान्वित कर दिया है।

अधिकांश एप्लिकेशन अब ऑनलाइन है जैसे कि भूमि संबंधी सभी गतिविधियां अर्थात् भूमि आवंटन प्रीमियम और अन्य शुल्कों का जमा करना, सावधि ऋण, संकर्म एवं परियोजना प्रबन्धन, एचआरएमएस, सीपीएफ, वित्त एवं लेखा, जल वितरण की बिलिंग, फाईल ट्रैकिंग सिस्टम आदि। अधिगृहित इकाइयों का भूमि आवंटन और परिसम्पत्तियों का विक्रय पेमेंट गेटवे खातों द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2556 भू-खण्डों को कम्पनी के ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से आवंटित किया गया है।

राजस्थान वेंचर केपिटल फण्ड (आर.वी.सी.एफ)

वर्ष 2002 में रीको ने राजस्थान राज्य के लिये सामाजिक और आर्थिक प्रभाव वाली नवीन कम्पनियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिये राजस्थान वेंचर केपिटल फंड को उन्नत किया था। राजस्थान वेंचर केपिटल फंड अब राज्य में नई पीढ़ी के उद्यमियों का अनुपोषण कर रहा है।

वर्तमान में राजस्थान वेंचर केपिटल फण्ड (आरवीसीएफ) दो सेबी पंजीकृत पूंजी फण्ड, अर्थात्, एसएमई टेक फण्ड और आरवीसीएफ इण्डिया ग्रोथ फण्ड का प्रबंध कर रहा है। एसएमई टेक फण्ड ने 15 पोर्टफोलियों में निवेश किया है और अब विनिवेश के प्रक्रियाधीन है। आरवीसीएफ इण्डिया ग्रोथ फण्ड आरवीसीएफ ट्रस्ट III ने 19 कम्पनियों में निवेश किया है उनमें से कुछ में विनिवेश किया है एवं अन्य पोर्टफोलियों का पोषण कर रहा है।

बहुमूल्य सृजन के यथा अंश के फण्ड अपनी निवेशक कम्पनियों को अपने नेटवर्क, सक्रिय साझेदारी इत्यादि के माध्यम से कूटनीतिक समर्थन देता है। निवेशक कम्पनियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर फण्ड इक्विटी, अर्ध-इक्विटी एवं अन्य इक्विटी प्रपत्रों के माध्यम से निवेश करता है।

हाल ही में, एसएमई टेक फण्ड अपनी वित्तपोषित ईकाई, सिनर्जिस्टिक फाइनेंशियल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (मोसंबी), में विनिवेश किया, जहाँ 5.25 करोड़ रुपये के निवेश के विरुद्ध सकल प्राप्त राशि 101.35 करोड़ रुपये थी। द बुडन स्ट्रीट फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड से आरवीसीएफ इण्डिया ग्रोथ फण्ड ने आंशिक विनिवेश किया है, जहाँ सकल प्राप्त राशि रुपये 70.70 करोड़ थी जबकि निवेश राशि रुपये मात्र 3.00 करोड़ थी।

सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (सीडोस)

भारत में बहुआयामी पत्थर क्षेत्र और संबंधित उद्योगों के विकास, संवर्द्धन एवं संबल के अपने उद्देश्य के साथ रीको ने राज्य सरकार के सहयोग से सेन्टर फार डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (सीडोस) को स्थापित किया था। यह केन्द्र विविध स्टोन से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के मध्य सहक्रियात्मक संबंधों के प्रति उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है जिससे कि उनके व्यावसायिक हितों को और देश में स्टोन क्षेत्र के समग्र विकास को और प्रोत्साहन मिल सके। भारतीय स्टोन्स के लिये छवि उन्नयन गतिविधियों के लिये यथा सूत्रपात, यह केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय स्टोन उद्योग प्रदर्शनी, प्रौद्योगिकी सम्मेलन और समवर्ती आयोजन – जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टीवल, स्टोन प्रौद्योगिकी सम्मेलन(जीएसटीएफ), ऑल इण्डिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड्स, स्टोन क्लस्टर के लिये वास्तुकारों का दौरा, पुस्तकें, पुस्तिकाएं, विवरणिका का प्रकाशन, सीडोस बेवसाइट का आयोजन कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी (फ्लेगशीप इन्टरनेशनल स्टोन इन्डस्ट्री एक्जीबिशन) का 11वां संस्करण-इण्डिया स्टोन मार्ट – 2022 का आयोजन 10-13 नवम्बर 2022 के दौरान जयपुर में किया जायेगा। आयोजन को भव्य बनाने के लिये आयोजन की प्रारंभिक योजना और प्रचार-प्रसार किया गया है।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

निदेशकगण, निदेशक मण्डल एवं समिति की बैठकें :

निदेशकगण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने निम्न को कम्पनी के निदेशक मण्डल पर निदेशक नियुक्त किया :

क्र.सं.	निदेशक का नाम – डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
1.	डॉ. सुबोध अग्रवाल – 06940604	18.06.2021
2.	श्री शक्ति सिंह राठौड़ – 06591056	18.06.2021
3.	श्री सीताराम अग्रवाल – 00947878	20.07.2021
4.	श्री सुनील परिहार – 06646840	20.07.2021
5.	श्री टी. रविकान्त – 05338003	10.02.2022
6.	श्री इन्द्रजीत सिंह – 08846221	10.02.2022
7.	श्री महेन्द्र पारख – 09485627	28.03.2022

निम्न कम्पनी के निदेशक नहीं रहे :

क्र.सं.	निदेशक का नाम – डीआईएन	पद-मुक्ति की तिथि
1.	श्री पी. रमेश – 03551794	18.06.2021
2.	श्री अजिताभ शर्मा – 02758682	18.06.2021
3.	श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर – 02809506	17.01.2022

श्रीमति अर्चना सिंह दिनांक 31.07.2020 से बोर्ड में निदेशक थी और 17 जनवरी 2022 से श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर के स्थान पर उन्हें कम्पनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

निदेशक मण्डल, उपरोक्त प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों द्वारा मण्डल के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्रदत्त योगदान की प्रशंसा करते हुए अभिलिखित करता है।

निदेशक मण्डल की बैठकें:

कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान, निदेशक मण्डल की चार बैठकें 22.01.2021, 26.03.2021, 20.07.2021 और 24.11.2021 को हुई।

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री कुलदीप रांका	4 / 4
2.	श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर	4 / 4
3.	श्री आनंद कुमार	2 / 4

4.	श्री अजिताभ शर्मा	0 / 2
5.	श्रीमति अर्चना सिंह	4 / 4
6.	श्री अखिल अरोड़ा	1 / 4
7.	श्री सीताराम अग्रवाल	2 / 2
8.	श्री सुनील परिहार	2 / 2
9.	डॉ. सुबोध अग्रवाल	0 / 2
10.	श्री शक्ति सिंह राठौड़	2 / 2
11.	श्री पी. रमेश	1 / 2

अंकेक्षण समिति:

वर्ष के दौरान समिति की बैठक 24.11.2021 को हुई एवं बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही:

सदस्य का नाम	बैठकों में उपस्थिति	टिप्पणी
1. श्रीमति अर्चना सिंह	1 / 1	अध्यक्ष नियुक्त
2. श्री सीताराम अग्रवाल	1 / 1	सदस्य
3. श्री सुनील परिहार	1 / 1	सदस्य

मुख्य वित्तीय अधिकारी/वित्तीय सलाहकार समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित है तथा कम्पनी सचिव इस समिति के सचिव है।

सतर्कता प्रणाली

सतर्कता प्रणाली निदेशकों एवं कर्मचारियों द्वारा वास्तविक मसलों के सम्प्रेषण के लिए तंत्र उपलब्ध कराती है। उस व्यक्ति को जिसने इसका उपयोग किया है, को सताए जाने के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराती है तथा समुचित एवं अपवाद स्वरूप मामलों में अंकेक्षण समिति के प्रमुख से सीधे ही मिलने का प्रावधान करती है। मण्डल की अंकेक्षण समिति भी सतर्कता प्रणाली पर नजर रखेगी।

नामितकरण एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुपालना में नामितकरण एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। अन्तिम गठित समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खान और पेट्रोलियम (निदेशक) एवं दोनों स्वतंत्र निदेशक सदस्य थे।

निगमित सामाजिक सरोकार (सी एस आर) समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुपालना में मण्डल द्वारा निगमित सामाजिक सरोकार समिति का गठन किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगमित सामाजिक सरोकार समिति की दो बैठक 15 दिसम्बर 2021 एवं 23 फरवरी 2022 को आयोजित हुई। सी.एस.आर. गतिविधियों पर रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक-। के रूप में संलग्न है।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

अंकेक्षक एवं अंकेक्षक का प्रतिवेदन:

वैधानिक अंकेक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कम्पनी के लेखों के अंकेक्षण हेतु मैसर्स बी. एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, जयपुर (फर्म पंजी. सं. 001100सी) को अंकेक्षक नियुक्त किया था। स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर निदेशक मंडल के प्रत्युत्तर वार्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न है और निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अभिन्न भाग है।

लागत अंकेक्षक

निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लागत लेखों के अंकेक्षण के लिए मैसर्स एम. गोयल एण्ड कम्पनी, लागत लेखाकार, जयपुर (फर्म पंजीकरण संख्या 101308) को नियुक्त किया है।

सचिवीय अंकेक्षक

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, मैसर्स एआरएमएस एण्ड एसोसिएट्स, एलएलपी, व्यवसायी कम्पनी सचिव, जयपुर (फर्म पंजीयन सं. P2011RJ023700) को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय अंकेक्षण हेतु नियुक्त किया गया। 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है और इस प्रतिवेदन का अभिन्न भाग है।

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के प्रावधानों की परिधि में आने वाला कम्पनी में कोई भी कर्मचारी नहीं था।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय तथा व्यय (अर्जन व निर्गम)

कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण व प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में विवरण देना लागू नहीं होता है। तथापि, ऊर्जा-संरक्षण करने के प्रयास में, आपकी कम्पनी ने 31 मार्च 2022 तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में पारम्परिक स्ट्रीट लाइट्स के स्थान पर ऊर्जा से भरपूर लगभग 5000 एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई है। अग्रतर, कम्पनी के सभी इकाई कार्यालयों में 309 केंडब्ल्यूपी समग्र क्षमता सोलर पावर संयंत्रों को अधिष्ठापित किया गया है। प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम नहीं था।

वार्षिक विवरणी का सार

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये कम्पनी की वार्षिक विवरणी का सार इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है तथा इस प्रतिवेदन का ही भाग है।

सतत विकास

आपकी कम्पनी समाज के प्रति अपनी जागरूक जिम्मेदारियों एवं पूर्णतः अनुपालनीय रीति से व्यवसाय करने के सिद्धान्तों की पालना करते हुए इसके स्थायीत्व एवं संवर्धन की आशानुरूप दीर्घकालीन विकास की योजनाएं पूरी तरह संतुलित है। कम्पनी एक जिम्मेदार निगमित नागरिक की भूमिका का अक्षरशः निर्वहन करती रही है तथा पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण एवं सामाजिक दायित्वों से संबंधित समस्त गतिविधियों में सकारात्मक योगदान के लिए वचनबद्ध है, इसके साथ ही समस्त हितधारकों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयासरत है।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कम्पनी में जोखिमों को चिन्हित एवं निर्धारित करने, उनके प्रभावों को कम करने के उपायों एवं उन पर उचित एवं समय पर नजर रखने तथा अवगत कराने की समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली विद्यमान है। प्रबंधन समय-समय पर कम्पनी की जोखिम प्रबंधन कार्य योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी की समीक्षा करता है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

कम्पनी में पर्याप्त अन्तर्निहित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण है एवं इसकी यथार्थता की जांच के लिये, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की बाहरी स्वतंत्र फर्मों द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण कराया जा रहा है। फर्म, कम्पनी के संचालनों का आन्तरिक अंकेक्षण करती है एवं प्रबंधन को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रेषित करती है। अंकेक्षण आन्तरिक नियंत्रणों की कार्यपद्धति एवं गुणवत्ता का भी मूल्यांकन करता है एवं आवधिक (समय-समय पर) रिपोर्टिंग द्वारा इसकी पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आश्वासन देता है। आन्तरिक अंकेक्षण, जोखिम आधारित आन्तरिक अंकेक्षण योजना के अनुसार किया जाता है। प्रबंधन नियतकालिक रूप से निष्कर्षों एवं सुधार हेतु सुझावों की समीक्षा करता है तथा व्यवहार्य मद्दों के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति ज्ञात करता है।

मानव संसाधन विकास

वर्ष के दौरान, कम्पनी के योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की विभिन्न बैठकें आयोजित की गयी। प्रतिवेदन के अधीन अवधि के दौरान कार्मिकों के कौशल में वृद्धि और कल्याणकारी उपायों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिससे पूरे वर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे।

सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न है।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

दायित्व की घोषणा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) की आवश्यकता के अनुसरण में आपके निदेशक घोषित करते हैं कि:

1. समीक्षाधीन वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करने में, जहाँ तक संभव था तथा व्यावहारिक था, लेखा मानकों की अनुपालना की गयी है।
2. 31 मार्च 2022 को कम्पनी की वस्तु-स्थिति एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सत्य एवं स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करने हेतु लेखा नीतियों को समनुरूपता से लागू किया गया है।
3. पर्याप्त लेखा अभिलेख संधारित करने, कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं।
4. कम्पनी के लेखे चल-संस्थान सिद्धान्त की अवधारणा पर तैयार किए गये हैं।
5. कम्पनी पर लागू समस्त कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने की उचित प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

सामान्य

आपके निदेशक घोषण करते हैं कि निम्न मदों पर किसी प्रकार से प्रकटन या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष में इन मदों से संबंधित कोई संव्यवहार नहीं थे:

1. अधिनियम के अध्याय V में वर्णित निक्षेपों के संबंध में विवरण।
2. लाभांश, मताधिकार एवं अन्य विशिष्ट अधिकारों के साथ समंता अंशों का निर्गमन।
3. किसी भी योजना के अन्तर्गत कम्पनी के कर्मचारियों को अंशों का निर्गमन (स्वेट इक्विटी अंशों सहित)।
4. कम्पनी की चलायमान स्थिति या भावी परिचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण या सारवान आदेश नियामक या न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित नहीं किये हैं।
5. कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
6. वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं इस प्रतिवेदन की तिथि के मध्य की अवधि में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों या दायित्वों का सृजन नहीं हुआ है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हो।
7. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कोई भी वाद दायर नहीं हुआ है।

आभार

आपके निदेशकगण राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों, राजस्थान वित्त निगम, आंतरिक, सचिवीय, लागत एवं वैधानिक अंकेक्षकों तथा समस्त व्यावसायिक संघटकों द्वारा प्रदत्त सहयोग एवं संबल की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशकगण समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण, जिसके परिणाम स्वरूप कम्पनी वर्ष दर वर्ष सफल प्रदर्शन करने में सक्षम रही, की महती प्रशंसा करते हुए अभिलिखित करते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए एवं उसकी ओर से

ह.

कुलदीप रांका

अध्यक्ष

स्थान: जयपुर

डी.आई.एन. — 00279526

दिनांक: 09.09.2022

अनुलग्नक-I

अप्रैल, 2020 के प्रथम दिन को अथवा इसके पश्चात् आरंभ वित्तीय वर्ष के लिए मण्डल के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप-रेखा

राजस्थान स्टेट इण्टस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) में निगमित सामाजिक सरोकार (सीएसआर) एक अभिप्रायोजित उत्तरदायित्व है। विगत कई वर्षों में, कम्पनी ने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला कल्याण जैसी सीएसआर गतिविधियों में योगदान दिया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कम्पनी की सीएसआर गतिविधियों में प्रमुखतया निवारण स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, तथा महिलाओं और बच्चों के लिए घरों एवं छात्रावासों की स्थापना करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रदान करना शामिल है।

सीएसआर नीति में सीएसआर गतिविधियों को हाथ में लेने के दिशा-निर्देश एवं विधियां निर्धारित है। इसमें निष्पादन की कार्य-प्रणाली, निगरानी की व्यवस्था, सूचित करने की आवश्यकता तथा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों का भी समावेश है।

2 सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं.	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की सम्पन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
1	प्रबंध निदेशक, रीको	02	02
2	आयुक्त, उद्योग राजस्थान सरकार	02	01
3	श्री सीताराम अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक, रीको	02	01

3. वह वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं

<http://www.riico.co.in>,
[https://industries.rajasthan.gov.in/content/industries/riico/Public_Notice/Corporate_Social_Responsibility\(CSR\).html](https://industries.rajasthan.gov.in/content/industries/riico/Public_Notice/Corporate_Social_Responsibility(CSR).html)

4 कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

अपेक्षित नहीं है

5 कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में मुजरे के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई है :

शून्य

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रूपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई है (रूपये में)
1	2021.22	शून्य	शून्य
2	2020.21	शून्य	शून्य
3	2019.20	शून्य	शून्य
	योग		

6. धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ 41612.02 लाख रुपये
7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत 832.24 लाख रुपये
- (ख) पिछले वित्तीय वर्षों का सीएसआर परियोजना का कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष शून्य
- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली राशि, यदि कोई हो शून्य
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7क+7ख-7ग) 832.24 लाख रुपये

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि (रूपये में)	खर्च न की गई राशि (रूपये में)				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 (5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
8,35,98,000	6,38,29,026	26 अप्रैल, 2022	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरिक की गई राशि (लाख रुपये में)	कार्यान्वयन की रीति – सीधे (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन की रीति– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, तिनवारी, मथानिया	2	हाँ	राजस्थान	जोधपुर	60	40.00	10.17	29.83	हाँ	स्व– निष्पादित	
2.	गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डवारी (चरण–प्रथम), लालसोट	2	नहीं	राजस्थान	दौसा	36	30.00	शून्य	30	हाँ	स्व– निष्पादित	
3.	गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डवारी (चरण–द्वितीय), लालसोट	2	नहीं	राजस्थान	दौसा	36	100.00	54.38	45.62	हाँ	स्व– निष्पादित	
4.	गवर्नमेंट गर्ल्स माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़, पंचवाड़ा, लालसोट	2	नहीं	राजस्थान	दौसा	36	8.00	शून्य	8.00	हाँ	स्व– निष्पादित	
5.	गवर्नमेंट गर्ल्स माध्यमिक विद्यालय, डीडवाना, लालसोट	2	नहीं	राजस्थान	दौसा	36	8.00	शून्य	8.00	हाँ	स्व– निष्पादित	
6.	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, बिनौरी ग्राम पंचायत, पट्टी किशोरपुरा	2	नहीं	राजस्थान	दौसा	12	40.00	शून्य	40.00	हाँ	स्व– निष्पादित	
7.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायपुरा, ग्राम पंचायत, बिलोना खुर्द	2	नहीं	राजस्थान	दौसा	12	40.00	शून्य	40.00	हाँ	स्व– निष्पादित	
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, महाराजपुरा, ग्राम पंचायत, पट्टी किशोरपुरा	2	नहीं	राजस्थान	दौसा	12	40.00	शून्य	40.00	हाँ	स्व– निष्पादित	
9.	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, श्रीरामपुर	2	नहीं	राजस्थान	दौसा	12	40.00	शून्य	40.00	हाँ	स्व– निष्पादित	

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

10.	सहायक चिकित्सालय	1	हाँ	राजस्थान	जयपुर	12	220.00	88.13974	131.86026	नहीं	राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, एसएमएस हॉस्पिटल, जयपुर	सीएसआर 00009060
11.	बच्चों और महिलाओं के लिये सहायक फैमिली घर	3	हाँ	राजस्थान	जयपुर	12	100.00	शून्य	100.00	नहीं	मानसिक अशक्त महिलाएं और बाल कल्याण पुनर्वास, जामडोली, जयपुर	
12.	कक्षा-कक्षों, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का निर्माण	2	हाँ	राजस्थान	जयपुर	12	26.50	शून्य	26.50	नहीं	महात्मा गांधी (ईएम) विद्यालय, मानसरोवर, जयपुर	
13.	बच्चों और महिलाओं के लिये सहायक फैमिली घर	3	हाँ	राजस्थान	जयपुर	12	45.36	15.00	30.36	नहीं	एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेज ऑफ इंडिया, जयपुर	
14.	शौचालय एवं स्नानघर के साथ भवन, कक्षा-कक्षा का निर्माण	2	हाँ	राजस्थान	जयपुर	12	46.12	30.00	16.12	नहीं	स्वास्थ्य और पुनर्वास सोसायटी (TAABAR) के बारे में प्रशिक्षण, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन	सीएसआर 00000193
15.	हॉल का निर्माण	2	हाँ	राजस्थान	जयपुर	12	7.00	शून्य	7.00	नहीं	गवर्नमेंट माध्यमिक विद्यालय, ग्राम माचेडा, जयपुर	
16.	कमरों का निर्माण	2	हाँ	राजस्थान	जयपुर	12	5.00	शून्य	5.00	नहीं	गवर्नमेंट उच्च प्राइमरी विद्यालय, विश्वकर्मा, जयपुर में आंगनबाड़ी (नन्दघर)	

17.	विविध मरम्मत कार्य	2	हाँ	राजस्थान	जयपुर	12	5.00	शून्य	5.00	नहीं	गवर्नमेंट प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मुरलीपुरा, जयपुर	
18.	कमरों का निर्माण	2	हाँ	राजस्थान	जयपुर	12	5.00	शून्य	5.00	नहीं	गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा, जयपुर में आंगनबाड़ी (नन्दधर)	
19.	गवर्नमेंट गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरसोरा	2	नहीं	राजस्थान	अलवर	24	3.00	शून्य	3.00	हाँ	स्व-निष्पादित	
20.	महात्मा गांधी (ईएम) विद्यालय, नारायणपुर	2	नहीं	राजस्थान	अलवर	24	3.00	शून्य	3.00	हाँ	स्व-निष्पादित	
21.	गवर्नमेंट माध्यमिक विद्यालय, धामला का बास	2	नहीं	राजस्थान	अलवर	24	3.00	शून्य	3.00	हाँ	स्व-निष्पादित	
22.	गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय, बावेडी	2	नहीं	राजस्थान	अलवर	24	3.00	शून्य	3.00	हाँ	स्व-निष्पादित	
23.	गवर्नमेंट माध्यमिक विद्यालय, ग्वाडा	2	नहीं	राजस्थान	अलवर	24	3.00	शून्य	3.00	हाँ	स्व-निष्पादित	
24.	गवर्नमेंट उच्च प्राइमरी विद्यालय, कोठिया, ग्राम पंचायत, गढ़ी	2	नहीं	राजस्थान	अलवर	24	3.00	शून्य	3.00	हाँ	स्व-निष्पादित	
25.	गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय, चान्दपुरी	2	नहीं	राजस्थान	अलवर	24	3.00	शून्य	3.00	हाँ	स्व-निष्पादित	
26.	गवर्नमेंट माध्यमिक विद्यालय,	2	नहीं	राजस्थान	अलवर	24	3.00	शून्य	3.00	हाँ	स्व-निष्पादित	
27.	गवर्नमेंट गर्ल्स उच्च प्राइमरी विद्यालय, हाजीपुर	2	नहीं	राजस्थान	अलवर	24	3.00	शून्य	3.00	हाँ	स्व-निष्पादित	
28.	गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय, छिन्द, जयसिंहपुरा	2	नहीं	राजस्थान	अलवर	24	3.00	शून्य	3.00	हाँ	स्व-निष्पादित	
							835.98	197.68974	638.29026			

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	कार्यान्वयन की रीति – सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला		नाम सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या

(घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि शून्य

(ड.) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो। शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि। 835.98 लाख रुपये
(8ख+8ग+8घ+8ड.)

(छ) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशि 3.74 लाख रुपये

क्र.सं.	विशिष्टी	राशि (लाख रुपये में)
i	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	832.24
ii	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	835.98
iii	वित्तीय वर्ष (ii)-(i)के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	3.74
iv	पूर्व वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्भूत अधिशेष	उपलब्ध नहीं है
v	सेट ऑफ (iii)-(iv) के लिए उपलब्ध राशि	3.74

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपये में)	धारा 135 (5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रूपये में)
				निधि का नाम	राशि (रूपये में)	अंतरण की तारीख	
1	2020—21	2,82,10,000	2,35,51,575.77	शून्य	शून्य	शून्य	46,58,424.23
	कुल						

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्र. सं.	परियोजना पहचान	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरम्भ हुई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययित संचयी राशि (लाख रुपये में)	परियोजना की स्थिति— पूर्ण की गई/ चालू है
1.		गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, तिनवारी, मथानिया	2019–20 2020–21	60	200.00	200.00	315.88	चालू है
2.		गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डवारी (चरण—प्रथम), लालसोट	2019–20	36	150.00	123.44	123.44	चालू है
3.		गवर्नमेंट गर्ल्स माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़, पचवाडा, लालसोट	2020–21	36	17.05	11.57	11.57	चालू है
4.		गवर्नमेंट गर्ल्स माध्यमिक विद्यालय, डीडवाना, लालसोट	2020–21	36	17.05	17.05	17.05	चालू है
	कुल				384.10	352.06		

10. पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामलों में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसम्पत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें। (परिसम्पत्ति—वार ब्यौरा)

(क) पूंजीगत परिसम्पत्ति(यों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तारीख

—

(ख) पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि

—

(ग) उस कम्पनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का ब्यौरा जिसके नाम से ऐसी पूंजीगत परिसम्पत्ति रजिस्ट्रीकृत है, उनका पता इत्यादि।

सभी परियोजनाएं चालू है

(घ) सृजित अथवा अधिगृहीत पूंजीगत परिसम्पत्ति (यों) का ब्यौरा प्रदान करें (ऐसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के पूर्व पते और अवस्थिति सहित)

—

11. कारण (णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो।

शून्य

ह.

प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष
सीएसआर समिति

प्रपत्र सं. एमआर-3

सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सदस्यगण,

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड

इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग,

जयपुर-302005

हमने राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीआईएन U13100RJ1969SGC001263) (एतदपश्चात् "कम्पनी") द्वारा प्रयोज्य वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना एवं उचित कार्पोरेट कार्यप्रणाली के प्रति अनुसक्ति का सचिवीय अंकेक्षण कर लिया है। सचिवीय अंकेक्षण इस ढंग से किया गया है जिससे वह कार्पोरेट प्रबंध/वैधानिक अनुपालनाओं का मूल्यांकन एवं उन पर हमारे मत की अभिव्यक्ति हेतु युक्तियुक्त आधार प्रदान करें।

सचिवीय अंकेक्षण के दौरान कम्पनी की लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त-पुस्तकों, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्नों के हमारे सत्यापन तथा साथ ही कम्पनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर, हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं विवरणों और प्रबन्धन द्वारा किये गये अभ्यावेदनों और कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण समर्थित निगमित मामलात मंत्रालय द्वारा दी गयी रियायतों पर विचार करते हुए, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कम्पनी ने 31 मार्च, 2022 (अंकेक्षण अवधि) को समाप्त वित्तीय वर्ष से समावेशित अंकेक्षण अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना की है तथा साथ ही इस सीमा तक, रीति में एवं इसके पश्चात् की गई रिपोर्ट के अधीन कम्पनी में मण्डल प्रक्रियाओं और अनुपालना का उचित तंत्र विद्यमान है :

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त-पुस्तकों, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्नों एवं कम्पनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों की निम्न प्रावधानों के अनुसार जाँच कर ली है :

- कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाये गये नियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं उसके अधीन बनाये गये नियम; (कम्पनी पर लागू नहीं है);
- निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) अधिनियम, 1996 एवं उसके अधीन बनाये गये विनियम एवं उप-विधियां (जैसा कि कम्पनी एक असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी है अतः कम्पनी पर लागू नहीं है);

- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी व्यापारिक उधारों की सीमा तक उसके अधीन बनाये गये नियम एवं विनियम; (जैसा कि कम्पनी एक असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी है अतः कम्पनी पर लागू नहीं है);
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (एसईबीआई अधिनियम) के अन्तर्गत विहित निम्नलिखित विनियम एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त (जैसा कि कम्पनी एक असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी है अतः कम्पनी पर लागू नहीं है) :-
- (vi) जैसाकि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, ऐसे कोई सेक्टर विशिष्ट कानून नहीं है जो कम्पनी पर विशेष रूप से लागू होते हैं।

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य प्रावधानों की अनुपालना की भी जांच की है:

- (ए) भारतीय कम्पनी सचिव संस्था द्वारा जारी किये गये सचिवीय मानक
- (बी) स्टॉक एक्सचेंज के साथ कम्पनी द्वारा किये गये सूचीयन करार (कम्पनी पर लागू नहीं है)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों की अनुपालना की है:

- i. 20 जुलाई, 2021 और 24 नवम्बर, 2021 को आयोजित मण्डल की बैठकों के मध्य में 126 दिनों का अन्तराल था।
- ii. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये कम्पनी ने विस्तारित समय सीमा के भीतर वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया, कुछ व्यवसाय किया और उसके पश्चात् बैठक स्थागित कर दी गयी थी। विस्तारित समय सीमा के पश्चात् बुलायी गयी और आयोजित स्थगित वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय लेखों को प्रस्तुत किया गया और अनुमोदित किया गया था।

हम अग्रतर रिपोर्ट करते हैं कि

- (i) कम्पनी का निदेशक मण्डल कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ सम्यक रूप से गठित था। मण्डल निदेशकों की संरचना में परिवर्तन जो कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए हैं, अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना में किये गये थे।
- (ii) मण्डल की नियत बैठकों की पर्याप्त सूचना सभी निदेशकों को दी जाती है। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणियों को बैठक से कम से कम सात दिन पहले भेजे गये थे एवं बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी हेतु बैठक के पहले एजेंडा-विषयों पर कोई अन्य सूचना और स्पष्टीकरण चाहने या प्राप्त करने हेतु प्रणाली विद्यमान है।
- (iii) बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं, जबकि असहमत सदस्यों के दृष्टिकोण को ग्रहण किया जाता है एवं जहां उचित है, मीनिट्स के यथा अंश के रिकार्ड किया जाता है। सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये हैं और मण्डल की बैठक में असहमति दर्ज नहीं की गयी है।
- (iv) कम्पनी पर प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों की अनुपालना को मोनीटर और सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी के संचालन एवं आकार के अनुरूप पर्याप्त तंत्र एवं प्रक्रिया है। उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

एवं दिशा-निर्देशों के अनुसरण में कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये सभी आदेशों और अधिसूचनाओं को पर्याप्ततः व्यवहृत किया गया है/विधिवत उत्तर दिया गया है/अनुपालन किया गया है।

- (v) अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई विशेष घटना/कार्यावाही नहीं थी जो कि ऊपर संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कम्पनी के मामलात पर प्रमुख भार रखते हो।

एआरएमएस एण्ड एसोशिएट्स एलएलपी के लिये
कम्पनी सचिव

आईसीएसआई यूआरएन: पी2011आरजे023700
पीआर 818/2020

ह.
(संदीप कुमार जैन)
नामोनिर्दिष्ट साझेदार
एफसीएस – 5398
सीपी संख्या 4151

स्थान : जयपुर

दिनांक : 12 अगस्त, 2022

यूडीआईएन: एफ005398डी000786552

इस प्रतिवेदन को हमारे समदिनांक पत्र जो कि यथा अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है और इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है, के साथ पढ़ा जाये।

अनुलग्नक 'ए'

सदस्यगण,
राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड
इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर-302005

हमारा समदिनांक सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ पढ़ा जावे।

1. सचिवीय अभिलेख रखने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत व्यक्त करने का उत्तरदायित्व हमारा है।
2. हमने वह अंकेक्षण पद्धति व प्रक्रिया अपनाई जो सचिवीय अभिलेखों की अन्तर्वस्तु की यथार्थता के बारे में युक्तियुक्त विश्वास प्राप्त करने के लिये उपयुक्त थी। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो रहे हैं, को सुनिश्चित करने के लिये सांकेतिक आधार पर सत्यापन किया गया था। हमें विश्वास है कि जो पद्धति व प्रक्रिया हमने अपनाई वह हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा-पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता, लेखामानकों की अनुपालना, वित्तीय विवरणों की तैयारी, इत्यादि को सत्यापित नहीं किया है।
4. राजकोषीय कानूनों, जैसेकि आयकर अधिनियम, 1961 एवं वित्त अधिनियम तथा सेवाकर, की अनुपालना के बारे में हमने वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है।
5. जहां कहीं आवश्यक समझा गया, हमने विधियों, नियमों तथा विनियमों एवं घटनाओं का घटित होना, इत्यादि की अनुपालना के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कार्पोरेट एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों की अनुपालना का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच सांकेतिक आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
7. सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के कारबार का संचालन किया है, का आश्वासन देती है।

एआरएमएस एण्ड एसोशिएट्स एलएलपी के लिये
कम्पनी सचिव

आईसीएसआई यूआरएन: पी2011आरजे023700

पीआर 818/2020

ह.

(संदीप कुमार जैन)

नामोनिर्दिष्ट साझेदार

एफसीएस – 5398

सीपी संख्या 4151

स्थान : जयपुर

दिनांक : 12 अगस्त, 2022

यूडीआईएन: एफ005398डी000786552

प्रपत्र संख्या एमजीटी-9

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को वार्षिक विवरणी का उद्घरण
 (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के
 नियम 12 (1) के अनुसरण में)

I. पंजीयन एवं अन्य ब्यौरे :

i)	सीआईएन	यू13100आरजे1969एसजीसी001263
ii)	पंजीयन दिनांक	28 मार्च, 1969
iii)	कम्पनी का नाम	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
iv)	कम्पनी का प्रवर्ग/उप-प्रवर्ग	राज्य सरकार की कम्पनी
v)	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क हेतु ब्यौरा	उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 फोन : 2227751-55, 4593201-205 फैक्स : 0141-4593210 ई-मेल : riico@riico.co.in
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं अन्तरण अभिकर्ता का नाम, पता तथा संपर्क हेतु ब्यौरा, यदि कोई है	शून्य

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत या अधिक सहायता करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का वर्णन एवं नाम	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल व्यापारावर्त का प्रतिशत
1	अन्य विशेष निर्माण गतिविधियां (औद्योगिक ढांचों का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/सम्पदाओं का परिचालन एवं रख-रखाव	439	92.71
2	अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां, बीमा एवं पेन्शन के कोष पोषण गतिविधियों के अलावा (अवधि ऋण एवं अन्य वित्तीय गतिविधियां)	649	7.29

III. नियंत्री, समनुषंगी तथा सहयुक्त कम्पनी के विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा पता	सीआईएन/ जीएलएन	नियंत्री/ समनुषंगी/सहयुक्त	धारित अंशों का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड	यू51395आरजे1981 जीओआई002249	सहयुक्त	49	2(6)
2	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	यू45209आरजे2005 पीएलसी021207	सहयुक्त	26	2(6)
3	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	यू24232आरजे1978 जीओआई001823	सहयुक्त	48.96	2(6)
4	राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	यू65999आरजे2002 पीटीसी017379	सहयुक्त	24.50	2(6)
5	राजस्थान असेट् मैनेजमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	यू65999आरजे2002 पीटीसी017380	सहयुक्त	24.50	2(6)

IV. अंश धारण पद्धति (कुल साम्या का यथा प्रतिशत के साम्या अंश पूंजी का विघटन)

i. श्रेणीवार अंशधारिता

अंशधारक का प्रवर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन- प्रतिशत में
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
(ए) संप्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(ए) व्यक्ति/हिन्दु अविभक्त कुटुंब									
(बी) केन्द्रीय सरकार									
(सी) राज्य सरकार (सरकारें)		210185800	210185800	100		210185800	210185800	100	शून्य
(डी) निगमित निकाय									
(ई) वित्तीय संस्थाएँ/बैंक									
(एफ) अन्य									
उप-योग ए (1)		210185800	210185800	100		210185800	210185800	100	शून्य

2	विदेश			शून्य				शून्य		
(ए)	अनिवासी भारतीय- व्यक्ति									
(बी)	अन्य - व्यक्ति									
(सी)	निगमित निकाय									
(डी)	वित्तीय संस्थाएं/बैंक									
(ई)	अन्य (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)									
	उप-योग ए (2)			शून्य				शून्य		
	संप्रवर्तक की कुल अंशधारिता (ए)=ए(1)+ए(2)			शून्य				शून्य		
(बी)	पब्लिक अंशधारिता			शून्य				शून्य		
(1)	संस्थाएं									
(ए)	पारस्परिक निधियां									
(बी)	वित्तीय संस्थाएं/बैंक									
(सी)	केन्द्रीय सरकार									
(डी)	राज्य सरकार (सरकारें)									
(ई)	जोखिम पूंजी निधियां									
(एफ)	बीमा कम्पनियां									
(जी)	विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता									
(एच)	विदेशी साहसी पूंजी निधियां									
(आई)	अन्य (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)									
	उप-योग बी(1)									
2	गैर संस्थाएं									
(ए)	निगमित निकाय									

i) भारतीय									
ii) विदेशी									
(बी) व्यष्टि									
i) एक लाख रुपये तक की अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि									
ii) एक लाख रुपये से अधिक अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि									
(सी) अन्य			शून्य				शून्य		
उप-योग बी(2)			शून्य				शून्य		
कुल पब्लिक अंशधारित (बी)= बी(1)+बी(2)			शून्य				शून्य		
(सी) जीडीआर व एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित अंश			शून्य				शून्य		
सर्वयोग (ए+बी+सी)		210185800	210185800	100		210185800	210185800	100	

(ii) संप्रवर्तको की अंशधारिता

क्र. सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण			वर्ष के अन्त में अंशधारण			वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन प्रतिशत में
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में गिरवी/ विल्लंगमित अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में गिरवी/ विल्लंगमित अंशों का प्रतिशत	
1	राजस्थान के राज्यपाल	210185800	100	शून्य	210185800	100	शून्य	शून्य
	योग	210185800	100	शून्य	210185800	100	शून्य	शून्य

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

(iii) संप्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें) : कोई परिवर्तन नहीं है।

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)				
	वर्ष के अन्त में				

(iv) शीर्ष दस अंशधारकों के अंशधारण की पद्धति : शून्य

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)				
	वर्ष के अन्त में (या यदि वर्ष के दौरान पृथक हुआ हो तो पृथक्करण की दिनांक को)				

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता : शून्य

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)				
	वर्ष के अन्त में				

(vi) ऋणग्रस्तता (ऋणिता)

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु भुगतान देय नहीं है सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता : शून्य

	निक्षेपों के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i. मूल राशि				
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त				
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु अप्रदत्त				
योग (i + ii + iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणिता में परिवर्तन				
– अभिवृद्धि				
– कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वर्ष के अन्त में ऋणिता				
i. मूल राशि				
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त				
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु अप्रदत्त				
योग (i + ii + iii)				

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

(vii) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(ए) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा मैनेजर का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मैनेजर का नाम	कुल राशि
	सकल वेतन	श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर प्रबंध निदेशक श्रीमति अर्चना सिंह, प्रबंध निदेशक	1945448 431962
1.	(ए) आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		2,377,410
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ		
2	स्टाक विकल्प		
3	स्वेट साम्या		
4	कमीशन — यथा लाभ का प्रतिशत — अन्य,		
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें		
	योग (ए)		2,377,410
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		

(बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : शून्य

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक					
	– मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क					
	– कमीशन					
	– अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।					
	योग (1)					
2.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक					
	– मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क					
	– कमीशन					
	– अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।					
	योग (2)					
	योग (बी)=(1+2)					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार, कुल अधिकतम सीमा					

(सी) प्रबंध निदेशक/मैनेजर/पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	कुल राशि
1	सकल वेतन				
(ए)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	–	507600	3127056	3634656
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य				
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ				

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

2	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वेट साम्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन – यथा लाभ का प्रतिशत – अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग		507600	3127056	3634656

* सेवानिवृत्ति के भुगतानों सहित

VII. शास्तियां/दंड/अपराधों का प्रश्मन : शून्य

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त वर्णन	शास्ति/दंड/अधिरोपित प्रश्मन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गयी अपील यदि कोई हो (ब्यौरा देवें)
ए. कम्पनी					
शास्ति					
दंड					
प्रश्मन					
बी. निदेशक					
शास्ति					
दंड					
प्रश्मन					
सी. व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
शास्ति					
दंड					
प्रश्मन					

निदेशक मण्डल के निमित्त एवं उसकी ओर से
ह.

कुलदीप रांका
अध्यक्ष

स्थान : जयपुर
दिनांक : 09.09.2022

डीआईएन-00279526

अनुलग्नक-IV

31.03.2022 को समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित सहयुक्त एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

क्र. सं.	सहयुक्त/संयुक्त उद्यमों के नाम	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट लिमिटेड	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान असेट् मैनेजमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1	अंततम अंकेक्षित तुलन-पत्र दिनांक	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2016	31.03.2022	31.03.2022
2	वर्ष के अन्त में कम्पनी द्वारा धारित सहयुक्त संयुक्त उद्यमों के अंश					
(i)	संख्या में (इक्विटी)	6002500	39000000	2441097	245	4900
(ii)	सहयुक्त/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	600.25 लाख रुपये	3900.00 लाख रुपये	244.11 लाख रुपये	0.245 लाख रुपये	4.90 लाख रुपये
(iii)	प्रतिशत धारण की सीमा	49 प्रतिशत	26 प्रतिशत	48.96 प्रतिशत	24.50 प्रतिशत	24.50 प्रतिशत
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है का वर्णन	20 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता	20 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता	20 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता	20 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता	20 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता
4	सहयुक्त/संयुक्त उद्यम को समेकित क्यों नहीं किया गया, कारण बताये	समेकित	समेकित	समेकित नहीं क्योंकि कम्पनी का शुद्ध मूल्य पूर्ण रूप से अपरदित कर दिया गया है	समेकित	समेकित
5	अंततम अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार अंशधारकों को आरोप्य शुद्ध मूल्य					
(i)	अंश पूंजी	1225.00 लाख रुपये	15000.00 लाख रुपये	498.61 लाख रुपये	1.00 लाख रुपये	20.00 लाख रुपये
(ii)	संचय एवं अतिरेक	6100.63 लाख रुपये	27,889.83 लाख रुपये	(-) 2963.97 लाख रुपये	0.96 लाख रुपये	905.64 लाख रुपये
6	वर्ष हेतु लाभ/हानि	(-) 783.10 लाख रुपये	13,711.73 लाख रुपये	(-) 598.80 लाख रुपये	0.05 लाख रुपये	126.22 लाख रुपये
(i)	समेकन में विचार किया गया	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

जयपुर

एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

विशेषित अभिमत

हमने राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ("निगम"/"रीको") के संलग्न वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र एवं लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न रोकड़ प्रवाह विवरण एवं साम्या में परिवर्तनों का विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे प्रतिवेदन के "विशेषित अभिमत का आधार" भाग में उल्लेखित मसलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों के अतिरिक्त, पूर्वोक्त एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरण कम्पनी के कार्यकलाप की स्थिति (वित्तीय स्थिति) यथा 31 मार्च, 2022 को एवं इसके लाभ (कुल व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इसके रोकड़ प्रवाह एवं साम्या में परिवर्तन के मामलों में उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाएं समुचित रूप से प्रदान करते हैं तथा भा.ले.मा. सहित भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रदान करते हैं।

विशेषित अभिमत का आधार

हम आप का ध्यान अनुलग्नक-ए में वर्णित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं, संलग्न एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के तत्वों पर उन मामलों के प्रभाव/संभाव्य प्रभावों को युक्तियुक्त रूप से निर्धारित/परिमाणित नहीं किया जा सकता है।

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व को हमारे प्रतिवेदन के "एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व" अनुभाग में अग्रतर वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं जो कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के प्रासंगिक हैं के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था(आईसीएआई) द्वारा जारी की गयी आचार संहिता के अनुसार निगम से स्वतंत्र हैं एवं इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर लिया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर हमारे सीमित अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

महत्वपूर्ण मसलें

- ❖ महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 2.5 "राजस्व मान्यता" देखें जिसमें भा.ले.मा. 116 के अनुसार पट्टा राजस्व एवं भा.ले.मा. 115 के अनुसार विकास गतिविधि से राजस्व के अनुसार एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं अंगीकृत करने के लिये कहा गया है। इसे भूमि एवं विकास गतिविधि के संव्यवहार मूल्य के आवंटन में प्राक्कलित एवं आंकलन के आधार पर मान्य किया गया है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा अभिमत रूपान्तरित नहीं है।

मुख्य अंकेक्षण मामलें

हमने निर्धारित किया है कि हमारे प्रतिवेदन में प्रकट करने के लिये कोई मुख्य अंकेक्षण मामलें नहीं हैं।

एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना एवं उस पर अंकेशकों का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिये निगम का प्रबन्धन उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशकों का प्रतिवेदन एवं अनुलग्नक में सम्मिलित जानकारी शामिल है परन्तु इसमें एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे अंकेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमको इस अंकेशक की रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात् अन्य सूचना उपलब्ध होने की प्रत्याशा है।

एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं सम्मिलित नहीं है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरण के हमारे अंकेशन के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व उपर परिलक्षित अन्य सूचनाओं को जब यह उपलब्ध होती है, पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरण के साथ तात्विक रूप से असंगत है या हमारे अंकेशन के दौरान या अन्यथा अभिप्राप्त हमारा ज्ञान तात्विक रूप से अशुद्ध वर्णन करता प्रतीत होता है। हमारे द्वारा संपादित कार्य के आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष करते हैं कि इस अन्य सूचना का सारवान मिथ्या कथन है, तो हमारे द्वारा उस तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिये कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन एवं जिनके पास एकल वित्तीय विवरणों के नियमन का प्रभार है, के उत्तरदायित्व

अधिनियम की धारा 134(5) में नियत मामलों में इन एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण के संबंध में जो कि अधिनियम की धारा 133, एवं उसके अधीन जारी किये गये नियमों के साथ पठित, के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) के साथ-साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, निगम के मामलातों (वित्तीय स्थिति) की स्थिति, लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह एवं साम्या में परिवर्तनों का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करे, निगम का प्रबन्धन एवं निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित है, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एवं स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से सम्पादित किये गये थे।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबन्धन यथा चालू समुत्थान के निरन्तरता हेतु निगम की क्षमता का आंकलन करने, चालू समुत्थान से सम्बन्धित मामलों, जैसाकि लागू होता है, का प्रकटीकरण करने एवं चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने, का उत्तरदायित्व है जब तक कि प्रबन्धन या तो निगम को समाप्त करने या संचालन को बन्द करने का आशय रखता है या परन्तु ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरण के अंकेशन हेतु अंकेशकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या कथन, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, से मुक्त है, एवं अंकेशक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अंकेशन मानकों के अनुसार किया गया अंकेशन हमेशा विद्यमान सारवान मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, सारवान माने जाते हैं तो उनसे इन एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

हम “अनुलग्नक-बी” में एकल वित्तीय विवरण के अंकेशन हेतु अंकेशकों के उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण दे रहे हैं।

अन्य वैधानिक एवं नियामक अनिवार्यताओं पर रिपोर्ट

- I. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के अन्तर्गत जारी कम्पनी (अंकेंक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2020 (आदेश) द्वारा अपेक्षित हम इस आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में वर्णित मामलों पर विवरण "अनुलग्नक-सी" में दे रहे हैं।
- II. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुरूप हम प्रतिवेदित करते हैं कि
 - (ए) हमने विशेषित अभिमत के लिये आधार के पैरा में वर्णित मामलों के सम्भाव्य प्रभावों को छोड़कर, वे समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार अंकेंक्षण के लिए आवश्यक थे।
 - (बी) विशेषित अभिमत के लिये आधार के पैरा में वर्णित मामलों के सम्भाव्य प्रभावों को छोड़कर, हमारे मत में, निगम द्वारा उचित लेखा-पुस्तकें जो कि कानून द्वारा अपेक्षित हैं, रखी हुयी हैं जैसाकि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - (सी) इस प्रतिवेदन में संदर्भित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण एवं साम्या में परिवर्तनों का विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाता है।
 - (डी) इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-ए में वर्णित मसलों के अलावा, जो कि "विशेषित अभिमत का आधार पैरा" का अंश है, हमारी राय में, एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 एवं उसके अधीन जारी किये गये संबंधित नियमों के साथ पठित, में उल्लिखित लेखा-मानकों की अनुपालना करते हैं।
 - (ई) अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) की अपेक्षाएं सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं हैं।
 - (एफ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशील सक्रियता के संबंध में, अनुलग्नक-डी पर हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें।
 - (जी) कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कम्पनियों पर प्रयोज्य नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षाएं निगम पर प्रयोज्य नहीं हैं।
 - (एच) कम्पनीज (अंकेंक्षण एवं अंकेंक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेंक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मसलों पर, हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - (i) निगम ने इसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के कारण पड़ने वाले प्रभावों का इसके 31.03.2022 के एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 33 के अन्तर्गत प्रकटीकरण किया है।
 - (ii) निगम में पूर्वानुमेय हानियों वाली कोई व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा नहीं थी।
 - (iii) निगम के पास निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष में अन्तरण योग्य कोई राशि नहीं थी।
 - (iv) (1) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि इसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को या में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकार्ड की गयी हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से, किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) में निवेश करेगा या उधार देगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति या इनकी तरह कोई अन्य प्रदान करेगा; कोई धनराशि (या तो उधार ली गयी

धनराशि या प्रीमियम या किसी अन्य प्रकार से कोष से) अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी गयी है या निवेश नहीं की गयी है।

- (2) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि इसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधीयन पक्षकार") सहित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकार्ड की गयी हो या अन्यथा, कि कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधीयन पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से, किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) में निवेश करेगा या उधार देगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति या इनकी तरह कोई अन्य प्रदान करेगा; कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।
- (3) निष्पादित अंकेक्षण प्रक्रियाएँ जिन्हें परिस्थितियों में यथा उचित और उपयुक्त के विचारित किया गया, के आधार पर और इस संबंध में प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसके कारण हमें विश्वास करना हो कि उपरोक्त (1) और (2) यथा उल्लेखित नियम 11(ई) के उपखण्ड (प) और (पप) के अन्तर्गत प्रतिनिधित्वों में कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन है।

- (v) गत वर्ष के लिये घोषित और इसके संबंध में वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा प्रदत्त अंतिम लाभांश कम्पनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लाभांश के भुगतान पर प्रयोज्य सीमा तक है।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिये अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो कि आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लाभांश की घोषणा पर प्रयोज्य सीमा तक है। (एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 45 देखें)

III. अधिनियम की धारा 143(5) के अधीन यथा अपेक्षित, जो कि निगम पर लागू है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये निदेशों पर जांच की रिपोर्ट अनुलग्नक-ई के अनुसार है।

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफआरएन: 001100सी

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन : 22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-ए

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित, “आक्षेपित मत का आधार” के पैरा के अन्तर्गत हमारे प्रतिवेदन में निर्दिष्ट अनुलग्नक-ए एवं हमारे प्रतिवेदन दिनांक 02.09.2022 का अभिन्न अंग।

अंकेक्षकों के आक्षेप	प्रबंधकों के प्रत्युत्तर
1. (ए) निगम ने 20,073.07 लाख रुपये (गत वर्ष 15581.04 लाख रुपये) वादानुगत/ अतिक्रमणित भूमि के स्टॉक जिसमें 1,217.68 एकड़ (गत वर्ष 1074.60 एकड़) भूमि अन्तर्निहित है, का मूल्यांकन 31.03.2022 को यथा शुन्य कर लिया है [एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 11(i)(ए) देखें] इन वादानुगत एवं अतिक्रमणित भूमियों के मूल्यांकन या अनुमानित प्राप्ति मूल्य के अभाव में, एकल भा. ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं। (बी) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों एवं अन्य के लम्बे समय से शेष रहे असमायोजित अग्रिमों जो कि 37.58 लाख रुपये थे, के प्रति कोई प्रावधान नहीं होने से एवं इन बकाया राशियों के वसूली मूल्य से संबंधित विवरण एवं सूचना और संबंधित पक्षकारों से पुष्टीकरण के अभाव में, एकल भा. ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं। (सी) निगम ने भूमि का आवंटन कर दिया है जबकि निगम के पास स्वयं के पक्ष में भूमि के पट्टा विलेख नहीं है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पैरा 2.5.1.3 (v) देखें। (डी) औद्योगिक क्षेत्र के विकास की लागत एवं “भूमि के आवंटन के लिये प्रतिफल(विकास)” से राजस्व को उस क्षेत्र की प्रशासनिक स्वीकृति में यथा कथित उस विशिष्ट क्षेत्र के विकास की अनुमानित लागत के आधार पर गणना की	व्यवसाय की प्रकृति और भूमि गतिविधि की मात्रा को ध्यान में रखते हुये, कुछ अतिक्रमण/मुकदमें आसन्न हैं। तथापि, निगम इकाई स्तर पर स्थानीय प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने के लिये साथ ही वादानुगत भूमि के मामले में कानूनी कार्यवाही के माध्यम से संयुक्त प्रयास कर रहा है। जैसाकि तुलन-पत्र की दिनांक को अतिक्रमणित/वादानुगत भूमि की बेचने की योग्यता/विक्रेयता नहीं होती है, इसका बाजार वसूली योग्य मूल्य को शून्य विचारित किया जाता है एवं इसका कोई पृथक मूल्यांकन को आवश्यक नहीं समझा जाता है। ऐसी भूमि की लागत पहले से ही प्रकट कर दी गयी है। वसूली/समायोजन के लिये उचित कार्यवाही करने हंतु अग्रिमों के बहुत पुराने शेषों की जांच प्रगतिरत है। वर्षों के दौरान पुराने शेषों में से कुछ को समायोजित किया गया है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 2010 एवं तत्पश्चात्, रीको द्वारा संबंधित भूमि अभिलेखों/दस्तावेजों में अपना नाम पंजीयन कराने के पश्चात् ही भूमि का आवंटन किया जा रहा है। पुराने मामलों के लिये, रीको के पक्ष में भूमि को पंजीकृत कराने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। अपने व्यापार की प्रकृति को देखते हुए निगम वर्षों से इस नीति का निरन्तर अनुसरण कर रहा है।

अंकेक्षकों के आक्षेप

गयी है। अनुमानित लागत में, उस क्षेत्र के भावी उन्नयन के लिये किये जाने वाले व्ययों के प्रावधान का समावेश है जो कि क्षेत्र की यथा विकसित के घोषणा की दिनांक से 5 वर्ष पश्चात् उपयोग किया जाना है। क्षेत्र के भावी उन्नयन के लिये किये गये प्रावधानों (उपगत व्ययों के शुद्ध) से संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।

2. निगम द्वारा भावी योजना के लिये रखी हुयी भूमि पर प्रदत्त प्रतिकर एवं व्यय की गयी विकास की लागत को उस औद्योगिक क्षेत्र की शेष रही भूमि के यथा हिस्से के विचारित किया गया है एवं पृथक रूप से यथा इन्वेन्ट्री के नहीं रखा गया है। भावी योजना के लिये रखी हुयी भूमि पर प्रदत्त लागत एवं प्रति कर से संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।
3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पैरा संख्या 2.5.1.4 (e)(v) देखें, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों में स्वयं के लिये भूमि एवं भवन के लये उपगत किये गये व्ययों का प्रकटीकरण किया गया है, को सीधे ही विकास व्यय को प्रभारित किया है एवं 31.03.2020 तक स्थिर सम्पत्तियों का हिस्सा नहीं बनाया है। संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।
4. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पैरा संख्या 2.2.1 देखें, जिसमें कुछ मदों जो कि लेखा-पुस्तकों में नकद आधार पर लेखाबद्ध की गयी है, के बारे में प्रकटीकरण किया गया है। नकद आधार पर लेखाबद्ध करना, कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित प्रोदभूत आधार पर लेखांकन के अनुरूप नहीं है। संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

अब, प्रबन्धन सम्पूर्ण अधिग्रहित भूमि की योजना पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और नये औद्योगिक क्षेत्र की विकास योजना के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की मंजूरी के समय पर भविष्य की योजना के लिये बड़े हिस्से को आरक्षित नहीं कर रहा है।

यह निगम की आधारभूत संरचना के विकास की गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुये फिर से बनायी गयी लेखांकन नीति के अनुसार किया जा रहा है।

संव्यवहारों की विशेष प्रकृति को देखते हुये, लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किये गये अनुसार व्यवहृत किया जा रहा है।

अंकेषकों के आक्षेप	प्रबंधकों के प्रत्युत्तर
5. पट्टे के परिशोधन के लेखांकन के प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणी संख्या 3.1, 8.1, 11(i) (सी) एवं 39 देखें। 1 अक्टूबर, 1979 को राजस्थान सरकार द्वारा हस्तान्तरण की गयी दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों/दायित्वों का मूल्य, शेड/दुकान/आवास/लेट/कियोस्कों की इन्वेन्ट्री, डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप नहीं है। संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।	संव्यवहारों की विशेष प्रकृति को देखते हुये, लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किये गये अनुसार व्यवहृत किया जा रहा है।
6. आकस्मिक दायित्वों के संबंध में एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 33.1 (3) एवं (4) देखें। संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।	लम्बित वादानुगत/न्यायालय मुकदमों के कारण होने वाली अनुमानित आकस्मिक दायित्वों का प्रमुख भाग को पहले से ही प्रकट कर दिया गया है। केवल, निलंबन के मामलों/लम्बित विकल्प के मामलों में 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन बकायों एवं उधारकर्ताओं की इकाइयों के विक्रय के मामलों में सरकारी बकायों के आकस्मिक दायित्वों का आधार उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुमान/प्रकटीकरण नहीं किया जा सका।
7. न्यूनतम पट्टा भुगतानों एवं अनर्जित वित्त आय के अप्रकटीकरण के संबंध में एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 37(बी)(ii) देखें।	किस्त पर आवंटित भू-खण्डों के प्रति नियत भुगतान का मामलेवार विवरण इकाई कार्यालयों के स्तर पर संबंधित पत्रावलियों में उपलब्ध है परन्तु समग्र रूप से रीको के लिये संकलित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
8. शेष रहे प्रदर्शन दायित्व के प्रति आवंटित संव्यवहार मूल्य के वर्षवार द्विभाजन के अप्रकटीकरण के संबंध में एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 36(बी) देखें।	शेष रहे प्रदर्शन दायित्व के प्रति भावी वर्षों के लिये वर्षवार विवरण का प्रकटीकरण उसी के लिये सटीक प्राक्कलन के अभाव में नहीं किया जा सकता है।
9. कुछ इकाइयों में किराये की आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता नहीं दी गयी है (लेखांकन नीति संख्या 2.2.1देखें) जिसके परिणामस्वरूप किराये की आय और जीएसटी देयता को कम करके दर्शाया गया है। संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।	सभी इकाई कार्यालयों द्वारा समान रूप से लेखांकन नीतियों का पालन करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे।

अंकेक्षकों के आक्षेप

10. वसूली योग्य सेवा कर और जीएसटी जो क्रमशः 1,320.94 लाख रुपये एवं 67.59 लाख रुपये हैं, के संबंध में एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 13ए एवं 13बी देखें, जिन ग्राहकों से यह वसूली योग्य है उनके संबंध में निगम के पास विवरण उपलब्ध नहीं है। संबंधित विवरण एवं सूचना और संबंधित पक्षकारों से पुष्टीकरण के अभाव में, एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।
11. सेवा प्रभार के संबंध में निगम के दिशा-निर्देश दिनांक 29 सितम्बर, 1999 के अनुसार, प्राप्त वसूली की राशि को पहले सेवा प्रभार पर बकाया ब्याज के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा और अधिशेष, यदि कोई है, तो उसे मूल सेवा प्रभार के समायोजन के लिये उपयोग किया जायेगा। तथापि, इकाईयों द्वारा इसका पालन समान रूप से नहीं किया गया था और कुछ मामलों में वसूलियों को ब्याज से पहले बकाया मूल राशि में समायोजित किया गया था।
12. विभिन्न सरकारी उपक्रमों/विभागों के 170.34 लाख रुपये के अग्रिम लंबे समय से असमायोजित हैं। ऐसे उपक्रमों/विभागों से पुष्टीकरण और समाधान के अभाव में, एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

- आवंटियों का विवरण ज्ञात करने हेतु प्रयास शुरू कर दिये गये हैं जिससे कि धनराशि की वसूली की जा सके। कुछ इकाईयों में विवरण को निश्चित भी किया गया है।
- सभी इकाई कार्यालयों द्वारा समान रूप से दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
- अग्रिम के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफआरएन: 001100सी

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन: 22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

रीको के निदेशक मण्डल के लिए
एवं उनकी ओर से

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
रीको

अनुलग्नक—बी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सम दिनांक के एकल भा. ले.मा. वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक—बी

एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरण के अंकेशन हेतु अंकेशकों के उत्तरदायित्व

अंकेशन मानकों के अनुसार, अंकेशन के अंश के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं एवं सम्पूर्ण अंकेशन के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद को बनाये रखते हैं। हम:

- ❖ एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरण के सारवान मिथ्या कथनों की जोखिमों को निश्चित करें और उनका आंकलन करें, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रतिक्रियाशील अंकेशन प्रक्रियाओं की रूप रेखा बनाये और निष्पादित करे एवं अंकेशन साक्ष्य प्राप्त करे जो हमारी राय के लिये आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हो। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले सारवान मिथ्या कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, दुर्यपदेशन, या आन्तरिक नियंत्रण का अधिभावी प्रभाव शामिल हो सकता है।
- ❖ अंकेशन प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिये अंकेशन के लिये प्रासंगिक आन्तरिक नियन्त्रण का अवबोध जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, को प्राप्त करें। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(प) के अधीन, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।
- ❖ उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों एवं सम्बन्धित प्रकटीकरणों का मुल्यांकन करें।
- ❖ चालू समुत्थान आधारित लेखांकन का प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता एवं अभिप्राप्त अंकेशन साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष करना कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों जो कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती हैं, से सम्बन्धित सारवान अनिश्चितता विद्यमान है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सारवान अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें हमारे अंकेशकों के प्रतिवेदन में वित्तीय विवरण में सम्बन्धित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिये अपर्याप्त है। तथापि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता समाप्त हो सकती है।
- ❖ प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अन्तर्वस्तु का मुल्यांकन करें, तथा क्या एकल भा. ले.मा. वित्तीय विवरण अन्तर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो स्वच्छ प्रस्तुति को पूरा करते हैं।

हम, अन्य मामलों में आन्तरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियों जिन्हें हम अपने अंकेशन के दौरान पहचानते हैं, के सहित निष्कर्षों से उन्हें जिनके पास नियमन का प्रभार है, सूचित करते हैं।

हम उनको जिनके पास नियमन का प्रभार है, एक कथन के साथ उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं की पालना की है और सभी सम्बन्धों तथा अन्य मामलों जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षण पर युक्तियुक्त रूप से सोचा जा सकता है, उन्हें सूचित करते हैं।

जिनके पास नियमन का प्रभार है, उनके साथ संचार किये गये मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो कि चालू अवधि के वित्तीय विवरणों के अंकक्षण में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिये, मुख्य अंकक्षण मामलें हैं। मामलों के बारे में जब तक कानून या विनियम सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोक नहीं देता हम इन मामलों का हमारे अंकक्षकों के प्रतिवेदन में वर्णन करते हैं अथवा, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणामों से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित लाभों के अतिभार होने की युक्तिपूर्वक प्रत्याशा की जायेगी।

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन: 001100सी

रीको के निदेशक मण्डल के लिए
एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन: 22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
रीको

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

अनुलग्नक—सी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इसके सदस्यों को संबोधित हमारे स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक—बी

अंकेक्षकों के आक्षेप

- (I) (ए) (अ) निगम ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पूर्ण विवरण में मय मात्रा एवं स्थल दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड का उचित तरीकें से संधारण नहीं किया है।
- (ब) निगम ने अपनी अमूर्त आस्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड का उचित तरीकें से संधारण किया है।
- (बी) प्रबंधकों द्वारा वर्ष के अन्त में सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था। समुचित रिकार्ड के अभाव में विसंगतियों पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ है।
- (सी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर अचल सम्पत्तियों (जहां कम्पनी पट्टेदार है और पट्टे समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किये गये हैं, के अतिरिक्त) के स्वत्व विलेख कम्पनी के नाम में है, सिवाय नीचे उल्लिखित के:

सम्पत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	पक्षकार का नाम जिसके नाम पर स्वत्व विलेख है	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का संबंधी या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	किस तिथि से सम्पत्ति धारित	कम्पनी के नाम पर धारित नहीं होने के लिये कारण
उद्योग भवन कार्यालय, जयपुर में भूमि	20.17 लाख	उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार	नहीं	1976 से धारित	रीको के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन लम्बित है
उपरोक्त भूमि पर भवन	54.96 लाख	उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार	नहीं	1982 से धारित	

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

स्थाई सम्पत्तियों के पूर्ण विवरण/ब्योरो के साथ समुचित रिकार्ड रखने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

कोई टिप्पणी नहीं।

अंकेक्षकों के आक्षेप

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

- (डी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम ने वर्ष के दौरान अपनी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग-का-अधिकार की आस्तियों सहित) या अमूर्त आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (i)(डी) के अधीन अपेक्षाएं निगम पर लागू नहीं हैं। कोई टिप्पणी नहीं।
- (ई) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत बेनामी सम्पत्ति धारण करने के लिये निगम के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही नहीं है जो आरम्भ की गयी हो या लंबित हो। तदनुसार, आदेश के पैरा 3(i)(ई) में कथित प्रावधान निगम पर लागू नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।
- (II) (ए) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, भूमि के स्टॉक, स्टोर्स, स्पेयर्स, संघटक एवं कच्चे माल का प्रबंधकों द्वारा वर्ष के दौरान उचित अन्तराल पर भौतिक सत्यापन किया गया था। अग्रतर हमें दी गयी सूचना के अनुसार, भूमि के स्टॉक, स्टोर्स, स्पेयर्स, संघटक एवं कच्चे माल के भौतिक सत्यापन पर लेखा पुस्तकों की तुलना में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं थी। कोई टिप्पणी नहीं।
- (बी) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत कार्यशील पूंजी जो कि प्रतिभूति के आधार पर प्रतिभूत हो, नहीं है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3 (ii)(बी) के प्रावधान इस पर लागू नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।
- (III) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 में रखे गये रजिस्टर में उल्लेखित कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी एवं पार्टियों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। कोई टिप्पणी नहीं।

अंकेषकों के आक्षेप	प्रबंधकों के प्रत्युत्तर
उपरोक्त की दृष्टि में आदेश का खण्ड 3 (iii) निगम पर लागू नहीं होता है।	
(IV) हमारी राय में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों तथा सूचना के अनुसार, निगम ने अधिनियम की धारा 185 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निदेशकों या किसी अन्य व्यक्ति जिसमें निदेशक की रुचि हो, को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है। अग्रतर, हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार अधिनियम की धारा 186 भी निगम पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, पैरा 3 (iv) में कथित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(V) हमें दिये गये स्पष्टीकरणों तथा सूचना के अनुसार, निगम ने पब्लिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किये हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देश तथा अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान या अन्य संबंधित प्रावधान तथा उनके अन्तर्गत निर्मित नियम लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(VI) जैसाकि हमें बताया गया है, निगम ने अलग से लागत लेखे नहीं रखे हैं तथा इनको वित्तीय रिकार्डों से प्राप्त किया जाता है। किन्तु, हमने वित्तीय रिकार्डों का यह निश्चित करने की दृष्टि से की वे लागत अभिलेखों के संबंध में सही व पूर्ण है, विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(VII) (ए) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं निगम के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर एवं अन्य सारवान वैधानिक बकायों सहित अविवादित वैधानिक बकायों के संबंध में लेखा पुस्तकों में काटौती की गई/प्रोद्भूत राशियों को उचित प्राधिकरणों के पास निगम द्वारा नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा है।	कोई टिप्पणी नहीं।

अंकेक्षकों के आक्षेप

(बी) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर एवं अन्य सारवान वैधानिक बकाया के संबंध में ऐसी कोई अविवादित देयतायें जो कि उनकी देय होने की तारीख से 6 महिने की अवधि से ज्यादा 31 मार्च, 2022 को बकाया हो, नहीं है।

(सी) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 13995.43 लाख रुपये के ऐसे विवादित वैधानिक बकाया जिन्हें उचित प्राधिकारी के पास मामला लम्बित होने के कारण जमा नहीं कराया गया है, उनका विवरण निम्न प्रकार है:

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	बकायों की प्रकृति	विवादित राशि	जमा कराई गई राशि	राशि से संबंधित अवधि	मंच जहां विवाद लम्बित है।
1	सेवा कर	8328.31	663.42	01.10.2004 से 30.06.2017	कमिश्नर / अधिकरण / उच्चतम न्यायालय
2	आय कर	5667.12	5612.84	नि.व. 2010-11 से 20.07.2018	आयकर / कमिश्नर / आयकर अपील अधिकरण
	योग	13995.43	6277.26		

(VIII) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे कोई संव्यवहार नहीं है जिन्हें लेखा-पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर निर्धारण के दौरान यथा आय के त्याग दिया गया या प्रकट किया गया।

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

कोई टिप्पणी नहीं।

कोई टिप्पणी नहीं।

कोई टिप्पणी नहीं।

अंकेषकों के आक्षेप	प्रबंधकों के प्रत्युत्तर
(IX) (ए) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार या डिबेंचर के धारक को बकाया के प्रतिसंदाय में दोषी नहीं रहा है। (बी) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी अंकेक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि निगम को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या कोई राजकीय प्राधिकारी द्वारा ज्ञानकृत दोषी घोषित नहीं किया गया है। (सी) हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिये प्रयुक्त किये गये थे जिसके लिये ऋण प्राप्त किये गये थे। (डी) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों, एवं हमारी अंकेक्षण प्रक्रियाओं, एवं निगम के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि निगम ने अल्प अवधि के आधार पर ली गयी धन राशि को दीर्घावधि उद्देश्यों के लिये उपयोग नहीं किया है। (ई) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों, एवं हमारी अंकेक्षण प्रक्रियाओं, एवं निगम के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि निगम ने किसी भी संस्था या व्यक्ति से अपनी समनुषंगियों के दायित्वों को पूरा करने के लिये कोई धनराशि नहीं ली है। (एफ) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी अंकेक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि निगम ने अपनी समनुषंगियों में धारित प्रतिभूतियों के बंधक पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। (X) (ए) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक	कोई टिप्पणी नहीं। कोई टिप्पणी नहीं। कोई टिप्पणी नहीं। कोई टिप्पणी नहीं। कोई टिप्पणी नहीं। कोई टिप्पणी नहीं।

अंकेक्षकों के आक्षेप

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

पब्लिक ऑफर या अग्रतर पब्लिक ऑफर (ऋण दस्तावेज सहित) एवं सावधि ऋणों द्वारा कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (x)(ए) लागू नहीं होता है।

(बी) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं।
एवं निगम के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर निगम द्वारा वर्ष के दौरान न ही कोई अधिमानी आवंटन किया गया है न ही किसी अंश या पूर्णतः या अंशतः या विकल्प के रूप में परिवर्त्य डिबेंचर का प्लेसमेंट नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (x)(बी) लागू नहीं होता है।

(XI) (ए) अंकेक्षण के दौरान, भारत में साधारणतः स्वीकृत अंकेक्षण पद्धतियों के अनुसार निगम की पुस्तकों एवं अभिलेखों की जांच और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, न तो निगम द्वारा और न ही निगम पर सारवान कपट/दुराचार का कोई मामला हमारे ध्यान में आया है। न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसी किसी घटना की सूचना दी गयी है। कोई टिप्पणी नहीं।

(बी) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के दौरान निगम द्वारा या निगम पर सारवान कपट/दुराचार की कोई घटना हमारे ध्यान में नहीं आयी है, तदनुसार आदेश के पैरा 3(xi)(बी) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।

(सी) प्रबंधन द्वारा हमको किये गये प्रतिनिधित्व के अनुसार, वर्ष के दौरान निगम द्वारा कोई भी व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं की गयी है। तदनुसार, पैरा 3 (xi)(सी) में कथित प्रावधान निगम पर लागू नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।

(XII) हमारी राय में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचना के अनुसार कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xi)(ए) से (सी) लागू नहीं होते हैं। कोई टिप्पणी नहीं।

अंकेषकों के आक्षेप	प्रबंधकों के प्रत्युत्तर
(XIII) हमारी राय में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचना के अनुसार एवं निगम के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर संबंधित पक्षकार से सभी व्यवहार जहां भी लागू है, अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालना में है तथा इन व्यवहारों के, लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित ब्योरे भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में प्रकट किये गये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(XIV) (ए) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप कम्पनी के पास आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(बी) हम निगम की सीतापुरा, सवाई माधोपुर, राजसमन्द एवं भीलवाड़ा इकाईयों की आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्टों को प्राप्त करने में असमर्थ थे अतः हमारे द्वारा उपरोक्त उल्लिखित इकाईयों के लिये आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्टों को विचारित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(XV) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान निगम ने निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों या निदेशकों से कोई गैर-नकद व्यवहार नहीं किया है और अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा (xv) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(XVI) (ए) हमारी राय में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अन्तर्गत निगम को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, पैरा 3 (xvi)(ए) में कथित प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(बी) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अन्तर्गत निगम को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, पैरा 3 (xvi)(बी) में कथित प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

अंकेक्षकों के आक्षेप

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

(सी) निगम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा बनाये गये विनियमों में यथा परिभाषित मुख्य निवेश कम्पनी (सीआईसी) नहीं है। अतः, पैरा 3 (xvi)(सी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग करना निगम पर लागू नहीं है।

कोई टिप्पणी नहीं।

(डी) निगम में अपने समूह के अंश के रूप में कोई सीआईसी नहीं है। अतः, पैरा 3 (xvi)(डी) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग करना निगम पर लागू नहीं है।

कोई टिप्पणी नहीं।

(XVII) एकल वित्तीय विवरणों की समग्र समीक्षा के आधार पर निगम को वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, पैरा (xvii) में कथित प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।

कोई टिप्पणी नहीं।

(XVIII) वर्ष के दौरान वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं है। तदनुसार, पैरा (xviii) में कथित प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।

(XIX) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण और वित्तीय अनुपातों की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय आस्तियों की वसूली का काल प्रभावन और अपेक्षित तिथियाँ और वित्तीय दायित्वों का भुगतान, एकल वित्तीय विवरणों के साथ में अन्य सूचनाएँ, निदेशक मण्डल एवं प्रबंधन की योजनाओं की हमारी जानकारी के अनुसार, हम इस मत के हैं कि तुलन पत्र की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर जैसे ही और जब देय होने पर तुलन-पत्र की दिनांक को कोई भी भौतिक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है।

कोई टिप्पणी नहीं।

(XX) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कम्पनी पर लागू है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपेक्षित अंशदान किया है और अंकेक्षण की दिनांक को कोई भी शेष रही अव्ययित राशि नहीं है जिसे विशेष खाते में हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता हो। तदनुसार आदेश के पैरा (xx) (ए) एवं (बी) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।

कोई टिप्पणी नहीं।

अंकेक्षकों के आक्षेप	प्रबंधकों के प्रत्युत्तर
(XXI) एकल वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में आदेश के खण्ड 3 (xxi) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग करना लागू नहीं है। तदनुसार, कथित खण्ड के संबंध में किसी भी टिप्पणी को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन: 001100सी

रीको के निदेशक मण्डल के लिए
एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन: 22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
रीको

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इसके सदस्यों को संबोधित हमारे स्वतंत्र अंकेंक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक—डी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (निगम) की 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के उसी दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेंक्षण के साथ-साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेंक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

निगम का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए.आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेंक्षण पर जारी किये गये निदेशन-पत्र में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रण के तत्वों को विचारित करते हुए निगम द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान-दण्डों के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण को अधिष्ठापित करने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित निगम की नितियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों व त्रुटियों का पता लगाना और उनका निवारण, लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं शुद्धता/यथार्थता, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की यथासमय तैयारी करने को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यापार को नियमित रूप एवं दक्षता से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से सक्रिय थे की पर्याप्त रूप रेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है।

अंकेंक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारे अंकेंक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेंक्षण के लिये लागू होने की सीमा तक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अन्तर्गत जो विहित समझे जायेंगे, एवं आई सी ए आई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेंक्षण पर जारी किये गये निदेशन-पत्र एवं लेखा-परीक्षण के मानकों, दोनों आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेंक्षण के लिये प्रयोज्य एवं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये, के अनुसार हमने हमारा अंकेंक्षण सम्पादित किया है। इन मानकों एवं निदेशन-पत्र की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करें एवं अंकेंक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित एवं अनुरक्षित किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी सारवान/तात्विक मामलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी सक्रीयता की प्रभावशीलता हेतु अंकेंक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया को क्रियान्वित करना हमारे अंकेंक्षण में निहित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेंक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना कि सारवान अपर्याप्तता हैं, एवं परीक्षण करना, एवं निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की सक्रीय प्रभावशीलता व रूप रेखा का मूल्यांकन करना सम्मिलित था। एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के सारभूत मिथ्या कथन चाहे कपट के कारण या त्रुटि के कारण, के जोखिम के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया का चयन अंकेंक्षक के निर्णयन पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेंक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर हमारे अंकेंक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नितियां व कार्य प्रणालियां सम्मिलित हैं जो कि (1) उन अभिलेखों के संधारण से संबंधित हैं जो कि निगम की आस्तियों के व्ययन एवं व्यवहारों को युक्तियुक्त ब्योरे सहित, शुद्ध एवं उचित रूप से दर्शित करते हैं; (2) युक्तिसंगत आश्वासन देते हैं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिये यथा आवश्यक व्यवहारों को दर्ज किया गया है एवं निगम की प्राप्तियों व व्ययों को केवल निगम के निदेशकों एवं प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया जाता है; एवं (3) निगम की आस्तियों का अनधिकृत अर्जन, उपयोग या व्ययन जिनका एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का यथासमय पता लगाने एवं निवारण से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन देवें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा साथ ही अनुपयुक्त प्रबंधन अथवा मिली भगत की संभावना के कारण, नियंत्रणों की अवहेलना, त्रुटि या कपट के कारण मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं लगाया जा सकता। साथी ही, भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के प्रक्षेपण जोखिम के अधीन हैं क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, या कार्याविधि अथवा नीतियों की अनुपालना की मात्रा गिर सकती है।

आक्षेपित मत

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे अंकेंक्षण के आधार पर, 31 मार्च, 2022 को निम्न महत्वपूर्ण कमजोरियां पाई गई हैं।

अंकेंक्षकों के आक्षेप	प्रबंधकों के प्रत्युत्तर
(ए) ठेकेदारों से अग्रिम धन/प्रतिभूति जमा राशि, सरकारी विभागों को अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम, विविध लेनदारों को, विकास प्रभार की वापसी के लिये प्रावधान एवं बकाया दायित्वों के पुराने शेषों का समायोजन करने के लिये समुचित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।	पुराने शेषों की जांच करने एवं आवश्यक समायोजन करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
(बी) निगम में भूमि का कब्जा लेने जहां पर कोई उत्पादन या अन्य गतिविधियां आवंटियों द्वारा निश्चित समय के भीतर नहीं की गई हैं एवं निरस्तकरण के लिये उचित आन्तरिक नियंत्रण नहीं है।	निगम के भूमि निस्तारण नियमों के अनुसार, यदि व्यापार को स्थापित करने में विलम्ब है तो निरस्त करने के प्रावधान हैं, तथापि नियमों के अन्तर्गत प्रतिधारण प्रभार का भुगतान कर समयावधि को बढ़ाने का विकल्प आवंटियों को उपलब्ध है। निगम से अनुमति प्राप्त कर आवंटी जिसके लिए उसे

अंकेक्षकों के आक्षेप

(सी) निगम में वादानुगत एवं अतिक्रमणित भूमि अवाप्ति से बचने के लिये एवं आगे भी वादानुगत एवं अतिक्रमणित भूमि को रोकने के लिये कोई प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण नहीं है।

(डी) किराये की आय के लेखांकन और पहले सेवा प्रभार पर बकाया ब्याज के विस्द्ध सेवा प्रभार की वसूली का समायोजन एवं मूल सेवा प्रभार के समायोजन के लिये अधिशेष, यदि कोई हो, के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है।

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

आवंटन किया गया था उससे भिन्न व्यवसाय प्रारम्भ कर सकता है। तथापि, यदि आवंटी निगम से अनुमति प्राप्त किये बिना व्यवसाय में परिवर्तन करता है तो निगम के पास भूखण्ड को निरस्त करने का अधिकार है।

निगम ने प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के भूमि रिकार्ड के विशेष अंकेक्षण के माध्यम से प्रत्येक आवंटित भूखण्ड द्वारा उत्पादन शुरू करने में व्यतिक्रम वाले मामलों को परिलक्षित करने के लिये पहल की है और व्यतिक्रम वाले मामलों में निरसन/समय विस्तार के लिये आगे की कार्यवाही की जा रही है।

भूमि-गतिविधि की प्रकृति एवं आयतन को देखते हुए, भूमि-स्टॉक के भौतिक सत्यापन हेतु क्रमबद्ध तरीके से उचित अन्तराल पर कार्यवाही की जा रही है। अग्रतर वादानुगत भूमि पर निर्णय/अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है। जहां कहीं भी संभव है, अतिक्रमण को हटाने के लिये स्थानीय प्रशासन की मदद से इकाई स्तर पर उचित कार्यवाही की जा रही है। वादानुगत भूमि के मामलों में, इकाईयों/मुख्यालय पर उचित वैधिक कार्यवाही की जा रही है एवं प्रकृति को नियमित आधार पर समीक्षा/निगरानी की जाती है।

सभी इकाई कार्यालयों द्वारा समान रूप से दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों में 'सारवान कमजोरी' एक कमी/अपर्याप्तता या कमियों/अपर्याप्तताओं का सम्मूचय है, इस तरह से यह युक्तियुक्त सम्भावना है कि निगम के वार्षिक या अन्तरिम वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्या कथन को सामयिक आधार पर रोक नहीं पायेगे या ज्ञात नहीं हो पायेगे।

हमारे मत में, नियंत्रण मानदण्डों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपरोक्त वर्णित सारवान कमजोरियों के सम्भाव्य प्रभावों के सिवाय, जो कि निश्चित नहीं किये जा सकने वाले हैं, निगम में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति विद्यमान है और भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था द्वारा अंकेक्षण पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के जारी किये गये निदेशन-पत्र में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचारित करते हुये निगम द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये अधिष्ठापित मान-दण्डों के आधार पर ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 को प्रभावी रूप से सक्रिय थे।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

हम नें निगम के 31 मार्च, 2022 के एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण में अंकेक्षण परीक्षा के दौरान की सीमा तक प्रकृति, समयानुपात की अवधारणा करने में ऊपर प्रतिवेदित एवं परिलक्षित सारवान कमजोरी को विचारित किया है, एवं इन सारवान कमजोरियों ने निगम के एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत को प्रभावित किया है एवं हम ने एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर आक्षेपित मत जारी किये हैं।

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन: 001100सी

रीको के निदेशक मण्डल के लिए
एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन: 22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
रीको

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इसके सदस्यों को संबोधित हमारे स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक-ई

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत रिपोर्ट

क्र.सं.	अंकेक्षकों के आक्षेप	प्रबंधन के प्रत्युत्तर	टिप्पणी
1	क्या कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यहारों को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ लेखों की प्रामाणिकता पर आईटी प्रणाली के अतिरिक्त लेखांकन संव्यवहारों के संसाधन के निहितार्थों का कथन किया जा सकता है।	निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आईटी परिचालित प्रोग्राम विकास के प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में सभी लेखांकन संव्यहारों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित नहीं किया जा रहा है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2	क्या किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन है या कम्पनी की ऋण के पुनर्भुगतान की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण के अधित्यजन या ऋण/उधारों/ ब्याज इत्यादि के अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार, ऐसा कोई मामला नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3	क्या केन्द्रीय/ राजकीय एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्य धनराशि को इसके निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनायें।	हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्रीय/राजकीय एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्य धनराशि को इसके निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

क्र.सं.	निगम/क्षेत्र विशेष निर्देश	टिप्पणी	प्रबंधन के प्रत्युत्तर
1	क्या कम्पनी ने स्वयं की खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के पर्याप्त प्रयास किये हैं। क्या कम्पनी की कोई भूमि अतिक्रमणित है, मुकदमेंबाजी के अधीन है, उपयोग में नहीं ली गयी है या अधिक घोषित की गयी है। विवरण दिया जाये।	जैसा हमें सूचित किया गया है, कम्पनी ने स्वयं की खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण/विवाद रोकने/हटाने की दिशा में कदम उठाये हैं किन्तु ये पर्याप्त नहीं है। वर्ष के अन्त में अतिक्रमणित/वादानुगत भूमि का निर्धारण 20073.07 लाख रुपये की 1217.68 एकड़ (गत वर्ष 15581.04 लाख रुपये की 1074.60 एकड़) किया गया था। (देखें टिप्पणी संख्या 11(i)(ए))। अतिक्रमणित एवं वादानुगत भूमि का वसूली योग्य मूल्य शून्य रुपये विचारित किया गया है, इसलिए भूमि के स्टॉक के मूल्य में से 20073.07 लाख रुपये (गत वर्ष 15581.04 लाख रुपये) कम कर दिये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं है।
2	राज्य सरकार की पुनर्वास एवं पुनः संस्थापन नीति के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति के पेटे किये जाने वाले भुगतान मय मुआवजा राशि के, की प्रणाली से विचलन का विवरण दें। भूमि विवादों के मसलों का भी उल्लेख किय जाना चाहिए।	हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, राज्य सरकार के पुनर्वास एवं पुनः संस्थापन नीति के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति के पेटे किये जाने वाले भुगतान मय मुआवजा राशि के, की प्रणाली से विचलन का कोई मामला नहीं है। भूमि विवादों के मामलों को रिपोर्ट करने के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराये गये।	कोई टिप्पणी नहीं है।
3	औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन मय आवंटियों से किस्तों की वसूली की प्रक्रिया का उल्लेख करें। व्यवसाय संस्थापित करने या जिसके लिए आवंटन किया गया था, उससे भिन्न व्यवसाय प्रारम्भ करने पर लगायी जाने वाली शास्ति की क्या प्रक्रिया है?	जैसा हमें सूचित किया गया है, सभी प्रकार के भूखण्डों का आवंटन ई-निलामी के माध्यम से किया गया है। आवंटन पत्र जारी होने से पहले आवंटित भूमि के मूल्य के 25 प्रतिशत को वसूल करने की व्यवस्था है। अग्रतर, आवंटन मूल्य के शेष 75 प्रतिशत को तीन वर्ष की अवधि में ग्यारह किस्तों में ब्याज सहित वसूल किया जाता है। व्यवसाय को स्थापित करने में देरी पर भूखण्ड को निरस्त करने की रीको भूमि का व्ययन नियम, 1979 में यथा व्यवस्थित प्रणाली निगम में अवस्थित है, तथापि प्रभार का भुगतान कर समयावधि को बढ़ाने का विकल्प आवंटियों को उपलब्ध है। निगम से अनुमति प्राप्त कर आवंटी भिन्न व्यवसाय प्रारम्भ कर सकता है जिसके लिए उसे आवंटन किया गया था। तथापि, यदि आवंटी निगम से अनुमति प्राप्त किये बिना व्यवसाय में परिवर्तन करता है तो निगम के पास भूखण्ड को निरस्त करने का अधिकार है।	कोई टिप्पणी नहीं है।

क्र.सं.	निगम/क्षेत्र विशेष निर्देश	टिप्पणी	प्रबंधन के प्रत्युत्तर
4	क्या निर्धारित समय सीमा में व्यतिक्रम के मामलों की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं? विद्यमान प्रणाली की अनुपालना नहीं किये जाने वाले मामलों का विवरण दिया जाना चाहिए।	जैसा हमें सूचित किया गया है, निगम ने भूमि की बकाया की वसूली हेतु चुककर्ताओं को वर्ष में एक बार नोटिस जारी किया है। रीको भूमि का व्ययन नियम, 1979 के अन्तर्गत निगम को इन नियमों, आवंटन पत्र की शर्तों अथवा पट्टा समझौता के निबंधनों के उल्लंघन के लिये आवंटियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के पश्चात् भूमि के आवंटन को निरस्त करने का अधिकार है।	निगम ने प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के भूमि रिकार्ड के विशेष अंकेक्षण के माध्यम से प्रत्येक आवंटित भूखण्ड के लिये प्रीमियम के भुगतान में चूक वाले मामलों को परिलक्षित करने के लिये पहल की है और चूक वाले मामलों में निरसन/समय विस्तार के लिये आगे की कार्यवाही की जा रही है।

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफआरएन: 001100सी

रीको के निदेशक मण्डल के लिए
एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूजीआईएन: 22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
रीको

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022



संख्या सी.ए.डब्ल्यू-1/वा.ले./रीको/2021-22/के-109/प्रे.-1000

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान
 जनपथ, जयपुर-302 005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II) RAJASTHAN
JANPATH, JAIPUR-302 005

दिनांक/Date 30.09.2022

प्रबन्ध निदेशक,
 राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट
 एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
 उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302012

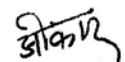
विषय : राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष
 2021-22 के एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की शून्य टिप्पणियाँ एवं कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(b) सपठित धारा 129(4) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(b) के अधीन शून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियाँ, जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,



उपमहालेखाकार

(लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह-1)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुरूप तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेंक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखांकन के मानकों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत स्वतंत्र अंकेंक्षण के आधार पर प्रकट करना है। यह उनके अंकेंक्षण प्रतिवेदन दिनांक 02 सितम्बर, 2022 द्वारा किया जाना व्यक्त किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेंक्षण किया है। इस अनुपूरक अंकेंक्षण को स्वतंत्रतापूर्वक वैधानिक अंकेंक्षकों के कार्य दस्तावेजों के बिना अभिगमन किये, निष्पादित किया है तथा मुख्यतः वैधानिक अंकेंक्षकों की जाच एवं कम्पनी कार्मिक व कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जाच तक सीमित है।

मेरे द्वारा किये गये अनुपूरक अंकेंक्षण के आधार पर ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य मेरे ध्यान में नहीं आया जिससे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी वैधानिक अंकेंक्षकों की रिपोर्ट में जोड़ बंध हो।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं निमित्त
ह.
(अतूर्वा सिन्हा)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II)

स्थान : जयपुर

दिनांक : 30.09.2022

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर
भा.ले.मा. के अनुसार एकल तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2022 को

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिसम्पत्तियां			
अचल सम्पत्तियां			
(ए) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	406.58	310.71
(बी) प्रगतिरत पूंजी कार्या	3	—	—
(सी) निवेश सम्पत्ति	4	101.59	103.00
(डी) अन्य अमूर्त सम्पत्तियां	5	26.94	14.97
(ई) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) समनुषंगी, सहबद्ध, संयुक्त उद्यमों में निवेश	6	4,505.40	4,505.40
(ii) अन्य निवेश	7ए	17,123.21	12,340.75
(iii) व्यापारिक प्राप्त्य	8ए	81,607.90	32,704.39
(iv) ऋण	9	31,099.14	36,243.73
(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	10ए	68,756.32	40,585.86
(एफ) अचल कर परिसम्पत्तियां	21ए	3,693.24	1,550.64
(जी) अन्य अचल परिसम्पत्तियां	13ए	2,751.04	3,121.40
कुल अचल परिसम्पत्तियां		210,071.36	131,480.85
चल परिसम्पत्तियां			
(ए) इन्वेन्ट्री	11	254,083.30	260,464.62
(बी) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) निवेश	7बी	959.77	476.44
(ii) व्यापारिक प्राप्त्य	8बी	98,145.20	81,544.56
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	12	54,831.78	23,698.08
(iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष	12ए	60,049.56	39,458.81
(v) अन्य	10बी	64,383.44	52,095.59
(सी) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	21बी	400.00	—
(डी) अन्य चल परिसम्पत्तियां	13बी	202.03	134.31
कुल चल परिसम्पत्तियां		533,055.10	457,872.42
कुल परिसम्पत्तियां		743,126.45	589,353.27
साम्या एवं दायित्व			
साम्या			
(ए) साम्या अंश पूंजी	14	21,018.58	21,018.58
(बी) अन्य साम्या	15	322,127.25	264,329.43
कुल साम्या		343,145.83	285,348.01

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
दायित्व			
अचल दायित्व			
(ए) वित्तीय दायित्व			
(i)			
(ia) पट्टा दायित्व		—	—
(i) अन्य वित्तीय दायित्व	16ए	4,717.66	4,678.77
(बी) प्रावधान	17ए	272.63	264.08
(सी) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	18	—	—
(डी) अन्य अचल दायित्व	19ए	309,494.59	230,323.59
कुल अचल दायित्व		314,484.88	235,266.44
चल दायित्व			
(ए) वित्तीय दायित्व			
(i)			
(ia) पट्टा दायित्व		—	—
(ii) व्यापारिक देयतायें	20	—	—
(ए) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की कुल बकाया देय राशि, और		—	—
(बी) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अलावा लेनदारों की			
कुल बकाया देय राशि		6,059.83	4,818.56
(ii) अन्य वित्तीय दायित्व	16बी	29,180.21	26,244.25
(बी) अन्य चल दायित्व	19बी	50,071.90	37,448.04
(सी) प्रावधान	17बी	183.80	124.14
(डी) चल कर दायित्व (शुद्ध)	21सी	—	103.83
कुल चल दायित्व		85,495.74	68,738.82
कुल साम्या एवं दायित्व		743,126.45	589,353.27

टिप्पणियां 1 से 56 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारे समदिनांक के अंकेक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

एफआरएन: 001100सी

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)

साझेदार

सदस्य संख्या 017184

यूडीआईएन : 22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

स्थान : जयपुर

दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(शिवप्रसाद नकाते)

प्रबन्ध निदेशक

डीआईएन-7670414

(मनीष शुक्ला)

मुख्य वित्त अधिकारी

(कुलदीप रांका)

अध्यक्ष

डीआईएन-00279526

(डी.के. शर्मा)

सचिव

स. सं. ए-7037

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भा.ले.मा. के अनुसार एकल लाभ एवं हानि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
संचालन से राजस्व	22	152,715.03	119,471.12
अन्य आय	23	6,467.96	3,597.14
कुल आय		159,182.99	123,068.26
व्यय			
भूमि के विकास पर व्यय		31,378.42	22,850.27
भूमि के स्टॉक में परिवर्तन	24	6,360.71	(5,490.86)
कर्मचारी परिलाभ व्यय	25	7,456.27	6,882.93
वित्त लागतें	26	518.30	432.71
मुल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	27	128.62	119.02
अन्य व्यय	28	34,659.68	26,182.73
कुल व्यय		80,502.01	50,976.79
कर एवं अपवादात्मक मदों के पूर्व लाभ/(हानि)		78,680.99	72,091.47
अपवादात्मक मदें:		—	—
कर पूर्व लाभ/(हानि)		78,680.99	72,091.47
कर व्यय:	29		
चालू कर		19,100.00	19,000.00
आय कर (पूर्व वर्ष के कर)		(644.97)	—
आस्थगित कर		—	—
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)		60,225.95	53,091.47
अन्य व्यापक आय			
ए (i) वह मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा		(326.27)	168.71

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
(ii) आयकर से संबंधित मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा		—	—
बी (i) वह मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा		—	—
(ii) आयकर से संबंधित मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा			
योग		(326.27)	168.71
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय/(हानि)		59,899.68	53,260.18
प्रति साम्या शेयर उपार्जन	30		
प्रत्येक 10 रुपये के मूल्य के साम्या अंश		—	—
(1) मूल एवं मन्दित (रुपये)		28.65	25.26

टिप्पणियां 1 से 56 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारे समदिनांक के अंकक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन: 001100सी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन : 22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-7670414

(कुलदीप रांका)
अध्यक्ष
डीआईएन-00279526

(मनीष शुक्ला)
मुख्य वित्त अधिकारी

(डी.के. शर्मा)
सचिव
स. सं. ए-7037

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर
 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भा.ले.मा. के अनुसार एकल नकद प्रवाह विवरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
(ए) संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कराधान से पहले लाभ	78,680.99	72,091.47
अन्य व्यापक आय	(326.27)	168.71
	78,354.71	72,260.18
घटाइये: प्राप्त लाभांश	(1,171.21)	(6.11)
जोड़िये: निवेशों के विक्रय पर उचित मूल्य हानि	(3,983.68)	(75.04)
जोड़िये: निवेशों के विक्रय पर हानि	—	(25.96)
जोड़िये: वित्त परिसम्पत्ति की अमान्यता पर प्राप्ति/हानि	598.55	—
जोड़िये: ह्रास	128.62	119.02
जोड़िये: बट्टे खाते में डाली गयी उपार्जित आय	5,182.52	3,238.25
जोड़िये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	463.29	(1,921.84)
घटाइये: कन्वेन्शन सेन्टर से आय	(788.50)	(206.31)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पहले संचालन के लाभ	78,784.30	73,382.19
व्यापारिक प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)	(65,504.15)	(60,208.95)
इन्वेन्ट्री में कमी/(वृद्धि)	6,381.32	(5,457.85)
अन्य चालू आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(12,355.58)	(5,921.76)
अन्य गैर चालू आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(27,800.11)	(38,708.31)
ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(1,099.76)	(3,734.41)
चालू दायित्वों एवं प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	15,619.48	5,269.67

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
गैर चालू दायित्वों में कमी/(वृद्धि)	79,218.44	49,468.37
व्यापारिक देयताओं में कमी/(वृद्धि)	1,241.27	51.78
शुद्ध आय कर (प्रदत्त)/वापसी की प्राप्ति	(21,101.46)	(20,332.69)
संचालन गतिविधि से शुद्ध रोकड़ (ए)	53,383.76	(6,191.97)
(बी) निवेशी गतिविधियों से नकद प्रवाह		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय	(235.05)	(137.88)
निवेशों का (क्रय)/विक्रय	(1,282.10)	(1,569.35)
प्राप्त लाभांश	1,171.21	6.11
सभा केन्द्र से आय	788.50	206.31
निवेशी गतिविधि से शुद्ध रोकड़ (बी)	442.55	(1,494.82)
(सी) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
प्रदत्त लाभांश	(2,101.86)	(2,101.86)
वित्तीय गतिविधि से शुद्ध रोकड़ (सी)	(2,101.86)	(2,101.86)
नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)	51,724.45	(9,788.65)
अवधि के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	63,156.90	72,945.55
अवधि के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	114,881.35	63,156.90

* नकद एवं नकद समतुल्य में टिप्पणी 12 के अनुसार अन्य बैंक शेष शामिल है।

- (1) सीएसआर गतिविधियों पर 484.62 लाख रुपये (गत वर्ष 472.00 लाख रुपये) के भुगतान के पश्चात् संचालन गतिविधि से नकद प्रवाह ज्ञात किया है।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

(2) नकद प्रवाह के विवरण में सम्मिलित नकद एवं नकद समतुल्यों में निम्नलिखित शामिल है:

विवरण	2021-22	2020-21
(ए) चल आस्तियों के अन्तर्गत प्रकटित नकद एवं नकद समतुल्य(टिप्पणी 12)	54,831.78	23,698.08
(बी) चल आस्तियों के अन्तर्गत प्रकटित अन्य बैंक शेष (टिप्पणी 12ए)	60,049.56	39,458.81
(सी) अचल आस्तियों के अन्तर्गत प्रकटित नकद एवं बैंक शेष (टिप्पणी 10)	68,756.32	40,585.86
तुलन-पत्र के अनुसार कुल नकद एवं नकद समतुल्य	183,637.67	103,742.76
घटाइयें: अचल आस्तियों के अन्तर्गत प्रकटित नकद एवं बैंक शेष(टिप्पणी 10)	68,756.32	40,585.86
नकद प्रवाह विवरण के अनुसार कुल नकद एवं नकद समतुल्य	114,881.35	63,156.90

(3) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां तक प्रयोज्य है पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणियां 1 से 56 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारे समदिनांक के अंकेक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन: 001100सी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन :
22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-7670414

(कुलदीप रांका)
अध्यक्ष
डीआईएन-00279526

(मनीष शुक्ला)
मुख्य वित्त अधिकारी

(डी.के. शर्मा)
सचिव
स. सं. ए-7037

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर

साम्या में परिवर्तनों का विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये

ए. साम्या अंशपूँजी

(राशि लाख रुपये में)

1 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण साम्या अंश पूँजी में परिवर्तन	चालू प्रतिवेदित अवधि के आरम्भ में पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान साम्या में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष
21,018.58	—	21,018.58	—	21,018.58

बी. अन्य साम्या

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			
	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित उपाजर्जन	योग
01 अप्रैल, 2021 को शेष	20,553.97	22,042.85	221,732.61	264,329.43
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	—	—	—	—
चालू प्रतिवेदित अवधि के आरम्भ में पुनर्कथित शेष	20,553.97	22,042.85	221,732.61	264,329.43
अवधि हेतु लाभ	—	—	60,225.95	60,225.95
अन्य व्यापक आय	—	—	(326.27)	—326.27
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	—	—	59,899.68	59,899.68
लाभांश	—	—	(2,101.86)	(2,101.86)
विशेष आरक्षित को हस्तान्तरण	251.00	—	(251.00)	—
आस्थगित कर का पुनः लेखांकन [देखें नीचे टिप्पणी (i)]	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को शेष	20,804.97	22,042.85	279,279.43	322,127.25

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये

ए. साम्या अंशपूँजी

1 अप्रैल, 2020 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण साम्या अंश पूँजी में परिवर्तन	चालू प्रतिवेदित अवधि के आरम्भ में पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान साम्या में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 को शेष
21,018.58	—	21,018.58	—	21,018.58

बी. अन्य साम्या

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			
	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित उपार्जन	योग
01 अप्रैल, 2020 को शेष	19,878.97	22,042.85	171,249.29	213,171.11
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	—	—	—	—
चालू प्रतिवेदित अवधि के आरम्भ में पुनर्कथित शेष	19,878.97	22,042.85	171,249.29	213,171.11
अवधि हेतु लाभ	—	—	53,091.47	53,091.47
अन्य व्यापक आय	—	—	168.71	168.71
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	—	—	53,260.18	53,260.18
लाभांश	—	—	(2,101.86)	(2,101.86)
विशेष आरक्षित को हस्तान्तरण	675.00	—	(675.00)	—
आस्थगित कर का पुनः लेखांकन [दिखें नीचे टिप्पणी (i)]	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को शेष	20,553.97	22,042.85	221,732.61	264,329.43

टिप्पणी (i) – उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में एवं भा.ले.मा. 12 के पैरा 61ए के अनुसार, साम्या में डेबिट की गयी सीमा तक आस्थगित कर देयता (1 अप्रैल 2017 तक) को वित्तीय वर्ष 2017–18 में 16.56 लाख रुपये की राशि को साम्या में क्रेडिट करके वापस कर दिया गया है। चालू वर्ष के लिये साम्या घटक के अस्थायी अंतर पर कोई आस्थगित आस्ति/देयता को मान्यता नहीं दी गयी है।

हमारे समदिनांक के अंकेक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

एफआरएन: 001100सी
(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार

सदस्य संख्या 017184

यू.डी.आई.एन :

22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

स्थान : जयपुर

दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-7670414

(मनीष शुक्ला)
मुख्य वित्त अधिकारी

(कुलदीप रांका)
अध्यक्ष
डीआईएन-00279526

(डी.के. शर्मा)
सचिव
स. सं. ए-7037

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों का अंगभूत होने वाली सामान्य जानकारी एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

1. सामान्य जानकारी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (रीको) भारत में निगमित एवं अधिवासित है जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर पर है। निगम पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार के स्वामित्व में है।

रीको ने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से आधारभूत संरचना के सृजन द्वारा राजस्थान राज्य के औद्योगिकीकरण की पहल की है। बड़ी, मध्यम और लघु परियोजनाओं को ऋण दे कर, रीको एक वित्तीय संस्था के रूप में भी कार्य करता है। औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबंधन एवं विकास के प्रशासन के लिये रीको ने पूरे राजस्थान में 30 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

राजस्थान के औद्योगिक विकास में, रीको ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। निवेशकों एवं उद्यमियों को रीको द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं में सम्मिलित है: स्थल चयन एवं भूमि का अधिग्रहण, बड़ी, मध्यम और लघु परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, योग्यता के आधार पर बड़ी परियोजनाओं में इक्विटी हिस्सेदारी, परियोजना के लिये तकनीकी परामर्श, पहचान और तकनीकी गठजोड़, एस्कार्ट सेवाएं, सरकारी मंजूरी/अनापत्ति की सुविधा एवं राज्य सरकार और उद्योग विभाग की नीतियों के अनुसार प्रोत्साहन तथा रियायतें प्रदान करना।

मूल समाजिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के साथ विकसित भौतिक आधारभूत संरचना में सड़कें, विद्युत, सड़क का प्रकाश प्रबंध, जल आपूर्ति, जल निकासी इत्यादि, शामिल है। रीको ने 888647.94 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर अब तक 390 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है। रीको ने लगभग 37.40 बिलियन रुपये अवधि ऋणों के रीको के योगदान के साथ लगभग 96.31 बिलियन रुपये के निवेश को उत्प्रेरित किया है एवं लगभग 1.13 लाख व्यक्तियों के लिये नियोजन सुलभ कराया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में 42319 से अधिक औद्योगिक इकाइयां उत्पादन में लिप्त हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

मुख्य लेखांकन नीतियां नीचे निर्दिष्ट की गयी हैं :

2.1 अनुपालना का विवरण

वित्तीय विवरणों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) के अनुसार चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी नोट/घोषणाओं को भी लागू किया है सिवाय इसके कि जहाँ अनुपालना में अन्य वैधानिक घोषणाओं के कारण भिन्न व्यवहार की आवश्यकता है।

निगम के निदेशक मण्डल द्वारा 02.09.2022 को वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिये स्वीकृति दे दी गयी है।

2.2 लेखांकन का आधार

निगम लेखों का संधारण ऐतिहासिक लागत का अनुसरण करते हुये प्रोद्भवन आधार पर करता है, सिवाय कुछ संव्यवहारों के लेखांकन नकद आधार पर के, जैसा कि इसके नीचे उल्लिखित है एवं सिवाय कुछ वित्तीय प्रपत्रों के जो कि प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अन्त में उचित मूल्य पर मापे जाते हैं जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में बताया गया है।

ऐतिहासिक लागत सामान्यतः सामग्री एवं सेवाओं के लिये आदान-प्रदान में दिये गये प्रतिकर के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य वह कीमत है जो कि किसी परिसम्पत्ति के विक्रय पर प्राप्त होगी या मापन की दिनांक को बाजार सहभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में देयता को हस्तांतरित करने के लिये भुगतान की गयी कीमत भले ही उस कीमत का प्रत्यक्षतः मूल्यांकन किया जाए या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक से आकलन किया गया है। किसी परिसम्पत्ति या दायित्व के उचित मूल्य का आकलन करने में, निगम परिसम्पत्ति या दायित्व की उन विशेषताओं को ध्यान में रखता है यदि बाजार प्रतिभागियों ने परिसम्पत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण के दौरान जिन विशेषताओं को मापने की तिथि पर ध्यान में रखा होगा। इन वित्तीय विवरणों में मापन एवं/अथवा प्रकट करने के प्रयोजनार्थ उचित मूल्य का निर्धारण इस आधार पर किया है।

भा.ले.मा. के अधीन उचित मूल्य मापन को उस डिग्री के आधार पर वर्गीकृत यथा निम्न प्रकार किया जाता है जहां उचित मूल्य के मापों के लिये इनपुट विचार योग्य है एवं उचित मूल्य मापन के लिये इनपुट का महत्व पूरी तरह से है।

- ❖ स्तर 1 इनपुट वह इनपुट है जो समान आस्तियों या दानेदारियों के लिये सक्रिय बाजार में उद्धृत कीमत है जो कि निगम मापन की दिनांक पर पहुंच सकता है।
- ❖ स्तर 2 इनपुट स्तर 1 में अन्तर्निहित उद्धृत कीमत के अतिरिक्त, वह इनपुट है, जो कि आस्ति या दायित्व के लिये चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विचार योग्य है; एवं
- ❖ स्तर 3 इनपुट, आस्तियों/दायित्वों के मूल्यांकन के लिये अविचारणीय इनपुट है।

उचित मूल्य अनुक्रम के उपरोक्त स्तरों को सुसंगत रूप से लागू किया जाता है और जब तक कि परिस्थिति के परिवर्तन इस तरह के हस्तांतरण नहीं चाहते हैं सामान्यतः, उचित मूल्य अनुक्रम के स्तरों के मध्य कोई हस्तांतरण नहीं होता है।

2.2.1 नकद आधार पर लेखाबद्ध संव्यवहार

- ❖ राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित क्षेत्रों/सम्पदाओं से वसूली, जल प्रभार पर ब्याज एवं लघु भूमि के विरुद्ध धन-वापसी।
- ❖ आर्थिक सहायता/प्रोत्साहन राशि जो कि उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात् आवंटियों को भूमि के कुल लागत का 25 प्रतिशत दिया गया है, का अन्तिम भाग, सतत उत्पादन प्रोत्साहन योजना, पिछड़े क्षेत्र प्रोत्साहन योजना।
- ❖ किशतों पर आवंटित भूमि पर ब्याज/भूमि के तहत अतिरिक्त वसूली, किशतों पर आवंटित भूमि एवं शेड/भवन पर ब्याज एवं आर्थिक किराया एवं उस पर ब्याज।
- ❖ भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिये रूपान्तरण प्रभार।

2.3 आकलनों का उपयोग

भा.ले.मा. के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रबंधन को निर्णय करने, प्राक्कलनों तथा पूर्वधारणाओं की आवश्यकता होती है। यह प्राक्कलन, निर्णय एवं पूर्वधारणाएं वित्तीय विवरणों की दिनांक को लेखांकन नीतियों का उपयोग एवं आकस्मिक आस्तियों एवं दायित्वों के प्रकटीकरण, आस्तियों एवं दायित्वों की प्रतिवेदित मूल्य एवं अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की प्रतिवेदित राशियों को प्रभावित करते हैं। उपयोग किये गये मुख्य

लेखांकन प्राक्कलनों का इन वित्तीय विवरणों में संबंधित आय/व्यय और/अथवा आस्ति/दायित्व के अन्तर्गत वर्णन किया गया है। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किये गये प्राक्कलन युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों एवं निहित पूर्वधारणाओं की चालू आधार पर समीक्षा की जाती है। जिस अवधि में आकलनों को संशोधित किया जाता है और यदि संशोधन केवल संशोधन अवधि को एवं भावी अवधि को प्रभावित करता है, यदि संशोधन चालू एवं भावी अवधि दोनों को प्रभावित करता है, तो उस अवधि में लेखांकन आकलनों में संशोधन को मान्यता दी जाती है।

2.4 वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि का विवरण तैयार किया जाता है और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची-प्प में विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाते हैं। नकद प्रवाह विवरण को भारतीय लेखा मानक 7 “नकद प्रवाह का विवरण” की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया जाता है एवं प्रस्तुत किया जाता है। अधिनियम की अनुसूची-III में यथा विहित, तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि विवरण की मदों के संबंध में अपेक्षित प्रकटीकरण को अधिसूचित लेखामानकों के अन्तर्गत प्रकट किये जाने वाले अपेक्षित अन्य टिप्पणियों सहित वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग जैसी टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III द्वारा यथा अनुज्ञात, वित्तीय विवरणों में राशियां भारतीय लाख रुपये में को दशमलव तक पूर्णांकित करते हुये, प्रस्तुत की गयी हैं। प्रति शेयर के आंकड़ों को भारतीय रुपये में दो दशमलव तक प्रस्तुत किया गया है।

सभी आस्तियों एवं दायित्वों को निगम के सामान्य क्रियाशील चक्र के अनुसार यथा चल अथवा अचल (चालू और गैर-चालू) के वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति एवं प्रसंस्करण के लिये आस्तियों का अधिग्रहण एवं उनकी नकद और नकद समतुल्य में वसूली के मध्य समय के आधार पर, निगम ने आस्तियों एवं दायित्वों के चल या अचल वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ अपने क्रियाशील चक्र को यथा 12 माह के निश्चित किया है।

2.5 राजस्व मान्यता

निगम ने भा.ले.मा. 115 “ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व” को अंगीकृत कर लिया है जो कि 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी है।

राजस्व मान्यता से संबंधित नयी और/या संशोधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश निम्नलिखित है—

निगम ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह ग्राहक को वचन दी गयी वस्तु या सेवा के हस्तान्तरण द्वारा प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। प्रदर्शन दायित्व के लिये आवंटित संव्यवहार मूल्य की सीमा तक राजस्व को मान्यता दी जाती है।

ग्राहकों के साथ निगम की संविदाओं में ग्राहक को अनेक उत्पादों और सेवाओं का हस्तान्तरण करने का वचन शामिल हो सकता है। निगम संविदा में दिये गये वचन वाले उत्पादों/सेवाओं का आंकलन करता है और संविदा में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को परिलक्षित करता है। अलग-अलग प्रदर्शन दायित्व की पहचान में परिदेयों और ऐसे परिदेयों से स्वतंत्र रूप से ग्राहक को लाभ उठाने की क्षमता का निर्धारण करने का निर्णय सम्मिलित है।

क्या प्रदर्शन दायित्व समय-समय पर या समय पर संतुष्ट है, का निर्धारण करने में निगम निर्णय का प्रयोग करता

है। निगम संकेतकों पर विचार करता है जैसे कि सेवाओं को प्रदान किये जाने के पश्चात् ग्राहक किस तरह से लाभ उठाता है या आस्ति का कौन नियन्त्रण करता है जैसा कि इसका सृजन किया जा रहा है या अब तक के प्रदर्शन के लिये प्रवर्तनीय अधिकार का आस्तित्व और ऐसे उत्पाद या सेवा का वैकल्पिक उपयोग, महत्वपूर्ण जोखिमों का अन्तरण और ग्राहक को प्रतिफल, ग्राहक द्वारा परिदान की स्वीकृति, इत्यादि।

समय-समय पर संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिये, राजस्व मान्यता प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति प्रगति को माप कर की जाती है। प्रगति का प्रदर्शन दायित्व को आरोप्य कुल प्राक्कलित लागत के अनुपात में तिथि तक उपगत वास्तविक लागत से माप किया जाता है।

संव्यवहार कीमत, प्रतिफल की वह राशि है जिसकी निगम किसी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को वर्जित करते हुये किसी ग्राहक को वस्तु या सेवा हस्तान्तरित करने के फलस्वरूप हकदार होने की अपेक्षा करता है।

जब संविदात्मक शर्तों के अनुसार समय व्यतीत होने के अतिरिक्त किसी भी पर सही स्थिति है, संविदा आस्तियों को मान्यता दी जाती है। अनर्जित एवं आस्थगित राजस्व ("संविदा दायित्व") को मान्यता तब दी जाती है जब ग्राहक को वस्तु या सेवा जिसके लिये सत्ता ने ग्राहक से प्रतिफल (या राशि बकाया है) प्राप्त कर लिया है, हस्तान्तरित करने का दायित्व है।

2.5.1 आधारभूत संरचनाओं से राजस्व

भा.ले.मा. 115 द्वारा विशेष रूप से भा.ले.मा. 116 के विषय क्षेत्र के भीतर पट्टे के अनुबन्धों को अपने विषय क्षेत्र से वर्जित कर दिया है। बुनियादी ढांचे की गतिविधियों पर आधारित समझौतों की जांच की गयी एवं यह ज्ञात हुआ कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं में दो तत्व होते हैं, एक वह जो भूमि का पट्टा है और दूसरा तत्व विकास गतिविधि है।

भा.ले.मा. 116 के अनुसार, यदि किसी व्यवस्था में पट्टा होता है, तो व्यवस्था के पक्षकार व्यवस्था के पट्टे के तत्व के रूप में भा.ले.मा. 116 की अपेक्षाओं को लागू करेंगे और अन्य तत्वों को जो कि भा.ले.मा. 116 के विषय क्षेत्र में नहीं हैं उन्हें अन्य मानकों के अनुसार लेखाबद्ध किया जायेगा।

भा.ले.मा. 116 की अपेक्षाओं को लागू करने के प्रयोजनार्थ, व्यवस्था द्वारा अपेक्षित भुगतानों एवं अन्य प्रतिफल व्यवस्था के प्रारम्भ होने पर या उन पट्टों के लिये और उनके सम्बन्धित उचित मूल्यों के आधार पर उन अन्य तत्वों के लिये उनकी व्यवस्था के पुनः निर्धारण पर पृथक किया जायेगा। निगम ने लागत साथ ही लाभ के दृष्टिकोण के आधार पर प्रत्येक तत्व (भूमि तथा विकास गतिविधि) को संव्यवहार मूल्य का आवंटन करने में महत्वपूर्ण निर्णय, प्राक्कलन एवं आंकलनों का उपयोग किया है, जैसा कि संविदा में वादा किये प्रत्येक अलग उत्पाद या सेवा की एकल विक्रय मूल्य प्रत्यक्ष नहीं थी।

प्रबन्धन विश्वास करता है कि इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किय गये प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं उचित है।

2.5.1.1. तदनुसार भा.ले.मा. 116 'पट्टा' (इस संबंध में नीति 'पट्टा' के लिये नीति के अधीन आवृत्त हैं) के सिद्धान्तों एवं प्रावधानों को भूमि के तत्व के मामले में लागू किया गया है और विकास गतिविधियों के मामले में भा.ले.मा. 115 को लागू किया गया है तथा इस सम्बन्ध में नीतियों को इसमें आगे उल्लिखित किया गया है।

2.5.1.2. विकास गतिविधियां

- ❖ जब प्रदर्शन दायित्व समय-समय पर संतुष्ट हो जाते हैं और प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति सत्ता अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है, राजस्व को “ संपूर्ति विधि का प्रतिशत” के अनुसार मान्यता दी जाती है।
- ❖ जब निगम प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने के लिये सक्षम नहीं है, परन्तु प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में व्यय की गयी लागत की वसूली की अपेक्षा करता है, निगम राजस्व को उस समय तक जब वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप सकता है, व्यय की गयी लागत की सीमा तक मान्य करता है।
- ❖ निम्नलिखित शर्तों को पूरा होने पर प्रगति की उचित माप को प्राप्त करने के लिये माना जाता है:
 - i) परियोजना के प्रारम्भण के लिये आवश्यक सभी संकटमय स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं;
 - ii) जब परियोजना के पूर्ण होने का चरण विकास के यथोचित स्तर पर पहुंचता है। यदि निर्माण एवं विकास पर उपगत व्यय लागते (भूमि लागत के अतिरिक्त) आंकलित निर्माण एवं विकास की कुल लागतों (भूमि लागत के अतिरिक्त) के 25 प्रतिशत से कम है तो विकास का यथोचित स्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
 - iii) विक्रय योग्य परियोजना क्षेत्र का कम से कम 25 प्रतिशत भाग क्रेताओं से संविदाओं या समझौतों के द्वारा प्रतिभूत है, एवं
 - iv) विक्रय के समझौतों या कोई अन्य कानूनी रूप से प्रवर्तनीय दस्तावेजों के अनुसार कुल राजस्व का कम से कम 10 प्रतिशत प्रत्येक अनुबंध के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि पर प्राप्त किया जाता है और ऐसे अनुबंधों के पक्षकारों से संविदात्मक भुगतान शर्तों का अनुपालन करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।
- * समय-समय पर संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों के मामलों में मान्य की जाने वाली राजस्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रयुक्त किया जाता है, प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति प्रगति को माप कर राजस्व की मान्यता की जाती है। प्रगति का प्रदर्शन दायित्व को आरोप्य कुल प्राक्कलित लागत के अनुपात में तिथि तक उपगत वास्तविक लागत से माप किया जाता है।
- ❖ राजस्व की गणना के लिये, पूर्णता का प्रतिशत परियोजना की कुल आंकलित लागत के तहत सहयुक्त वित्तीय लागतों, एवं निर्माण एवं विकास लागतों सहित उपगत किये गये वास्तविक व्यय के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जब परियोजना का परिणाम विश्वस्त रूप से निश्चित किया जा सकता है एवं सभी उपरोक्त शर्तों को पूरा कर लिया गया है, भूमि के आवंटन से राजस्व को जैसाकि ऊपर निर्धारित किया गया है पूर्णता के प्रतिशत को भा.ले.मा. 115 के अन्तर्गत संव्यवहार मूल्य (अर्थात् आवंटित भूमि के मूल्य में से भूमि घटक के उचित मूल्य को कम करके) से गुणा करके निर्धारित किया जाता है।
- ❖ आवंटित भू-खण्डों के रद्दकरण पर, यथा प्रयोज्य आवंटन/पट्टा के निबन्धनों के अनुसार, देय ब्याज को देय प्रभारों के विनियोग के पश्चात् केवल धनवापसी के लिये योग्य राशि की सीमा तक

यथा आय के मान्यता प्राप्त है और अधिक धनराशि, यदि कोई है, आवंटियों के वापस की जाती है।

- ❖ एक मुश्त आर्थिक किराए की प्राप्ति एवं एक मुश्त प्राप्त सेवा प्रभार की राशि को दस वर्षों की अवधि तक विस्तारित कर मान्यता दी जाती है।
- ❖ सेवा प्रभार, सेवा प्रभार पर ब्याज और 5 वर्ष या उससे अधिक के लिये बकाया जल प्रभार की बकाया राशि को अच्छा विचारित नहीं किया जाता है और वसूली के अधिकार का प्रतिधारण करते हुये इसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

2.5.1.3. आवंटित भूमि का मूल्य :

- i. भूमि आवंटन पर क्रेता से प्राप्त/प्राप्ति योग्य राशि को आवंटित भूमि के मूल्य में जमा किया जाता है, चाहे पट्टा-विलेख का निष्पादन नहीं हुआ हो।
- ii. निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दूसरे माह की अन्तिम तिथि तक वास्तव में कब्जा लेने पर ही भूखण्ड/शेड का आवंटन निरस्त/समर्पित माना जाता है तथा पूर्व में प्राप्त राशि को आवंटित भूमि के मूल्य के डेबिट में लिखा जाता है।
- iii. किसी परियोजना विशेष के लिए अवाप्त अविकसित भूमि या जहां औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक रूप में उपयुक्त नहीं आंका गया है, ऐसी भूमि की लागत का लेखांकन आवंटित भूमि के अनुपात में किया जाता है।
- iv. रीको-भू निष्पादन नियम, 1979 के पैरा 3(ए) में उल्लेखित विशिष्ट श्रेणी के आवंटियों को भूमि आवंटन पर छूट का लेखांकन भुगतान के वर्ष में, उसी सीमा तक संबंधित आवंटन की राशि में से घटाते हुए किया जाता है।
- v. सक्षम अधिकारियों द्वारा रीको के पक्ष में पट्टा विलेखों का निष्पादन शेष रहते भी भूमि का आवंटन कर दिया जाता है।

2.5.1.4 आधारभूत संरचना/सम्पत्ति विकास की गतिविधि की लागत का निर्धारण

- (ए) आधारभूत सुविधा गतिविधि का लेखांकन औद्योगिक क्षेत्रवार भूमि के विकास की अनुमानित लागत, आवंटित भूमि का मूल्य तथा बिक्री योग्य अनुमानित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
- (बी) भूमि के विकास की अनुमानित लागत में निम्न शामिल है :-
 - (i) औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर की जाने वाली अनुमानित प्रत्यक्ष लागत।
 - (i) अनुमानित उपरिव्यय एवं
 - (i) विकास अवधि के दौरान अनुमानित वित्त प्रभार।
- (सी) भूमि विकास की अनुमानित लागत की गणना निम्न आधार पर की जाती है :
 - (i) औद्योगिक क्षेत्रवार अनुमानित प्रत्यक्ष विकास व्यय जैसाकि संबंधित प्रशासनिक स्वीकृतियों/संशोधित स्वीकृतियों में नियोजित किया गया।

(ii) औद्योगिक क्षेत्रवार अनुमानित उपरिव्यय निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते हैं :

जहां मूल प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी थी	अनुमानित उपरिव्यय
(i) 1.4.91 से पूर्व	अनुमानित प्रत्यक्ष लागत का 10 प्रतिशत
(ii) 1.4.91 से 31.3.96 के मध्य	भूमि की लागत का 1 प्रतिशत तथा अन्य अनुमानित प्रत्यक्ष लागत का 10 प्रतिशत
(iii) 1.4.96 से 14.7.97 के मध्य	उपरोक्त (ii) के अतिरिक्त ग्रामीण सुविधाओं एवं दक्षता विकास योजनाओं के लिए भूमि की लागत का एक एक प्रतिशत प्रत्येक के लिए
(iv) 15.7.97 के पश्चात्	उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त भूमि की लागत का 2 प्रतिशत बाह्य विकास प्रभार के रूप में
(v) 09.08.2017 के पश्चात्	उपरोक्त (iv) के अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा कोष के प्रति 1 प्रतिशत का प्रत्यक्ष प्रभार

(iii) अनुमानित वित्त प्रभार की गणना औद्योगिक क्षेत्र की विकास अवधि के आधार पर की जाती है तथा विकास अवधि में भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

(डी) अनुमानित बिक्री योग्य क्षेत्र :

कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का निर्धारण या तो क्षेत्र की प्रशासनिक स्वीकृति/अद्यतन नियोजन अनुसार निर्धारित किया जाता है या आवंटित एवं आवंटन के लिये लम्बित क्षेत्र को जोड़कर। उपरोक्त दोनों में पाये गये किसी अन्तर को ज्ञात होने के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

(ई) प्रत्यक्ष विकास व्यय :

प्रत्यक्ष विकास व्ययों में भूमि अवाप्ति के पेटे मुआवजा राशि, निर्माण लागत, विद्युत, जलापूर्ति, आधारीक संरचनाओं का उन्नयन तथा जल संरक्षण संरचना इत्यादि पर व्यय सम्मिलित हैं, फिर भी :

- भूमि का कब्जा या अधिकार पत्र में से जो भी पहले प्राप्त हो, के आधार पर भूमि की लागत एवं उससे संबंधित व्ययों को प्रत्यक्ष विकास व्यय माना जाता है।
- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास/रख-रखाव पर व्ययों का प्रावधान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अगले माह की अन्तिम तिथि तक किये गये भुगतानों के आधार पर किया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृतियों/संशोधित स्वीकृतियों का लेखांकन प्रभाव उनके जारी किये जाने के वर्ष में दिया जाता है।
- जल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति पर व्ययों को पी.एच.डी. एवं विद्युत कम्पनियों से विवरण/प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।
- स्टोर्स/स्पेयर्स का उपयोग की गई मात्रा के आधार पर किया जाता है। स्पेयर्स को पुनः स्टोर्स में लौटाने पर केवल मात्रा (संख्या) में लेखांकित किया जाता है तथा बाद में उनको शून्य मूल्य पर ही जारी किया जाता है।

- (v) औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य उपयोग की भूमि, भवन/निर्माण कार्य सहित स्थायी सम्पत्तियों पर किये गये व्यय को प्रत्यक्ष विकास व्यय माना जाता है तथा तुलन-पत्र में दर्शायी गयी स्थायी सम्पत्तियों का भाग नहीं है। अग्रतर, वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं उससे आगे औद्योगिक क्षेत्रों में स्वयं के प्रशासनिक उपयोग के लिये भूमि एवं भवन आदि सहित स्थायी सम्पत्तियों पर किये गये व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।
- (vi) राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार, खातेदारों को नकद मुआवजों के एवज में आवासीय/औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकसित भूमि का आवंटन करने के लिए विहित प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है। तदनुसार, संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों की प्रशासनिक स्वीकृतियों की लागत फलों को तैयार करते समय, उन खातेदारों का मुआवजा जिन्होंने भूमि व विक्रय योग्य क्षेत्र की एवज में भूखण्ड के लिये विकल्प दिया है, को छोड़कर, शुद्ध मुआवजा एवं शुद्ध विक्रय योग्य क्षेत्र को विचारित किया जाता है।

2.5.2. जैसे ही और जब ग्राहक निगम के प्रदर्शन का लाभ प्राप्त करता है तथा निगम के पास सेवाओं के हस्तान्तरण के लिये भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार होता है, सेवाओं के प्रतिपादन से राजस्व को समय-समय पर मान्य किया जाता है। बिना बिल का राजस्व संविदा शर्तों के अनुसार निष्पादित सेवाओं का मूल्य दर्शाता है परन्तु बिल नहीं बनाया गया है।

2.5.3. अन्य राजस्व व्यापार के लिये आकस्मिक गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है और तब मान्य किया जाता है जब प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि हो जाती है तथा संविदा के निबंधनों के अनुसार, आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.5.4. लाभांश आय को जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, अभिलिखित किया जाता है।

2.6 पट्टा

क्या कोई समझौता पट्टा है या पट्टे को समाविष्ट करता है, का निर्धारण समझौते के प्रारम्भ की दिनांक के सार पर आधारित है।

वित्त पट्टा

वह पट्टे जिनमें निगम वस्तुतः सभी जोखिमों एवं संबंधित आस्तियों के स्वामित्व के प्रतिफल रखता है, को यथा वित्त पट्टों के वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन/क्रियाशील पट्टा

पट्टे जिन्हें यथा वित्त पट्टों के वर्गीकृत नहीं किया गया है, परिचालन/क्रियाशील पट्टे हैं।

क) निगम यथा पट्टेदार के

कम्पनी की पट्टे पर दी गयी परिसम्पत्तियों के वर्ग में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं। कम्पनी निर्धारित करती है कि क्या अनुबंध के प्रारम्भ में, अनुबंध में पट्टा निहित है। कोई अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा निहित है यदि अनुबंध प्रतिफल के लिये विनियम में परिलक्षित परिसम्पत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

यह मूल्यांकन करने के लिये कि क्या कोई अनुबंध परिलक्षित परिसम्पत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार, कम्पनी निर्धारित करती है कि क्या

- (i) अनुबंध में किसी परिलक्षित परिसम्पत्ति का उपयोग अन्तर्ग्रस्त है
- (ii) कम्पनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसम्पत्ति के उपयोग से होने वाले वस्तुतः सभी आर्थिक लाभ हैं और
- (iii) कम्पनी के पास परिसम्पत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे की प्रारम्भण की दिनांक को कम्पनी बारह माह या उससे कम अवधि (अल्पावधि पट्टे) वाले पट्टे और निम्न मूल्य के पट्टों को छोड़कर 'उपयोग का अधिकार' परिसम्पत्ति और जिसमें यह पट्टेदार हैं, सभी पट्टे की व्यवस्था के लिये संबंधित पट्टा देयता का अभिज्ञान करती है। इन अल्पावधि एवं निम्न मूल्य पट्टों के लिये, कम्पनी पट्टे की अवधि पर सरल रेखा आधार पर यथा परिचालन व्यय के पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कतिपय पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे का विस्तार या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। 'उपयोग का अधिकार' परिसम्पत्तियों और पट्टा देनदारियों में ये विकल्प अन्तर्ग्रस्त हैं, जब यह उचित रूप से निश्चित है कि उन्हें प्रयोग किया जायेगा। उपयोग का अधिकार परिसम्पत्तियों को आरम्भ में लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे की देय राशि को प्रारम्भिक राशि जो पट्टे के प्रारम्भण को या उससे पहले किये गये किसी भी पट्टा भुगतानों के लिये समायोजित की जाती है, साथ ही किसी भी पट्टा प्रोत्साहन राशि को कम करके कोई भी प्रारम्भिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। तत्पश्चात्, उन्हें संचित मूल्य ह्रास और क्षीणता हानियों को कम करके लागत पर मापा जाता है।

'उपयोग का अधिकार' परिसम्पत्तियों का पट्टा अवधि की अल्पकालीनता और अन्तर्निहित परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन पर सरल-रेखा के आधार पर प्रारम्भण तिथि से मूल्य ह्रास किया गया है। जब भी घटनायें या परिस्थितियां परिवर्तन इंगित करती हैं कि उनकी वहन राशियां पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकेंगी, 'उपयोग का अधिकार' परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पुनर्प्राप्ति के लिये किया जाता है।

पट्टे की देयता को आरम्भ में भावी पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्यों पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या यदि आसानी से निर्धारणीय नहीं है तो इन पट्टों की अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके पट्टा भुगतानों में छूट दी जाती है। यदि कम्पनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है यदि क्या वह विस्तार या समाप्ति के विकल्प का प्रयोग करेगी तो संबंधित 'उपयोग का अधिकार' परिसम्पत्तियों को अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा देनदारियों को पुनः मापा जाता है।

ख) निगम यथा पट्टादाता के

- अ. प्रचालन पट्टों के अन्तर्गत पट्टे पर दी गई आस्तियों को आस्तियों के संबंधित वर्ग के अधीन दर्शाना जारी है।
- ब. वित्त पट्टे के अन्तर्गत दी गई आस्तियां को पट्टे में शुद्ध निवेश की समतुल्य राशि पर यथा प्राप्य के मान्यता दी जाती है। पट्टे की आय को पट्टे की अवधि पर मान्यता दी जाती है जिससे कि पट्टे में शुद्ध निवेश पर स्थिर दर का प्रतिलाभ प्राप्त हो। पट्टा अवधि के प्रारम्भ होने पर मान्य विक्रय राजस्व, आस्ति का उचित मूल्य है, या यदि कम है, तो पट्टेदार के लिये उपार्जित न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य, जो ब्याज के बाजार दर पर गणना की गयी है।

2.7 कर्मचारी परिलाभ

कर्मचारी परिलाभों में वेतन, मजदूरी, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अनुपभोगित अवकाश के लिये अवकाश नकदीकरण,

प्रतिपूर्तिक अनुपस्थितियां, पश्च-सेवानिवृति चिकित्सा लाभ शामिल है। सभी अल्पावधि कर्मचारी परिलाभों को उनकी बिना छूट की राशि पर उस लेखा अवधि में जिसमें वे उपगत हुये है, मान्यता दी जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं –

परिभाषित अंशदान योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारी परिलाभ जिसमें भविष्य निधि, पश्च-सेवानिवृति चिकित्सा परिलाभ एवं कर्मचारी कल्याण निधि समावेशित है, को योजना में अंशदान करने के लिये कम्पनी की प्रतिबद्धता को बिना छूट की राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है।

परिभाषित लाभ योजनाएं –

परिभाषित सेवानिवृति योजना में ग्रेच्युटी शामिल है एवं परिभाषित लाभ प्रतिबद्धता के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है जिसकी गणना प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदित अवधि के अन्त में किये जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ प्रस्तावित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुये की जाती है। इनको या तो यथा चालू कर्मचारी लागत के लेखाबद्ध किया जाता है या अनुज्ञात आस्तियों की लागत में शामिल किया जाता है।

शुद्ध परिभाषित दायित्व पर शुद्ध ब्याज की गणना शुद्ध परिभाषित दायित्व या आस्ति की अवधि के प्रारम्भ पर छूट दर लगाते हुये की जाती है एवं लाभ व हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। परिभाषित सेवानिवृति लाभ योजनाओं का पुनः मापन जिसमें बीमांकिक प्राप्तियां और हानियां तथा योजना आस्तियों (जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है शुद्ध ब्याज रहित) पर प्रतिफल समावेशित है, को उस अवधि में जिसमें वे होती है, अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है एवं बाद में लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है। वित्तीय विवरणों में मान्य सेवानिवृति लाभ दायित्व, कम्पनी के परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक कमी या अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है। इस गणना के परिणामतः कोई भी अधिशेष, योजनाओं में भावी अंशदानों में घटत के रूप में उपलब्ध किसी आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी परिलाभ

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी परिलाभ में अनुपभोगित अवकाश के लिये अवकाश नकदीकरण एवं प्रतिपूर्तिक अनुपस्थितियां समावेशित है; इनको परिभाषित लाभ प्रतिबद्धता के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है जिसकी गणना प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदित अवधि के अन्त में किये जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ प्रस्तावित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुये की जाती है। इनको या तो यथा चालू कर्मचारी लागत के लेखाबद्ध किया जाता है या अनुज्ञात आस्तियों की लागत में शामिल किया जाता है। अनुपभोगित अवकाश के तहत अवकाश नकदीकरण एवं प्रतिपूर्तिक अनुपस्थितियों के पुनः मापन को लाभ व हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उनके जिनको उस अवधि में जिसमें व्यय होते है यथा अनुज्ञात आस्तियों की लागत में शामिल कर लिया गया हो।

2.8 आयकर

वर्ष के लिये आयकर के व्ययों में चालू कर समाविष्ट है। इसे लाभ व हानि विवरण में, उस सीमा के अतिरिक्त जहां तक इसका संबंध किसी आइटम से है जिसे सीधे ही इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया है, मान्यता दी जाती है।

चालू कर, पिछले वर्षों के संबंध में कर का कोई समायोजन एवं तुलन पत्र की दिनांक को प्रयोज्य कर दरों का उपयोग करते हुये वर्ष के लिये कर योग्य आय/हानि पर प्रत्याशित देय/प्राप्त कर है। आयकर से संबंधित आय/व्यय एवं शास्तियां, यदि कोई हो, को चालू कर व्यय में शामिल किया जाता है।

जब मान्यता प्राप्त राशियों को कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार है एवं शुद्ध आधार पर आस्ति एवं दायित्व का निपटान करने का उद्देश्य है, चालू कर आस्तियों एवं चालू कर दायित्वों को ऑफसेट किया जाता है।

अधिसूचना एस.ओ. 1465 (ई) दिनांक 02.04.2018 के साथ पठित अधिसूचना एस.ओ. 529 (ई) दिनांक 05.02.2018 के अनुसार, आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित कर दायित्व से संबंधित भारतीय लेखा मानक 12 के प्रावधान 01 अप्रैल, 2017 से उन सरकारी निगमों पर लागू नहीं होंगे जो कि: (ए) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (72) के उप-खण्ड (पअ) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है।

रीको लमिटेड (राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड) जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (72) के उप-खण्ड (पअ) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत सम्मिलित होगा एवं तदनुसार आस्थगित कर का लेखांकन नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

संव्यवहार या घटना जो लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त है, उसकी या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में प्रयोज्य कर के साथ प्रविष्टि की गयी है।

2.9 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को संचित मूल्य ह्रास एवं संचित ह्रासन हानियां, यदि कोई हो, की शुद्ध अधिग्रहण लागत पर कथित किया जाता है। पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है एवं उचित हो, यथा पृथक आस्ति के मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि आइटम से सहबद्ध भावी आर्थिक लाभ निगम को मिलेंगे एवं आइटम की लागत को विश्वस्त रूप से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत एवं रख-रखाव के व्यय को उस अवधि के दौरान जिसमें यह उपगत हुये है, लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान या हटा देने से होने वाली प्राप्ति या हानि को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों की अभिवृद्धि पर/कटौती पर ह्रास को जिस दिनांक से आस्तियां उपभोग/निपटान के लिये उपलब्ध है, ह्रास को यथानुपात आधार पर प्रभारित किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-द्वितीय के अन्तर्गत विहित पूर्वानुमानित उपयोग जीवन पर ह्रास को सरल रेखा विधि द्वारा प्रभारित किया जाता है, इस अपवाद के कि 2500 रुपये या कम की लागत वाली आस्तियों का पूर्ण रूप से क्रय के वर्ष में मूल्य ह्रास किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन एवं मूल्य ह्रास की विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है एवं यदि उचित हो तो, भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण जो कि तुलन पत्र की दिनांक को आशातीत उपयोग के लिये तैयार नहीं है, को यथा 'प्रगतिरत पूंजी कार्य' के प्रकट किया जाता है।

भा.ले.मा. में संक्रमण की दिनांक अर्थात् 01 अप्रैल, 2015 को कम्पनी ने अपनी सभी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों को यथा इनकी मानी गयी लागत हेतु उनकी पूर्व जीएएपी वहन् मूल्य में मापने का चयन किया है।

2.10 निवेश सम्पत्ति

निर्माणाधीन, किराया और/अथवा पूंजी वृद्धि हेतु रोक़ी गयी, के सहित सम्पत्तियों को यथा निवेश सम्पत्ति के वगीकृत किया गया है एवं प्रारम्भिक तौर पर मापी गयी है और संव्यवहार लागतों सहित लागत पर रिपोर्ट की गयी है। प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात्, निवेश सम्पत्तियों को संचित मूल्य ह्रास एवं संचित ह्रासन हानि, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर लिया जाता है।

निवेश सम्पत्ति की लागत को अपलिखित करने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-द्वितीय में निर्दिष्ट उनके उपयोगी जीवन पर या उन आस्तियों के मामलों में जिनका उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया गया था, या पट्टेवाली आस्तियों के मामलों में, पट्टे की अवधि पर इस तरह से निर्धारित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्य को कम करके सरल रेखा विधि का उपयोग करते हुये मूल्य ह्रास को मान्यता दी जाती है। निवेश सम्पत्ति में प्रस्तुत किये गये भावी लाभों के उपभोग की प्रत्याशित पद्धति को दर्शाने के लिये मूल्य ह्रास विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है। आकलित उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्यों की भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है एवं उपयोगी जीवन/अवशिष्ट मूल्य के आकलनों में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। पूर्ण स्वामित्व की भूमि एवं निर्माणाधीन सम्पत्तियों को ह्रासित नहीं किया जाता है।

निवेश सम्पत्ति को निपटान पर या जब निवेश सम्पत्ति को उपयोग लेने के प्रयोजन से स्थायी रूप से हटा लिया जाता है और निपटान से कोई भावी लाभ प्रत्याशित नहीं है, अमान्य किया जाता है। सम्पत्ति की अमान्यता से होने वाली किसी भी प्राप्ति या हानि को उसी अवधि में लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.11 अमूर्त आस्तियां

पृथक् रूप से क्रय की गयी अमूर्त आस्तियों को प्रारम्भिक रूप में लागत पर मापा जाता है। तत्पश्चात्, अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन एवं संचित ह्रासन हानियों, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर लिया जाता है।

अमूर्त आस्तियों का उपयोगी जीवन यथा या तो निश्चित या अनिश्चित निर्धारित किया जाता है। निश्चित जीवन काल की अमूर्त आस्तियों को उनकी प्रत्याशित उपयोगी जीवन की अवधि पर सरल रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है। निश्चित जीवन काल की अमूर्त आस्तियों के लिये परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है एवं यदि उचित हो तो भावी अवधि में समायोजित की जाती है। क्या अनिश्चित जीवन काल की निरन्तरता है, यदि नहीं, यह ह्रासित हो गयी है या भावी संशोधित आकलन के आधार पर परिवर्तित हो गयी है, का निर्धारण करने के लिये, अनिश्चित जीवन काल के निर्धारण की वार्षिक समीक्षा की जाती है।

निगम ने अमूर्त आस्ति के उपयोगी जीवन का निर्धारण, स्वयं द्वारा विकसित कम्प्यूटर साटवेयर यथा 5 वर्ष और ऑटोकैड यथा 3 वर्ष किया है।

2.12 साख/ख्याति के अतिरिक्त मूर्त एवं अमूर्त आस्तियों का ह्रासन

प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् निगम अपनी मूर्त एवं अमूर्त आस्तियों की, यह निर्धारित करने के लिये कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि उन आस्तियों को ह्रासन हानि हुई है, वहन राशि की समीक्षा करता है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान है तो आस्ति के वसूली योग्य राशि का आकलन ह्रासन हानि की सीमा निर्धारण करने के लिये किया जाता है। जब एक विशिष्ट आस्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन करना सम्भव नहीं तब निगम आस्ति वाली नकद-उत्पादन की इकाई की वसूली योग्य राशि का आकलन करता है। जब आवंटन के यथोचित व सतत् आधार निर्धारित किये जा सकते हैं, निगम की आस्तियों को भी विशिष्ट नकद उत्पादन इकाईयों को आवंटित किया जाता है, या अन्यथा उन्हें नकद-उत्पादन इकाईयों के लघुतम निगम जिसके लिये यथोचित व सतत् आधार निर्धारित किये जा सकते हैं, को आवंटित किया जाता है।

उपयोग में लिये जाने वाले मूल्य के निर्धारण में, उचित छूट की दर का प्रयोग करते हुये आंकलित भावी नकद प्रवाहों को उनके वर्तमान मूल्य में कम किया जाता है।

अनिश्चित उपयोगी—जीवन वाली अमूर्त आस्तियों एवं अमूर्त आस्तियों जो अभी तक उपयोग के लिये उपलब्ध नहीं है का प्रतिवर्ष ह्रासन के लिये या जहां यह संकेत हो कि आस्ति का ह्रासन हो सकता है, परीक्षण किया जाता है।

वसूली योग्य राशि, निपटान की लागत एवं उपयोग में आ रही के मूल्य को कम करके उचित मूल्य की उच्चतर होती है।

यदि आस्ति (या नकद उत्पादन इकाई) की वसूली योग्य राशि का इसकी वहन राशि से कम आकलन किया जाता है, आस्ति (या नकद उत्पादन इकाई) की वहन राशि को इसके वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है। ह्रासन हानि को तत्काल रूप से लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

पूर्व में मान्य ह्रासन हानि को तब पलटा जाता है जब अन्तिम ह्रासन हानि को मान्य किया गया था उससे आस्ति के वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिये उपयोग किये गये आकलनों में परिवर्तन है। विपर्य सीमित है जिससे कि आस्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है, न ही उस वहन राशि से अधिक होगी जो कि यदि पूर्ववर्ती वर्षों में किसी ह्रासन हानि को मान्य नहीं किया गया होता तो मूल्य ह्रास के शुद्ध के निर्धारित की गयी होती ऐसे विपर्य को लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि आस्ति पुनर्मूल्यांकित राशि को वहन नहीं करती है, उस मामले में विपर्य को यथा पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के व्यवहृत किया जाता है।

2.13 समनुषंगीयों, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश :

समनुषंगीयों, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को संचित ह्रासन हानि, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर लिया जाता है। राज्य में उद्योगों के विकास हेतु उद्देश्य के अनुसार संयुक्त क्षेत्र, सहबद्ध, सहायक एवं संयुक्त उद्यमों में उनकी इक्विटी एवं अधिमानी शेयरो, इकाईयां/कार्पस में अंशदान के रूप में सहायता ही निवेश है। जहां ह्रासन का कोई संकेत विद्यमान है, निवेश की वहन राशि को निर्धारित किया जाता है एवं इसकी वसूली योग्य राशि को तत्काल अपलिखित किया जाता है। समनुषंगीयों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश के निपटान पर, वहन राशि एवं शुद्ध निपटान प्राप्तियों के अन्तर को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 इन्वेन्ट्रीयां

(ए) भूमि का मूल्यांकन :

भूमि के अन्तिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत या वसूलनीय मूल्य में जो भी कम हो पर किया जाता है। औद्योगिक भूमि के अन्तिम स्टॉक की लागत वास्तविक प्रत्यक्ष व्यय है। किन्तु विवादित/अनाधिकृत कब्जाधीन भूमि के स्टॉक का बाजार में वसूलनीय मूल्य शून्य माना जाता है।

(बी) अन्य :

- (i) कच्चे माल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स, टूल्स एवं औजारों को लागत या वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।
- (ii) शेड्स/शॉप्स/कियोस्क/लेट्स को लागत या वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक अनुगामी अवधि में प्राप्ति मूल्य का निर्धारण किया जाता है एवं जब ऐसी परिस्थितियां हो की पहले से ही लागत से कम पर लिखी गयी इन्वेन्ट्रीयां जब मौजूद नहीं है या जब परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों के कारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण है, पूर्व अवधि में लिखी गयी, यदि कोई हो,

को लिखी गयी मूल राशि की सीमा तक परिवर्तित किया है जिससे की लागत एवं संशोधित शुद्ध प्राप्य मूल्य से परिणामी वहन राशि कम हो।

2.15 उधार राशि की लागतें

उधार राशि लागतों में शामिल है, प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके गणना किये गये ब्याज व्यय, वित्त पट्टे पर अर्जित आस्तियों के संबंध में वित्त प्रभार एवं विदेशी मुद्रा में उधार राशियों पर होने वाले विनिमय के अन्तर उस सीमा तक जहां तक ब्याज लागत में समायोजन के लिये ली गयी है।

संबंधित ऋणों के अस्थायी निवेश जो कि अर्हक आस्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन को आरोप्य है, से किसी भी निवेश की आय के शुद्ध की उधार राशि की लागतों को, उस समय तक जब आस्ति इसके आशयित उपयोग या विक्रय के लिये तैयार होती है, ऐसी आस्ति के लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक आस्ति वह आस्ति है जिसके आशयित उपयोग या विक्रय के लिये तैयार होने में आवश्यक रूप से बहुत अधिक समयावधि की आवश्यकता होती है। सभी अन्य उधार राशियों की लागतों को जिस अवधि में वे उपगत होती है, लाभ वह हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.16 प्रावधान एवं आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां

(ए) प्रावधानों को तब ही मान्यता दी जाती है, जब –

- पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप निगम का वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) है; और
- यह संभाव्य है कि दायित्वों को निपटारा करने के लिये आर्थिक लाभों को शामिल किये हुये बाह्य स्त्रोतों की आवश्यकता होगी; एवं
- दायित्व की राशि का विश्वासप्रद आकलन किया जा सकता है।
- वर्तमान दायित्वों का निपटारा करने के लिये अनुमानित नकद प्रवाह का उपयोग करते हुये प्रावधान को मापा जाता है एवं जब धनराशि के मूल्य पर समय का प्रभाव सारवान है तो प्रावधान की वहन राशि उन नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य है। प्रावधान के निपटारा करने के लिये अपेक्षित व्यय के संबंध में प्रत्याशित व्यय की प्रतिपूर्ति को तब ही मान्यता दी जाती है जब यथार्थ में यह निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।

(बी) निम्न मामलों में आकस्मिक दायित्व को प्रकट किया जाता है –

- पूर्व घटनाओं से होने वाले वर्तमान दायित्वों में, जब यह संभाव्य नहीं है कि दायित्वों के निपटारे के लिये स्त्रोतों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी।
- पूर्व घटनाओं से होने वाले वर्तमान दायित्वों में, जब कोई विश्वासप्रद आकलन संभव नहीं है।

(सी) जहां आर्थिक लाभों का अन्तः प्रवाह सम्भाव्य है, आकस्मिक आस्तियों को प्रकट किया जाता है। प्रावधान एवं आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियों की प्रत्येक तुलन-पत्र की दिनांक पर समीक्षा की जाती है।

जहां संविदा के अधीन दायित्वों की पूर्ति के लिये अवश्यंभावी लागते, ऐसी संविदा के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुमानित आर्थिक लाभों से अधिक है, वर्तमान दायित्व को संविदा के अन्तर्गत मान्य किया जाता है एवं यथा प्रावधान के मापा जाता है।

2.17 वित्तीय प्रपत्र

2.17.1 वित्तीय आस्तियां

जब निगम वित्तीय प्रपत्र के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार हो जाता है, वित्तीय आस्तियों को मान्यता दी जाती है।

प्रारम्भिक मान्यता पर, वित्तीय आस्ति को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। उन वित्तीय आस्तियों के मामलों में जिनको लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य किया गया है, इनकी संव्यवहार लागत को लाभ व हानि विवरण में मान्य किया जाता है। अन्य मामलों में, संव्यवहार लागत को वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण मूल्य में शामिल किया जाता है। वित्तीय आस्तियों को बाद में यथा निम्न पर मापी गयी के वर्गीकृत किया जाता है –

- i. परिशोधित लागत
- ii. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)
- iii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)

वित्तीय आस्तियों को उनकी मान्यता के पश्चात् पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है सिवाय इसके कि कालावधि में निगम वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिये अपने व्यापारिक मॉडल में कोई परिवर्तन करता है।

(ए) व्यापारिक प्राप्य एवं ऋण

व्यापारिक प्राप्यों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। बाद में, इन आस्तियों को, किसी भी प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के शुद्ध प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का प्रयोग करते हुये परिशोधित लागत पर धारित किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो कि वित्तीय प्रपत्र के अनुमानित जीवन के माध्यम से आकलित भावी नकद आय को कम करती है।

(बी) ऋण प्रपत्र

ऋण प्रपत्रों को आरम्भ में परिशोधित लागत पर, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) या लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मापा जाता है जब तक कि

- (i) वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन हेतु सत्ता का व्यापारिक मॉडल एवं
- (ii) वित्तीय आस्ति के संविदात्मक नकद प्रवाह विशिष्टताओं के आधार पर अमान्यता प्राप्त हो।

(ए) परिशोधित लागत पर मापी गयी :

उन वित्तीय आस्तियों को, जिनको व्यापारिक मॉडल में धारित किया हुआ है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह जो कि पूर्णतया मूलधन एवं ब्याज के भुगतान है, के संग्रह के लिये वित्तीय आस्तियों को धारण करना है, बाद में हासन कम करके प्रभावी ब्याज दर (एफआईआर) का प्रयोग करते हुये परिशोधित लागत पर मापी जाती है। ईआईआर का परिशोधन एवं हासन से हुई हानि, यदि कोई हो, को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(बी) अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापा गया उचित मूल्य :

उन वित्तीय आस्तियों को जिनको व्यापारिक मॉडल में धारित किया हुआ है जिसके दोनो उद्देश्यो अर्थात् वित्तीय आस्तियों का विक्रय एवं संविदात्मक नकद प्रवाह का संग्रह जो कि

पूर्णतया मूलधन एवं ब्याज के भुगतान है, को प्राप्त कर लिया है, को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापा गया है। उचित मूल्य के संचालनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी गयी है। ह्रासन कम करके प्रभावी ब्याज दर (एफआईआर) का प्रयोग करते हुये मापी गयी ब्याज की आय लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अमान्यता पर, पूर्व में अन्य व्यापक आय में मान्य संचयी प्राप्तियों या हानि को इक्विटी से लाभ व हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

(सी) लाभ या हानि के माध्यम से मापा गया उचित मूल्य:

वह वित्तीय आस्ति जिसको न तो परिशोधित लागत पर न ही एफवीओसीआई पर वर्गीकृत किया गया है, उसे यथा एफवीटीपीएल के वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी वित्तीय आस्तियों को ब्याज आय और लाभांश आय, यदि कोई हो, के सहित उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर मापा जाता है एवं लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

इक्विटी प्रपत्र (समनुषंगी, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम में निवेश के अतिरिक्त) :

वित्तीय आस्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत इक्विटी प्रपत्रों में सभी निवेशों को प्रारम्भिक तौर पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। निगम, प्रारम्भिक मान्यता पर, इनको या तो एफवीओसीआई पर या एफवीटीपीएल पर मापने का अपरिवर्तनीय रूप से चयन कर सकता है।

निगम ऐसा चयन प्रपत्र-प्रति-प्रपत्र के आधार पर करता है। किसी इक्विटी प्रपत्र के उचित मूल्य के परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक निगम ने ऐसे प्रपत्र को एफवीओसीआई पर मापने का चयन नहीं किया है। एफवीओसीआई पर मापे गये इक्विटी प्रपत्र के लाभांश के अतिरिक्त उचित मूल्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। अन्य व्यापक आय में मान्य की गयी राशियों को बाद में लाभ व हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इक्विटी प्रपत्रों में निवेश की लाभांश आय को लाभ व हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब ऐसे लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो गया हो।

वित्तीय आस्तियों की अमान्यता

जब वित्तीय आस्ति के नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह आस्ति से नकद प्रवाहों को प्राप्त करने के अधिकार का हस्तान्तरण कर देता है, निगम वित्तीय आस्ति को अमान्य करता है। वित्तीय आस्ति की इसकी सम्पूर्णता में अमान्यता पर, अमान्यता की दिनांक को मापी गयी वहन राशि एवं प्राप्त प्रतिफल के मध्य अन्तर को लाभ या हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय आस्तियों के नकद प्रवाह का रूपान्तरण एवं नकद प्रवाहों के पुर्वानुमानों में संशोधन

जब वित्तीय आस्ति के संविदात्मक नकद प्रवाहों पर पुनः समझौता होता है या अन्यथा रूपान्तरित होते हैं एवं भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, पुनः समझौता या रूपान्तरण के परिणामस्वरूप वह वित्तीय आस्ति अमान्य नहीं होती है, निगम वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करता है एवं रूपान्तरित प्राप्ति या हानि को लाभ या हानि में मान्य करता है। वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि की पुनः समझौता या रूपान्तरित संविदात्मक नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य जो कि वित्तीय आस्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर पर दी गयी छूट दर है, पर पुनः गणना की जाती है। किसी भी उपगत लागतों या शुल्कों को रूपान्तरित वित्तीय आस्ति की वहन राशि में समायोजन किया जाता है एवं रूपान्तरित वित्तीय आस्ति की शेष बची हुयी अवधि पर परिशोधन किया जाता है।

यदि निगम अपने भुगतानों या प्राप्तियों (रूपान्तरण एवं प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के आकलन में परिवर्तन के अतिरिक्त) के पुर्वानुमानों में संशोधन करता है, तो वास्तविक एवं संशोधित अनुमानित संविदात्मक नकद प्रवाहों

को दर्शाने के लिये यह वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत का समायोजन करता है। निगम वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत की पूर्वानुमानित भावी संविदात्मक नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल प्रभावी ब्याज दर पर दी गयी छूट दर है, पुनः गणना करता है। समायोजन को लाभ या हानि में यथा आय या व्यय के मान्यता दी जाती हैं।

2.17.2 वित्तीय आस्तियों का ह्रासन

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी नहीं गई वित्तीय आस्तियों के लिये भा.ले.मा. 109 के पैरा 5.5 द्वारा यथा अपेक्षित प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को मापने के लिये निगम त्रि-स्तरीय पद्धति को लागू करता है। प्रारम्भिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

स्तर 1 : प्रारम्भिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में जहां कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है एवं मौलिकता पर कोई क्रेडिट क्षीणता नहीं है, सभी जोखिमों को इस स्तर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 2 : प्रारम्भिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में जहां कोई महत्वपूर्ण वृद्धि है परन्तु क्रेडिट क्षीणता नहीं हैं, सभी जोखिमों को इस स्तर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। ईआईआर विधि का उपयोग करते हुये ब्याज की आय को आस्ति की सकल वहन राशि पर बुक किया जाता है।

स्तर 3 : प्रतिवेदित दिनांक को ह्रासन के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य वाली वित्तीय आस्तियां इस स्तर में आवृत है। इस स्तर में वर्गीकृत की गयी वित्तीय आस्तियों के लिये, ईआईआर का उपयोग करते हुये ब्याज की आय को वित्तीय आस्ति की शुद्ध वहन राशि पर गणना की जायेगी।

वित्तीय आस्ति की शुद्ध वहन राशि, हानि कटौती को कम करके सकल वहन राशि के बराबर है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानियां, क्रेडिट हानियों की भारित औसत के साथ यथा वजनदार होने के चूक की संबंधित जोखिम हैं। क्रेडिट हानि, संविदा के अनुसार निगम के बकाया सभी संविदात्मक नकद प्रवाहों एवं सभी नकद प्रवाह जो कि निगम प्राप्त करने की अपेक्षा करता है (अर्थात् सभी नकद कमियां), मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्राप्त, (क्रय के लिये क्रेडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर या उत्पादित क्रेडिट ह्रासित वित्तीय आस्तियां), के मध्य अंतर है। निगम, वित्तीय प्रपत्र के अपेक्षित जीवन के माध्यम से वित्तीय प्रपत्र की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरणार्थ, पूर्वाभुगतान, विस्तार, आहावान एवं समान विकल्प) को ध्यान में रखते हुये नकद प्रवाहों का आकलन करता है।

यदि प्रारम्भिक मान्यता से उस वित्तीय प्रपत्र की क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि हो जाती है तो जीवनकाल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर की राशि पर निगम वित्तीय प्रपत्र के लिये हानि कटौती की माप करता है। यदि प्रारम्भिक मान्यता से उस वित्तीय प्रपत्र की क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि नहीं होती है, तो 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर की राशि पर निगम उस वित्तीय प्रपत्र के लिये हानि कटौती की माप करता है। 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियां, जीवनकाल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों का हिस्सा है एवं जीवनकाल की नकद कमियों को दर्शाती है जो कि यदि प्रतिवेदित दिनांक के पश्चात् 12 माह की अवधि के भीतर चूक होती है तो परिणामी होगी और इस प्रकार, वह नकद कमियां नहीं है जिनका कि अगले 12 माह की लिये पूर्वानुमान किया गया है।

किसी आस्ति पर क्या महत्वपूर्ण ढंग से क्रेडिट जोखिम बढ़ गयी है, का निर्धारण करने के लिये, निगम अपेक्षित क्रेडिट हानियों की राशि में परिवर्तन के स्थान पर वित्तीय प्रपत्र के अपेक्षित जीवन पर होने वाली चूक की जोखिम में परिवर्तन का उपयोग करता है।

व्यापारिक प्राप्ति के अपेक्षित क्रेडिट हानियों की गणना के लिये, भारतीय लेखा मानक 109 व्यावहारिक उपाय, जैसे कि प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग, के उपयोग द्वारा सरलीकृत पद्धति उपलब्ध कराता है। ऐसे प्रावधान मैट्रिक्स पर विचार करने में, निगम व्यापारिक प्राप्ति के लिये वित्तीय आस्तियों पर 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों या जीवनकाल की अपेक्षित क्रेडिट हानियां यथा आवश्यकता के जो भी संबंधित हो का आकलन करने के लिये अपने ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव (वर्तमान स्थिति को दर्शाने के लिये आवश्यकतानुसार समायोजित) का उपयोग करता है।

2.17.3 वित्तीय दायित्व :

प्रारम्भिक मान्यता एवं मापन

जब निगम वित्तीय प्रपत्र के संविदात्मक प्रावधानों में पक्षकार होता है तो वित्तीय दायित्वों को मान्यता दी जाती है। वित्तीय दायित्वों को प्रारम्भिक तौर पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब तक कि प्रारम्भिक मान्यता पर, उन्हें लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। व्यापारिक देयताओं के मामलों में, प्रारम्भिक तौर पर उन्हें उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है एवं बाद में, प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुये इन दायित्वों को परिशोधित लागत पर रखा जाता है।

पश्चात्पूर्ति मापन

वित्तीय दायित्वों को बाद में ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुये परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य वाले वित्तीय दायित्वों को, लाभ व हानि विवरण में मान्य उचित मूल्य के सभी परिवर्तनों के साथ, उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय दायित्वों की अमान्यता

निगम वित्तीय दायित्वों को तब अमान्य करता है जब, और केवल जब, निगम के दायित्वों का निर्वाह हो गया है, रद्द हो गये हैं या समाप्त हो गये हैं। कई विभिन्न शर्तों के साथ ऋण प्रपत्रों के ऋणदाता के साथ आदान-प्रदान को मूल दायित्व के निर्वापन एवं नये वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में लेखाबद्ध किया है। इसी तरह विद्यमान वित्तीय दायित्व की शर्तों में पर्याप्त संशोधन (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण या नहीं) को मूल दायित्व के निर्वापन एवं नये वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में लेखाबद्ध किया है। अमान्य किये गये वित्तीय दायित्व की वहन राशि एवं प्रदत्त और संदेय प्रतिफल के मध्य अन्तर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.17.4 आस्तियों एवं दायित्वों की आसेटिंग (प्रतिसन्तुलन)

वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों का प्रतिसन्तुलन किया है एवं तुलन-पत्र में शुद्ध आधार पर प्रस्तुत किये हैं जब मान्य राशि के प्रतिसन्तुलन का चालू वैधिक प्रवर्तनयोग्य अधिकार है एवं आस्तियों को या तो शुद्ध आधार पर तय करने या वसूल करने का एवं साथ ही दायित्वों को तय करने का विचार है।

2.18 विभिन्न प्राप्त राशियों का संयोजन

(ए) ऋणियों से प्राप्त राशि को निम्न क्रम में संयोजित किया जाता है :

- (i) परिनिर्धारित नुकसानी
- (ii) सावधि ऋण पर ब्याज
- (iii) अतिशोध्य मूलधन
- (iv) चालू दायित्वों

(बी) इकाइयों की बिक्री पर प्राप्त राशि का निम्न क्रम में लेखांकन किया जाता है:

- (i) समस्त अधिग्रहण व्यय एवं अन्य बकाया राशि
- (ii) राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 05.04.2002 के अनुसार सरकारी बकाया के पेटे के लिये विशेषांकित (विक्रय राशि के शेष का 30 प्रतिशत)
- (iii) सावधि ऋण का मूलधन
- (iv) सामान्य ब्याज
- (v) परिनिर्धारित नुकसानी
- (vi) अन्य बकाया
- (vii) साम्या

उपरोक्त क्रम में संयोजन के पश्चात्, घटत, यदि कोई हो, को अपलिखित किया जाता है। आधिक्य की स्थिति में ऋणी को राशि तभी लौटाई जाती है, जब इकाई की आस्तियों के क्रेता से समस्त वसूलियां हो जाती हैं।

- (सी) (i) सावधि ऋण के एक मुश्त समाधान (ओ.टी.एस.) के मामलों में, प्राप्त राशि को बकाया ऋण के विरुद्ध निम्न क्रम में समायोजित किया जाता है।
1. सावधि ऋण का मूलधन
 2. सामान्य ब्याज
 3. परिनिर्धारित नुकसानी
- (ii) मूलधन/ब्याज की कमी, यदि कोई हो, को ओ.टी.एस. की शर्तानुसार पूर्ण भुगतान प्राप्त होने वाले वर्ष में अपलिखित किया जाता है। किन्तु ओ.टी.एस. की शर्तानुसार राशि प्राप्त न होने पर, ओ.टी.एस. निरस्त कर दिया जाता है।
- (iii) ओ.टी.एस. की शर्तानुसार, ओ.टी.एस. के मामलों में ब्याज/मूलधन की वसूली को प्राप्ति के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

2.19 सरकारी अनुदान

अनुदान/सब्सिडी को इसकी योग्यता के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है जो कि एक व्यवस्थित एवं तर्क संगत आधार पर किया जाता है एवं उपगत लागत के साथ मिलान किया जाता है जिसके लिये अनुदान की क्षतिपूर्ति करना है। मान्यता हेतु योग्य अनुदानों/सहायता राशि को यथा आय के विचारित किया जाता है और "अन्य संचालन राजस्व" में प्रकट किया जाता है। प्राप्य अनुदान की मान्यता, अनुदानों की प्राप्ति के उचित आश्वासन के सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर की जाती है। इसकी स्वीकार्यता से अधिक प्राप्त अनुदान को यथा अनुपयोगी अनुदान के विचारित किया जाता है और यथा चल दायित्व के दर्शाया जाता है। अनुदान को मान्यता देने एवं यथा आय के व्यवहृत किये जाने के पश्चात्, यदि इसकी प्राप्ति के संबंध में कोई आकस्मिकतायें विद्यमान हैं, तो इसे भा.ले.मा. 36 "प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा एवं प्रावधान, यदि आवश्यक हो, तो किया जाएगा।

2.20 खण्ड की रिपोर्टिंग

संचालन खण्डों को विभिन्न जोखिमों एवं प्रतिलाभों, संगठन की संरचना एवं आन्तरिक रिपोर्टिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुये पहचाना जाता है एवं रिपोर्ट की जाती है।

2.21 पूर्व अवधि

मदों के पूर्व अवधि के व्ययों/आय जो भौतिकता के स्तर से नीचे हैं, लेखों के वास्तविक शीर्षों को प्रभारित की जायेगी। पूर्व अवधि की मद के पूर्वव्यापी पुनर्कथन के प्रयोजनार्थ वर्ष के अंत में समीक्षा की जायेगी, यदि वह व्यक्तिगत रूप से कम्पनी की सीमा रेखा से अधिक है, जो कम्पनी के तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लाभ सहित) के कर पूर्व औसत लाभ (हानि) के 5 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है, को पूर्वव्यापी पुनर्कथन की आवश्यकता वाली सारवान पूर्व अवधि त्रुटि के रूप में माना जायेगा।

2.22 नकद प्रवाह विवरण

भा.ले.मा. 7, "नकद प्रवाहों के विवरण" के अनुसार, नकद प्रवाहों की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए की जाती है जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों, पिछले या भविष्य के ओपरेटिंग नकद प्राप्तियां या भुगतानों के आस्थगन या प्राप्तियों एवं निवेश या वित्तीय नकद प्रवाहों से जुड़े हुये आय या व्ययों की मद के प्रभावों के लिये कर पश्चात् लाभ को समायोजित किया जाता है। नकद प्रवाहों को, संचालन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों में विभाजित किया गया है।

2.23 नकद एवं बैंक शेष

तुलन-पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में, नकद एवं हस्तगत नकद एवं अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपण जो नकदी की ज्ञात माषा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन है तथा तुलन-पत्र दिनांक को तीन माह या कम अवधि की मूल अथवा लम्बित परिपक्वता वाले है, का समावेश है।

नकद एवं नकद समतुल्य में, सावधि जमा, सीमान्त धन जमा, बैंकों में परियोजना-विशिष्ट शेष एवं अन्य बैंक शेष जिसमें प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध है और अल्पावधि एवं मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम से अधिक के अधीन वाले तरल निवेश सम्मिलित है।

2.24 तात्कालिक लेखा घोषणायें

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 23 मार्च 2022 को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक/भा.ले.मा.) संशोधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है, जिसके द्वारा विभिन्न भारतीय लेखा मानकों में संशोधनों को 1 अप्रैल, 2022 से लागू किया गया है।

पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 23 मार्च, 2022 के माध्यम से किये गये संशोधनों से भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा) में कुछ परिवर्धन और प्रतिस्थापन हुए हैं, विशेषतः भारतीय लेखा मानक 101 – पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना, भारतीय लेखा मानक 103 – व्यावसायिक संयोजन, भारतीय लेखा मानक 109 – वित्तीय विपत्र, भारतीय लेखा मानक 16 – सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, भारतीय लेखा मानक 37 – प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियाँ एवं भारतीय लेखा मानक 41 – कृषि में और कम्पनी इनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

(राशि लाख रुपये में)

31 मार्च, 2021 को

विवरण	लागत अथवा विचारी गयी लागत		संचित मूल्य ह्रास एवं हासन				वहन राशि	
	01 अप्रैल, 2020 को शेष	कटौतियां / विक्रय / हस्तान्तरण / समायोजन	31 मार्च, 2021 को शेष	01 अप्रैल, 2020 को शेष	मूल्य ह्रास व्यय	अन्य (समायोजन)	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण								
भूमि (देखें टिप्पणी 3.1)	22.87	—	22.87	—	—	—	22.87	22.87
भवन (देखें टिप्पणी 3.2)	70.74	—	70.74	49.65	0.92	—	20.17	21.09
संयंत्र एवं मशीनरी	19.75	—	19.75	19.71	0.02	—	0.02	0.04
इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रीक एवं अन्य संस्थापन, फिटिंग एवं उपकरण	229.16	18.39	247.55	158.41	16.81	—	72.34	70.76
फर्नीचर, जिगस् एवं फिक्सचर्स	296.67	19.52	316.19	252.29	12.61	—	51.29	44.39
कार्यालय उपकरण एवं अन्य	153.47	24.24	177.72	135.42	11.89	—	30.40	18.05
कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर सर्वर	633.53	75.64	709.17	585.51	40.02	—	83.64	48.03
वाहन	279.53	—	279.53	231.28	19.74	—	28.51	48.25
पुस्तकें	30.00	0.09	30.09	30.00	0.09	—	0.00	0.00
ट्यूब वेल	3.19	—	3.19	1.70	0.04	—	1.46	1.49
उप-योग	1,738.93	137.88	1,876.81	1,463.96	102.14	—	310.71	274.96
प्रगतिरत पूंजी कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	1,738.93	137.88	1,876.81	1,463.96	102.14	—	310.71	274.96

टिप्पणियां

3.1 22.87 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 22.87 लाख रुपये) की भूमि को परिशोधित नहीं किया है। अग्रतर, 20.17 लाख रुपये की भूमि के लिये निगम के पक्ष में पट्टा विलेख के निष्पादन से संबंधित विशिष्ट दस्तावेजों का अभी तक निष्पादन नहीं हुआ है।

3.2 उन सम्पत्तियों पर भी मूल्य हास लगाया गया है जिनका पट्टा विलेख निगम के पक्ष में निष्पादित होना शेष है।

टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

4. अचल सम्पत्तियां – निवेश सम्पत्ति

(राशि लाख रुपये में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
निवेश सम्पत्ति	101.59	103.00
योग	101.59	103.00
लागत अथवा विचारी गयी लागत	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	139.68	139.68
वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	—	—
वर्ष के अन्त में शेष	139.68	139.68
संचित मूल्य ह्रास एवं हासन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	36.68	35.27
अवधि हेतु परिशोधन	1.41	1.41
वर्ष के अन्त में शेष	38.09	36.68

4.1 भा.ले.मा. 40 “निवेश सम्पत्ति” के अनुसरण में प्रकटीकरण

(ए) 31 मार्च, 2022 एवं 31 मार्च, 2021 को निगम की निवेश सम्पत्तियों के उचित मूल्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
निवेश सम्पत्ति (नीचे दी गयी टिप्पणी देखें)	56,122.02	51,503.44
योग	56,122.02	51,503.44

सम्मेलन केन्द्र सीतापुरा जयपुर के लिये 60 वर्ष के पट्टे पर दी गयी 42 एकड़ भूमि निगम की निवेश सम्पत्ति है। इसका उचित बाजार मूल्य 42 एकड़ भूमि के 60 प्रतिशत क्षेत्र को यथा बिक्री योग्य मानते हुये एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त औद्योगिक भू-खण्डों की उच्चतम निलामी दर को विचारित करते हुये, मूल्यांकन किया गया है। तथापि, भूमि की बिक्री 10 मार्च, 2012 को निष्पादित प्राधिकरण समझौता (पट्टा समझौता) के आस्ति स्वामित्व (संबंधित अधिकार), समापन खण्ड एवं उनसे अन्य संबंधित खण्डों के प्रावधानों के अध्याधीन है।

(बी) निवेश सम्पत्ति के लिये लाभ व हानि विवरण में मान्य राशि

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	2021-22	2020-21
निवेश सम्पत्ति से किराये की आय*	788.50	206.31

* निदेशक मण्डल के निर्णय दिनांक 24.03.2022 के अनुसार अपरिहार्य घटना के प्रावधान पर विचार करते हुये कोविड 2019 के कारण वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक प्रीमियम/किराये के 243.05 लाख रुपये के भुगतान के प्रति प्राधिकृति ने अपने दायित्व के प्रदर्शन से छूट दी।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर

टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

5. अचल परिसम्पत्तियां – अमूर्त परिसम्पत्तियां

31 मार्च, 2022 को

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	लागत अथवा विचारी गयी लागत		संचित मूल्य ह्रास एवं हासन				वहन राशि	
	01 अप्रैल, 2021 को शेष	अभिवृद्धियां / कटौतियां / विक्रय / हस्तान्तरण / समायोजन	31 मार्च, 2022 को शेष	01 अप्रैल, 2021 को शेष	मूल्य ह्रास व्यय	अन्य (समायोजन)	31 मार्च, 2022 को शेष	31 मार्च, 2021 को शेष
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	111.22	36.17	147.39	96.25	12.07	(12.12)	26.94	14.97
योग	111.22	36.17	147.39	96.25	12.07	(12.12)	26.94	14.97

31 मार्च, 2021 को

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	लागत अथवा विचारी गयी लागत			संचित मूल्य ह्रास एवं हासन			वहन राशि		
	01 अप्रैल, 2020 को शेष	अभिवृद्धियां	कटौतियां / विक्रय / हस्तान्तरण / समायोजन	31 मार्च, 2021 को शेष	01 अप्रैल, 2020 को शेष	मूल्य ह्रास व्यय	अन्य (समायोजन)	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	111.22	—	—	111.22	80.78	15.47	—	14.97	30.44
योग	111.22	—	—	111.22	80.78	15.47	—	14.97	30.44

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर
टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

6. अचल परिसम्पत्तियां – समनुषंगीयों, सहबद्ध, संयुक्त उद्यमों में निवेश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
अनुद्धृत निवेश (सभी पूर्णतया प्रदत्त)				
साम्या प्रपत्रों में निवेश				
राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कम्पनी प्रा.लि.	4,900	4.90	4,900	4.90
राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	2,441,097	244.11	2,441,097	244.11
राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी प्रा.लि.	245	0.25	245	0.25
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्सट्र्यूमेंट्स लि.	6,002,500	600.25	6,002,500	600.25
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि.	39,000,000	3,900.00	39,000,000	3,900.00
कुल समग्र अनुद्धृत निवेश	47,448,742	4,749.50	47,448,742	4,749.50
कुल निवेश (ए)		4,749.50		4,749.51
घटाइये: राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. में निवेशों के मूल्य में हासन की समग्र राशि (बी)		244.11		244.11
कुल निवेश वहन मूल्य (ए)–(बी)		4,505.40		4,505.40

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

6.1 सहबद्ध कम्पनियों का ब्यौरा

सहबद्ध कम्पनियों का नाम	प्रमुख गतिविधि	निगमन का स्थान एवं व्यापार का मुख्य स्थान	स्वामित्व हित का अनुपात/ धारित वोटिंग अधिकार	
			31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
राजस्थान एसेट मैनेजमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.	वित्त कोष प्रबंधन	भारत	24.50%	24.50%
राजस्थान ड्रक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स	भारत	48.96%	48.96%
राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी प्रा.लि.	आरवीसीएफ के ट्रस्टी	भारत	24.50%	24.50%
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्सट्र्यूमेन्ट्स लि.	इलेक्ट्रॉनिक मिल्क विश्लेषक एवं सौर ऊर्जा उपकरण	भारत	49%	49%
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि.	आधारभूत संरचना का विकास, सेज का विकास एवं रख-रखाव	भारत	26%	26%

7. निवेश

7ए. अन्य अचल निवेश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
अनुद्धृत निवेश (सभी पूर्णतया प्रदत्त)				
(ए) साम्या प्रपत्रों में निवेश (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)				
आई.जी. टेलिकोम लिमिटेड	357,000	0.23	357,000	0.23
प्रताप राज. कॉपर फोइल्स एण्ड लेमिनेट्स लिमिटेड	1,099,000	0.00	1,099,000	0.00
राजस्थान एक्स एल ओ सांवा मिड लेण्ड लिमिटेड	422,800	0.00	422,800	0.00
जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन	1,000,000	7,708.25	1,000,000	8,062.67

(बी) म्यूचअल फण्डस् में निवेश (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)				
राजस्थान वेन्च्यूर कैपिटल फण्ड-II	1,256,512	1,771.18	1,256,512	1,510.45
राजस्थान वेन्च्यूर कैपिटल फण्ड-III	3,874	7,643.54	2,591.52	2,767.40
कुल समग्र अनुद्धृत निवेश		17,123.21		12,340.75
कुल निवेश वहन मूल्य		17,123.21		12,340.75

7बी. चल निवेश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
उद्धृत निवेश (सभी पूर्णतया प्रदत्त)				
(ए) साम्या प्रपत्रों में निवेश (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)				
ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (श्री पाइप्स लिमिटेड)	1,206,600	753.52	1,206,600	272.09
जेसीटी लिमिटेड	301,462	12.24	301,462	3.23
श्री राजस्थान सिन्टेंक्स लिमिटेड	307,600	13.29	307,600	11.38
श्री राजस्थान सिन्टेंक्स लिमिटेड	133,334	26.98	133,334	26.98
कुल समग्र उद्धृत निवेश (ए)		806.03		313.67
अनुद्धृत निवेश (सभी पूर्णतया प्रदत्त)				
(बी) एफवीटीपीएल पर साम्या प्रपत्रों में निवेश				
अनिल स्टील (एएसआईएल)	33,939	0.00	33,939	0.00
बेसेरा सीमेन्ट लिमिटेड	124,000	1.18	124,000	1.18
डर्बी टेक्सटाइल्स लिमिटेड	520,000	60.07	260,000	60.07
डायमण्ड एण्ड जैम डवलमेन्ट कार्पोरेशन	1	0.01	1	0.01
ईको इण्डस्ट्रिज लिमिटेड	500,000	11.25	500,000	11.25

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटस् लिमिटेड	170,000	3.00	170,000	3.00
गोल्डन पोली मारबल	150,000	0.00	150,000	0.00
एचपीएम इण्डस्ट्रिज लिमिटेड	200,000	0.00	200,000	0.00
जेएल निट (इण्डिया) लिमिटेड	440,000	8.80	440,000	8.80
जोधपुर इंजीनियरिंग को-आपरेटिव सोसाइटी	2,250	0.00	2,250	0.00
करनव लेदर लिमिटेड (राम जी दास कमिकल्स)	300,000	0.00	300,000	0.00
मार्डन डेनिम लिमिटेड (मार्डन सूटिंग लिमिटेड)	20,000	0.00	20,000	0.00
मॉडर्न सिन्टेक्स (इण्डिया) लिमिटेड	113,694	0.00	113,694	0.00
मॉडर्न थ्रेड्स (इण्डिया) लिमिटेड	244,900	0.00	244,900	0.00
मॉल्डवेल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड	50,000	0.00	50,000	0.00
माउन्ट ग्रेनाईट्स लिमिटेड	3,800	1.86	3,800	1.86
मुनक गलवा शीट्स लिमिटेड	614,000	0.00	614,000	0.00
एम.वी. कोट्सपिन लिमिटेड	250,000	25.00	250,000	25.00
निहोन निर्माण लिमिटेड	1,393,215	0.00	885,000	0.00
पेरीवाल ब्रिक्स लिमिटेड	100,000	0.00	100,000	0.00
पोलर मारमो एगलोमिरेट्स लिमिटेड	185,000	9.48	185,000	9.48
पूनसुमी फोयल्स एण्ड कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड	800,000	10.00	800,000	10.00
राजस्थान पोलीवीन ट्यूब्स लिमिटेड	70,000	0.00	70,000	0.00
रीवोना इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	50,000	5.00	50,000	5.00
राजस्थान एक्सप्लोजिव एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	1,000,000	1.99	1,000,000	11.02
सीरा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	250,000	0.00	250,000	0.00
सिरोस्मेल्ट (इण्डिया) लिमिटेड	500,000	0.00	500,000	0.00
स्टेनफोड इंजिनियरिंग लिमिटेड	105,000	1.40	105,000	1.40
सुदर्शन सीमेंट लिमिटेड	18,000	0.09	18,000	0.09

सूजूकी टेक्साटाईल्स लिमिटेड (सुपर सिन्कोटेक्स (इण्डिया) लि. – पूर्ववर्ती)	2,134	0.05	2,134	0.05
थार सीमेंट लिमिटेड	227,500	12.00	227,500	12.00
एक्जलो यूनाइटेड क्लच प्रोडक्ट्स लिमिटेड	150,000	0.00	150,000	0.00
राजस्थान कन्सलटेन्सी आरगेनाइजेशन लिमिटेड	100	2.56	100	2.56
(सी) अधिमानी अंशों में निवेश (लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)				
केसरी बनसपति प्रोडक्ट्स लिमिटेड	50,000	0.00	50,000	0.00
(डी) सरकारी या ट्रस्ट की प्रतिभूतियों में निवेश				
(ई) डिबेंचर या बॉण्ड में निवेश (लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)				
भण्डारी आफसेट प्रिन्टर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	380	0.02	380	0.02
कुल समग्र अनुद्धृत निवेश (बी)		153.75		162.77
कुल निवेश वहन मूल्य (ए)+(बी)		959.77		476.44

* साम्या निवेश के मुल्यांकन के लिये टिप्पणी 34.4.1 देखें

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

8. व्यापारिक प्राप्य

8ए. व्यापारिक प्राप्य – गैर चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) अप्रतिभूत, अच्छे विचारे गये (नीचे टिप्पणी 8.1 देखें)		
बकाया नहीं		
– भूमि के आवंटन के लिये	81,607.90	32,704.39
– अन्य के लिये (घर/दुकान/कियोस्क अन्य)	—	—
योग	81,607.90	32,704.39

8बी. व्यापारिक प्राप्य—चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) अप्रतिभूत, अच्छे विचारे गये (नीचे टिप्पणी 8.1 देखें)		
– शेड के आवंटन के लिये	8.29	8.29
– भूमि के आवंटन के लिये	34,928.63	23,515.90
– अन्य के लिये (घर/दुकान/कियोस्क अन्य)	2.22	2.22
योग (ए)	34,939.13	23,526.40
(बी) क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		
– भूमि के आवंटन के लिये	83.94	83.94
– शेड के आवंटन के लिये	0.96	0.96
योग (बी)	84.90	84.90
– भूमि के लिये बकाया नहीं	63,121.17	57,933.26
– अन्य के लिये बकाया नहीं	—	—
कुल योग	98,145.20	81,544.56

8.1 निगम को सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिवासी की बेदखली) अधिनियम, 1964 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत सम्पत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार होने से भूमि एवं घर/शेडों/कियोस्क गतिविधियों के संबंध में व्यापारिक प्राप्यों की बकाया राशि के विरुद्ध डूबत एवं संदिग्ध ऋण का प्रावधान नहीं किया गया है।

व्यापारिक प्राप्तियों के काल प्रभावन की सूची

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया						
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	बकाया नहीं	योग
(i) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—अच्छे विचारे गये	13,723.90	4,485.33	4,147.05	2,240.05	9,509.74	144,729.07	178,835.15
(ii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है	—	—	—	—	—	—	—
(iii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—क्रेडिट ह्रासित	—	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापारिक प्राप्य—अच्छे विचारे गये	—	—	—	—	833.06	—	833.06
(v) विवादित व्यापारिक प्राप्य—जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है	—	—	75.57	—	9.33	—	84.90
(vi) विवादित व्यापारिक प्राप्य—क्रेडिट ह्रासित	—	—	—	—	—	—	—
योग	13,723.90	4,485.33	4,222.62	2,240.05	10,352.13	144,729.07	179,753.10

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया						
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	बकाया नहीं	योग
(i) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—अच्छे विचारे गये	10,202.42	2,883.15	1,354.71	373.01	7,880.07	90,637.65	113,330.99
(ii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है	—	—	—	—	—	—	—
(iii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—क्रेडिट ह्रासित	—	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापारिक प्राप्य—अच्छे विचारे गये	—	—	—	—	833.06	—	833.06
(v) विवादित व्यापारिक प्राप्य—जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है	—	—	75.57	—	9.33	—	84.90
(vi) विवादित व्यापारिक प्राप्य—क्रेडिट ह्रासित	—	—	—	—	—	—	—
योग	10,202.42	2,958.72	1,354.71	373.01	8,722.46	90,637.65	114,248.95

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

9. ऋण – गैर चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) सावधि ऋण {विस्तृत टिप्पणी (i) एवं (iii) देखें}		
प्रतिभूत रुपया ऋण		
अच्छे विचारित किये गये	30,315.56	35,401.91
क्रेडिट क्षीणता	1,202.17	1,198.39
योग	31,517.73	36,600.29
घटाइये: अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिये छूट	(-)1,202.17	(-)1,198.39
योग (ए)	30,315.56	35,401.91
(बी) कर्मचारीवृन्द को अग्रिम		
अच्छे विचारित किये गये (प्रतिभूत) {विस्तृत टिप्पणी (ii) देखें}	783.57	841.82
योग (बी)	783.57	841.82
कुल योग (ए+बी)	31,099.14	36,243.73

(i) सावधि ऋणों का ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अच्छे विचारित किये गये	43,588.19	51,143.01
घटाइये: चालू परिपक्वतायें	13,272.62	15,741.10
गैर-चालू दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	30,315.56	35,401.91
क्रेडिट क्षीणता	8,302.00	8,098.81
घटाइये: चालू परिपक्वतायें	7,099.83	6,900.42
गैर-चालू दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	1,202.17	1,198.39

(ii) कर्मचारीवृन्द को अग्रिम का ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर्मचारीवृन्द को ऋण एवं अग्रिम	1,134.91	1,136.19
घटाइये: कर्मचारीवृन्द को अग्रिम की चालू परिपक्वतायें	351.34	294.37
कर्मचारीवृन्द को दीर्घावधि कुल अग्रिम	783.57	841.82

(iii) (ए) ऋण की अदायगी में चूक करने वाली इकाइयों के संबंध में जिन्हें एसएफसी अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत निगम या अन्य वित्तीय संस्थान या अभिगोपक या कस्टम/बिक्रीकर/आयकर/उत्पादक शुल्क प्राधिकारियों ने अन्य कारणों से अधिग्रहित कर लिया है, 31 मार्च, 2021 को ऋण की बकाया राशि 12826.92 लाख रुपये है (31 मार्च, 2021 को 12826.92 लाख रुपये)।

(iii) (बी) पुनः संरचना, एक मुश्त बकाया सावधि ऋण राशि का निपटान, अधिग्रहित इकाइयों के ऋण एवं ब्याज का निपटान, इकाई की बिक्री, ऋण का अग्रिम भुगतान तथा अंशों का विनिवेश जैसे मामले गुणवत्ता के आधार पर निर्णित किये जाते हैं।

(iii) (सी) यह घोषणा की जाती है कि निगम के किसी भी निदेशक या अधिकारीगण का ऋण लेने वाली इकाइयों में कोई हित निहित नहीं है।

10. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

10ए. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां—अचल

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
— निक्षेप	1.42	1.42
बैंकों में सावधि जमाएं	68,754.90	40,584.44
बैंकों में विशेषांकित शेष (विवरणात्मक टिप्पणियां बी एवं सी देखें।)	—	—
योग	68,756.32	40,585.86

(ए) बारह माह से अधिक समयावधि में परिपक्व होने वाली सावधि जमाओं की राशि 31.03.2022 को 68,754.90 लाख रुपये है (गत वर्ष 40,584.44 लाख रुपये)।

(बी) बैंकों के पास सावधि जमाओं में रहन/लीयन/नोन लियन जमाओं के शून्य रुपये (31 मार्च, 2021 को शून्य) शामिल हैं।

(सी) बैंकों के पास शेष राशि में निर्धारित शेष के शून्य रुपये (गत वर्ष शून्य रुपये) शामिल हैं।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

10बी.अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां— चल

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	ब्यौरा	31 मार्च, 2022 को	ब्यौरा	31 मार्च, 2021 को
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों की चल परिपक्वता				
सुरक्षित ऋण रूप्यों में				
अच्छे माने गये	13,272.62		15,741.10	
क्रेडिट क्षीणता	7,099.83		6,900.42	
	20,372.46		22,641.52	
घटाइये: अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिये छूट	(-)7,099.83	13,272.62	(-)6,900.42	15,741.10
सरकारी उपक्रमों के अग्रिमों की चालू परिपक्वतायें {विस्तृत टिप्पणी (i) देखें}		20,434.81		18,814.52
कर्मचारियों को अग्रिम की चल परिपक्वता	351.34	351.34	294.37	294.37
अन्य अग्रिमों की चल परिपक्वता				
अच्छे माने गये	1,846.64		926.85	
क्रेडिट क्षीणता	1.48		1.48	
घटाइये : अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिये छूट	(-)1.48	1,846.64	(-)1.48	926.85
निक्षेप		2.59		2.59
परियोजनाओं से वसूली योग्य व्यय	362.11		403.47	
घटाइये : संदिग्ध वसूली हेतु प्रावधान	(-)6.75	355.36	(-)6.75	396.72
अंश आवेदन राशि लम्बित आवंटन	0.10		256.26	
घटाइये : आवंटन नहीं होने हेतु प्रावधान	—	0.10	(-)256.16	0.10
वसूली योग्य अनुदान		16.07		465.91
प्रोदभूत एवं बकाया किराया	256.09		177.40	
घटाइये : संदिग्ध वसूली हेतु प्रावधान	—	256.09	—	177.40
औद्योगिक क्षेत्रों से उपार्जित आय		12,309.37		10,276.80
भूमि अधिग्रहण के लिये आकस्मिक व्यय		496.03		305.73
सावधि जमाओं पर उपार्जित ब्याज		3,586.62		1,112.02
रीको — आरडीए		7802.34		48.31
बैंकों में विशेषांकित शेष {दिखे विस्तृत टिप्पणी (ii)}		3,133.87		3,004.49
अभिकर्ता व्यवसाय में सम्पत्तियां {दिखे विस्तृत टिप्पणी (iii)}		519.59		528.67
योग		64,383.44		52,095.59

टिप्पणियां :

- (i) निक्षेप कार्यों, भूमि प्रतिकर इत्यादि के लिये पीएचईडी, डिस्कोमों, अन्य सरकारी एजेंसीयों को अग्रिम का इसमें समावेश है। इसमें 2185.80 लाख रुपये (गत वर्ष 2185.80 लाख रुपये) के जे.डी.ए. को अग्रिम के जिसके तहत कूकस में भूमि का कब्जा अभी प्राप्त करना है और बी.आई.पी. के 30.60 लाख रुपये (गत वर्ष 30.60 लाख रुपये) शामिल है।
- (ii) नकद एवं नकद तुल्य राशि में विभिन्न बैंकों में सावधि जमा (पुनर्ग्रहणाधिकार/प्रयोजन विशिष्ट के अधीन) राशि 3133.87 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 3004.49 लाख रुपये) शामिल है जिसमें सीतापुरा में इण्डियन ऑयल में हुए अग्निकांड के एवं एनजीटी सेस, जोधपुर के पेटे जमा करवाया गया है।
- (iii) मैसर्स जयपुर मेटल एवं इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के विरुद्ध सेतु ऋण के 88.35 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 – 88.35 लाख रुपये) तथा मैसर्स परफेक्ट थ्रेड मिल्स (प्रा) लिमिटेड के विरुद्ध ब्याज मुक्त ऋण के 51.47 लाख रुपये बकाया (31 मार्च, 2021– 51.47 लाख रुपये) है, किन्तु इन ऋणों पर कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है क्योंकि निगम ने ये ऋण अभिकर्ता व्यवसाय के अन्तर्गत प्रदान किये हैं।
- (iv) एजेंसी व्यापार के अन्तर्गत ऋणों एवं अग्रिमों का विवरणात्मक ब्यौरा : (वित्तीय सहायता के लिये)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ब्याज मुक्त अवधि ऋण	51.47	51.48
सेतु ऋण	88.35	88.35
अच्छे माने गये एवं द्वितीय प्रभार से सुरक्षित		
– राजस्थान सरकार की बिक्री कर योजनान्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण	249.88	258.96
असुरक्षित किन्तु अच्छे माने गये		
– बीज पूंजी सहायता	119.35	119.35
अधिमानी अंशों में निवेश		
– इन्सूलेटरस एण्ड सिरामिक्स लिमिटेड	4.58	4.58
– राजस्थान वूलटेक्स लिमिटेड	4.95	4.95
– शील्ड शू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	1.00	1.00
योग	519.59	528.67

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की संदिग्ध वसूली पर प्रावधान का समाधान

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	व्यय की संदिग्ध वसूली के लिये प्रावधान	शेयर आवेदन लम्बित धन राशि के तहत प्रावधान	प्रोदभूत किराये की संदिग्ध वसूली के लिये प्रावधान	एफएफडी पर डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	अन्य अग्रिमों के लिये प्रावधान
31 मार्च, 2021 को अवधि के प्रारम्भ में शेष	6.75	256.16	—	—	1.48
वर्ष के दौरान मान्य अतिरिक्त प्रावधान	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान उपभोग	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान वापस लिखे गये	—	—	—	—	—
वर्ष के अन्त में शेष	6.75	256.16	—	—	1.48
31 मार्च, 2022 को अवधि के प्रारम्भ में शेष	6.75	256.16	—	—	1.48
वर्ष के दौरान मान्य अतिरिक्त प्रावधान	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान उपभोग	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान वापस लिखे गये	—	—	—	—	—
वर्ष के अन्त में शेष	6.75	256.16	—	—	1.48

11. इन्वेन्ट्रीयां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ए) भूमि का स्टॉक/भूमि विकास/प्रगतिरित निर्माण कार्य/तैयार माल		
(i) भूमि (विकसित)	181,348.81	89,735.96
(ii) भूमि (विकासाधीन)	72,389.21	170,362.77
(iii) शेड / दूकानें / घर / प्लेट / कियोस्क	5.56	5.56
(iv) इकाई पर निर्माण सामग्री सहित स्टोर	339.57	360.18
योग (ए)	254,083.15	260,464.47
बी) खुले औजार	0.15	0.15
योग (बी)	0.15	0.15
योग (ए+बी)	254,083.30	260,464.62

- 11(i)(ए) कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का कुछ भाग वादानुगत 716.57 एकड़ भूमि (31 मार्च, 2021 को 624.75 एकड़) मूल्य 13242.12 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 11214.50 लाख रुपये) और/या अनाधिकृत 501.11 एकड़ भूमि (31 मार्च, 2021 को 449.85 एकड़) मूल्य 6830.95 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 4366.54 लाख रुपये) की है, कुल लगभग 20073.07 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 15581.04 लाख रुपये) की 1217.68 एकड़ भूमि (31 मार्च, 2021 को 1074.60 एकड़)। इसका बाजार से वसूलनीय मूल्य शून्य माना गया है।
- (बी) प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु मारबल स्लरी को डालने के स्थान को विकसित किये जाने हेतु 531.07 बीघा भूमि को किशनगढ़ मारबल उद्योग विकास समिति के सुपुर्द किया गया था। भूमि का स्वामित्व रीको के पास ही है जिसे व्यापार स्टॉक में एक रुपये पर दर्शाया गया है।
- (सी) शेड/दुकानें/घर/प्लेट/कियोस्क की इन्वेन्ट्री में 5.56 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को 5.56 लाख रुपये) शामिल है जिनके लिये संशोधित लेखा नीति को भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपेक्षित विशेष दस्तावेजों के अभाव के कारण परिवर्तनों का संचयी प्रभाव को निश्चित करना अव्यवहारिक है।

12. नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन-पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में, नकद एवं हस्तगत नकद एवं अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपञ्च जो नकदी की ज्ञात माषा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन है तथा तुलन-पत्र दिनांक को तीन माह या कम अवधि की मूल अथवा लम्बित परिपक्वता वाले है, का समावेश है।

नकद प्रवाह के विवरण में प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर यथा दर्शित नकद एवं नकद समतुल्यों को निम्न प्रकार से तुलन-पत्र के संबंधित मदों से मिलान किया जा सकता है :

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बैंकों में शेष	11,298.45	10,258.64
हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	—	—
हस्तगत नकद	0.32	0.57
बैंकों में सावधि जमा (3 माह से कम की परिपक्वता)	43,533.02	13,438.88
योग	54,831.78	23,698.08

12ए. नकद एवं नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अन्य बैंक शेष		
बैंकों में सावधि जमा (4-12 माह की परिपक्वता)	39,736.11	21,432.22
बैंक में चिन्हित शेष		
— सावधि जमा (नीचे विस्तृत टिप्पणी देखें)	—	2.34
अन्य		
— स्टाम्प	0.40	0.47
— राजकीय कोषागार में	20,312.10	18,023.14
— अग्रदाय खाता	0.96	0.65
योग	60,049.56	39,458.81

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

टिप्पणियां :

- (ए) नागौर में अविकसित भूमि आवंटन के पेटे अबूजा सीमेंट से प्राप्त राशि 78.50 लाख रूपयों (31 मार्च, 2021 को 234 लाख रूपये) को भी बैंकों में सावधि जमाओं में रखा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुआवजे का भुगतान किये जाने की संभावना है।
- (बी) राजकीय कोषागार (पीडी खाता) में जमा राशि 20312.10 लाख रूपये (31 मार्च, 2021 को 18023.14 लाख रूपये) जमाओं पर ब्याज के है।

13. अन्य परिसम्पत्तियां

13ए. अन्य परिसम्पत्तियां— अचल

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सेवा कर मांगों के तहत पूर्व जमा	664.42	710.62
वसूली योग्य सेवा कर	1,320.94	1,290.81
पूर्व प्रदत्त व्यय	66.48	63.91
अतिरिक्त ग्रेच्युटी कोष	586.46	921.47
अवकाश नकदीकरण कोष	112.73	134.59
योग	2,751.04	3,121.40

13बी. अन्य परिसम्पत्तियां— चल

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पूर्व प्रदत्त व्यय	84.79	51.19
वसूली योग्य जीएसटी	67.59	37.19
रजिस्ट्रार उद्योग भवन आमसुविधा	18.20	11.30
अतिरिक्त ग्रेच्युटी कोष	—	—
वसूली योग्य दावें	31.46	34.59
चांदी के सिक्के	—	0.04
योग	202.03	134.31

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर
टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

14. साम्या अंशपूंजी

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अधिकृत अंश पूंजी		
प्रत्येक 10 रु. मूल्य के साम्या अंश (संख्या में)	235,000,000	235,000,000
प्रत्येक 10 रु. मूल्य के साम्या अंश (लाख रुपये में)	23,500.00	23,500.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी		
प्रत्येक 10 रु. मूल्य के साम्या अंश पूर्णतः प्रदत्त (संख्या में)	210,185,800	210,185,800
प्रत्येक 10 रु. मूल्य के साम्या अंश पूर्णतः प्रदत्त (लाख रुपये में)	21,018.58	21,018.58
योग	21,018.58	21,018.58

14.1 अवधि के दौरान संचलन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	
	अंशों की संख्या	अंश पूंजी (राशि)	अंशों की संख्या	अंश पूंजी (राशि)
वर्ष के प्रारम्भ में	210185800	21,018.58	210185800	21,018.58
जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये	—	—	—	—
वर्ष के अन्त में	210185800	21,018.58	210185800	21,018.58

प्रमोटरों की अंशधारिता का प्रकटीकरण:

प्रमोटर का नाम	वर्ष के अन्त में प्रमोटरों द्वारा धारित अंश				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को		
	अंशों की संख्या	कुल का %	अंशों की संख्या	कुल का %	
राजस्थान सरकार	210,185,800	100%	210,185,800	100%	—
योग	210,185,800	100%	210,185,800	100: %	—

प्रमोटर का नाम	वर्ष के अन्त में प्रमोटरों द्वारा धारित अंश				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को		
	अंशों की संख्या	कुल का %	अंशों की संख्या	कुल का %	
राजस्थान सरकार	210,185,800	100%	210,185,800	100%	—
योग	210,185,800	100%	210,185,800	100%	—

- (i) निगम एक सरकारी कम्पनी है जिसमें शत-प्रतिशत अंशधारिता राजस्थान सरकार एवं इसके नामितों की है [धारित अंश 21,01,85,800 (31 मार्च, 2021 को 21,01,85,800)]। कम्पनी में एक ही प्रकृति के अंश हैं जिसका अंकित मूल्य 10 रुपये प्रत्येक (31 मार्च, 2021 को 10 रुपये प्रत्येक) है तथा लाभांश एवं मताधिकार का समान अधिकार है।
- (ii) राज्य सरकार द्वारा अपने बजट 2014 में इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग (शेयर बाजार में सूचीबद्ध) करने एवं इक्विटी निवेश के विनिवेश की घोषणा की गई है। इस संबंध में प्रारम्भिक कार्यवाही प्रक्रियारत है।

15. अन्य साम्या

साम्या शेषों में विस्तृत संचलन के लिये साम्या में परिवर्तन का विवरण देखें

अन्य साम्या शेष का सारांश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ए) विशेष आरक्षित पूंजी [नीचे टिप्पणी संख्या (i) देखें]	20,804.97	20,553.97
बी) सामान्य आरक्षित	22,042.85	22,042.85
सी) प्रतिधारित उपार्जन	279,279.43	221,732.61
योग	322,127.25	264,329.43

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट संचय कम्पनी द्वारा सृजित एवं अनुरक्षित है।

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ए) विशेष आरक्षित		
प्रारम्भिक शेष	20,553.97	19,878.97
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	251.00	675.00
अन्तिम शेष	20,804.97	20,553.97
बी) सामान्य आरक्षित		
प्रारम्भिक शेष	22,042.85	22,042.85
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	—	—
अन्तिम शेष	22,042.85	22,042.85
सी) प्रतिधारित उपार्जन		
प्रारम्भिक शेष	221,732.61	171,249.29
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	57,546.82	50,483.32
अन्तिम शेष	279,279.43	221,732.61
योग	322,127.25	264,329.43

16. अन्य वित्तीय दायित्व

16ए. अन्य वित्तीय दायित्व— गैर चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिभूति जमा		
— ग्राहकों से	3,501.33	2,962.37
— ठेकेदारों से	1,038.47	1,546.52
— जल एवं अन्य प्रयोजनों के लिए	177.86	169.88
योग	4,717.66	4,678.77

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिभूति जमाओं का विस्तृत ब्यौरा

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) ग्राहकों से प्रतिभूति जमा		
भूमि के लिये	13,355.60	11,224.25
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य)	9,854.27	8,261.88
(i) अचल देयताएं	3,501.33	2,962.37
शेड्स/शोप्स के लिए	2.13	2.13
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य)	2.13	2.13
(ii) अचल देयताएं	—	—
फ्लेट्स/आवासों के लिए	0.13	0.13
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य)	0.13	0.13
(iii) अचल देयताएं	—	—
निविदाओं/आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि के लिए	20.94	23.53
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य)	20.94	23.53
(iv) अचल देयताएं	—	—
ग्राहकों से कुल दीर्घावधि प्रतिभूति जमा (i+ii+iii+iv)	3,501.33	2,962.37
ग्राहकों से प्रतिभूति जमाओं में चल देयताओं की कुल राशि (टिप्पणी 24बी में ले जायी गयी)	9,877.47	8,287.66
(बी) ठेकेदारों से प्रतिभूति राशि	7,745.58	7,968.38
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य)	6,707.11	6,421.86
ठेकेदारों से दीर्घावधि प्रतिभूति जमा	1,038.47	1,546.52

विकास कार्यों के तहत ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिभूति जमा के स्थान पर एफडीआरों को स्वीकृत करने के लिये निगम ने निर्णय लिया है। 31 मार्च, 2022 को निगम के पास 1648.65 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 1823.97 लाख रुपये) की एफडीआर की राशि है।

16बी.अन्य वित्तीय दायित्व— चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिभूति जमा		
ग्राहकों से	9,877.47	8,287.66
ठेकेदारों से	6,707.11	6,421.86
अग्रिम		
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन से सीतापुरा में अग्नि दुर्घटना के लिये	1,133.25	1,080.29
ग्राहकों को वापसी की देय राशि	4,267.06	4,298.94
बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र के प्रति वसूली {दिखें विवरणात्मक टिप्पणी (ii)}	2,013.97	1,940.13
व्ययों हेतु लेनदार	126.03	143.07
बकाया दायित्व	4,275.21	3,275.37
ऋण एवं अग्रिमों का जमा शेष	1.47	1.47
दावों की आधिक्य राशि वापसी योग्य	129.87	128.28
एजेंसी व्यवसाय के तहत दायित्व {दिखें विवरणात्मक टिप्पणी (iii)}	648.79	667.18
योग	29,180.21	26,244.25

टिप्पणियां :

- (i) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार प्रदुषकों द्वारा देय के आधार पर आवंटियों से प्राप्त सेस की राशि को सावधि जमाओं 2011.24 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 1934.82 लाख रुपये) तथा बैंक चालू खाते में 2.72 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 5.31 लाख रुपये) रखा गया है।

(ii) एजेंसी व्यवसाय के अन्तर्गत ऋणों का विवरणात्मक ब्यौरा (उद्योगों को वित्तीय सहायता हेतु)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से		
निम्न के अन्तर्गत बीज पूंजी एजेन्सी		
(ए) आईडीबीआई	103.22	103.22
(बी) सीडबी	26.66	26.66
योग (ए)	129.88	129.88
सरकार से		
सुलभ ऋण	88.35	88.35
ब्याज मुक्त ऋण	—	0.00
(ए) ब्याज मुक्त बिक्री कर ऋण के लिये	379.08	397.47
(बी) ब्याज मुक्त सावधि ऋण के लिये	51.48	51.48
योग (बी)	518.90	537.29
कुल योग (ए+बी)	648.79	667.17

एजेंसी व्यवसाय के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/राज्य सरकार से ऋण प्राप्त हुआ है जिसे विभिन्न उद्योगों को वितरित किया गया है तथा अन्य चल सम्पत्तियों में यथा 'एजेंसी व्यवसाय के अन्तर्गत सम्पत्तियां' शीर्ष में दर्शाया गया है। (टिप्पणी संख्या 10बी)। ये ऋण संबंधित औद्योगिक इकाई से वसूली पर चुकाये जाने हैं।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर
टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

17. प्रावधान

17ए. प्रावधान— गैर चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर्मचारी परिलाभ		
अर्धवैतनिक अवकाश की क्षतिपूर्ति के लिये प्रावधान	272.63	264.08
योग	272.63	264.08

17बी. प्रावधान— चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर्मचारी परिलाभ		
— बोनस्	1.03	0.60
— भविष्य निधि	60.50	60.50
— अर्धवैतनिक अवकाश की क्षतिपूर्ति के लिये प्रावधान	12.80	11.03
लम्बित मुकदमेंबाजी के लिये प्रावधान	109.47	52.01
योग	183.80	124.14

18. आस्थगित कर शेष

(राशि लाख रुपये में)

तुलन-पत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर परिसम्पत्तियां / (दायित्व) का विश्लेषण निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिये प्रावधान	—	—
निवेश पर उचित मूल्य प्राप्ति / (हानि)	—	—
अर्धवैतनिक अवकाश की क्षतिपूर्ति के लिये प्रावधान	—	—
उपार्जित अवकाश के लिये प्रावधान	—	—
ग्रेच्यूटी के लिये प्रावधान	—	—
धारा 43बी के अन्तर्गत अन्य अमान्य	—	—
अन्य प्रावधान	—	—
आधारभूत संरचना गतिविधियों की मान्य राजस्व की लेखा नीति में परिवर्तन	—	—
मूल्य ह्रास	—	—
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (ए)	—	—
आस्थगित कर दायित्व	—	—
मूल्य ह्रास	—	—
ऋणों पर प्रोदभूत ब्याज	—	—
परिसम्पत्तियों की हानि	—	—
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित	—	—
निवेश पर उचित मूल्य प्राप्ति / (हानि)	—	—
कुल आस्थगित कर दायित्व (बी)	—	—
शुद्ध आस्थगित कर दायित्व (ए-बी)	—	—

18.1 अधिसूचना एस.ओ. 1465 (ई) के साथ पठित अधिसूचना एस.ओ. 529 (ई) के अनुसार, आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित कर दायित्व से संबंधित भारतीय लेखा मानक 12 के प्रावधान 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2024 तक उन सरकारी कम्पनियों जो कि

(ए) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (72) के उप-खण्ड (iv) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, लागू नहीं होंगे।

लमिटेड (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड) जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (72) के उप-खण्ड (iv) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत आवृत्त है एवं तदनुसार वित्तीय वर्ष 16-17 में आस्थगित कर का लेखांकन नहीं किया गया और 01 अप्रैल, 2017 के प्रारम्भिक शेष का अपलेखन कर दिया गया।

19. अन्य दायित्व

19ए. अन्य गैर चालू दायित्व

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) भूमि एवं अन्य के लिये ग्राहकों से अग्रिम (नीचे टिप्पणी (i) से लाये गये)	6,165.83	5,776.71
(बी) भूमि आवंटन के तहत लम्बित कार्यों के लिये दायित्व	302,917.77	224,179.20
(सी) आस्थगित राजस्व	410.99	367.68
योग	309,494.59	230,323.59

19बी. अन्य चालू दायित्व

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) अग्रिम		
— ग्राहकों से	27,694.38	18,317.71
— सरकार एवं अन्य से	1,420.09	1,449.55
(बी) अप्रयुक्त अनुदान/सहायता	3,046.30	1,944.31
(सी) अन्य	—	
— आस्थगित राजस्व	535.67	672.77
— वैधानिक प्राधिकरणों को देय	1,313.84	1,782.50
— भूमि आवंटन के पेटे बकाया कार्यों के दायित्व	8,189.67	5,754.58
— ग्रामीण सुविधा कोष	2,259.47	2,139.29
— दक्षता विकास कोष	3,887.73	3,715.56
— रुग्ण इकाईयों की बिक्री	1,088.64	1,387.03
— सीएसआर दायित्व	636.10	284.74
योग	50,071.90	37,448.04

- (i) भारत सरकार से एमएसई-सीडीपी योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि की जिम्मेदारी के लिए रीको को नोडल एजेंसी के रूप में अभिहित किया गया है। प्राप्त अनुदान राशि को एक अलग खाते में जमा किया जाता है तथा इसी खाते से वितरण किया जाता है। जमा शेष 1379.02 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को शून्य रुपये)। एमएसई-सीडीपी योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान को चल दायित्व तथा संबंधित नाम शेष को चल सम्पत्तियों में दर्शाया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
भूमि एवं अन्य के लिये ग्राहकों से अग्रिम	31,030.42	21,070.21
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य) (टिप्पणी 8 को ले जाया गया)	24,864.58	15,293.50
अचल देयताएं (i)	6,165.83	5,776.71
ग्राहकों से अग्रिम (मुख्यालय)	2,829.80	3,024.21
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य) (टिप्पणी 8 को ले जाया गया)	2,829.80	3,024.21
अचल देयताएं (ii)	—	—
ग्राहकों से दीर्घावधि कुल अग्रिम (i+ii)	6,165.83	5,776.71
ग्राहकों से अग्रिम की चल देयता (टिप्पणी 8 को ले जाया गया)	27,694.38	18,317.71

(ii) जेम स्टोन पार्क क्षेत्र आवंटियों से पहले से ही प्राप्त वसूलियों की राशि 8.89 लाख रूपयों (31 मार्च, 2021 को 8.89 लाख रूपये) को आवंटियों से अग्रिम शीर्ष में लेखांकित किया है।

20. व्यापारिक देयतायें (चालू)

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का बकाया	—	—
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के अतिरिक्त लेनदार	6,059.83	4,818.56
योग	6,059.83	4,818.56

व्यापारिक देयताओं की काल-प्रभावन सूची

(i) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया#				
	1 साल से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से ज्यादा	योग
(i) एमएसएमई					.
(ii) अन्य	1,388.53	225.91	1,643.11	2,668.15	5,925.70
(iii) विवादित बकाया —एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv) विवादित बकाया — अन्य	—	—	0.04	134.09	134.13
योग	1,388.53	225.91	1,643.15	2,802.24	6,059.83

(ii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकायारु				
	1 साल से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से ज्यादा	योग
(i) एमएसएमई					.
(ii) अन्य	319.07	883.58	846.85	2,634.97	4,684.46
(iii) विवादित बकाया —एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv) विवादित बकाया — अन्य	—	—	—	134.09	134.09
योग	319.07	883.58	846.85	2,769.06	4,818.56

जहां भुगतान की देय तिथि उपलब्ध नहीं है, संव्यवहार की तिथि पर विचार किया गया है।

21. कर परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

21ए. अचल कर परिसम्पत्तियां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वापसी-योग्य आयकर	3,693.24	1,550.64
योग	3,693.24	1,550.64

21बी. चल कर परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कराधान के लिये प्रावधान (नीचे विस्तृत टिप्पणी (i) देखें)	19,100.00	—
प्रदत्त अग्रिम कर/टीडी,स	19,500.00	—
योग	400.00	—

21सी. चल कर दायित्व — प्रदत्त अग्रिम कर का शुद्ध

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कराधान के लिये प्रावधान (नीचे विस्तृत टिप्पणी (i) देखें)	—	20,103.83
घटाइये: प्रदत्त अग्रिम कर/प्रदत्त टीडीएस	—	20,000.00
योग	—	103.83

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 400 लाख रुपये की चालू कर आस्ति को टिप्पणी सं. 21बी में दर्शाया गया है।

(i) कराधान के लिये प्रावधान के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
चालू वर्ष	19,100.00	19,000.00
गत वर्ष	—	1,103.83
योग	19,100.00	20,103.83

- (ii) आयकर का आवश्यक प्रावधान कर-सलाहकार की राय से किया गया है। निर्धारण/कारण बताओं कार्यवाही पर की गयी मांग जो अपील/संदर्भ के अधीन है, को यथा आकस्मिक दायित्व दर्शाया जाता है जब तक कि कर-सलाहकार की राय में यह निगम का दायित्व न हो। अपील/पुनरीक्षण/संदर्भों और न्यायालय के मामलों के वित्तीय प्रभाव एवं उस पर ब्याज के विरुद्ध वापसी को संबंधित कर विभाग से इन आदेशों/संदर्भों/संशोधनों के प्रभाव की प्राप्ति पर लेखाबद्ध किया जाता है।

टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

22. संचालनों से राजस्व

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
(ए) आधारभूत सुविधा गतिविधियों से आय		
(i) भूमि का आवंटन एवं विकास गतिविधियां		
भूमि के आवंटन से आय (पट्टा)	48,172.62	32,994.85
भूमि के आवंटन से आय (विकास गतिविधि)	63,757.82	48,554.95
अविकसित भूमि के आवंटन से आय	21.34	(69.24)
योग (i)	111,951.78	81,480.56
(ii) अन्य परिचालन आय		
दण्डित ब्याज सहित ब्याज	7,210.44	5,232.32
आर्थिक किराया	113.50	279.09
जल प्रभार	2,182.60	2,117.56
सेवा प्रभार	10,737.61	9,425.62
किराया	146.72	126.09
प्रतिभूति राशि की जब्ती	482.31	1,072.99
हस्तांतरित क्षेत्रों से आय	582.25	773.01
धारण प्रभार	1,098.23	2,610.61
हस्तांतरण प्रभार	1,965.98	2,056.41
अन्य आय	2,650.46	2,282.57
डूबत ऋणों की वसूली	1,110.59	2,125.41
अनुदानों का उपयोग किया गया	1,356.88	2,245.71
योग (ii)	29,637.57	30,347.41
योग (i)+(ii)	141,589.35	111,827.96
(बी) वित्तीय गतिविधियों से आय		
(i) ब्याज		
अवधि ऋणों पर ब्याज की आय	3,401.24	5,153.63
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम पर	103.02	107.40
ब्याज की आय—परिशोधित लागत पर मापे गये ऋणों की अनविंडिंग	2,154.06	2,087.11
योग (i)	5,658.32	7,348.15

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
(ii) अन्य वित्तीय सेवायें		
समयपूर्व भुगतान पर प्रीमियम/आईआरआरएस	53.79	14.91
एग्रो फूड पार्क से आय	5.14	5.14
अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	1.21	1.21
गैर चालू निवेशों के विक्रय पर शुद्ध प्राप्ति	—	24.55
गैर चालू निवेशों पर प्राप्ति/(हानि) का उचित मूल्य	3,500.35	(52.91)
चालू निवेशों पर प्राप्ति/(हानि) का उचित मूल्य	483.33	127.95
राशि/पुनः लिखित/डूबत ऋणों की वसूली	1,423.55	174.16
योग (ii)	5,467.37	295.01
योग बी (i) + (ii)	11,125.68	7,643.15
कुल योग (ए+बी)	152,715.03	119,471.12

- (i) रीको या किसी अन्य वित्तीय संस्थान/सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इकाई का अधिग्रहण करने एवं/अथवा रुग्ण होने के संबंध में सूचना/नोटिस की तिथि से व्यतिक्रम करने वाले आवंटियों से सेवा प्रभारों की बकाया राशि को रोक दिया गया है।

23. अन्य आय

ए) ब्याज की आय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
बैंक जमाएं	3,907.67	2,669.26
सरकारी पी/डी खाता	588.96	588.00
योग (ए)	4,496.63	3,257.26

बी) लाभांश आय

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
अधिमानि अंशों से लाभांश		—
सहबद्ध कम्पनियों में इक्विटी निवेश से लाभांश	1,170.00	4.90
योग (बी)	1,170.00	4.90

सी) अन्य गैर-संचालित आय

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
निवेश सम्पत्ति से आय (कन्वेन्शन सेन्टर)	788.50	206.31
विविध आय	3.66	3.70
सेवा कर की वसूली	3.96	6.14
आयकर वापसी पर ब्याज	—	118.82
योग (सी)	796.12	334.98

डी) अन्य प्राप्तियां एवं हानियां

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर प्राप्ति / (हानि)	5.21	—
योग (डी)	5.21	—
(ए+बी+सी+डी)	6,467.96	3,597.14

24. भूमि के स्टॉक में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
भूमि (विकसित)		
प्रारम्भिक स्टॉक	89,735.96	173,742.70
घटाइये: अन्तिम स्टॉक	181,348.81	89,735.96
	(91,612.85)	84,006.74
भूमि (विकासाधीन)		
प्रारम्भिक स्टॉक	170,362.77	80,865.18
घटाइये: अन्तिम स्टॉक	72,389.21	170,362.77
	97,973.56	(89,497.59)
योग	6,360.71	(5,490.86)

25. कर्मचारी परिलाभ व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
वेतन एवं प्रोत्साहन राशि निम्न में अंशदान :	6,315.70	5,946.87
भविष्य निधि एवं अन्य	602.26	640.17
निक्षेप सह बीमा प्रीमियम	27.77	20.71
चिकित्सा कोष (सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये)	5.19	6.31
ग्रेच्युटी व्यय*	189.49	209.99
अवकाश नकदीकरण अनुलाभ*	259.54	4.89
अर्धवैतनिक अवकाश हेतु क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	10.31	—
रियाती दर पर कर्मचारियों को ऋण	19.35	33.32
कर्मचारी कल्याण व्यय	26.67	20.66
योग	7,456.27	6,882.93

* ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण कोषों के प्रबंधन के लिए निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम, एसबीआई लाईफ एवं एचडीएफसी लाईफ के साथ करार किया है। लाभ-हानि विवरण पत्र में लाभ/हानि/व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मान्य किया गया है।

26. वित्त लागतें

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
निरन्तर संचालन		
(ए) ब्याज की लागत	—	—
बैंकों को प्रदत्त ब्याज		
अन्य		
— वित्तीय दायित्वों पर ब्याज की अनविडिंग	484.29	431.34
योग	484.29	431.34
एफवीटीपीएल में अवर्गीकृत वित्तीय दायित्वों के लिये कुल ब्याज व्यय घटाइयें: अर्हक आस्तियों की लागत में शामिल राशियां		
उप-योग (ए)	484.29	431.34
(बी) मोचनीय अधिमान अंशों पर लाभांश	—	—
(सी) उधार की लागतों के समायोजन के रूप में माना गया विनिमय अंतर	—	—
(डी) आयकर पर ब्याज व्यय	34.01	1.37
योग (ए+बी+सी+डी)	518.30	432.71

27. मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्य ह्रास (टिप्पणी 3)	103.01	102.14
निवेशी सम्पत्ति का मूल्य ह्रास (टिप्पणी 4)	1.41	1.41
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का मूल्य ह्रास (टिप्पणी 5)	24.19	15.47
कुल मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	128.62	119.02

28. अन्य व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
किराया	7.04	—
दर एवं कर	2.52	2.80
निम्न की मरम्मत :		
भवन	307.89	342.31
अन्य	74.64	59.14
औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव	10,247.52	9,098.89
विशेष रखरखाव	3,109.29	1,400.82
बीमा	8.81	9.47
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ निदेशक को भुगतान	25.83	23.34
डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों अपेक्षित क्रेडिट हानि के पुनःमापन पर (लाभ)/हानि	463.29	—1,921.84
अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन पर व्यय	4,554.36	6,969.35
हस्तांतरित क्षेत्रों का रखरखाव	514.93	300.31
निगमित सामाजिक सरोकार पर व्यय	835.98	480.66
वित्तीय आस्ति की अमान्यता पर लाभ/(हानि)	598.55	
एग्रों फुड पार्क पर व्यय	—	35.90
विविध व्यय [देखें टिप्पणी 28.1]	13,909.03	9,381.57
योग	34,659.68	26,182.73

28.1 विविध व्ययों का ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
प्रशासनिक व्यय		
विधि व्यय	177.25	94.93
मुद्रण, स्टेशनरी एवं प्रकाशन	145.11	123.36
वाहन परिचालन व्यय	119.95	96.31
वाहन किराया व्यय	206.20	119.08
आवेदकों/ग्राहकों को प्रदत्त ब्याज	98.73	622.62
ऋणियों को छूट एवं रियायत	976.74	1,417.72
यात्रा एवं वाहन	115.20	79.28
आंतरिक अंकेक्षकों को भुगतान	9.45	16.85
सामान्य सुविधा केन्द्र पर व्यय	45.72	55.49
परामशदाताओं को भुगतान	96.84	122.69
सेवाओं की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान	846.89	629.15
दूरभाष एवं ट्रंककॉल व्यय	67.47	62.85
पट्टा किराया	0.25	0.24
सेवाकर व्यय	.	9.30
ग्रामीण सुविधा विकास पर व्यय	172.18	95.64
दक्षता विकास पर व्यय	172.18	95.64
अर्जित आय अपलिखित	5,182.52	3,238.25
वैधानिक अंकेक्षकों को भुगतान {देखे विवरणात्मक टिप्पणी (i)}	9.19	8.20
लागत अंकेक्षक को भुगतान	0.30	0.30
इआरपी की संधारण लागत	39.68	.
सचिवीय अंकेक्षक को भुगतान	1.20	1.00
विविध शेष/सावधि ऋण अपलिखित	852.85	.
विविध देनदार अपलिखित	0.50	.
स्टेट रिन्यूअल फंड को अंशदान	20.00	20.00
योग (i)	9,356.39	6,908.88
विक्रय एवं वितरण व्यय		
प्रचार व्यय	1,841.10	2,127.11
व्यवसाय उन्नयन एवं विकास व्यय	1,582.29	86.31
योग (ii)	3,423.39	2,213.42
अन्य विविध व्यय		
विविध व्यय	879.98	259.27
भर्ती व्यय	249.26	—
योग (iii)	1,129.24	259.27
कुल योग = (i)+(ii)+(iii)	13,909.03	9,381.57

(i) वैधानिक अंकेक्षकों को भुगतान

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
यथा अंकेक्षक	7.00	7.00
यथा कर अंकेक्षक	1.20	1.20
अन्य सेवाओं के लिये	—	—
व्यय के प्रतिपूर्ति के लिये	0.99	—
योग	9.19	8.20

29. आय कर

29.1 लाभ या हानि में मान्य आय कर

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
चालू कर		
चालू अवधि के संबंध में	19,100.00	19,000.00
पूर्व अवधि के संबंध में		
— पूर्व वर्षों के लिये प्रदत्त आय कर	—	—
— पूर्व वर्षों के लिये वापस मिला आय कर	—	—
(ए)	19,100.00	19,000.00
आस्थगित कर		
चालू अवधि के संबंध में (देखें नीचे टिप्पणी (i) एवं (ii))	—	—
(बी)	—	—
चालू अवधि में मान्य किये गये कुल आय कर व्यय (ए+बी)	19,100.00	19,000.00

29.2 अन्य व्यापक आय में मान्य आय कर

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
चालू कर		
परिभाषित लाभ दायित्व का पुनः मापन	—	—
आस्थगित कर		
परिभाषित लाभ दायित्व का पुनः मापन	—	—
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल आय कर	—	—

- (i) प्रयोज्य कर दर (दरों) से गुणित लेखांकन लाभ के उत्पाद एवं कर व्यय (आय) के मध्य संख्यात्मक समाधान तैयार नहीं किया गया है क्योंकि निगम ने एमसीए की अधिसूचना एस.ओ. 1465 (ई) के साथ पठित अधिसूचना एस.ओ. 529 (ई) की पालना में 01 अप्रैल, 2017 से आस्थगित करों के लिये लेखांकन नहीं किया है। यह भी कि चालू वर्ष के लिये साम्या घटकों के अस्थायी अंतरों पर किसी आस्थगित आस्ति/दायित्व को मान्य नहीं किया गया है।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर

टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग है

30. अर्जन प्रति अंश

मूल अर्जन प्रति अंश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	इकाई	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार, साम्या अंशधारियों को आरोप्य कर पश्चात् शुद्ध लाभ (ए)	रु. लाख	60,225.95	53,091.47
इपीएस की गणना हेतु हर (डिनोमीनेटर) के रूप में प्रयोग किये गये साम्या अंशों की भारित औसत संख्या (बी)	सं. (लाख में)	2,101.86	2,101.86
प्रति अंश अर्जन (इपीएस)	रु.	28.65	25.26
प्रति समता अंश अंकित मूल्य	रु.	10.00	10.00

मन्दित अर्जन प्रति अंश

विवरण	इकाई	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार, साम्या अंशधारियों को आरोप्य कर पश्चात् शुद्ध लाभ (ए)	रु. लाख	60,225.95	53,091.47
इपीएस की गणना हेतु हर (डिनोमीनेटर) के रूप में प्रयोग किये गये साम्या अंशों की भारित औसत संख्या (बी)	सं. (लाख में)	2,101.86	2,101.86
प्रति अंश अर्जन (इपीएस)	रु.	28.65	25.26
प्रति समता अंश अंकित मूल्य	रु.	10.00	10.00

31. कर्मचारी परिलाभ योजनायें

31.1 परिभाषित अंशदान योजनायें

निगम अपने निगम के सभी अर्हकारी कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं को सम्पादित करता है। योजना की आस्तियों को, निगम की आस्तियों से पृथक रूप में न्यासीयों के नियंत्रण के अधीन निधि में धारित किया जाता है।

31.2 परिभाषित परिलाभ योजनायें

निगम अर्हकारी कर्मचारियों के लिये निधिबद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं को प्रवर्तित करता है। परिभाषित लाभ योजनाओं का पृथक निधि द्वारा प्रबंध किया जाता है जो कि सता से विधितः अलग है। निधि मण्डल में नियोजको एवं (भूतपूर्व) कर्मचारियों दोनों के समान संख्या में प्रतिनिधि है। निधि मण्डल से विधि द्वारा एवं संगम अनुच्छेद द्वारा यह अपेक्षा है कि निधि एवं योजना मे सभी संबंधित पणधारियों अर्थात् सक्रिय कर्मचारी, निष्क्रिय कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं नियोजक के हित में कार्य करें। निधि की आस्तियों के संबंध में निवेश नीति के लिये निधि मण्डल उत्तरदायी है।

31.3 सेवानिवृत्त कार्मिक तथा दायित्वों के सम्बन्ध में, कम्पनी ने कर्मचारियों को दिये गये विभिन्न परिलाभों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है ::

1. अन्य दीर्घावधि परिलाभ योजना—अस्वस्थता अवकाश
2. परिभाषित परिलाभ योजना—ग्रेच्युटी
3. अन्य दीर्घावधि परिलाभ योजना— अर्जित अवकाश

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसरण में प्रकट किये जाने वाले अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार है:

1. परिभाषित लाभ योजना

(राशि लाख रुपये में)

	31 मार्च, 22	31 मार्च, 21
शुद्ध परिभाषित लाभ (आस्ति)/दायित्व :		
ग्रेच्युटी	(586.46)	(921.47)
अस्वस्थता अवकाश	285.43	275.12
अर्जित अवकाश	(112.73)	(134.59)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	गैर-चालू		चालू	
	31 मार्च, 22	31 मार्च, 21	31 मार्च, 22	31 मार्च, 21
ग्रेच्युटी	4678.43	4,209.59	473.00	822.10
अस्वस्थता अवकाश	272.63	264.08	12.80	11.03
अर्जित अवकाश	2,892.81	2,615.75	269.74	416.03
योग	7,843.86	7,089.43	755.54	1,249.16

(ए) 31.03.2022 एवं 31.03.2021 को परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	ग्रे च्यूटी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश
1 अप्रैल को दायित्वों का वर्तमान मूल्य	5,031.69	275.12	3,031.78
	(5,415.88)	(309.97)	(3,298.41)
ब्याज लागत	337.12	18.43	203.13
	(362.86)	(20.77)	(220.99)
सेवा लागत	242.29	12.65	156.98
	(228.64)	(11.89)	(146.72)
संदत्त परिलाभ	819.64		110.66
	(836.16)	.	(257.04)
जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से होने वाले दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—
	—	—	—
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से होने वाले दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	143.73	7.72	98.35
अनुभवी समायोजन से होने वाले दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(503.69)	13.05	20.33
	(139.54)	(67.51)	(377.30)
31 मार्च को दायित्वों का वर्तमान मूल्य	5,151.42	285.43	3,162.55
	(5,031.69)	(275.12)	(3,031.78)

(बी) 31.03.2022 एवं 31.03.2021 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	ग्रेच्यूटी	अर्जित अवकाश
1 अप्रैल को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5,953.16	3,166.37
	(5,796.27)	(3,111.79)
ब्याज की आय	398.86	212.15
	(388.35)	(208.49)
ब्याज की आय के अतिरिक्त योजना आस्तियों पर प्रतिफल	33.69	7.43
	(29.18)	(6.27)
अंशदान	171.81	—
	(575.52)	(96.87)
संदत्त परिलाभ	819.64	110.66
	(836.16)	(257.04)
हस्तान्तर	—	—
	—	—
31 मार्च को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5,737.89	3,275.28
	(5,953.16)	(3,166.37)

(सी) 31.03.2022 एवं 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	ग्रे च्यूटी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश
वर्तमान सेवा लागत	242.29	12.65	156.98
	(228.64)	(11.89)	(146.72)
पूर्व सेवा लागत	—	—	—
	—	—	—
शुद्ध ब्याज लागत	61.74	18.43	(9.02)
	(25.49)	(20.77)	(12.50)
ब्याज की आय के अतिरिक्त योजना आस्तियों पर प्रतिफल	—	—	7.43
	—	—	6.27
जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से होने वाले दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—
	—	—	—
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	7.72	98.35
	—	—	—
अनुभवी समायोजन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	13.05	20.33
	—	(67.51)	(377.30)
शुद्ध नियतकालीन लागत	180.55	10.31	21.85
	(203.16)	34.85	224.34

* पूर्व वर्ष के आंकड़े (कोष्ठक में) उपलब्ध परिमाण तक दिये गये हैं।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

(डी) 31.03.2022 एवं 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिय अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि
(राशि लाख रुपये में)

विवरण	ग्रेच्यूटी	अर्जित अवकाश
प्रतिपूर्ति हानि/(लाभ): निम्न से होने वाले बीमांकिक हानि/(लाभ)		
जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन	—	—
	—	—
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन	143.73	98.35
	—	—
अनुभवी समायोजन	(503.69)	20.33
	(139.54)	(377.30)
ब्याज की आय के अतिरिक्त योजना आस्तियों पर प्रतिफल	33.69	7.43
	(29.18)	(6.27)
अन्य व्यापक आय में मान्य की जाने वाली राशि	(326.27)	126.11
	(168.71)	(383.56)

(ई) अन्य प्रकटीकरण

(राशि लाख रुपये में)

ग्रेच्यूटी	31.03.2022 को	31.03.2021 को
31 मार्च को दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,151.42	5,031.69
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5,737.89	5,953.16
दायित्व (आस्तियां)	(586.46)	(921.47)
अमान्य पिछली सेवा लागत	—	—
तुलन पत्र में मान्य दायित्व (आस्तियां)	(586.46)	(921.47)

अस्वस्थता अवकाश	31.03.2022 को	31.03.2021 को
31 मार्च को दायित्व का वर्तमान मूल्य	285.43	275.12
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	—	—
दायित्व (आस्तियां)	285.43	275.12
अमान्य पिछली सेवा लागत	—	—
तुलन पत्र में मान्य दायित्व (आस्तियां)	285.43	275.12

अर्जित अवकाश	31.03.2022 को	31.03.2021 को
31 मार्च को दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,162.55	3,031.78
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(3,275.28)	(3,166.37)
दायित्व (आस्तियां)	(112.73)	(134.59)
अमान्य पिछली सेवा लागत	—	—
तुलन पत्र में मान्य दायित्व (आस्तियां)	(112.73)	(134.59)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
छूट दर	7.13 प्रतिशत	6.70 प्रतिशत
मृत्यु दर	भारतीय बीमांकृत जीवन मृत्यु दर	भारतीय बीमांकृत जीवन मृत्यु दर
मूल्यांकन विधि	(प्रक्षिप्त ईकाई क्रेडिट)	(प्रक्षिप्त ईकाई क्रेडिट)
भावी वेतन वृद्धियां	7 प्रतिशत प्रति वर्ष	7 प्रतिशत प्रति वर्ष

बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन वृद्धियों के आकलन को विचारित किया गया है, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, एवं अन्य तत्व जैसे की रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति को ध्याम में रखा गया है।

(एफ) योजना आस्तियों में निम्नलिखित का समावेश है

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को			31.03.2021 को		
	उद्धृत	अनुद्धृत	योग	उद्धृत	अनुद्धृत	योग
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—
निगम के बॉण्ड/डिबेंचर	—	—	—	—	—	—
साम्या एवं साम्या से जुड़े निवेश	—	—	—	—	—	—
मुद्रा बाजार प्रपत्र/लिक्विड म्यूचल फण्ड	—	—	—	—	—	—
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित कोष	—	—	—	—	—	—
ग्रेच्युटी	5,737.89	—	5,737.89	5,953.16	—	5,953.16
अर्जित अवकाश	3,275.28	—	3,275.28	3,166.37	—	3,166.37
योग	9,013.17	—	9,013.17	9,119.53	—	9,119.53

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

संवेदनशीलता विश्लेषण:

अन्य धारणाओं को स्थिर रखते हुये, प्रतिवेदित दिनांक को संबंधित बीमांकिक मान्यताओं में से एक के यथोचित संभव परिवर्तन परिभाषित लाभ दायित्व को नीचे दर्शायी गई राशियों द्वारा प्रभावित किया होगा:

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
		अभिवृद्धि	कमी	अभिवृद्धि	कमी
ग्रे च्यूटी	छूट दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	(157.94)	168.62	(150.39)	160.43
	वेतन वृद्धि दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	168.02	(158.84)	159.20	(150.66)
अस्वस्थता अवकाश	छूट दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	(8.48)	9.01	(8.17)	8.71
	वेतन वृद्धि दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	8.98	(8.53)	8.59	(8.17)
अर्जित अवकाश	छूट दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	(107.29)	114.93	(100.53)	107.73
	वेतन वृद्धि दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	114.52	(107.90)	106.58	(100.64)

यद्यपि विश्लेषण में योजना के अन्तर्गत आश्रयित रोकड़ प्रवाह का पूर्ण वितरण पर विचार नहीं किया गया, परन्तु यह दिखाये गये संवेदनशीलता के पूर्वानुमानों को लगभग बताता है। उपरोक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित बेनिफिट बाध्यता पर प्रभाव को बढ़ाता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

जोखिम अनावरण:

मूल्यांकन कदाचित धारणाओं पर आधारित है जो कि गतिशील प्रकृति की है एवं समय के साथ भिन्नता लिये हुये है। इस प्रकार कम्पनी में निम्न प्रकार के विभिन्न जोखिम हैं:

- ए) वेतन वृद्धि** – वास्तविक वेतन वृद्धि योजना के दायित्वों में वृद्धि कर देगी। भावी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धियों के आकलन में अभिवृद्धि दायित्वों में भी वृद्धि करेगी।
- बी) निवेश के जोखिम** – यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो संपत्ति देनदारियां बेमेल होती है एवं अन्तिम मूल्यांकन दिनांक पर स्वीकृत छूट दर से कम रिटर्न आस्तियों पर वास्तविक निवेश रिटर्न दायित्वों को प्रभावित कर सकता है।
- सी) छूट दर** – आगामी मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना के दायित्वों को बढ़ा सकते हैं।
- डी) मृत्यु-दर एवं निशक्तता** – मूल्यांकन में स्वीकृत वास्तविक मृत्यु एवं निशक्तता के मामलों में कमी या अधिकता दायित्वों को प्रभावित कर सकता है।
- ई) आहरण** – आगामी मूल्यांकनों में स्वीकृत आहरण से उच्च या कम साबित करने वाले वास्तविक आहरण एवं आहरण की दर में परिवर्तन योजना के दायित्वों को प्रभावित कर सकते हैं।

भावी वर्षों में परिभाषित परिलाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(राशि लाख रुपये में)

	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष के मध्य	2 से 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 22					
ग्रेच्युटी	473.00	565.57	1,563.22	2,549.64	5,151.42
अस्वस्थता अवकाश	12.80	54.98	84.11	133.55	285.43
अर्जित अवकाश	269.74	317.26	880.83	1,694.71	3,162.55
योग	755.54	937.81	2,528.16	4,377.89	8,599.40
31 मार्च, 21					
ग्रेच्युटी	822.10	355.04	1,253.62	2,600.94	5,031.69
अस्वस्थता अवकाश	11.03	56.19	68.57	139.33	275.12
अर्जित अवकाश	416.03	205.62	702.89	1,707.24	3,031.78
योग	1,249.16	616.85	2,025.07	4,447.51	8,338.59

आगामी वर्ष के व्यय हेतु एन्टरप्राइज का सर्वोत्तम प्राक्कलन 237.86 लाख रुपये है – ग्रेच्युटी

आगामी वर्ष के व्यय हेतु एन्टरप्राइज का सर्वोत्तम प्राक्कलन 33.66 लाख रुपये है – अस्वस्थता अवकाश

आगामी वर्ष के व्यय हेतु एन्टरप्राइज का सर्वोत्तम प्राक्कलन 159.69 लाख रुपये है – अर्जित अवकाश

32. संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरण

एमसीए द्वारा जारी किये गये भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण" द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटीकरण निम्न प्रकार है:

(अ) सम्बन्धित पक्षकारों की सूची :

(i) मुख्य प्रबन्धन कार्मिक

31 मार्च 2022 को

नाम	पद	अवधि
श्री कुलदीप रांका	अध्यक्ष	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर	प्रबंध निदेशक	01.04.2021 से 17.01.2022
श्रीमति अर्चना सिंह	प्रबंध निदेशक	18.01.2022 से 31.03.2022
डॉ. सुबोध अग्रवाल	निदेशक	18.06.2021 से 31.03.2022
श्री आनन्द कुमार	निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री अखिल अरोड़ा	निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री अजिताभ शर्मा	निदेशक	01.04.2021 से 18.06.2021
श्री टी. रविकांत	निदेशक	10.02.2022 से 31.03.2022
श्री पी. रमेश	निदेशक	09.11.2020 से 31.03.2021
श्रीमति अर्चना सिंह	निदेशक	01.04.2021 से 17.01.2022
श्री महेन्द्र पारख	निदेशक	18.03.2022 से 31.03.2022
श्री शक्ति सिंह राठौड़	निदेशक	18.06.2021 से 31.03.2022
श्री इंदरजीत सिंह	निदेशक	10.02.2022 से 31.03.2022
श्री सीताराम अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	20.04.2021 से 31.03.2022
श्री सुनील परिहार	स्वतंत्र निदेशक	20.04.2021 से 31.03.2022
श्री अशोक पाठक	मुख्य वित्त अधिकारी	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री डी.के. शर्मा	सचिव	01.04.2021 से 31.03.2022

31 मार्च 2021 को

नाम	पद	अवधि
श्री कुलदीप रांका	अध्यक्ष	01.04.2020 से 31.03.2021
श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर	प्रबंध निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021
डॉ. सुबोध अग्रवाल	निदेशक	01.04.2020 से 02.12.2020
श्री निरंजन कुमार आर्य	निदेशक	01.04.2020 से 02.12.2020
श्री कुंजी लाल मीणा	निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020
श्रीमति उर्मिला राजोरिया	निदेशक	01.04.2020 से 14.09.2020
श्री मुक्तानन्द अग्रवाल	निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020
श्री संदीप वर्मा	निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2021
श्री नरेश पाल गंगवार	निदेशक	31.07.2020 से 11.02.2021
श्री आनन्द कुमार	निदेशक	31.07.2020 से 31.03.2021
श्रीमति अर्चना सिंह	निदेशक	31.07.2020 से 31.03.2021
श्री पी. रमेश	निदेशक	09.11.2020 से 31.03.2021
श्री कैलाश चंद वर्मा	निदेशक	14.09.2020 से 09.11.2020
श्री अजिताभ शर्मा	निदेशक	02.12.2020 से 31.03.2021
श्री अखिल अरोड़ा	निदेशक	02.12.2020 से 31.03.2021
श्री अशोक पाठक	मुख्य वित्त अधिकारी	01.04.2020 से 31.03.2021
श्री डी.के. शर्मा	सचिव	01.04.2020 से 30.06.2020
श्री डी.के. शर्मा	सचिव	22.01.2021 से 31.03.2021

(ii) 31 मार्च 2022 को सहयोगी कम्पनियां

- ❖ राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
- ❖ राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
- ❖ महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड
- ❖ राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
- ❖ राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड

(iii) समनुषंगी कम्पनी

राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(iv) नियोजनोत्तर योजनायें

- ❖ अंशदायी भविष्य निधि
- ❖ ग्रेच्यूटी
- ❖ मेडिकल रिलीफ फण्ड

(बी) सम्बन्धित पक्षकारों के साथ संव्यवहार

मूल के साथ संव्यवहार

(राशि लाख रुपये में)

संबंधित पक्षकार का नाम	संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
राजस्थान सरकार	अग्रिमों की प्राप्ति	—	—
	सीइटीपी भिवाडी-I के लिये अनुदान की प्राप्ति	2,500.00	—
	सरकार को प्रदत्त राशि (आईएफएसटीएल)	88.92	—

मूल के साथ बकाया शेष

(राशि लाख रुपये में)

संबंधित पक्षकार का नाम	संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
राजस्थान सरकार	अग्रिमों की प्राप्ति		
	— डीआईसी पाली में सीमा दीवाल के निर्माण के लिये	1.24	1.24
	— क्रिटिकल इन्फ्रा विकास के लिये राजस्थान सरकार से	134.39	163.86
	— केलिब्रेशन टॉवर के लिये	38.81	38.81
	— डीआईसी भवन में मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य के लिये	0.29	0.29
	— डीआईसी भवन के विस्तार के लिये राजसीको से	4.79	4.79
	— एमएसएमई निवेश सुविधा केंद्र खाता	15.56	15.56
	— खोज बचाव एवं संचार का क्रय	1,225.00	1,225.00
	अनुदान एवं आर्थिक सहायता प्राप्त		
	— वस्त्र क्रेन्ड आधारभूत योजना के लिये	—	100.00
	— सीइटीपी भिवाडी-I के लिये अनुदान प्राप्त	2,404.10	84.80
	एजेन्सी व्यापार के अन्तर्गत ऋण		
	— सुलभ ऋण	88.35	88.35
	— ब्याज मुक्त ऋण		
	ए) आईएफएसटीएल के लिये	379.08	397.47
	बी) ब्याज मुक्त अवधि ऋण के लिये	51.48	51.48

सहयुक्त कम्पनियों के साथ संव्यवहार

(राशि लाख रुपये में)

संबंधित पक्षकार का नाम	संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(1) राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	—	4.90
(2) राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	—	—
(3) महेन्द्र वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	1170.00	—
	भूमि का आवंटन	—	—
(4) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	—	—
(5) राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेंट्स लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	—	—
	सोलर पैनल के क्रय के तहत दिया गया अग्रिम	—	—
	सोलर पैनल का क्रय	—	110.27

लाभ योजनाएं

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
नियोजनोत्तर लाभ योजनाओं से संव्यवहार		
— नियोजनोत्तर लाभ योजना को किया गया अंशदान	1,483.14	1,992.32
3. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिफल		
— अल्पावधि परिलाभ	2.53	1.75
— नियोजनोत्तर परिलाभ	5.47	55.51
— बैठक फीस	—	—
— पारिश्रमिक	68.77	60.53
— अन्य दीर्घावधि परिलाभ	—	—
योग	76.77	117.79

33. समाश्रित दायित्व, समाश्रित आस्तियां एवं प्रतिबद्धतायें

33.1 समाश्रित दायित्व

निगम के विरुद्ध दावें जिन्हें यथा ऋण के स्वीकृत नहीं किया

- 1) विभिन्न कारण बताओं नोटिसों के तहत सेवाकर मय विविध उपकर की कुल मांग राशि 8328.31 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 8339.97 लाख रुपये) के मामले आयुक्त/ अधिकरण/ माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। अग्रतर, आयकर की मांगों की समग्र राशि 5667.12 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 5123.36 लाख रुपये) मुकदमेबाजी के अधीन है।
- 2) आई.पी.आई. एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित न्यायालयों में लम्बित विवादों की समग्र राशि 10833.75 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को 10431.81 लाख रुपये)।
- 3) ऋणियों की बेची गई इकाइयों के विरुद्ध सरकारी बकाया/ वसूली के संबंध में, राशि अभिनिश्चित नहीं है।
- 4) 7वें वेतन आयोग के लागू होने के उपरान्त उन कर्मचारियों के संबंध में वेतन एवं भत्तों का दायित्व जिनका वेतन स्थिरीकरण लम्बित/ विवादित है, राशि अभिनिश्चित नहीं है।

33.2 आकस्मिक आस्तियां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आकस्मिक आस्तियां (नीचे टिप्पणी देखें)	20,183.77	15,678.45

कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में, भूमि का कुछ भाग मुकदमेबाजी के अधीन है— 716.57 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 13242.12 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 11214.50 लाख रुपये के मूल्य की 624.75 एकड़) है एवं 501.11 एकड़ भूमि अतिक्रमण के अधीन है जिसका मूल्य 6830.95 लाख रुपये (गत वर्ष 4366.54 लाख रुपये के मूल्य की 449.85 एकड़) है।

अग्रतर, कहारनी औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा अधिग्रहित भूमि की आधारभूत संरचना की लागत के प्रति उनसे 97.41 लाख रुपये की वसूली योग्य राशि विवाद में है।

33.3 वचनबद्धता

- (1) पूंजीगत कार्यों में निष्पादित होने से शेष रही संविदाएं साथ ही आस्तियों के लिये सामान्य सेवाओं, विकास, रख-रखाव व्यय, आपूर्ति आदेशों एवं अन्य कार्यों की लागत के 41168.19 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 12881.78 लाख रुपये)।
- (2) आरवीसीएफ—III – अनमॉगी पूंजी के विरुद्ध वचनबद्ध दायित्व 326.37 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 1608.48 लाख रुपये)।
- (3) रीको के आईटी एनेबलमेंट प्रोजेक्ट के लिये शून्य रुपये (31 मार्च, 2021 को 200 लाख रुपये)।
- (4) रीको के जीआईएस प्रोजेक्ट के लिये 283.00 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 283.00 लाख रुपये)।
- (5) राजस्थान सांस्कृतिक कोष में योगदान 500.00 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 500.00 लाख रुपये)
- (6) राजस्थान औद्योगिक कॉरीडोर विकास कार्पोरेशन लिमिटेड (RIDCO)— रीको की समनुषंगी

34. वित्तीय प्रपत्र

भारतीय लेखा मानक-107 “वित्तीय साधन- प्रकटीकरण” के अनुसार प्रकटीकरण

34.1 पूंजी प्रबंधन

निगम के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजनार्थ साम्या अंश पूंजी एवं अन्य साम्या को विचारित किया जाता है।

निगम अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह करता है जिससे कि उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान की स्थिति की निरन्तरता को बनाये रखने एवं अंशधारियों के प्रतिलाभ को अनुकूलित करने की अपनी क्षमता का सुरक्षण कर सकें। निगम की पूंजी संरचना, कुल इक्विटी पर ध्यान केन्द्रित करते हुये इसकी महत्वपूर्ण एवं दैनिक आवश्यकताओं के लिये प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है। निगम के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य, एक सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित करते हुए अंशधारियों के मूल्य को अधिकतम करना है।

निगम की पूंजी संरचना में कुल इक्विटी निहित है। निगम किसी भी बाह्य रूप से अधिरोपित पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

34.1.1 गियरिंग अनुपात

प्रतिवेदित अवधि के अन्त में निगम का कोई बकाया ऋण नहीं है। तदनुसार, निगम का 31 मार्च, 2022 एवं 31 मार्च, 2021 को शुन्य गियरिंग अनुपात है।

34.2 श्रेणीवार वित्तीय साधन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां :			
निवेश			
— साम्या साधन	8,668.25	—	—
अधिमानी शेयर	0.00	—	—
— म्यूचअल फण्ड	9,414.72	—	—
डिबेन्चर	0.02	—	—
ऋण	—	—	44,723.10
व्यापारिक प्राप्य	—	—	179,753.10
अन्य वित्तीय आस्तियां	—	—	234,397.15
कुल वित्तीय आस्तियां	18,082.98	—	458,873.35
वित्तीय दायित्व :			
व्यापारिक देयतायें	—	—	6,059.83
अन्य वित्तीय दायित्व	—	—	33,897.88
कुल वित्तीय दायित्व	—	—	39,957.71

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां :			
निवेश			
— साम्या साधन	8,539.33	—	—
अधिमानी शेयर	0.00	—	—
— म्यूचअल फण्ड	4,277.86	—	—
डिबेन्चर	0.02	—	—
ऋण	—	—	52,279.20
व्यापारिक प्राप्य	—	—	114,248.95
अन्य वित्तीय आस्तियां	—	—	139,802.88
कुल वित्तीय आस्तियां	12,817.20	—	306,331.03
वित्तीय दायित्व:			
व्यापारिक देयतायें	—	—	1,904.79
अन्य वित्तीय दायित्व	—	—	33,836.79
कुल वित्तीय दायित्व	—	—	35,741.58

निगम ने वित्तीय प्रपत्रों जैसे कि नकद एवं नकद समतुल्य, गैर चालू/चालू व्यापारिक प्राप्य, चालू व्यापारिक देयतायें एवं अन्य गैर चालू/चालू वित्तीय आस्तियां/दायित्व को वहन मूल्य पर प्रकट किया है क्योंकि उनकी वहन राशि उचित मूल्य का यथोचित अनुमान है।

34.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

निगम की व्यापारिक गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों अर्थात् बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं तरलता/नकदी जोखिम के सम्पर्क में है। निगम में जोखिमों की पहचान और निर्धारण उनके न्यूनीकरण करने के उपाय एवं उनके उचित तथा समय पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिये तंत्र सहित उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली है। प्रबंधन समय-समय पर निगम के लिये जोखिम प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की समीक्षा करता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन

बाजार जोखिम, संभव बाजार मूल्य प्रवृत्ति से होने वाली जोखिम या अनिश्चितता है एवं व्यापार के भावी निष्पादन पर उनके प्रभाव है। व्यापार की वस्तु मूल्य के जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम, बाजार जोखिम के प्रमुख घटक हैं।

निगम की गतिविधियां, मुख्य रूप से कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के वित्तीय जोखिम के सम्पर्क में है। [नीचे टिप्पणी (i) देखें]

निगम का बाजार के जोखिम के प्रति एक्सपोजर या जिस तरीके से इन जोखिमों का प्रबन्ध किया जाता है और मापा जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(i) मूल्य जोखिम प्रबंधन

निगम की इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम, या तो ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तुलन-पत्र में धारित एवं वर्गीकृत निवेशों से होती है।

निगम ने क्वोटेड इक्विटी प्रपत्रों एवं म्यूचअल फण्डों की क्लोज्ड एण्डेड योजना में भी निवेश किया है। फण्ड के अन्तर्निहित निवेश में परिवर्तन से मूल्य जोखिम हो सकता है।

इक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रतिवेदित अवधि के अन्त में इक्विटी शेयरों एवं म्यूचअल फण्डों में निवेश के संबंध में कीमत में $+/-$ 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिये लाभ या हानि की संवेदनशीलता एवं शुद्ध आस्ति मूल्य नीचे प्रस्तुत किया गया है :

- i) एफवीटीपीएल पर मापे गये क्वोटेड इक्विटी प्रपत्रों के उचित मूल्य के 5 प्रतिशत परिवर्तन के परिणामतः 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये कर पूर्व लाभ 40.30 लाख रुपये से बढ़ेंगे/कम होंगे (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये 15.68 लाख रुपये से बढ़ेंगे/कम होंगे)।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को निर्दिष्ट करती है जिसमें उधारकर्ता अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप निगम को वित्तीय हानि होगी।

निगम को क्रेडिट जोखिम दो स्रोतों से उत्पन्न होती है:

- (i) वित्तीय सेवाएं
- (ii) आधारभूत संरचना की गतिविधियां

वित्तीय सेवाएं :

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को निर्दिष्ट करती है जिसमें उधारकर्ता अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप निगम को वित्तीय हानि होगी। चूक से वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करने के लिये केवल साख विश्वसनीयता उधार लेने वाले के साथ ही संव्यवहार करना और, जहां उचित हो, पर्याप्त सहायक ऋणाधार प्राप्त करना, की नीति को निगम ने अंगीकृत की है। निगम केवल उन्हीं सत्ताओं से संव्यवहार करता है जिनकी अच्छी रेटिंग (स्तर) होती है। यह सूचना, जहां उपलब्ध है, स्वतंत्र स्तर-निर्धारक संस्था द्वारा, सीआईबीआईएल रिपोर्टों एवं क्रेडिट रिपोर्टों द्वारा प्राप्त होती है, और यदि उपलब्ध नहीं है तो निगम अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय सूचना का उपयोग करता है एवं इसके मुख्य ग्राहकों के स्तर के लिये अपने ऐतिहासिक (पुराने) डाटा का उपयोग करता है। निगम की जोखिम एवं इसके ऋणियों की क्रेडिट रेटिंग की लगातार निगरानी की जाती है। निगम द्वारा क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन हमेशा जोखिम प्रबंध प्रक्रिया एवं क्रेडिट स्वीकृतियां और व्यापार के सामान्य अनुक्रम में निगम ने जिनको ऋण स्वीकृत किया है उन ऋणियों की क्रेडिट योग्यता की लगातार निगरानी (अर्थात् जोखिम प्रतिक्रिया योजना) के माध्यम से किया जाता है। क्रेडिट जोखिम कार्य स्थापित क्षेत्र के विशिष्ट आंतरिक ढांचे के आधार पर प्रस्तावों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करते हैं जिससे कि परिसम्पत्तियों के जोखिम आधारित मूल्य को सक्षम करने के साथ-साथ जोखिमों की पहचान, कमी एवं आवंटन कर सके।

एक पक्षकार को डिफाल्ट तब माना जाता है जब वह पूर्वनिर्धारित समय पर या तो मूलधन या ब्याज के अपने अनुबंधित भुगतान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। यह माना जाता है कि निगम की नीति में यथा परिभाषित डिफाल्ट के मानदण्डों की पूर्ति होती है तब वित्तीय आस्ति की क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है।

क्रेडिट जोखिम

भारतीय लेखा मानक 109 के अंगीकरण के कारण, निगम ह्रासन हानि या प्राप्ति का निर्धारण करने के लिये ईसीएल मॉडल का उपयोग करता है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि में संचलन

31 मार्च, 2022

विवरण	12 माह ईसीएल	जीवन काल ईसीएल
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	137.61	7,961.19
नये के लिये प्रावधान	—	—
12 माह से जीवन काल तक अन्तरित	—	—
वर्ष के दौरान विपर्य	—	—496.26
विद्यमान में परिवर्तन	699.46	—
वर्ष के अन्त में शेष	837.07	7,464.93

31 मार्च, 2021

विवरण	12 माह ईसीएल	जीवन काल ईसीएल
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	134.74	10,068.81
नये के लिये प्रावधान	—	—
12 माह से जीवन काल तक अन्तरित	—	—
वर्ष के दौरान विपर्य	—	(2,107.61)
विद्यमान में परिवर्तन	2.88	—
वर्ष के अन्त में शेष	137.61	7,961.19

टिप्पणी :

- अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करते हुये वित्तीय आस्तियों पर नुकसान कटौतियों की गणना में अनुमानों का मुख्य उपयोग किया गया है। यथा डूबत क्रेडिट के वर्गीकृत आस्तियों के लिये अनुमानित वसूली का प्रबंधन द्वारा, आगे दिखने वाले दृष्टिकोण साथ ही ऋणी के ऐतिहासिक डाटा, हाल ही हुये परिवर्तनों एवं उपलब्ध सूचना को विचारित करते हुये, आकलन किया जाता है। ये अनुमान प्रत्येक कट-ऑफ की दिनांक और जीवनकाल की समीक्षा के अधीन है। वित्तीय आस्ति के शेष जीवन (राशि) पर अनुमानित वसूलियों में किसी भी परिवर्तन के कारण ईसीएल की पुनः गणना की जायेगी।

- (ii) संबंधित ऋणों के नकद प्रवाह मॉडल को विचारित करते हुये दिये गये ऋणों (उपार्जित ब्याज सहित) की अनुमानित प्राप्ति दिनांक को निर्धारित किया जाता है जो कि प्रबंधन के दृष्टिकोण में दिये गये ऋणों (उपार्जित ब्याज सहित) की प्राप्ति पैटर्न का आकलन करने के लिये सबसे यथार्थवादी और उचित तरीका है। प्रबंधन ने अपनी आन्तरिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है और तदनुसार, संबंधित ऋणों की प्राप्ति की दिनांक का अनुमान लगाया गया है।

मूलभूत संरचना गतिविधियां :

मूलभूत संरचना गतिविधियों के मामलों में, क्रेडिट जोखिम की अधिकतम आशंका व्यापारिक प्राप्यों की संबंधित वहन राशि है। मूलभूत संरचना गतिविधियों के अन्तर्गत भूमि का आबंटन रीको भूमि का व्ययन नियम, 1979 के अनुसार किया जाता है।

निगम को सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिवासी की बेदखली) अधिनियम, 1964 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत सम्पत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार होने से भूमि एवं शैडों के संबंध में बकाया राशि के विरुद्ध डूबत एवं संदिग्ध ऋण का प्रावधान नहीं किया गया है।

तरलता (नकदी) जोखिम प्रबंधन :

तरलता जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी निगम की है जिसमें निगम के लघु, मध्यम एवं दीर्घावधि वित्त पोषण एवं तरलता प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिये एक उचित तरलता जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा बना रखी है। निगम पर्याप्त संचितियां, बैंक सुविधाओं एवं आरक्षित उधार सुविधाओं के संधारण एवं पुर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाहों की लगातार निगरानी द्वारा तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है। संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह दिन-प्रतिदिन आधार पर वित्तीय दायित्वों के पोषण के लिये पूंजी उपलब्ध करता है। निगम पर्याप्त नकदी बनाये रखने के द्वारा तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है। निगम की निवेश नीति एवं कार्यनीति पूंजी के संरक्षण पर एवं निगम की नकदी आवश्यकताओं को संबल देने पर केन्द्रित है। निगम अपने निवेश की कार्यनीति का निष्पादन करने के लिये आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों के संयोजन का उपयोग करता है एवं अपने निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त करता है।

34.4 उचित मूल्य मापन

यह टिप्पणी यह जानकारी देती है कि निगम विभिन्न वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों का उचित मूल्य कैसे निर्धारित करता है।

34.4.1 निगम की वित्तीय आस्तियां एवं दायित्व जो कि आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापी गयी है का उचित मूल्य

प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अन्त में निगम की कुछ वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर मापा गया है। निम्नलिखित तालिका यह सूचना देती है कि इन वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों को कैसे निर्धारित किया गया है (विशिष्ट रूप से, उपयोग की गयी मूल्यांकन तकनीकें एवं महत्वपूर्ण निविष्ट।)

वित्तीय आस्तियां/ वित्तीय दायित्व	उचित मूल्य		उचित मूल्य का अधिक्रम	मूल्यांकन तकनीक एवं महत्वपूर्ण निविष्ट	महत्वपूर्ण अविश्वसनीय निविष्ट	अविश्वसनीय निविष्टों का उचित मूल्य से संबंध
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को				
1) उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश	806.03	313.67	स्तर 1	वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबार के दिन बंद भाव के आधार पर उद्धृत शेयरों के लिये मूल्यांकन किया जाता है।		
2) म्यूचुल फण्डों में निवेश	9414.72	4,277.86	स्तर 2	उचित मूल्य को संबंधित तुलन-पत्र की दिनांकों पर संबंधित म्यूचुअल फण्ड के एनएवी को ध्यान में रखते हुये विचारित किया जाता है। जब फण्ड परिसमापन के अधीन है, उचित मूल्य को अंतिम अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शुद्ध मूल्य को ध्यान में रखते हुये विचारित किया जाता है।		
3) निजी इक्विटी निवेश	7,862.24	8,225.67	स्तर 3	अनुद्धृत शेयरों के मामले में, शेयरों के अंकित मूल्य की गणना संबंधित निगम के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर की जाती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां संबंधित निगम के अंकेक्षित वार्षिक लेखे उपलब्ध नहीं है साथ ही ऐसे जहां निगम रूग्ण/बंद/बीआईएफआर में पंजीकृत है, निगम की समग्र शेयरधारिता को केवल एक रूपया की सांकेतिक कीमत पर मूल्यांकन किया जाता है। अग्रतर, क्रय द्वारा वापस लेने की व्यवस्था के अधीन शेयरों एवं अन्य	निवेशक निगम की शुद्ध आस्ति	प्रत्यक्ष

					प्रतिभूतियों के मामले में (ए) जहां क्रय द्वारा वापसी के तहत प्राप्त अग्रिम उपरोक्त तरीके से गणना की गयी इसके मूल्यांकन से अधिक है, तो मूल्यांकन को प्राप्त अग्रिम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है एवं (बी) जहां उपरोक्त तरीके से गणना किया गया मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति पर क्रय द्वारा वापसी की कीमत से अधिक है, तो मूल्यांकन को क्रय द्वारा वापसी की कीमत से प्रतिस्थापित किया जाता है।
--	--	--	--	--	---

इस अवधि में स्तर 1, 2 एवं 3 के मध्य कोई अन्तरण नहीं थे।

34.4.2 वित्तीय आस्तियां एवं वित्तीय दायित्व जिनका उचित मूल्य नहीं मापा गया है, का उचित मूल्य (परन्तु उचित मूल्य प्रकटीकरण अपेक्षित है)

(राशि लाख रुपये में)

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियां				
परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियां	458,873.35	459,780.77	306,331.03	306,641.62
— कर्मचारिवृन्द को ऋण एवं अग्रिम	1,134.91	1,064.15	1,136.19	1,068.26
— अन्य पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम	43,588.19	44,566.37	51,143.01	51,521.53
— व्यापारिक प्राप्त्य	179,753.10	179,753.10	114,248.95	114,248.95
— अन्य वित्तीय आस्तियां	234,397.15	234,397.15	139,802.88	139,802.88
वित्तीय दायित्व				
परिशोधन लागत पर वित्तीय दायित्व	39,957.71	39,957.71	35,741.58	35,741.58
— व्यापारिक देयतायें	6,059.83	6,059.83	1,904.79	1,904.79
— अन्य वित्तीय दायित्व	33,897.88	33,897.88	33,836.79	33,836.79

उचित मूल्य अधिक्रम

यह खण्ड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारण करने में लिये गये निर्णय एवं आंकलनों को स्पष्ट करता है जो कि :-

- ए) उचित मूल्य पर मान्यता दी गई एवं मापे गये, तथा
- बी) परिशोधित लागत पर एवं जिसके लिये उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है। उचित मूल्यों के निर्धारण में उपयोग किये गये इनपुट्स की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिये, कम्पनी ने अपने वित्तीय प्रपत्रों को लेखा मानकों के अन्तर्गत विहित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे टेबल में दिया गया है।

(राशि लाख रुपये में)

31 मार्च, 2022 को उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय आस्तियां एवं दायित्व	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
एफवीटीपीएल पर वित्तीय आस्तियां				
— उद्धृत साम्या प्रपत्रों में निवेश	806.03			806.03
— निजी साम्या प्रपत्रों में निवेश	—	—	7,862.24	7,862.24
— म्यूचअल फंडों में निवेश	—	9,414.72	—	9,414.72
परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियां				—
— कर्मचारीवृन्द को ऋण एवं अग्रिम	—	—	1,064.15	1,064.15
— अन्य पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम	—	—	44,566.37	44,566.37
योग	806.03	9,414.72	53,492.76	63,713.51

(राशि लाख रुपये में)

31 मार्च, 2021 को उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय आस्तियां एवं दायित्व	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
एफवीटीपीएल पर वित्तीय आस्तियां				
— उद्धृत साम्या प्रपत्रों में निवेश	313.67	—	—	313.67
— निजी साम्या प्रपत्रों में निवेश	—	—	8,225.67	8,225.67
— म्यूचअल फंडों में निवेश	—	4,277.86	—	4,277.86
परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियां				
— कर्मचारीवृन्द को ऋण एवं अग्रिम	—	—	1,068.26	1,068.26
— अन्य पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम	—	—	51,521.53	51,521.53
योग	313.67	4,277.86	60,815.46	65,406.98

ऊपर यथा निर्दिष्ट वित्तीय प्रपत्रों को उचित मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किये गये निविष्टों पर विश्वास करते हुये तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। समरूप आस्तियों और दायित्वों के लिये सक्रिय बाजार में उद्धृत कीमतों को अधिक्रम उच्चतम प्राथमिकता (स्तर 1 मापन) एवं अविश्वसनीय निविष्टों को निम्नतम प्राथमिकता देता है।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग किये गये ईनपुट्स के आधार पर उचित मूल्य अनुक्रम में, उचित मूल्यों को विभिन्न स्तरों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है।

स्तर-1 : स्तर 1 के अनुक्रम में उद्धृत मूल्य का उपयोग कर के मापे गये वित्तीय साधन शामिल हैं।

स्तर-2 : जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता उन वित्तीय साधनों का उचित मूल्य उन मूल्यांकन तकनीकों जो विचारयोग्य बाजार को अधिकतम करे एवं सत्ता के विशिष्ट प्राक्कलनों पर कम से कम विश्वास करते हुये, का उपयोग कर के निर्धारण किया जाता है। यदि किसी साधन के उचित मूल्य में सभी महत्वपूर्ण इनपुट्स की आवश्यकता हो यह साधन स्तर 2 में सम्मिलित है। इस स्तर में बन्द एनएवी का उपयोग करते हुये जिन म्यूचल फण्डों का मूल्यांकन किया गया है, शामिल है।

स्तर-3 : यदि एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट्स विचारयोग्य बाजार के आकड़ों के आधार पर नहीं है तो वित्तीय साधना को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

टिप्पणी — उचित मूल्य अधिक्रम के विभिन्न स्तरों में उचित मूल्य मापन का वर्गीकरण, उचित मूल्य मापन में निविष्टों की विश्वसनीयता की अवस्था एवम् उचित मूल्य मापन के निविष्टों की सार्थकता के अंश पर निर्भर करता है।

ऊपर स्तर 2 एवं स्तर 3 श्रेणी में सम्मिलित वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों को कटौती किये हुये नकद प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यतः स्वीकृत कीमत-निर्धारण मॉडल के अनुसार निर्धारित किया जाता है, छूट दर होने से अत्यन्त सार्थक निविष्टों के साथ निम्न प्रकार से गणना की गयी :

1. कर्मचारीवृन्द को ऋणों एवं अग्रिमों के मामलों में : उपयोग की गयी छूट दर, समान शर्तों पर आइटमों के लिये उपलब्ध दर है।
2. अन्य पक्षकारों को ऋणों एवं अग्रिमों के मामलों में : समान शर्तों एवं क्रेडिट जोखिम के लिये संबंधित कट-ऑफ दिनांक को उपलब्ध सत्ता की स्वयं की उधार देने की दर।

टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग है

35. घटकों पर प्रतिवेदन

भारतीय लेखा मानक 108 “संचालन खण्ड” के अनुसार प्रकटीकरण

कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय औद्योगिक परियोजनाओं को मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना (वित्तीय), भूमि का आवंटन एवं विकास तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है (आधारिक संरचना)। इसके अतिरिक्त केन्द्र/राज्य सरकार/सीडबी (अभिकर्ता व्यवसाय) की ओर से, निगम विभिन्न विकासात्मक/उत्थानात्मक/वित्त गतिविधियों को मोनीटर/प्रबंध करने में लगा हुआ है।

कम्पनी में रिपोर्ट के योग्य तीन खण्ड हैं:

1. वित्त गतिविधि
2. बुनियादी ढांचा गतिविधि
3. अन्य

घटक से संबंधित आय व व्यय तथा आस्तियां व दायित्व को उन मदों के, जो कि वैयक्तिक रूप से घटक को अभिज्ञेय है, आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जबकि शेष जो केवल वित्तीय एवं आधारभूत संरचना से संयुक्त रूप से संबंधित है को यथा निगमित व्यय/राजस्व/आस्तियां/ दायित्वों के वर्गीकृत किया जाता है।

प्रशासनिक एवं प्रधान कार्यालय व्यय, जो कि आधारभूत संरचना एवं वित्तीय गतिविधियों को प्रत्यक्षतः आवंटनीय नहीं हैं, को भी यथा निगमित व्यय के व्यवहृत किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के परिणामों से संबंधी सूचना को नीचे सम्मिलित किया गया है। निष्पादन को आयकर से पहले खण्ड के लाभ के आधार पर मापा जाता है। निष्पादन के माप के लिये खण्ड के लाभ का उपयोग किया जाता है क्योंकि

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

प्रबंधन विश्वास करता है कि इन उद्योगों के भीतर संचालित अन्य सत्ताओं के सापेक्ष खंड के परिणामों का मूल्यांकन करने में ऐसी जानकारी सबसे अधिक प्रासंगिक है।

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		वित्त गतिविधि	बुनियादी ढांचा गतिविधि	अन्य	योग
राजस्व	2021-22	10,771.59	141,589.35	—	152,360.94
	2020-21	7,465.47	111,827.96	—	119,293.43
व्यय	2021-22	10,625.74	68,294.00	—	78,919.74
	2020-21	4,412.70	45,620.44	—	50,033.14
खण्ड परिणाम	2021-22	145.85	73,295.35	—	73,441.20
	2020-21	3,052.76	66,207.52	—	69,260.29
अविभाज्य निगम राजस्व	2021-22				6,822.05
	2020-21				3,774.83
अविभाज्य निगम व्यय	2021-22				1,582.27
	2020-21				943.65
कर पूर्व शुद्ध लाभ	2021-22				78,680.99
	2020-21				72,091.47
आस्थगित कर सहित आय कर	2021-22				18,455.03
	2020-21				19,000.00
कर पश्चात् शुद्ध लाभ	2021-22				60,225.95
	2020-21				53,091.47
खण्ड आस्तियां	2021-22	79,644	469,470.59	519.59	549,634.22
	2020-21	80,026	406,875.95	528.67	487,430.68
अविभाज्य निगम आस्तियां	2021-22	—	—	—	193,492.24
	2020-21	—	—	—	101,922.59
कुल आस्तियां	2021-22	79,644.04	469,470.59	519.59	743,126.46
	2020-21	80,026.06	406,875.95	528.67	589,353.27
खण्ड दायित्व	2021-22	5,711.90	391,504.66	648.79	397,865.35
	2020-21	4,935.72	296,597.89	667.17	302,200.79
अविभाजित निगम दायित्व	2021-22	—	—	—	2,115.28
	2020-21	—	—	—	1,804.47
कुल दायित्व	2021-22	5,711.90	391,504.66	648.79	399,980.62
	2020-21	4,935.72	296,597.89	667.17	304,005.26

जैसाकि निगम के व्यापारिक संचालन केवल राजस्थान राज्य तक ही सीमित है, इसलिये कोई महत्वपूर्ण भौगोलिक खण्ड रिपोर्ट के योग्य नहीं है।

टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

36. ग्राहकों के साथ की गयी संविदा से राजस्व

भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ की गयी संविदा से राजस्व" के अनुसार प्रकटीकरण

(ए) राजस्व का विभाजन

राजस्व प्रमुख रूप से वित्त पोषण और विकास गतिविधियों से उत्पन्न होता है। इसको, वित्तीय विवरण तैयार करने व प्रस्तुत करने के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था द्वारा जारी किये गये प्रयोज्य लेखांकन मानक तथा ढाँचे के अन्तर्गत यथापरिभाषित प्रोद्भवन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। विकास गतिविधियों के लिये राजस्व को मान्यता समापन पद्धति की प्रतिशतता के आधार पर दी जाती है। इस पद्धति के अन्तर्गत, राजस्व को आज तक विकास गतिविधियों पर उपगत लागत के आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण में लिया जाता है। इसके साथ ही, अनुबन्धों को पूरा करने के लिये किये गये व्यय को इन अनुबन्धों पर व्यय के रूप में माना गया है।

राजस्व का उत्पाद एवं कम्पनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और राजस्व मान्यता के समय निर्धारण के अनुसार विभाजन किया गया है:

विवरण	बुनियादी ढांचा	वित्त पोषण	अन्य	योग
2021-22				
राजस्व मान्यता का समय निर्धारण				
समय के साथ संतुष्ट	88,479.63	5,663.46	5,288.78	99,431.87
समय बिन्दु (निक्षेप कार्य से संबंधित)	53,109.72	5,462.23	1,179.17	59,751.12
योग	141,589.35	11,125.68	6,467.96	159,182.99
2020-21				
राजस्व मान्यता का समय निर्धारण				
समय के साथ संतुष्ट	71,401.83	7,353.29	3,467.27	82,222.40
समय बिन्दु (निक्षेप कार्य से संबंधित)	40,426.13	289.87	129.87	40,845.87
योग	111,827.96	7,643.15	3,597.14	123,068.26

(बी) शेष निष्पादन दायित्वों के लिये आवंटित संव्यवहार मूल्य

विवरण	को	योग	रिपोर्टिंग तिथि से राजस्व के रूप में अपेक्षित मान्यता	
			12 माह में	12 माह के पश्चात
शेष निष्पादन दायित्वों के लिये आवंटित संव्यवहार मूल्य	31 मार्च, 2022	311,107.44	8,189.67	302,917.77
	31 मार्च, 2021	229,933.78	5,754.58	224,179.20

असंतुष्ट (या अंशतः संतुष्ट) प्रदर्शन दायित्व विभिन्न घटकों जैसे कि समापन, प्राक्कलनों का पुनर्वैधीकरण, आदि घटकों के कारण परिवर्तिता के अध्यक्षीन है।

ग्राहकों के साथ की गयी संविदा से किसी प्रतिफल को उपर उल्लिखित राशि में से वर्जित नहीं करते है।

(सी) अनुबन्धों के शेष

व्यापारिक प्राप्य निगम का प्रतिफल अधिकार है, जो अर्शत है।

जहां निगम को अनुबन्धों के लिये राशि प्राप्त हुई है जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इन्हें ग्राहकों से अग्रिम लेखाशीर्ष के अन्तर्गत मान्यता दी जाती है। अनुबन्ध के सृजन नहीं होने की स्थिति में राशि ग्राहक को वापस का दी जाती है।

जब ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया जाता है और विकास गतिविधियों को निष्पादित नहीं किया गया है तब लंबित कार्य के लिये देयताओं को मान्यता दी जाती है।

निम्न तालिका व्यापारिक प्राप्यों, ग्राहकों से अग्रिम और लंबित कार्य के लिये देयताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
व्यापारिक प्राप्य	98,145.20	81,607.90	81,544.56	32,704.39
ग्राहकों से अग्रिम	27,694.38	6,165.83	18,317.71	5,776.71
लंबित कार्यों के लिये देयता	8,189.67	302,917.77	5,754.58	224,179.20

(डी) संविदा दायित्वों का समाधान

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	लम्बित कार्य के लिये दायित्व
भा.ले.मा. 115 के अनुसार प्रारम्भिक शेष	229,933.78
चालू अवधि में मान्य राजस्व	(-)111,935.15
आवंटन/(रद्दकरण) के कारण मान्य/(प्रतिवर्तित) दायित्व	193,108.80
भा.ले.मा. 115 के अनुसार अंतिम शेष	311,107.44

टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग है

37. पट्टे

37(ए) निगम एक पट्टेदार के रूप में :

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 द्वारा प्रदत्त विशेष शक्ति के आधार पर रीको ने औद्योगिक के विकास के लिये सरकारी भूमि/निजी भूमि का अधिग्रहण करता है।

ये आवंटित भूमि 99 वर्षों के लिये है परन्तु पट्टादाता को वापस लौटाना प्रत्याशित नहीं है और कोई स्थायी पट्टा देयता नहीं है।

37(बी) निगम एक पट्टेदाता के रूप में :

भारतीय लेखा मानक 116 के कारण रीको यथा पट्टादाता के मामलों में पट्टे के लेखांकन में कोई बदलाव नहीं किया गया है अन्तर्गत पट्टे के तहत भूमि घटक के राजस्व को और भारतीय लेखा मानक 115 के अन्तर्गत विकास राजस्व को मान्यता देते हुये पिछले वर्ष संशोधित की गई राजस्व मान्यता नीति का इस वर्ष अनुसरण किया गया है।

37(बी) (i) परिलाचन के पट्टे की व्यवस्थायें

निगम ने कम्पनी के स्वामित्व वाले सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र (जयपुर) में प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर को 60 वर्षों के लिये पट्टे पर दिया है। पट्टे के प्रारम्भ और समाप्ति की तारीख क्रमशः 04.08.2012 और 03.08.2072 है। उपर्युक्त पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये की आय 3 वर्षों में एक बार 15 प्रतिशत बढ़ जाती है। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। आय अर्जित करने में किये गये मूल्यहास सहित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

रद्द नहीं करने योग्य परिचालन पट्टा अवधि के लिये भविष्य के न्यूनतम पट्टा प्राप्य

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1 वर्ष से अधिक नहीं	1,031.55	1,031.55
1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष से अधिक नहीं	4,923.07	4,590.40
5 वर्ष से अधिक	226,669.26	228,033.48
योग	232,623.88	233,655.43

37(बी) (ii) वित्त पट्टा व्यवस्थाएं

वित्तीय पट्टा के लिये कम्पनी द्वारा प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों के समय का निश्चय करना, व्यवहार्य नहीं है। इसलिये इससे एवं अनर्जित वित्त आय से संबंधित प्रकटीकरणों को नहीं दिया गया है।

38. निगमित सामाजिक सरोकार (सीएसआर)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	835.98	480.66
किये गये व्यय की राशि	484.62	472.00
वर्ष के अन्त में कमी	588.88	134.10
गत वर्षों की कमी का योग	47.21	150.62
कमी के लिये कारण	जारी परियोजना	जारी परियोजना
गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं और अनार्यों क छात्रावास आदि	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन आदि
संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के विवरण जैसेकि प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कम्पनी द्वारा नियंत्रित न्यास में योगदान	नहीं	नहीं

(राशि लाख रुपये में)

प्रावधान की गति	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
आरम्भिक प्रावधान	284.74	276.07
जोड़िये : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	588.88	134.10
घटाइये : वर्ष के दौरान गत वर्षों से संबंधित खर्च की गयी राशि	237.52	125.44
अन्तिम प्रावधान	636.10	284.74

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि लाख रुपये में)

	सीएसआर परियोजना	खर्च की गयी वास्तविक राशि	अभी तक खर्च की जाने वाली राशि	योग
1	निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता एवं विपदा प्रबंधन सहित संप्रवर्तन स्वास्थ्य देखभाल	100.00	—	100.00
2	ऐतिहासिक महत्व के भवन एवं स्थलों के जीर्णोद्धार सहित राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	23.16	—	23.16
3	राजस्थान विधान सभा में सोलर उर्जा संयंत्र की स्थापना एवं प्रारम्भण	173.40	—	173.40
4	निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित संप्रवर्तन स्वास्थ्य देखभाल— सहायक अस्पताल	50.00	—	50.00
5	शिक्षा उन्नयन	—	134.10	134.10
	कुल राशि	346.56	134.10	480.66

39. कुल 38 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा निगम को हस्तांतरित किये गये थे। इन क्षेत्रों के कुल भूमि और भूखंडों की संख्या क्रमशः 3626.91 एकड़ और 3110 है।
40. प्रबंधन की राय में सम्पत्तियों, दायित्वों, ऋण एवं अग्रिमों का कारबार के सामान्य अनुक्रम में वसूली योग्य मूल्य तुलना-पत्र में दर्शाये गये मूल्य से कम नहीं है हालांकि यह मिलान एवं पुष्टिकरण के अधीन है।
41. चालू वर्ष में उपरिव्ययों की राशि 9950.67 लाख रुपये (वित्तीय वर्ष 2020-21, 11449.14 लाख रुपये) औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटित की गयी हैं।
42. औद्योगिक क्षेत्र की विद्यमान बुनियादी संरचना के उन्नयन हेतु अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करते समय उपरिव्ययों, वित्तीय प्रभारों, बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन एवं जल पुनः भरण हेतु प्रावधान को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस वित्तीय वर्ष में निगम ने 4554.36 लाख रुपये (वित्तीय वर्ष 2020-21, 6970.56 लाख रुपये) व्यय किये हैं जिन्हें लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया गया है। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में स्वीकृति की राशि की तुलना में अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति द्वारा इन्फ्रा सुधार कार्यों पर अधिक व्यय किया गया है।
43. निगम ने दीपावली 2007 पर अपने कर्मचारियों को रुपये 42.68 लाख वितरित किए थे। बाद में राशि को कर्मचारियों को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया जिसका अभी तक समायोजन किया जाना शेष है क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
44. संयुक्त वित्त पोषित इकाइयों की दशा में जहां वसूलियां सहभागी संस्था द्वारा की गयी हैं, उनका मूलधन एवं ब्याज के रूप में लेखांकन राशि की प्राप्ति/पुष्टिकरण पर किया जाता है।
45. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये, निदेशकों ने 2101.86 लाख रुपये (31 मार्च, 2021, 2101.86 लाख रुपये) की राशि के अंतिम लाभांश भुगतान की सिफारिश की है।
46. चालू वर्ष के आकड़ों के अनुरूप करने के लिये गत वर्ष के आकड़ों को पुनर्समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
47. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) द्वारा यथा अपेक्षित 31 मार्च, 2022 को सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ए) किसी आपूर्तिकर्ता की अदत्त शेष राशि: मूल राशि उस पर देय ब्याज	—	—
बी) नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को संदत्त राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के निबन्धनों में संदत्त ब्याज की राशि।	—	—
सी) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिये बकाया एवं देय ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है परन्तु नियत तिथि के पश्चात्) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	—	—
डी) प्रोदभूत एवं शेष अदत्त ब्याज की राशि	—	—
ई) एमएसएमईडी अधिनियम 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के प्रयोजनार्थ, उत्तरवर्ती वर्षों में भी शेष रही बकाया एवं देय आगे के ब्याज की राशि तब तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की राशि का वास्तव में छोटे उपक्रमों को भुगतान किया जाता है।	—	—

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

48. सभी आस्तियां व देयतायें, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार यथा चालू अथवा गैर-चालू के प्रस्तुत हैं। कम्पनी ने अपने प्रचालक चक्र को 12 महीने से कम में अभिनिश्चित किया है। तदनुसार, आस्तियों एवं दायित्वों का चालू/गैर चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ 12 महीने की अवधि पर विचार किया गया है।
49. घरेलू कम्पनियों को घटाये हुये कॉर्पोरेट टैक्स दर का लाभ देने के लिये 01 अप्रैल, 2020 से आयकर अधिनियम की धारा 115बीए को अन्तःस्थापित किया गया था। इन प्रावधानों के अनुसार, घरेलू कम्पनियों के पास वित्त वर्ष 2019-20 (निर्धारण वर्ष 2020-21) से 25.168 प्रतिशत (अधिभार और उपकर सहित) की दर से कर भुगतान करने का विकल्प है, यदि ऐसी घरेलू कम्पनियों कुछ शर्तों का पालन करती हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 115 बीए के अधीन कर का भुगतान करने के लिये ऐसी इकाई पर एमएटी के प्रावधान भी लागू नहीं हैं। कम्पनी ने कराधान प्रावधान धारा 115 बीए के अनुसार किया है।
50. विभिन्न इकाइयों में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आने वाले डेबिट और क्रेडिट शेष को पूर्व पद्धति के अनुसार नेटिंग के बाद दर्शाया जा रहा है।
51. अचल सम्पत्ति के स्वत्व विलेख कम्पनी के नाम नहीं है या जहाँ पट्टा विलेख कम्पनी के नाम नहीं किया गया है

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन आइटम	सम्पत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	पक्षकार का नाम जिसके नाम पर स्वत्व विलेख है	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर /निदेशक* का संबंधी* या प्रमोटर /निदेशक का कर्मचारी है	किस तिथि से सम्पत्ति धारित	कम्पनी के नाम पर धारित नहीं होने के लिये कारण
पीपीई	उद्योग भवन कार्यालय, जयपुर में भूमि	20.17 लाख	उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार	नहीं	1976 से धारित	रीको के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन लम्बित है
	उपरोक्त भूमि पर भवन	54.96 लाख	उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार	नहीं	1982 से धारित	

52. कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को या में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकार्ड की गयी हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ:
- ❖ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से, किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) में निवेश करेगा या उधार देगा या
 - ❖ अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति या इनकी तरह कोई अन्य प्रदान करेगा;
- कोई धनराशि (या तो उधार ली गयी धनराशि या प्रीमियम या किसी अन्य प्रकार से कोष से) अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी गयी है या निवेश नहीं की गयी है।

53. कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधीयन पक्षकार") सहित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकार्ड की गयी हो या अन्यथा, कि कम्पनी:

- ❖ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधीयन पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से, किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) में निवेश करेगा या उधार देगा या
 - ❖ अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति या इनकी तरह कोई अन्य प्रदान करेगा;
- कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

विघटित कम्पनी के साथ संबंध

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये

राशि लाख रुपये में

विघटित कम्पनी का नाम	विघटित कम्पनी से संव्यवहार की प्रकृति	शेष बकाया	विघटित कम्पनी के साथ संबंध
मोल्डवैल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्लास्टिकस् लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	0.00	उपलब्ध नहीं है।
जिप्सम फाइबर इण्डिया लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	—	उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये

राशि लाख रुपये में

विघटित कम्पनी का नाम	विघटित कम्पनी से संव्यवहार की प्रकृति	शेष बकाया	विघटित कम्पनी के साथ संबंध
मोल्डवैल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्लास्टिकस् लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	0.00	उपलब्ध नहीं है।
जिप्सम फाइबर इण्डिया लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	44.00	उपलब्ध नहीं है।

54. विश्लेषणात्मक अनुपात

अनुपात	अंश-गणक	विभाजक	वर्तमान अवधि	पूर्व अवधि	% विविधता	विविधता के कारण
वर्तमान अनुपात	चालू आस्तियां	चालू दायित्व	6.23	6.66	-6.40%	—
ऋण समता अनुपात	कुल ऋण(1)	कुल मूल्य (2)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
ऋण सेवा आवृत्त अनुपात	ऋण सेवा के लिये उपलब्ध आय (3)	ब्याज+मूल पुनर्भुगतान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
समता अनुपात पर प्रतिफल	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	अंशधारक की औसत इक्विटी	0.19	0.20	(-)6.23%	—
इन्वेन्ट्री आवर्त (टर्न ओवर) अनुपात	विक्रय इन्वेन्ट्री	औसत	0.59	0.46	28.06%	राजस्व वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुपात में सुधार हुआ है।
व्यापारिक प्राप्य आवर्त (टर्न ओवर) अनुपात	शुद्ध क्रेडिट विक्रय	औसत व्यापारिक प्राप्य	1.04	1.42	(-)26.83%	किस्त योजना में परिवर्तन के कारण समय के साथ-साथ व्यापारिक प्राप्यों में वृद्धि हुई है।
व्यापारिक देय आवर्त (टर्न ओवर) अनुपात	शुद्ध क्रेडिट क्रय	औसत व्यापारिक देय	5.77	6.85	(-)15.78%	—
शुद्ध कार्यशील पूंजी आवर्त (टर्न ओवर) अनुपात	शुद्ध विक्रय	औसत (4) कार्यशील पूंजी	0.34	0.31	11.14%	—
शुद्ध लाभ अनुपात शुद्ध लाभ	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	शुद्ध विक्रय	0.39	0.44	(-)11.26%	—
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज, कर, अपवादात्मक मर्दे एवं अन्य व्यापक आय से पूर्व अर्जन	पूंजी नियोजित(5)	0.23	0.25	(-)9.19%	—
निवेश पर प्रतिफल-उद्धृत	निवेशों से उत्पादित आय	औसत निवेश	0.88	0.50	75.84%	निवेश के मूल्यांकन में वृद्धि के कारण, अनुपात में वृद्धि हुई है।
निवेश पर प्रतिफल-अनुद्धृत	निवेशों से उत्पादित आय	औसत निवेश	0.24	(-)0.00	8900.99%	निवेश के प्रतिफल एवं मूल्यांकन में वृद्धि के कारण, अनुपात में वृद्धि हुई है।

- (1) कुल ऋण : दीर्घावधि उधार राशियाँ + अल्पावधि उधार राशियाँ + पट्टा दायित्व
- (2) कुल मूल्य : साम्या अंश पूंजी + अन्य साम्या
- (3) ऋण सेवा के लये उपलब्ध आय : करों के पश्चात् शुद्ध लाभ + गैर नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्य ह्रास और अन्य परिशोधन, संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान आदि + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल सम्पत्तियों के विक्रय पर हानि, उचित मूल्य लाभ/हानि आदि।
- (4) औसत कार्यशील पूंजी : कुल चालू आस्तियाँ – कुल चालू दायित्व
- (5) पूंजी नियोजित : मूर्त शुद्ध मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर दायित्व

55. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खण्ड II के सामान्य निर्देशों द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त नियामक सूचना/प्रकटीकरण कम्पनी पर लागू सीमा तक प्रकट किये गये हैं।

56. चालू वर्ष के आकड़ों के अनुरूप करने के लिये गत वर्ष के आकड़ों को पुनर्समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणियां 1 से 56 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

हमारे समदिनांक के अंकक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन: 001100सी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन : 22017184एक्यूटीक्यूजेडएच1397

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-7670414

(कुलदीप रांका)
अध्यक्ष
डीआईएन-00279526

(मनीष शुक्ला)
मुख्य वित्त अधिकारी

(डी.के. शर्मा)
सचिव
स. सं. ए-7037

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

जयपुर

समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ("निगम"), एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों में इसका अंश, के संलग्न वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च, 2022 का समेकित तुलन पत्र एवं समेकित लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण एवं समेकित साम्या में परिवर्तनों का विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात् यथा "समेकित भारतीय लेखा मानक विवरण" के निर्दिष्ट) का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं सहयोगी कम्पनियों के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचारण के आधार पर, हमारे प्रतिवेदन के "विशेषित अभिमत का आधार" भाग में उल्लेखित मसलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों के अतिरिक्त, पूर्वोक्त समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण निगम एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों के कार्यकलाप की स्थिति यथा 31 मार्च, 2022 को एवं इसके समेकित लाभ (कुल व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इसके समेकित रोकड़ प्रवाह एवं साम्या में समेकित परिवर्तन के मामलों में उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाएं समुचित रूप से प्रदान करते हैं तथा भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रदान करते हैं। समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रदान करते हैं।

विशेषित अभिमत का आधार

हम आप का ध्यान अनुलग्नक-ए में वर्णित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं, संलग्न समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के तत्वों पर उन मामलों के प्रभाव/संभाव्य प्रभावों को युक्तियुक्त रूप से निर्धारित/परिमाणित नहीं किया जा सकता है।

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व को हमारे प्रतिवेदन के "समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व" अनुभाग में अग्रतर वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं जो कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के प्रासंगिक हैं के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था(आईसीएआई) द्वारा जारी की गयी आचार संहिता के अनुसार निगम से स्वतंत्र हैं एवं इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर लिया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर हमारे सीमित अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

महत्वपूर्ण मसलें

- ❖ महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 2.5 "राजस्व मान्यता" देखें जिसमें भा.ले.मा. 116 के अनुसार पट्टा राजस्व एवं भा.ले.मा. 115 के अनुसार विकास गतिविधि से राजस्व के अनुसार एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं अंगीकृत करने के लिये कहा गया है। इसे भूमि एवं विकास गतिविधि के संव्यवहार मूल्य के आवंटन में प्राक्कलित एवं आंकलन के आधार पर मान्य किया गया है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा अभिमत रूपान्तरित नहीं है।

मुख्य अंकेक्षण मामलें

हमने निर्धारित किया है कि हमारे प्रतिवेदन में प्रकट करने के लिये कोई मुख्य अंकेक्षण मामलें नहीं है।

समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना एवं उस पर अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिये निगम का प्रबन्धन उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशकों का प्रतिवेदन एवं अनुलग्नक में सम्मिलित जानकारी शामिल है परन्तु इसमें समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमको इस अंकेक्षक की रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात् अन्य सूचना उपलब्ध होने की प्रत्याशा है।

समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं सम्मिलित नहीं है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व उपर परिलक्षित अन्य सूचनाओं को जब यह उपलब्ध होती है, पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरण के साथ तात्विक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान या अन्यथा अभिप्राप्त हमारा ज्ञान तात्विक रूप से अशुद्ध वर्णन करता प्रतीत होता है। हमारे द्वारा संपादित कार्य के आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष करते हैं कि इस अन्य सूचना का सारवान मिथ्या कथन है, तो हमारे द्वारा उस तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिये कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन एवं जिनके पास समेकित वित्तीय विवरणों के नियमन का प्रभार है, के उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुसार इन समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण के संबंध में जो कि अधिनियम की धारा 133, एवं उसके अधीन जारी किये गये नियमों के साथ पठित, के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) के साथ-साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, इसकी सहबद्ध कम्पनियों सहित निगम की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, समेकित रोकड़ प्रवाह एवं समेकित साम्या में परिवर्तनों का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करे, कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

इन सहबद्ध कम्पनियों सहित निगम के संबंधित निदेशक मण्डल निगम एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एवं स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से सम्पादित किये गये थे, के लिये उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, इन सहबद्ध कम्पनियों सहित निगम के संबंधित निदेशक मण्डल यथा चालू समुत्थान के निरन्तरता हेतु निगम एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों की क्षमता का आंकलन करने, चालू समुत्थान से सम्बन्धित मामलों, जैसाकि लागू होता है, का प्रकटीकरण करने एवं चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने, का उत्तरदायित्व है जब तक कि प्रबन्धन या तो निगम को समाप्त करने या संचालन को बन्द करने का आशय रखता है या परन्तु ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

इन सहबद्ध कम्पनियों सहित निगम के संबंधित निदेशक मण्डल, निगम एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या कथन, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, से मुक्त है, एवं अंकेक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा विद्यमान सारवान मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, सारवान माने जाते हैं तो उनसे इन समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

हम “अनुलग्नक-बी” में समेकित वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण दे रहे हैं।

अन्य मामलें

निगम की सहयोगी कम्पनियों जिनके भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है के संबंध में समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में जैसा विचारण किया गया है, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध लाभ में निगम की अंश राशि 3,212.26 लाख रुपये सम्मिलित है। समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण सहयोगी कम्पनियों की 14984.76 लाख रुपये की परिसम्पतियों को यथा “सहयोगी कम्पनियों में निवेश” के प्रतिबिम्बित करती है जिनके भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है।

सहयोगी कम्पनी का नाम	शुद्ध आस्तियां अर्थात् आस्तियां – कुल दायित्व	लाभ में अंश
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड	3575.35	(383.72)
महेन्द्र वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	11183.41	3565.05
राजस्थान एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	225.52	30.92
राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	0.48	0.01

चार(4) भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में से तीन(3) का अंकेक्षण अन्य अंकेक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट नियंत्री कम्पनी के प्रबंधन द्वारा हमको प्रस्तुत की गई है और समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक की यह इन सहयोगी कम्पनियों के बाबत सम्मिलित राशियों एवं प्रकटीकरणों से संबंधित है एवं अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहां तक कि यह पूर्वोक्त सहयोगी कम्पनियों से संबंधित है, पूर्ण रूप से अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर है।

एक सहयोगी कम्पनी मेसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड के भा.ले.मा. वित्तीय विवरण अंकेक्षित नहीं है और प्रबंधन द्वारा हमको प्रस्तुत किये गये हैं एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक की यह इन सहयोगी कम्पनियों के बाबत सम्मिलित राशियों एवं प्रकटीकरणों से संबंधित है एवं अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहां तक कि यह पूर्वोक्त सहयोगी कम्पनी से संबंधित है, पूर्ण रूप से ऐसे बिना अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर है।

समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, एवं नीचे दिये गये अन्य वैधानिक एवं नियामक अनिवार्यताओं पर हमारी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमको उपलब्ध कराई गयी अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्टें (3 सहयोगी कम्पनियों के संबंध में जिनके लेखों का अंकेक्षण अन्य अंकेक्षकों द्वारा किया गया है) एवं किये गये कार्य पर हमारे विश्वासानुसार उपरोक्त मसलों के संबंध में रूपान्तरित नहीं है।

नियंत्री कम्पनी के प्रबंधन द्वारा हमको प्रस्तुत किये गये सहयोगी कम्पनियों में से एक के बिना अंकेक्षित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के संबंध में उपरोक्त मसलों के संबंध में हमारी राय रूपान्तरित है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक अनिवार्यताओं पर रिपोर्ट

- I. भारत की क्रेन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के अन्तर्गत जारी कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2020 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित, हमारे अंकेक्षण के आधार पर और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत में निगमित सहयोगी कम्पनियों की अन्य वित्तीय सूचना पर विचार करने पर जैसा कि 'अन्य मामलें' पैरा में उल्लेख किया गया है, हम अनुलग्नक-सी में आदेश के पैरा 3 (गगप) में निर्दिष्ट मसलों पर विवरण दे रहे हैं।
- II. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुरूप हम लागू होने की सीमा तक प्रतिवेदित करते हैं कि
 - (ए) हमने विशेषित अभिमत के लिये आधार के पैरा में वर्णित मामलों के सम्भाव्य प्रभावों को छोड़कर, वे समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।
 - (बी) विशेषित अभिमत के लिये आधार के पैरा में वर्णित मामलों के सम्भाव्य प्रभावों को छोड़कर, हमारे मत में, निगम द्वारा उपरोक्त समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित उचित लेखा-पुस्तकें जो कि कानून द्वारा अपेक्षित हैं, रखी हुयी हैं जैसाकि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - (सी) इस प्रतिवेदन में संदर्भित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकद प्रवाह विवरण एवं समेकित साम्या में परिवर्तनों का विवरण समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के प्रयोजनार्थ लेखा पुस्तकों से मेल खाता है।
 - (डी) इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-ए में वर्णित मसलों के अलावा, जो कि "आक्षेपित मत का आधार पैरा" का अंश है, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 एवं उसके अधीन जारी किये गये संबंधित नियमों के साथ पठित, में उल्लिखित लेखा-मानकों की अनुपालना करते हैं।
 - (ई) कम्पनी मामलात मंत्रालय द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा 2 के निबन्धनों में प्रकटीकरण सरकारी कम्पनियों के लिये आवश्यक नहीं है। अतः धारा 164 की उपधारा 2 के प्रावधान निगम एवं इसके एक सहयोगी पर लागू नहीं है। अग्रतर, भारत में निगमित शेष 3 सहयोगी कम्पनियों की वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, इन सहयोगी कम्पनियों के निदेशकों में से कोई भी अधिनियम की धारा 164 की उपधारा 2 के निबन्धनों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को यथा निदेशक के नियुक्त होने के लिये अयोग्य नहीं है।
 - (एफ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशील सक्रियता के संबंध में, अनुलग्नक - बी पर हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें।

(जी) कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कम्पनियों पर प्रयोज्य नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षाएं निगम एवं इसके दो सहयोगी पर प्रयोज्य नहीं है। भारत में निगमित शेष दो सहयोगी कम्पनियों के वैधानिक अंकंक्षकों की रिपोर्ट में, उनके अंकंक्षकों द्वारा उनके अंकंक्षण प्रतिवेदन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिया गया है।

(एच) कम्पनीज (अंकंक्षण एवं अंकंक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकंक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मसलों पर, हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार—

- (i) निगम ने इसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के कारण पड़ने वाले प्रभावों का इसके 31.03.2022 के समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 33 के अन्तर्गत प्रकटीकरण किया है।
- (ii) निगम एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों में पूर्वानुमेय हानियों वाली कोई व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा नहीं थी।
- (iii) निगम एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों के पास निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष में अन्तरण योग्य कोई राशि नहीं थी।
- (iv) (1) भारत में निगमित नियंत्री कम्पनी के प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों का अंकंक्षण अधिनियम के अधीन किया गया है, ने हमें प्रतिनिधित्व किया है कि इसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से नियंत्री कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को या में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकार्ड की गयी हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्री कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से, किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) में निवेश करेगा या उधार देगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति या इनकी तरह कोई अन्य प्रदान करेगा; कोई धनराशि (या तो उधार ली गयी धनराशि या प्रीमियम या किसी अन्य प्रकार से कोष से) अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी गयी है या निवेश नहीं की गयी है।
- (2) भारत में निगमित नियंत्री कम्पनी के प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों का अंकंक्षण अधिनियम के अधीन किया गया है, ने हमें प्रतिनिधित्व किया है कि इसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से नियंत्री कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधीयन पक्षकार") सहित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकार्ड की गयी हो या अन्यथा, कि नियंत्री कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधीयन पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से, किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) में निवेश करेगा या उधार देगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति या इनकी तरह कोई अन्य प्रदान करेगा; कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।
- (3) निष्पादित अंकंक्षण प्रक्रियाएँ जिन्हें परिस्थितियों में यथा उचित और उपयुक्त के विचारित किया गया, के आधार पर और इस संबंध में नियंत्री कम्पनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसके कारण हमें विश्वास करना हो कि उपरोक्त (1) और (2) यथा उल्लेखित नियम 11(ई) के उपखण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत प्रतिनिधित्वों में कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन है।

- (v) गत वर्ष के लिये घोषित और इसके संबंध में वर्ष के दौरान कम्पनी एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों द्वारा प्रदत्त अंतिम लाभांश कम्पनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लाभांश के भुगतान पर प्रयोज्य सीमा तक है।

कम्पनी एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों के संबंधित निदेशक मंडल ने वर्ष के लिये अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो कि आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लाभांश की घोषणा पर प्रयोज्य सीमा तक है। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 45 देखें)।

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् एवं उनकी ओर से
एफआरएन: 001100सी

रीको के निदेशक मण्डल के लिए

(राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन: 22017184एक्यूटीएसईएल4558

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
रीको

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-ए

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित, “आक्षेपित मत का आधार” के पैरा के अन्तर्गत हमारे प्रतिवेदन में निर्दिष्ट अनुलग्नक-ए एवं हमारे प्रतिवेदन दिनांक 02.09.2022 का अभिन्न अंग।

अंकेक्षकों के आक्षेप	प्रबंधकों के प्रत्युत्तर
1. (ए) निगम ने 20,073.07 लाख रुपये (गत वर्ष 15581.04 लाख रुपये) वादानुगत/ अतिक्रमणित भूमि के स्टॉक जिसमें 1,217.68 एकड़ (गत वर्ष 1074.60 एकड़) भूमि अन्तर्निहित है, का मूल्यांकन 31.03.2022 को यथा शून्य कर लिया है [समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 11(प)(ए) देखें] इन वादानुगत एवं अतिक्रमणित भूमियों के मूल्यांकन या अनुमानित प्राप्ति मूल्य के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं। (बी) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों एवं अन्य के लम्बे समय से शेष रहे असमायोजित अग्रिमों जो कि 37.58 लाख रुपये थे, के प्रति कोई प्रावधान नहीं होने से एवं इन बकाया राशियों के वसूली मूल्य से संबंधित विवरण एवं सूचना और संबंधित पक्षकारों से पुष्टीकरण के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं। (सी) निगम ने भूमि का आवंटन कर दिया है जबकि निगम के पास स्वयं के पक्ष में भूमि के पट्टा विलेख नहीं है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पैरा 2.5.1.3 (v) देखें। (डी) औद्योगिक क्षेत्र के विकास की लागत एवं “भूमि के आवंटन के लिये प्रतिफल(विकास)” से राजस्व को उस क्षेत्र की प्रशासनिक स्वीकृति में यथा कथित उस विशिष्ट क्षेत्र के विकास की अनुमानित लागत के आधार पर गणना की गयी है। अनुमानित लागत में, उस क्षेत्र के	व्यवसाय की प्रकृति और भूमि गतिविधि की मात्रा को ध्यान में रखते हुये, कुछ अतिक्रमण/मुकदमें आसन्न हैं। तथापि, निगम इकाई स्तर पर स्थानीय प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने के लिये साथ ही वादानुगत भूमि के मामले में कानूनी कार्यवाही के माध्यम से संयुक्त प्रयास कर रहा है। जैसाकि तुलन-पत्र की दिनांक को अतिक्रमणित/वादानुगत भूमि की बेचने की योग्यता/विक्रेयता नहीं होती है, इसका बाजार वसूली योग्य मूल्य को शून्य विचारित किया जाता है एवं इसका कोई पृथक मूल्यांकन को आवश्यक नहीं समझा जाता है। ऐसी भूमि की लागत पहले से ही प्रकट कर दी गयी है। वसूली/समायोजन के लिये उचित कार्यवाही करने हंतु अग्रिमों के बहुत पुराने शेषों की जांच प्रगतिरत है। वर्षों के दौरान पुराने शेषों में से कुछ को समायोजित किया गया है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 2010 एवं तत्पश्चात्, रीको द्वारा संबंधित भूमि अभिलेखों/दस्तावेजों में अपना नाम पंजीयन कराने के पश्चात् ही भूमि का आवंटन किया जा रहा है। पुराने मामलों के लिये, रीको के पक्ष में भूमि को पंजीकृत कराने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। अपने व्यापार की प्रकृति को देखते हुए निगम वर्षों से इस नीति का निरन्तर अनुसरण कर रहा है।

अंकेक्षकों के आक्षेप

भावी उन्नयन के लिये किये जाने वाले व्ययों के प्रावधान का समावेश है जो कि क्षेत्र की यथा विकसित के घोषणा की दिनांक से 5 वर्ष पश्चात् उपयोग किया जाना है। क्षेत्र के भावी उन्नयन के लिये किये गये प्रावधानों (उपगत व्ययों के शुद्ध) से संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।

2. निगम द्वारा भावी योजना के लिये रखी हुयी भूमि पर प्रदत्त प्रतिकर एवं व्यय की गयी विकास की लागत को उस औद्योगिक क्षेत्र की शेष रही भूमि के यथा हिस्से के विचारित किया गया है एवं पृथक रूप से यथा इन्वेन्ट्री के नहीं रखा गया है। भावी योजना के लिये रखी हुयी भूमि पर प्रदत्त लागत एवं प्रति कर से संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, समेकित भा. ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।
3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पैरा संख्या 2.5.1.4 (म) (v) देखें, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों में स्वयं के लिये भूमि एवं भवन के लये उपगत किये गये व्ययों का प्रकटीकरण किया गया है, को सीधे ही विकास व्यय को प्रभारित किया है एवं 31.03.2020 तक स्थिर सम्पत्तियों का हिस्सा नहीं बनाया है। संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।
4. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पैरा संख्या 2.2.1 देखें, जिसमें कुछ मदों जो कि लेखा-पुस्तकों में नकद आधार पर लेखाबद्ध की गयी है, के बारे में प्रकटीकरण किया गया है। नकद आधार पर लेखाबद्ध करना, कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित प्रोदभूत आधार पर लेखांकन के अनुरूप नहीं है। संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

अब, प्रबन्धन सम्पूर्ण अधिग्रहित भूमि की योजना पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और नये औद्योगिक क्षेत्र की विकास योजना के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की मंजूरी के समय पर भविष्य की योजना के लिये बड़े हिस्से को आरक्षित नहीं कर रहा है।

यह निगम की आधारभूत संरचना के विकास की गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुये फिर से बनायी गयी लेखांकन नीति के अनुसार किया जा रहा है।

संव्यवहारों की विशेष प्रकृति को देखते हुये, लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किये गये अनुसार व्यवहृत किया जा रहा है।

अंकेक्षकों के आक्षेप

5. पट्टे के परिशोधन के लेखांकन के प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणी संख्या 3.1, 8.1, 11(i) (सी), 18.1 एवं 39 देखें। 1 अक्टूबर, 1979 को राजस्थान सरकार द्वारा हस्तान्तरण की गयी दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों/ दायित्वों का मूल्य, शेड/दुकान/आवास/लेट/ कियोस्कों की इन्वेन्ट्री, डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप नहीं है। संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।
6. आकस्मिक दायित्वों के संबंध में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 33.1(3) एवं (4) देखें। संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।
7. न्यूनतम पट्टा भुगतानों एवं अनर्जित वित्त आय के अप्रकटीकरण के संबंध में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 37(बी)(ii) देखें।
8. शेष रहे प्रदर्शन दायित्व के प्रति आवंटित संव्यवहार मूल्य के वर्षवार द्विभाजन के अप्रकटीकरण के संबंध में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 36(बी) देखें।
9. कुछ इकाइयों में किराये की आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता नहीं दी गयी है (लेखांकन नीति संख्या 2.2.1 देखें) जिसके परिणामस्वरूप किराये की आय और जीएसटी देयता को कम करके दर्शाया गया है। संबंधित विवरण एवं सूचना के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।
10. वसूली योग्य सेवा कर और जीएसटी जो क्रमशः 1,320.94 लाख रुपये एवं 67.59 लाख रुपये हैं, के संबंध में समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 13ए एवं 13बी देखें, जिन ग्राहकों से यह वसूली योग्य है उनके संबंध में निगम के पास विवरण

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

संव्यवहारों की विशेष प्रकृति को देखते हुये, लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किये गये अनुसार व्यवहृत किया जा रहा है।

लम्बित वादानुगत/न्यायालय मुकदमों के कारण होने वाली अनुमानित आकस्मिक दायित्वों का प्रमुख भाग को पहले से ही प्रकट कर दिया गया है। केवल, निलंबन के मामलों/लम्बित विकल्प के मामलों में 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन बकायों एवं उधारकर्ताओं की इकाइयों के विक्रय के मामलों में सरकारी बकायों के आकस्मिक दायित्वों का आधार उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुमान/प्रकटीकरण नहीं किया जा सका।

किस्त पर आवंटित भू-खण्डों के प्रति नियत भुगतान का मामलेवार विवरण इकाई कार्यालयों के स्तर पर संबंधित पत्रावलियों में उपलब्ध है परन्तु समग्र रूप से रीको के लिये संकलित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

शेष रहे प्रदर्शन दायित्व के प्रति भावी वर्षों के लिये वर्षवार विवरण का प्रकटीकरण उसी के लिये सटीक प्राक्कलन के अभाव में नहीं किया जा सकता है।

सभी इकाई कार्यालयों द्वारा समान रूप से लेखांकन नीतियों का पालन करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे।

आवंटियों का विवरण ज्ञात करने हेतु प्रयास शुरू कर दिये गये हैं जिससे कि धनराशि की वसूली की जा सके। कुछ इकाइयों में विवरण को निश्चित भी किया गया है।

अंकेक्षकों के आक्षेप

उपलब्ध नहीं है। संबंधित विवरण एवं सूचना और संबंधित पक्षकारों से पुष्टीकरण के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।

11. सेवा प्रभार के संबंध में निगम के दिशा-निर्देश दिनांक 29 सितम्बर, 1999 के अनुसार, प्राप्त वसूली की राशि को पहले सेवा प्रभार पर बकाया ब्याज के विस्तृत समायोजित किया जायेगा और अधिशेष, यदि कोई है, तो उसे मूल सेवा प्रभार के समायोजन के लिये उपयोग किया जायेगा। तथापि, इकाईयों द्वारा इसका पालन समान रूप से नहीं किया गया था और कुछ मामलों में वसूलियों को ब्याज से पहले बकाया मूल राशि में समायोजित किया गया था।
12. विभिन्न सरकारी उपक्रमों/विभागों के 170.34 लाख रुपये के अग्रिम लंबे समय से असमायोजित हैं। ऐसे उपक्रमों/विभागों से पुष्टीकरण और समाधान के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इनके होने वाले प्रभाव को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।
13. समेकित वित्तीय विवरणों में इसकी एक सहयोगी कम्पनी मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड के 383.72 लाख रुपये की हानि का अंश और सहयोगी कम्पनी (शुद्ध आस्तियां) में 3575.35 लाख रुपये के निवेश में अंश शामिल है जो नियंत्री कम्पनी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उस कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। अंकेक्षित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के अभाव में, समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, को दर्शाने में हम असमर्थ हैं।

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एवं उनकी ओर से
एफआरएन: 001100सी
(राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन: 22017184एक्यूटीएसईएल4558
स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

सभी इकाई कार्यालयों द्वारा समान रूप से दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

अग्रिम के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

कोई टिप्पणी नहीं।

रीको के निदेशक मण्डल के लिए

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
रीको

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सम दिनांक के समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-बी

समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व

अंकेक्षण मानकों के अनुसार, अंकेक्षण के अंश के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं एवं सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद को बनाये रखते हैं। हम:

- ❖ समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण के सारवान मिथ्या कथनों की जोखिमों को निश्चित करें और उनका आंकलन करें, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रतिक्रियाशील अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूप रेखा बनाये और निष्पादित करें एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिये आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हो। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले सारवान मिथ्या कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, दुर्व्यपदेशन, या आन्तरिक नियंत्रण का अधिभावी प्रभाव शामिल हो सकता है।
- ❖ अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिये अंकेक्षण के लिये प्रासंगिक आन्तरिक नियन्त्रण का अवबोध जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, को प्राप्त करें। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(प) के अधीन, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।
- ❖ उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों एवं सम्बन्धित प्रकटीकरणों का मुल्यांकन करें।
- ❖ चालू समुत्थान आधारित लेखांकन का प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता एवं अभिप्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष करना कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों जो कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती हैं, से सम्बन्धित सारवान अनिश्चितता विद्यमान है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सारवान अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें हमारे अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में वित्तीय विवरण में सम्बन्धित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिये अपर्याप्त है। तथापि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता समाप्त हो सकती है।
- ❖ प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अन्तर्वस्तु का मुल्यांकन करें, तथा क्या समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरण अन्तर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो स्वच्छ प्रस्तुति को पूरा करते हैं।
- ❖ समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिये सत्ताओं या समूह एवं इसकी सहयुक्त तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं के भीतर व्यापारिक गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संदर्भ में पर्याप्त समुचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में सम्मिलित ऐसी सत्ताओं के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण, जिनके हम स्वतंत्र अंकेक्षक हैं, के निदेश, निरीक्षण एवं निष्पादन के लिये उत्तरदायी हैं। समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य सत्ताओं के लिये, जिनका अंकेक्षण अन्य अंकेक्षकों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य अंकेक्षक उनके द्वारा की गयी अंकेक्षण के निदेश, निरीक्षण एवं निष्पादन के लिये उत्तरदायी हैं। हम हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये अकेले ही उत्तरदायी हैं।

हम, अन्य मामलों में आन्तरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियों जिन्हें हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं, के सहित निष्कर्षों से उन्हें जिनके पास नियमन का प्रभार है, सूचित करते हैं।

हम, उनको जिनके पास समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में सम्मिलित निगम एवं ऐसी अन्य सत्ताएं जिनके हम स्वतंत्र अंकेक्षक हैं, का नियमन का प्रभार है, एक कथन के साथ उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं की पालना की है और सभी सम्बन्धों तथा अन्य मामलों जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षण पर युक्तियुक्त रूप से सोचा जा सकता है, उन्हें सूचित करते हैं।

जिनके पास नियमन का प्रभार है, उनके साथ संचार किये गये मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो कि चालू अवधि के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिये, मुख्य अंकेक्षण मामलें हैं। मामलों के बारे में जब तक कानून या विनियम सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोक नहीं देता हम इन मामलों का हमारे अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में वर्णन करते हैं अथवा, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणामों से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित लाभों के अतिभार होने की युक्तिपूर्वक प्रत्याशा की जायेगी।

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् एवं उनकी ओर से
एफआरएन: 001100सी

रीको के निदेशक मण्डल के लिए

(राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन: 22017184एक्यूटीएसईएल4558

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
रीको

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

अनुलग्नक—सी

हमारे द्वारा चाही गयी और कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के संदर्भ में एवं सामान्य अंकेक्षण के दौरान लेखा-पुस्तकों एवं अभिलेखों की जांच और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हम कहते हैं कि:

(xxi) कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश (सीएआरओ) में संबंधित अंकेक्षकों द्वारा जिन कम्पनियों की अर्हताएं एवं प्रतिकूल टिप्पणियां की गयी है और जो समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित है वे निम्न हैं:

क्र.सं.	नाम	सीआईएन	नियंत्री कम्पनी/ सहबद्ध	सीएआरओ रिपोर्ट की खण्ड सं. जो कि अर्हक या प्रतिकूल है
1	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	U13100RJ1969SGC001263	नियंत्री	(i)(ए)(अ), (i)(सी), (vi), (vii)(बी) & (xiv)(बी)
2	महेन्द्र वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	U45209RJ2005PLC021207	सहबद्ध	(vii)(बी)

समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित एवं भारत में निगमित निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में, हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, उनसे संबंधित सीएआरओ रिपोर्ट इस अंकेक्षण प्रतिवेदन की तिथि तक उनके अंकेक्षकों द्वारा जारी नहीं की गयी है:

इकाई का नाम	सीआईएन	संबंध
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेंट्स लिमिटेड	U51395RJ1981GOI002249	सहबद्ध

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एवं उनकी ओर से
एफआरएन: 001100सी

रीको के निदेशक मण्डल के लिए

(राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन: 22017184एक्यूटीएसईएल4558

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
रीको

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर इसके सदस्यों को संबोधित हमारे स्वतंत्र अंकेशकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक—डी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड ;पद्ध के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (निगम) एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों, जो कि भारत में निगमित कम्पनियां हैं, की 31 मार्च, 2022 को निगम के उसी दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेशन के साथ-साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेशन किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

निगम एवं इसकी सहबद्ध कम्पनियों, जो कि भारत में निगमित कम्पनियां हैं, के संबंधित निदेशक मण्डल भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए.आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेशन पर जारी किये गये निदेशन-पत्र में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रण के तत्वों को विचारित करते हुए निगम द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान-दण्डों के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण को अधिष्ठापित करने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित निगम की नितियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों व त्रुटियों का पता लगाना और उनका निवारण, लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं शुद्धता/यथार्थता, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की यथासमय तैयारी करने को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यापार को नियमित रूप एवं दक्षता से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से सक्रिय थे की पर्याप्त रूप रेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है।

अंकेशकों का उत्तरदायित्व

हमारे अंकेशन के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेशन के लिये लागू होने की सीमा तक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अन्तर्गत जो विहित समझे जायेंगे, एवं आई सी ए आई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेशन पर जारी किये गये निदेशन-पत्र एवं लेखा-परीक्षण के मानकों, दोनों आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेशन के लिये प्रयोज्य एवं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये, के अनुसार हमने हमारा अंकेशन सम्पादित किया है। इन मानकों एवं निदेशन-पत्र की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करें एवं अंकेशन को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित एवं अनुरक्षित किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी सारवान/तात्त्विक मामलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी सक्रीयता की प्रभावशीलता हेतु अंकेशन साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया को क्रियान्वित करना हमारे अंकेशन में निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेशन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना कि सारवान अपर्याप्तता हैं, एवं परीक्षण करना, एवं निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की सक्रीय प्रभावशीलता व रूप रेखा का मूल्यांकन करना सम्मिलित था। समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के सारभूत मिथ्या कथन

चाहे कपट के कारण या त्रुटि के कारण, के जोखिम के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया का चयन अंकेंक्षक के निर्णयन पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा एवं नीचे अन्य मामलों के पैरा में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य अंकेंक्षकों द्वारा प्राप्त किये गये अंकेंक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम एवं भारत में निगमित इसकी सहबद्ध कम्पनियों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर हमारे अंकेंक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मे वो नितियां व कार्य प्रणालियां सम्मिलित है जो कि (1) उन अभिलेखों के संधारण से संबंधित है जो कि निगम की आस्तियों के व्ययन एवं व्यवहारों को युक्तियुक्त ब्योरे सहित, शुद्ध एवं उचित रूप से दर्शित करते है; (2) युक्तिसंगत आश्वासन देते है कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिये यथा आवश्यक व्यवहारों को दर्ज किया गया है एवं निगम की प्राप्तियों व व्ययों को केवल निगम के निदेशकों एवं प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया जाता है; एवं (3) निगम की आस्तियों का अनधिकृत अर्जन, उपयोग या व्ययन जिनका समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का यथासमय पता लगाने एवं निवारण से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन देवें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा साथ ही अनुपयुक्त प्रबंधन अथवा मिली भगत की संभावना के कारण, नियंत्रणों की अवहेलना, त्रुटि या कपट के कारण मिथ्या कथन हो सकते है और पता नहीं लगाये जा सकते। साथी ही, भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते है, या कार्याविधि अथवा नीतियों की अनुपालना की मात्रा गिर सकती है।

आक्षेपित मत

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे अंकेंक्षण के आधार पर, 31 मार्च, 2022 को निम्न महत्वपूर्ण कमजोरियां पाई गई है—

अंकेंक्षकों के आक्षेप	प्रबंधकों के प्रत्युत्तर
(ए) ठेकेदारों से अग्रिम धन/प्रतिभूति जमा राशि, सरकारी विभागों को अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम, विविध लेनदारों को, विकास प्रभार की वापसी के लिये प्रावधान एवं बकाया दायित्वों के पुराने शेषों का समायोजन करने के लिये समुचित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।	पुराने शेषों की जांच करने एवं आवश्यक समायोजन करने हेतु भी प्रयास किये जा रहें है।

अंकेक्षकों के आक्षेप

(बी) निगम में भूमि का कब्जा लेने जहां पर कोई उत्पादन या अन्य गतिविधियां आवंटियों द्वारा निश्चित समय के भीतर नहीं की गई हैं एवं निरस्तकरण के लिये उचित आन्तरिक नियंत्रण नहीं है।

(सी) निगम में वादानुगत एवं अतिक्रमणित भूमि अवाप्ति से बचने के लिये एवं आगे भी वादानुगत एवं अतिक्रमणित भूमि को रोकने के लिये कोई प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण नहीं है।

(डी) किराये की आय के लेखांकन और पहले सेवा प्रभार पर बकाया ब्याज के विरुद्ध सेवा प्रभार की वसूली का समायोजन एवं मूल सेवा प्रभार के समायोजन के लिये अधिशेष, यदि कोई हो, के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है।

प्रबंधकों के प्रत्युत्तर

❖ निगम के भूमि निस्तारण नियमों के अनुसार, यदि व्यापार को स्थापित करने में विलम्ब है तो निरस्त करने के प्रावधान हैं, तथापि नियमों के अन्तर्गत प्रतिधारण प्रभार का भुगतान कर समयावधि को बढ़ाने का विकल्प आवंटियों को उपलब्ध है। निगम से अनुमति प्राप्त कर आवंटी जिसके लिए उसे आवंटन किया गया था उससे भिन्न व्यवसाय प्रारम्भ कर सकता है। तथापि, यदि आवंटी निगम से अनुमति प्राप्त किये बिना व्यवसाय में परिवर्तन करता है तो निगम के पास भूखण्ड को निरस्त करने का अधिकार है।

❖ निगम ने प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के भूमि रिकार्ड के विशेष अंकेक्षण के माध्यम से प्रत्येक आवंटित भूखण्ड द्वारा उत्पादन शुरू करने में व्यतिक्रम वाले मामलों को परिलक्षित करने के लिये पहल की है और व्यतिक्रम वाले मामलों में निरसन/समय विस्तार के लिये आगे की कार्यवाही की जा रही है।

भूमि-गतिविधि की प्रकृति एवं आयतन को देखते हुए, भूमि-स्टॉक के भौतिक सत्यापन हेतु क्रमबद्ध तरीके से उचित अन्तराल पर कार्यवाही की जा रही है। अग्रतर वादानुगत भूमि पर निर्णय/अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है। जहां कहीं भी संभव है, अतिक्रमण को हटाने के लिये स्थानीय प्रशासन की मदद से इकाई स्तर पर उचित कार्यवाही की जा रही है। वादानुगत भूमि के मामलों में, इकाईयों/मुख्यालय पर उचित वैधिक कार्यवाही की जा रही है एवं प्रकृति को नियमित आधार पर समीक्षा/निगरानी की जाती है।

सभी इकाई कार्यालयों द्वारा समान रूप से दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों में 'सारवान कमजोरी' एक कमी/अपर्याप्तता या कमियों/अपर्याप्तताओं का सम्मूचय है, इस तरह से यह युक्तियुक्त सम्भावना है कि निगम के वार्षिक या अन्तरिम वित्तीय विवरणों के तात्त्विक मिथ्या कथन को सामयिक आधार पर रोक नहीं पायेंगे या ज्ञात नहीं हो पायेंगे।

हमारे मत में, नियंत्रण मानदण्डों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपरोक्त वर्णित सारवान कमजोरियों के सम्भाव्य प्रभावों के सिवाय, जो कि निश्चित नहीं किये जा सकने वाले हैं, हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हम को दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं अन्य मामलों के पैरा में यथा संदर्भित अन्य अंकक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने पर आधारित, निगम एवं भारत में निगमित उसकी सहबद्ध कम्पनियों में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति विद्यमान है और भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था द्वारा अंकक्षण पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के जारी किये गये निदेशन-पत्र में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचारित करते हुये निगम द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये अधिष्ठापित मान-दण्डों के आधार पर ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 को प्रभावी रूप से सक्रिय थे।

हम नें निगम के 31 मार्च, 2022 के समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के हमारे अंकक्षण में अंकक्षण परीक्षा के दौरान की सीमा तक प्रकृति, समयानुपात की अवधारणा करने में ऊपर प्रतिवेदित एवं परिलक्षित सारवान कमजोरी को विचारित किया है, एवं इन सारवान कमजोरियों ने निगम के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत को प्रभावित किया है एवं हम ने समेकित वित्तीय विवरणों पर आक्षेपित मत जारी किया है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रभावशील संचालन पर अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अधीन हमारी उपरोक्त रिपोर्ट जहां तक इसका संबंध 3 सहबद्ध कम्पनियां, जो कि भारत में निगमित कम्पनियां हैं, से है वह भारत में निगमित ऐसी कम्पनियों के अंकक्षकों के अनुरूप प्रतिवेदन पर आधारित है और जहां तक इसका संबंध 1 सहबद्ध कम्पनी, जो कि भारत में निगमित कम्पनी है, से है अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अधीन रिपोर्ट के अभाव में हम ऐसी सहबद्ध कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रभावशील संचालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् एवं उनकी ओर से
एफआरएन: 001100सी

रीको के निदेशक मण्डल के लिए

(राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन: 22017184एक्यूटीएसईएल4558

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
रीको

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022



संख्या सी.ए.डब्ल्यू-1/वा.ले./रीको/2021-22/के-109/प्रे.-1000

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302 005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II) RAJASTHAN
JANPATH, JAIPUR-302 005

दिनांक/Date 30.09.2022

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट
एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302012

विषय : राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष
2021-22 के एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की शून्य टिप्पणियाँ एवं कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(b) सपठित धारा 129(4) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(b) के अधीन शून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियाँ, जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

उपमहालेखाकार

(लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह-1)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के साथ पठित धारा 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचे के अनुरूप तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 (5) के साथ पठित धारा 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेंक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित धारा 129 (4) के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखांकन के मानकों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत स्वतंत्र अंकेंक्षण के आधार पर प्रकट करना है। यह उनके अंकेंक्षण प्रतिवेदन दिनांक 02 सितम्बर, 2022 द्वारा किया जाना व्यक्त किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त कम्पनी अधिनियम की धारा 146 (6)(ए) के साथ पठित धारा 129 (4) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेंक्षण किया है। हमने राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेंक्षण किया था परन्तु उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिये अनुलग्नक में सूचीयत सहबद्ध कम्पनियों के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेंक्षण नहीं किया है। अग्रतर, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड एवं राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड निजी संस्थाएँ होने से उनके वैधानिक अंकेंक्षकों की नियुक्ति करने साथ ही अनुपूरक अंकेंक्षण करने के लिए अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6) (ए) प्रयोज्य नहीं है। तदनुसार, नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने न तो वैधानिक अंकेंक्षकों को नियुक्त किया न ही इन कम्पनियों का अनुपूरक अंकेंक्षण किया। इस अनुपूरक अंकेंक्षण को स्वतंत्रतापूर्वक वैधानिक अंकेंक्षकों के कार्य दस्तावेजों के बिना अभिगमन किये, निष्पादित किया है तथा मुख्यतः वैधानिक अंकेंक्षकों की जांच एवं कम्पनी कार्मिक व कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा किये गये अनुपूरक अंकेंक्षण के आधार पर ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य मेरे ध्यान में नहीं आया जिससे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी वैधानिक अंकेंक्षकों की रिपोर्ट में जोड़ बंध हो।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं निमित्त

ह.

(अतूर्वा सिन्हा)

महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II)

स्थान : जयपुर

दिनांक : 30.09.2022

अनुलग्नक

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहयोगी कम्पनियों की सूची जिनके वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों का अंकक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक द्वारा नहीं किया गया था।

सहयोगी कम्पनियां

- (1) राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड
- (2) राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड
- (3) महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड
- (4) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
- (5) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर
समेकित तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2022 को

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिसम्पत्तियां			
अचल सम्पत्तियां			
(ए) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	406.58	310.71
(बी) प्रगतिरत पूंजी कार्या	3	—	—
(सी) निवेश सम्पत्ति	4	101.59	103.00
(डी) अन्य अमूर्त सम्पत्तियां	5	26.94	14.97
(ई) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) समनुषंगी, सहबद्ध, संयुक्त उद्यमों में निवेश	6	14,984.76	12,942.49
(ii) अन्य निवेश	7ए	17,123.21	12,340.75
(iii) व्यापारिक प्राप्त्य	8ए	81,607.90	32,704.39
(iv) ऋण	9	31,099.14	36,243.73
(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	10ए	68,756.32	40,585.86
(एफ) अचल कर परिसम्पत्तियां	21ए	3,693.24	1,550.64
(जी) अन्य अचल परिसम्पत्तियां	13ए	2,751.04	3,121.40
कुल अचल परिसम्पत्तियां		220,550.73	139,917.95
चल परिसम्पत्तियां			
(ए) इन्वेन्ट्री	11	254,083.30	260,464.62
(बी) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) निवेश	7बी	959.77	476.44
(ii) व्यापारिक प्राप्त्य	8बी	98,145.20	81,544.56
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	12	54,831.78	23,698.08
(iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष	12ए	60,049.56	39,458.81
(v) अन्य	10बी	64,383.44	52,095.59
(सी) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	21बी	400.00	—
(डी) अन्य चल परिसम्पत्तियां	13बी	202.03	134.31
कुल चल परिसम्पत्तियां		533,055.10	457,872.43
कुल परिसम्पत्तियां		753,605.82	597,790.37
साम्या एवं दायित्व			
साम्या			
(ए) साम्या अंश पूंजी	14	21,018.58	21,018.58
(बी) अन्य साम्या	15	332,606.63	272,766.54
कुल साम्या		353,625.21	293,785.12

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
दायित्व			
अचल दायित्व			
(ए) वित्तीय दायित्व			
(i)			
(ia) पट्टा दायित्व		—	—
(i) अन्य वित्तीय दायित्व	16ए	4,717.66	4,678.77
(बी) प्रावधान	17ए	272.63	264.08
(सी) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	18	—	—
(डी) अन्य अचल दायित्व	19ए	309,494.58	230,323.59
कुल अचल दायित्व		314,484.87	235,266.44
चल दायित्व			
(ए) वित्तीय दायित्व			
(i)			
(ia) पट्टा दायित्व		—	—
(ii) व्यापारिक देयतायें	20	—	—
(ए) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की कुल बकाया देय राशि, और		—	—
(बी) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अलावा लेनदारों की			
कुल बकाया देय राशि		6,059.83	4,818.56
(ii) अन्य वित्तीय दायित्व	16बी	29,180.21	26,244.25
(बी) अन्य चल दायित्व	19बी	50,071.90	37,448.04
(सी) प्रावधान	17बी	183.80	124.14
(डी) चल कर दायित्व (शुद्ध)	21सी	—	103.83
कुल चल दायित्व		85,495.74	68,738.81
कुल साम्या एवं दायित्व		753,605.82	597,790.37

टिप्पणियां 1 से 57 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारे समदिनांक के अंकेक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफआरएन: 001100सी

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन : 22017184एक्यूटीएसईएल4558

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-7670414

(मनीष शुक्ला)
मुख्य वित्त अधिकारी

(कुलदीप रांका)
अध्यक्ष
डीआईएन-00279526

(डी.के. शर्मा)
सचिव
स. सं. ए-7037

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
संचालन से राजस्व	22	152,715.03	119,471.12
अन्य आय	23	5,297.96	3,592.24
कुल आय		158,012.99	123,063.36
व्यय			
भूमि के विकास पर व्यय		31,378.42	22,850.27
भूमि के स्टॉक में परिवर्तन	24	6,360.71	(5,490.86)
कर्मचारी परिलाभ व्यय	25	7,456.27	6,882.93
वित्त लागतें	26	518.30	432.71
मुल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	27	128.62	119.02
अन्य व्यय	28	34,659.68	26,182.73
कुल व्यय		80,502.01	50,976.79
अपवादात्मक मदों के पूर्व लाभ/(हानि) और कर		77,510.99	72,086.6
अपवादात्मक मदें:		3194.34	229.47
कर पूर्व लाभ/(हानि)		80,705.33	72,316.04
कर व्यय:	29		
चालू कर		19,100.00	19,000.00
आय कर (पूर्व वर्ष के कर)		(644.97)	—
आस्थगित कर		—	—
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)		62,250.29	53,316.04
अन्य व्यापक आय			
ए (i) वह मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा			
(ए) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		(326.27)	168.71

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
(बी) लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाने वाली सीमा तक सहयुक्त और संयुक्त उद्यमों में अन्य व्यापक आय का अंश		17.93	(0.20)
(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा		—	—
बी (i) वह मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा		—	—
(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा			
योग		(308.34)	168.51
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय/(हानि)		61,941.95	53,484.55
प्रति साम्या शेयर उपार्जन	30		
प्रत्येक 10 रुपये के मूल्य के साम्या अंश		—	—
(1) मूल एवं मन्दित (रुपये)		29.62	25.37

टिप्पणियां 1 से 57 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारे समदिनांक के अंकेक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन: 001100सी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार सदस्य
संख्या 017184
यूडीआईएन : 22017184एक्यूटीएसईएल4558

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-7670414

(कुलदीप रांका)
अध्यक्ष
डीआईएन-00279526

(मनीष शुक्ला)
मुख्य वित्त अधिकारी

(डी.के. शर्मा)
सचिव
स. सं. ए-7037

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
(ए) संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कराधान से पहले लाभ	80,705.33	72,316.04
अन्य व्यापक आय	(308.34)	168.51
	80,396.98	72,484.55
घटाइये: प्राप्त लाभांश	(1.21)	(1.21)
जोड़िये: निवेशों के विक्रय पर उचित मूल्य हानि	(3,983.68)	(75.04)
जोड़िये: निवेशों के विक्रय पर हानि	—	(25.96)
जोड़िये: हास	128.62	119.02
जोड़िये: अपलिखित ब्याज एवं वित्त प्रभार	5,182.52	3,238.25
जोड़िये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	463.29	(1,921.84)
घटाइये: कन्वेंशन सेन्टर से आय	(788.50)	(206.31)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पहले संचालन के लाभ	81,398.03	73,611.46
व्यापारिक प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)	(65,504.15)	(60,208.95)
इन्वेन्ट्री में कमी/(वृद्धि)	6,381.32	(5,457.85)
अन्य चालू आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(12,355.58)	(5,921.76)
अन्य गैर चालू आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(27,800.11)	(38,708.31)
ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(501.21)	(3,734.41)
चालू दायित्वों एवं प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	15,619.48	5,269.67
गैर चालू दायित्वों में कमी/(वृद्धि)	79,218.43	49,468.37

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
व्यापारिक देयताओं में कमी/(वृद्धि)	1,241.27	51.78
शुद्ध आय कर (प्रदत्त)/वापसी की प्राप्ति	(21,101.46)	(20,332.69)
संचालन गतिविधि से शुद्ध रोकड़ (ए)	56,596.03	(5,962.71)
(बी) निवेशी गतिविधियों से नकद प्रवाह		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय	(235.05)	(137.88)
निवेशों का (क्रय)/विक्रय	(3,324.38)	(1,793.72)
प्राप्त लाभांश	1.21	1.21
सभा केन्द्र से आय	788.50	206.31
निवेशी गतिविधि से शुद्ध रोकड़ (बी)	(2,769.72)	(1,724.08)
(सी) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
प्रदत्त लाभांश	(2,101.86)	(2,101.86)
वित्तीय गतिविधि से शुद्ध रोकड़ (सी)	(2,101.86)	(2,101.86)
नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)	51,724.45	(9,788.65)
अवधि के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	63,156.90	72,945.55
अवधि के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	114,881.35	63,156.90

- (1) सीएसआर गतिविधियों पर 484.62 लाख रुपये (गत वर्ष 472.00 लाख रुपये) के भुगतान के पश्चात् संचालन गतिविधि से नकद प्रवाह ज्ञात किया है।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

(2) नकद प्रवाह के विवरण में सम्मिलित नकद एवं नकद समतुल्यों में निम्नलिखित शामिल है:

विवरण	2021-22	2020-21
(ए) चल आस्तियों के अन्तर्गत प्रकटित नकद एवं नकद समतुल्य (टिप्पणी 12)	54,831.78	23,698.08
(बी) चल आस्तियों के अन्तर्गत प्रकटित अन्य बैंक शेष (टिप्पणी 12ए)	60,049.56	39,458.81
(सी) अचल आस्तियों के अन्तर्गत प्रकटित नकद एवं बैंक शेष (टिप्पणी 10)	68,756.32	40,585.86
तुलन-पत्र के अनुसार कुल नकद एवं नकद समतुल्य	183,637.67	103,742.76
घटाइयें: अचल आस्तियों के अन्तर्गत प्रकटित नकद एवं बैंक शेष (टिप्पणी 10)	68,756.32	40,585.86
नकद प्रवाह विवरण के अनुसार कुल नकद एवं नकद समतुल्य	114,881.35	63,156.90

(3) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां तक प्रयोज्य है पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणियां 1 से 57 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारे समदिनांक के अंकेक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन: 001100सी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन : 22017184एक्यूटीएसईएल4558

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-7670414

(कुलदीप रांका)
अध्यक्ष
डीआईएन-00279526

(मनीष शुक्ला)
मुख्य वित्त अधिकारी

(डी.के. शर्मा)
सचिव
स. सं. ए-7037

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर

साम्या में परिवर्तनों का समेकित विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये

ए. साम्या अंशपूँजी

(राशि लाख रुपये में)

1 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण साम्या अंश पूँजी में परिवर्तन	चालू प्रतिवेदित अवधि के आरम्भ में पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान साम्या में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष
21,018.58	—	21,018.58	—	21,018.58

बी. अन्य साम्या

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			
	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित उपाजर्जन	योग
01 अप्रैल, 2021 को शेष	20,553.97	22,042.85	230,169.71	272,766.53
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	—	—	—	—
चालू प्रतिवेदित अवधि के आरम्भ में पुनर्कथित शेष	20,553.97	22,042.85	230,169.71	272,766.53
अवधि हेतु लाभ	—	—	62,250.29	62,250.29
अन्य व्यापक आय	—	—	(308.34)	—308.34
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	—	—	61,941.95	61,941.95
लाभांश	—	—	(2,101.86)	(2,101.86)
विशेष आरक्षित को हस्तान्तरण	251.00	—	(251.00)	—
आस्थगित कर का पुनः लेखांकन [देखें नीचे टिप्पणी (i)]	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को शेष	20,804.97	22,042.85	289,758.81	332,606.63

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये

ए. साम्या अंशपूँजी

1 अप्रैल, 2020 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण साम्या अंश पूँजी में परिवर्तन	चालू प्रतिवेदित अवधि के आरम्भ में पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान साम्या में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 को शेष
21,018.58	—	21,018.58	—	21,018.58

बी. अन्य साम्या

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष			
	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित उपार्जन	योग
01 अप्रैल, 2020 को शेष	19,878.97	22,042.85	179,462.03	221,383.85
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	—	—	—	—
चालू प्रतिवेदित अवधि के आरम्भ में पुनर्कथित शेष	19,878.97	22,042.85	179,462.03	221,383.85
अवधि हेतु लाभ	—	—	53,316.04	53,316.04
अन्य व्यापक आय	—	—	168.51	168.51
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	—	—	53,484.55	53,484.55
लाभांश	—	—	(2,101.86)	(2,101.86)
विशेष आरक्षित को हस्तान्तरण	675.00	—	(675.00)	—
आस्थगित कर का पुनः लेखांकन [दिखें नीचे टिप्पणी (i)]	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को शेष	20,553.97	22,042.85	230,169.71	272,766.54

टिप्पणी (i) – उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में एवं भा.ले.मा. 12 के पैरा 61ए के अनुसार, साम्या में डेबिट की गयी सीमा तक आस्थगित कर देयता (1 अप्रैल 2017 तक) को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16.56 लाख रुपये की राशि को साम्या में क्रेडिट करके वापस कर दिया गया है। चालू वर्ष के लिये साम्या घटक के अस्थायी अंतर पर कोई आस्थगित आस्ति/देयता को मान्यता नहीं दी गयी है।

हमारे समदिनांक के अंकेक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

एफआरएन: 001100सी

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)

साझेदार

सदस्य संख्या 017184

यूडीआईएन : 22017184एक्यूटीएसईएल4558

स्थान : जयपुर

दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(शिवप्रसाद नकाते)

प्रबन्ध निदेशक

डीआईएन-7670414

(कुलदीप रांका)

अध्यक्ष

डीआईएन-00279526

(मनीष शुक्ला)

मुख्य वित्त अधिकारी

(डी.के. शर्मा)

सचिव

स. सं. ए-7037

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों का अंगभूत होने वाली सामान्य जानकारी एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

1. समूह की जानकारी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (रीको) भारत में निगमित एवं अधिवासित है जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर पर है। समूह के इन समेकित वित्तीय विवरणों में समूह और इसकी सहयोगी कम्पनियां हैं।

रीको ने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से आधारभूत संरचना के सृजन द्वारा राजस्थान राज्य के औद्योगिकीकरण की पहल की है। बड़ी, मध्यम और लघु परियोजनाओं को ऋण दे कर, रीको एक वित्तीय संस्था के रूप में भी कार्य करता है। औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबंधन एवं विकास के प्रशासन के लिये रीको ने पूरे राजस्थान में 30 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

राजस्थान के औद्योगिक विकास में, रीको ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। निवेशकों एवं उद्यमियों को रीको द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं में सम्मिलित हैं: स्थल चयन एवं भूमि का अधिग्रहण, बड़ी, मध्यम और लघु परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, योग्यता के आधार पर बड़ी परियोजनाओं में इक्विटी हिस्सेदारी, परियोजना के लिये तकनीकी परामर्श, पहचान और तकनीकी गठजोड़, एस्कार्ट सेवाएं, सरकारी मंजूरी/अनापत्ति की सुविधा एवं राज्य सरकार और उद्योग विभाग की नीतियों के अनुसार प्रोत्साहन तथा रियायतें प्रदान करना।

मूल समाजिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के साथ विकसित भौतिक आधारभूत संरचना में सड़कें, विद्युत, सड़क का प्रकाश प्रबंध, जल आपूर्ति, जल निकासी इत्यादि, शामिल हैं। रीको ने 88647.94 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर अब तक 390 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है। रीको ने लगभग 37.40 बिलियन रुपये अवधि ऋणों के रीको के योगदान के साथ लगभग 96.31 बिलियन रुपये के निवेश को उत्प्रेरित किया है एवं लगभग 1.13 लाख व्यक्तियों के लिये नियोजन सुलभ कराया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में 42319 से अधिक औद्योगिक इकाइयां उत्पादन में लिप्त हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

मुख्य लेखांकन नीतियां नीचे निर्दिष्ट की गयी हैं :

2.1 अनुपालना का विवरण

वित्तीय विवरणों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) के अनुसार चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी नोट/घोषणाओं को भी लागू किया है सिवाय इसके कि जहाँ अनुपालना में अन्य वैधानिक घोषणाओं के कारण भिन्न व्यवहार की आवश्यकता है।

निगम के निदेशक मण्डल द्वारा 02.09.2022 को वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिये स्वीकृति दे दी गयी है।

2.2 लेखांकन का आधार

निगम लेखों का संधारण ऐतिहासिक लागत का अनुसरण करते हुये प्रोद्भवन आधार पर करता है, सिवाय कुछ संव्यवहारों के लेखांकन नकद आधार पर के, जैसा कि इसके नीचे उल्लिखित है एवं सिवाय कुछ वित्तीय प्रपत्रों के जो कि प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अन्त में उचित मूल्य पर मापे जाते हैं जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में बताया गया है।

ऐतिहासिक लागत सामान्यतः सामग्री एवं सेवाओं के लिये आदान-प्रदान में दिये गये प्रतिकर के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य वह कीमत है जो कि किसी परिसम्पत्ति के विक्रय पर प्राप्त होगी या मापन की दिनांक को बाजार सहभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में देयता को हस्तांतरित करने के लिये भुगतान की गयी कीमत भले ही उस कीमत का प्रत्यक्षतः मूल्यांकन किया जाए या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक से आकलन किया गया है। किसी परिसम्पत्ति या दायित्व के उचित मूल्य का आकलन करने में, निगम परिसम्पत्ति या दायित्व की उन विशेषताओं को ध्यान में रखता है यदि बाजार प्रतिभागियों ने परिसम्पत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण के दौरान जिन विशेषताओं को मापने की तिथि पर ध्यान में रखा होगा। इन वित्तीय विवरणों में मापन एवं/अथवा प्रकट करने के प्रयोजनार्थ उचित मूल्य का निर्धारण इस आधार पर किया है।

भा.ले.मा. के अधीन उचित मूल्य मापन को उस डिग्री के आधार पर वर्गीकृत यथा निम्न प्रकार किया जाता है जहां उचित मूल्य के मापों के लिये इनपुट विचार योग्य है एवं उचित मूल्य मापन के लिये इनपुट का महत्व पूरी तरह से है।

- ❖ स्तर 1 इनपुट वह इनपुट है जो समान आस्तियों या दानेदारियों के लिये सक्रिय बाजार में उद्धृत कीमत है जो कि निगम मापन की दिनांक पर पहुंच सकता है।
- ❖ स्तर 2 इनपुट स्तर 1 में अन्तर्निहित उद्धृत कीमत के अतिरिक्त, वह इनपुट है, जो कि आस्ति या दायित्व के लिये चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विचार योग्य है; एवं
- ❖ स्तर 3 इनपुट, आस्तियों/दायित्वों के मूल्यांकन के लिये अविचारणीय इनपुट है।

उचित मूल्य अनुक्रम के उपरोक्त स्तरों को सुसंगत रूप से लागू किया जाता है और जब तक कि परिस्थिति के परिवर्तन इस तरह के हस्तांतरण नहीं चाहते हैं सामान्यतः, उचित मूल्य अनुक्रम के स्तरों के मध्य कोई हस्तांतरण नहीं होता है।

2.2.1 नकद आधार पर लेखाबद्ध संव्यवहार

- ❖ राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित क्षेत्रों/सम्पदाओं से वसूली, जल प्रभार पर ब्याज एवं लघु भूमि के विरुद्ध धन-वापसी।
- ❖ आर्थिक सहायता/प्रोत्साहन राशि जो कि उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात् आवंटियों को भूमि के कुल लागत का 25 प्रतिशत दिया गया है, का अन्तिम भाग, सतत उत्पादन प्रोत्साहन योजना, पिछड़े क्षेत्र प्रोत्साहन योजना।
- ❖ किशतों पर आवंटित भूमि पर ब्याज/भूमि के तहत अतिरिक्त वसूली, किशतों पर आवंटित भूमि एवं शेड/भवन पर ब्याज एवं आर्थिक किराया एवं उस पर ब्याज।
- ❖ भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिये रूपान्तरण प्रभार।

2.2.2 सहयोगी कम्पनियों में निवेश के लिये समेकन एवं इक्विटी के लेखांकन के सिद्धान्त

एक सहयोगी कम्पनी एक सत्ता है जिस पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेश के वित्तीय और परिचालन नीति के निर्णय में भाग लेने की शक्ति है परन्तु उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा.) 28 एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम में निवेश के अनुसार तैयार किये गये हैं।

साम्या विधि

लेखांकन की साम्या विधि के अन्तर्गत, निवेशों को प्रारम्भ में लागत पर मान्य किया जाता है और इसके पश्चात् समेकित लाभ व हानि विवरण में निवेशक कम्पनी के पश्च-अधिग्रहण लाभों या हानियों में निगम के अंश को एवं अन्य व्यापक आय में निवेशी कम्पनी की अन्य व्यापक आय का निगम के अंश को मान्य करने के लिये समायोजित किये जाते हैं। सहयोगी कम्पनियों से प्राप्त लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब साम्या विधि के अन्तर्गत, निवेश में होने वाली हानियों के निगम के अंश सत्ता में इसके हित के बराबर या अधिक हो जाता है, निगम आगामी हानियों को मान्य नहीं करता है जब तक कि सहयोगी कम्पनियों की ओर से भुगतान नहीं किया गया है या दायित्वों को उपगत नहीं किया गया है।

निगम और इसकी सहयोगी कम्पनियों के मध्य संव्यवहारों पर अप्राप्त प्राप्तियों को इन सत्ताओं में निगम के हितों की सीमा तक खारिज कर दिया जाता है। अप्राप्त हानियों को भी खारिज कर दिया जाता है जब तक कि संव्यवहार अन्तरित आस्ति के ह्रासन का प्रमाण नहीं देता है। जहां आवश्यक है, इक्विटी लेखाबद्ध निवेशकों की लेखांकन नीतियों को परिवर्तित कर दिया गया है।

सहयोगी कम्पनियों के समेकन में वित्तीय विवरणों को उसी रिपोर्टिंग दिनांक तक तैयार किये गये हैं जिस दिनांक तक निगम के वित्तीय विवरण हैं।

2.3 आकलनों का उपयोग

भा.ले.मा. के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रबंधन को निर्णय करने, प्राक्कलनों तथा पूर्वधारणाओं की आवश्यकता होती है। यह प्राक्कलन, निर्णय एवं पूर्वधारणाएं वित्तीय विवरणों की दिनांक को लेखांकन नीतियों का उपयोग एवं आकस्मिक आस्तियों एवं दायित्वों के प्रकटीकरण, आस्तियों एवं दायित्वों की प्रतिवेदित मूल्य एवं अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की प्रतिवेदित राशियों को प्रभावित करते हैं। उपयोग किये गये मुख्य लेखांकन प्राक्कलनों का इन वित्तीय विवरणों में संबंधित आय/व्यय और/अथवा आस्ति/दायित्व के अन्तर्गत वर्णन किया गया है। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किये गये प्राक्कलन युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों एवं निहित पूर्वधारणाओं की चालू आधार पर समीक्षा की जाती है। जिस अवधि में आकलनों को संशोधित किया जाता है और यदि संशोधन केवल संशोधन अवधि को एवं भावी अवधि को प्रभावित करता है, यदि संशोधन चालू एवं भावी अवधि दोनों को प्रभावित करता है, तो उस अवधि में लेखांकन आकलनों में संशोधन को मान्यता दी जाती है।

2.4 समेकित वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि का विवरण तैयार किया जाता है और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची-प्प में विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाते हैं। नकद प्रवाह विवरण को भारतीय लेखा मानक 7 “नकद प्रवाह का विवरण” की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया जाता है एवं प्रस्तुत किया जाता है। अधिनियम की अनुसूची-प्प में यथा विहित, तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि विवरण की मदों के संबंध में अपेक्षित प्रकटीकरण को अधिसूचित लेखामानकों के अन्तर्गत प्रकट किये जाने वाले अपेक्षित अन्य टिप्पणियों सहित वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग जैसी टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III द्वारा यथा अनुज्ञात, वित्तीय विवरणों में राशियां भारतीय लाख रुपये में को दशमलव तक पूर्णांकित करते हुये, प्रस्तुत की गयी है। प्रति शेयर के आंकड़ों को भारतीय रुपये में दो दशमलव तक प्रस्तुत किया गया है।

सभी आस्तियों एवं दायित्वों को निगम के सामान्य क्रियाशील चक्र के अनुसार यथा चल अथवा अचल (चालू और गैर-चालू) के वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति एवं प्रसंस्करण के लिये आस्तियों का अधिग्रहण एवं उनकी नकद और नकद समतुल्य में वसूली के मध्य समय के आधार पर, निगम ने आस्तियों एवं दायित्वों के चल या अचल वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ अपने क्रियाशील चक्र को यथा 12 माह के निश्चित किया है।

2.5 राजस्व मान्यता

समूह ने भा.ले.मा. 115 “ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व” को अंगीकृत कर लिया है जो कि 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी है।

राजस्व मान्यता से संबंधित नयी और/या संशोधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश निम्नलिखित है—

निगम ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह ग्राहक को वचन दी गयी वस्तु या सेवा के हस्तान्तरण द्वारा प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। प्रदर्शन दायित्व के लिये आवंटित संव्यवहार मूल्य की सीमा तक राजस्व को मान्यता दी जाती है। ग्राहकों के साथ निगम की संविदाओं में ग्राहक को अनेक उत्पादों और सेवाओं का हस्तान्तरण करने का वचन शामिल हो सकता है। निगम संविदा में दिये गये वचन वाले उत्पादों/सेवाओं का आंकलन करता है और संविदा में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को परिलक्षित करता है। अलग-अलग प्रदर्शन दायित्व की पहचान में परिदेयों और ऐसे परिदेयों से स्वतंत्र रूप से ग्राहक को लाभ उठाने की क्षमता का निर्धारण करने का निर्णय सम्मिलित है।

क्या प्रदर्शन दायित्व समय-समय पर या समय पर संतुष्ट है, का निर्धारण करने में निगम निर्णय का प्रयोग करता है। निगम संकेतकों पर विचार करता है जैसे कि सेवाओं को प्रदान किये जाने के पश्चात् ग्राहक किस तरह से लाभ उठाता है या आस्ति का कौन नियन्त्रण करता है जैसा कि इसका सृजन किया जा रहा है या अब तक के प्रदर्शन के लिये प्रवर्तनीय अधिकार का आस्तित्व और ऐसे उत्पाद या सेवा का वैकल्पिक उपयोग, महत्वपूर्ण जोखिमों का अन्तरण और ग्राहक को प्रतिफल, ग्राहक द्वारा परिदान की स्वीकृति, इत्यादि।

समय-समय पर संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिये, राजस्व मान्यता प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति प्रगति को माप कर की जाती है। प्रगति का प्रदर्शन दायित्व को आरोप्य कुल प्राक्कलित लागत के अनुपात में तिथि तक उपगत वास्तविक लागत से माप किया जाता है।

संव्यवहार कीमत, प्रतिफल की वह राशि है जिसकी निगम किसी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को वर्जित करते हुये किसी ग्राहक को वस्तु या सेवा हस्तान्तरित करने के फलस्वरूप हकदार होने की अपेक्षा करता है।

जब संविदात्मक शर्तों के अनुसार समय व्यतीत होने के अतिरिक्त किसी भी पर सही स्थिति है, संविदा आस्तियों को मान्यता दी जाती है। अनर्जित एवं आस्थगित राजस्व (“संविदा दायित्व”) को मान्यता तब दी जाती है जब ग्राहक को वस्तु या सेवा जिसके लिये सत्ता ने ग्राहक से प्रतिफल (या राशि बकाया है) प्राप्त कर लिया है, हस्तान्तरित करने का दायित्व है।

2.5.1 आधारभूत संरचनाओं से राजस्व

भा.ले.मा. 115 द्वारा विशेष रूप से भा.ले.मा. 116 के विषय क्षेत्र के भीतर पट्टे के अनुबन्धों को अपने विषय

क्षेत्र से वर्जित कर दिया है। बुनियादी ढांचे की गतिविधियों पर आधारित समझौतों की जांच की गयी एवं यह ज्ञात हुआ कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं में दो तत्व होते हैं, एक वह जो भूमि का पट्टा है और दूसरा तत्व विकास गतिविधि है।

भा.ले.मा. 116 के अनुसार, यदि किसी व्यवस्था में पट्टा होता है, तो व्यवस्था के पक्षकार व्यवस्था के पट्टे के तत्व के रूप में भा.ले.मा. 116 की अपेक्षाओं को लागू करेंगे और अन्य तत्वों को जो कि भा.ले.मा. 116 के विषय क्षेत्र में नहीं है उन्हें अन्य मानकों के अनुसार लेखाबद्ध किया जायेगा।

भा.ले.मा. 116 की अपेक्षाओं को लागू करने के प्रयोजनार्थ, व्यवस्था द्वारा अपेक्षित भुगतानों एवं अन्य प्रतिफल व्यवस्था के प्रारम्भ होने पर या उन पट्टों के लिये और उनके सम्बन्धित उचित मूल्यों के आधार पर उन अन्य तत्वों के लिये उनकी व्यवस्था के पुनः निर्धारण पर पृथक् किया जायेगा। निगम ने लागत साथ ही लाभ के दृष्टिकोण के आधार पर प्रत्येक तत्व (भूमि तथा विकास गतिविधि) को संव्यवहार मूल्य का आवंटन करने में महत्वपूर्ण निर्णय, प्राक्कलन एवं आंकलनों का उपयोग किया है, जैसा कि संविदा में वादा किये प्रत्येक अलग उत्पाद या सेवा की एकल विक्रय मूल्य प्रत्यक्ष नहीं थी।

प्रबन्धन विश्वास करता है कि इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किये गये प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं उचित है।

2.5.1.1. तदनुसार, भा.ले.मा. 116 'पट्टा' (इस संबंध में नीति 'पट्टा' के लिये नीति के अधीन आवृत्त है) के सिद्धान्तों एवं प्रावधानों को भूमि के तत्व के मामले में लागू किया गया है और विकास गतिविधियों के मामले में भा.ले.मा. 115 को लागू किया गया है तथा इस सम्बन्ध में नीतियों को इसमें आगे उल्लिखित किया गया है।

2.5.1.2. विकास गतिविधियां

- ❖ जब प्रदर्शन दायित्व समय-समय पर संतुष्ट हो जाते हैं और प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति सत्ता अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है, राजस्व को " संपूर्ति विधि का प्रतिशत" के अनुसार मान्यता दी जाती है।
- ❖ जब निगम प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने के लिये सक्षम नहीं है, परन्तु प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में व्यय की गयी लागत की वसूली की अपेक्षा करता है, निगम राजस्व को उस समय तक जब वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप सकता है, व्यय की गयी लागत की सीमा तक मान्य करता है।
- ❖ निम्नलिखित शर्तों को पूरा होने पर प्रगति की उचित माप को प्राप्त करने के लिये माना जाता है:
 - i) परियोजना के प्रारम्भण के लिये आवश्यक सभी संकटमय स्वीकृतियां प्राप्त कर ली है;
 - ii) जब परियोजना के पूर्ण होने का चरण विकास के यथोचित स्तर पर पहुंचता है। यदि निर्माण एवं विकास पर उपगत व्यय लागते (भूमि लागत के अतिरिक्त) आंकलित निर्माण एवं विकास की कुल लागतों (भूमि लागत के अतिरिक्त) के 25 प्रतिशत से कम है तो विकास का यथोचित स्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
 - iii) विक्रय योग्य परियोजना क्षेत्र का कम से कम 25 प्रतिशत भाग क्रेताओं से संविदाओं या समझौतों के द्वारा प्रतिभूत है, एवं

- iv) विक्रय के समझौतों या कोई अन्य विधितः प्रवर्तनीय दस्तावेजों के अनुसार कुल राजस्व का कम से कम 10 प्रतिशत प्रत्येक संविदा के संबंध में प्रतिवेदित दिनांक को वसूल किया गया है एवं ऐसी संविदाओं के पक्षकारों द्वारा संविदात्मक भुगतान शर्तों की पालना करना, की युक्तियुक्त रूप से आशातीत है।
- ❖ समय-समय पर संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों के मामलों में मान्य की जाने वाली राजस्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रयुक्त किया जाता है, प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति प्रगति को माप कर राजस्व की मान्यता की जाती है। प्रगति का प्रदर्शन दायित्व को आरोप्य कुल प्राक्कलित लागत के अनुपात में तिथि तक उपगत वास्तविक लागत से माप किया जाता है।
- ❖ राजस्व की गणना के लिये, पूर्णता का प्रतिशत परियोजना की कुल आंकलित लागत के तहत सहयुक्त वित्तीय लागतों, एवं निर्माण एवं विकास लागतों सहित उपगत किये गये वास्तविक व्यय के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जब परियोजना का परिणाम विश्वस्त रूप से निश्चित किया जा सकता है एवं सभी उपरोक्त शर्तों को पूरा कर लिया गया है, भूमि के आवंटन से राजस्व को जैसाकि ऊपर निर्धारित किया गया है पूर्णता के प्रतिशत को भा.ले.मा. 115 के अन्तर्गत संव्यवहार मूल्य (अर्थात् आवंटित भूमि के मूल्य में से भूमि घटक के उचित मूल्य को कम करके) से गुणा करके निर्धारित किया जाता है।
- ❖ आवंटित भू-खण्डों के रद्दकरण पर, यथा प्रयोज्य आवंटन/पट्टा के निबन्धनों के अनुसार, देय ब्याज को देय प्रभारों के विनियोग के पश्चात् केवल धनवापसी के लिये योग्य राशि की सीमा तक यथा आय के मान्यता प्राप्त है और अधिक धनराशि, यदि कोई है, आवंटियों के वापस की जाती है।
- ❖ एक मुश्त आर्थिक किराए की प्राप्ति एवं एक मुश्त प्राप्त सेवा प्रभार की राशि को दस वर्षों की अवधि तक विस्तारित कर मान्यता दी जाती है।
- ❖ सेवा प्रभार, सेवा प्रभार पर ब्याज और 5 वर्ष या उससे अधिक के लिये बकाया जल प्रभार की बकाया राशि को अच्छा विचारित नहीं किया जाता है और वसूली के अधिकार का प्रतिधारण करते हुये इसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

2.5.1.3. आवंटित भूमि का मूल्य :

- (i) भूमि आवंटन पर क्रेता से प्राप्त/प्राप्ति योग्य राशि को आवंटित भूमि के मूल्य में जमा किया जाता है, चाहे पट्टा-विलेख का निष्पादन नहीं हुआ हो।
- (ii) निगम द्वारा वास्तव मे कब्जा लेने पर ही भूखण्ड/शेड का आवंटन निरस्त/समर्पित माना जाता है तथा पूर्व में प्राप्त राशि को आवंटित भूमि के मूल्य के डेबिट में लिखा जाता है।
- (iii) किसी परियोजना विशेष के लिए अवाप्त अविकसित भूमि या जहां औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक रूप में उपयुक्त नहीं आंका गया है, ऐसी भूमि की लागत का लेखांकन आवंटित भूमि के अनुपात में किया जाता है।
- (iv) रीको-भू निष्पादन नियम, 1979 के नियम 3(ए) में उल्लेखित विशिष्ट श्रेणी के आवंटियों को भूमि आवंटन पर छूट का लेखांकन भुगतान के वर्ष में, उसी सीमा तक संबंधित आवंटन की राशि में से घटाते हुए किया जाता है।

- (v) सक्षम अधिकारियों द्वारा रीको के पक्ष में पट्टा विलेखों का निष्पादन शेष रहते भी भूमि का आवंटन कर दिया जाता है।

2.5.1.4 आधारभूत संरचना/सम्पत्ति विकास की गतिविधि की लागत का निर्धारण

- (ए) आधारभूत सुविधा गतिविधि का लेखांकन औद्योगिक क्षेत्रवार भूमि के विकास की अनुमानित लागत, आवंटित भूमि का मूल्य तथा बिक्री योग्य अनुमानित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
- (बी) भूमि के विकास की अनुमानित लागत में निम्न शामिल है :-
- औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर की जाने वाली अनुमानित प्रत्यक्ष लागत।
 - अनुमानित उपरिव्यय एवं
 - विकास अवधि के दौरान अनुमानित वित्त प्रभार।
- (सी) भूमि विकास की अनुमानित लागत की गणना निम्न आधार पर की जाती है :
- औद्योगिक क्षेत्रवार अनुमानित प्रत्यक्ष विकास व्यय जैसाकि संबंधित प्रशासनिक स्वीकृतियों/संशोधित स्वीकृतियों में नियोजित किया गया।
 - औद्योगिक क्षेत्रवार अनुमानित उपरिव्यय निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते हैं :

जहां मूल प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी थी	अनुमानित उपरिव्यय
(i) 1.4.91 से पूर्व	अनुमानित प्रत्यक्ष लागत का 10 प्रतिशत
(ii) 1.4.91 से 31.3.96 के मध्य	भूमि की लागत का 1 प्रतिशत तथा अन्य अनुमानित प्रत्यक्ष लागत का 10 प्रतिशत
(iii) 1.4.96 से 14.7.97 के मध्य	उपरोक्त (ii) के अतिरिक्त ग्रामीण सुविधाओं एवं दक्षता विकास योजनाओं के लिए भूमि की लागत का एक एक प्रतिशत प्रत्येक के लिए
(iv) 15.7.97 के पश्चात्	उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त भूमि की लागत का 2 प्रतिशत बाह्य विकास प्रभार के रूप में
(v) 09.08.2017 के पश्चात्	उपरोक्त (iv) के अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा कोष के प्रति 1 प्रतिशत का प्रत्यक्ष प्रभार

- अनुमानित वित्त प्रभार की गणना औद्योगिक क्षेत्र की विकास अवधि के आधार पर की जाती है तथा विकास अवधि में भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

- (डी) अनुमानित बिक्री योग्य क्षेत्र :

कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का निर्धारण या तो क्षेत्र की प्रशासनिक स्वीकृति/अद्यतन नियोजन अनुसार निर्धारित किया जाता है या आवंटित एवं आवंटन के लिये लम्बित क्षेत्र को जोड़कर। उपरोक्त दोनों में पाये गये किसी अन्तर को ज्ञात होने के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

(ई) प्रत्यक्ष विकास व्यय :

प्रत्यक्ष विकास व्ययों में भूमि अवाप्ति के पेटे मुआवजा राशि, निर्माण लागत, विद्युत, जलापूर्ति, आधारिक संरचनाओं का उन्नयन तथा जल संरक्षण संरचना इत्यादि पर व्यय सम्मिलित हैं, फिर भी :

- (i) भूमि का कब्जा या अधिकार पत्र में से जो भी पहले प्राप्त हो, के आधार पर भूमि की लागत एवं उससे संबंधित व्ययों को प्रत्यक्ष विकास व्यय माना जाता है।
- (ii) औद्योगिक क्षेत्रों के विकास/रख-रखाव पर व्ययों का प्रावधान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अगले माह की अन्तिम तिथि तक किये गये भुगतानों के आधार पर किया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृतियों/संशोधित स्वीकृतियों का लेखांकन प्रभाव उनके जारी किये जाने के वर्ष में दिया जाता है।
- (iii) जल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति पर व्ययों को पी.एच.डी. एवं विद्युत कम्पनियों से विवरण/प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।
- (iv) स्टोर्स/स्पेयर्स का उपयोग की गई मात्रा के आधार पर किया जाता है। स्पेयर्स को पुनः स्टोर्स में लौटाने पर केवल मात्रा (संख्या) में लेखांकित किया जाता है तथा बाद में उनको शून्य मूल्य पर ही जारी किया जाता है।
- (v) औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य उपयोग की भूमि, भवन/निर्माण कार्य सहित स्थायी सम्पत्तियों पर किये गये व्यय को प्रत्यक्ष विकास व्यय माना जाता है तथा तुलन-पत्र में दर्शायी गयी स्थायी सम्पत्तियों का भाग नहीं है। अग्रतर, वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं उससे आगे औद्योगिक क्षेत्रों में स्वयं के प्रशासनिक उपयोग के लिये भूमि एवं भवन आदि सहित स्थायी सम्पत्तियों पर किये गये व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।
- (vi) राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार, खातेदारों को नकद मुआवजों के एवज में आवासीय/औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकसित भूमि का आवंटन करने के लिए विहित प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है। तदनुसार, संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों की प्रशासनिक स्वीकृतियों की लागत फलकों को तैयार करते समय, उन खातेदारों का मुआवजा जिन्होंने भूमि व विक्रय योग्य क्षेत्र की एवज में भूखण्ड के लिये विकल्प दिया है, को छोड़कर, शुद्ध मुआवजा एवं शुद्ध विक्रय योग्य क्षेत्र को विचारित किया जाता है।

2.5.2. जैसे ही और जब ग्राहक निगम के प्रदर्शन का लाभ प्राप्त करता है तथा निगम के पास सेवाओं के हस्तान्तरण के लिये भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार होता है, सेवाओं के प्रतिपादन से राजस्व को समय-समय पर मान्य किया जाता है। बिना बिल का राजस्व संविदा शर्तों के अनुसार निष्पादित सेवाओं का मूल्य दर्शाता है परन्तु बिल नहीं बनाया गया है।

2.5.3. अन्य राजस्व व्यापार के लिये आकस्मिक गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है और तब मान्य किया जाता है जब प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि हो जाती है तथा संविदा के निबंधनों के अनुसार, आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.5.4. लाभांश आय को जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, अभिलिखित किया जाता है।

2.6 पट्टा

क्या कोई समझौता पट्टा है या पट्टे को समाविष्ट करता है, का निर्धारण समझौते के प्रारम्भ की दिनांक के सार पर आधारित है।

वित्त पट्टा

वह पट्टे जिनमें समूह वस्तुतः सभी जोखिमों एवं संबंधित आस्तियों के स्वामित्व के प्रतिफल रखता है, को यथा वित्त पट्टों के वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन/क्रियाशील पट्टा

पट्टे जिन्हें यथा वित्त पट्टों के वर्गीकृत नहीं किया गया है, परिचालन/क्रियाशील पट्टे हैं।

क) समूह यथा पट्टेदार के

कम्पनी की पट्टे पर दी गयी परिसम्पत्तियों के वर्ग में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं। कम्पनी निर्धारित करती है कि क्या अनुबंध के प्रारम्भ में, अनुबंध में पट्टा निहित है। कोई अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा निहित है यदि अनुबंध प्रतिफल के लिये विनियम में परिलक्षित परिसम्पत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

यह मूल्यांकन करने के लिये कि क्या कोई अनुबंध परिलक्षित परिसम्पत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार, कम्पनी निर्धारित करती है कि क्या

- (i) अनुबंध में किसी परिलक्षित परिसम्पत्ति का उपयोग अन्तर्ग्रस्त है
- (ii) कम्पनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसम्पत्ति के उपयोग से होने वाले वस्तुतः सभी आर्थिक लाभ हैं और
- (iii) कम्पनी के पास परिसम्पत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे की प्रारम्भण की दिनांक को कम्पनी बारह माह या उससे कम अवधि (अल्पावधि पट्टे) वाले पट्टे और निम्न मूल्य के पट्टों को छोड़कर 'उपयोग का अधिकार' परिसम्पत्ति और जिसमें यह पट्टेदार है, सभी पट्टे की व्यवस्था के लिये संबंधित पट्टा देयता का अभिज्ञान करती है। इन अल्पावधि एवं निम्न मूल्य पट्टों के लिये, कम्पनी पट्टे की अवधि पर सरल रेखा आधार पर यथा परिचालन व्यय के पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कतिपय पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे का विस्तार या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। 'उपयोग का अधिकार' परिसम्पत्तियों और पट्टा देनदारियों में ये विकल्प अन्तर्ग्रस्त हैं, जब यह उचित रूप से निश्चित है कि उन्हें प्रयोग किया जायेगा। उपयोग का अधिकार परिसम्पत्तियों को आरम्भ में लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे की देय राशि को प्रारम्भिक राशि जो पट्टे के प्रारम्भण को या उससे पहले किये गये किसी भी पट्टा भुगतानों के लिये समायोजित की जाती है, साथ ही किसी भी पट्टा प्रोत्साहन राशि को कम करके कोई भी प्रारम्भिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। तत्पश्चात्, उन्हें संचित मूल्य ह्रास और क्षीणता हानियों को कम करके लागत पर मापा जाता है।

'उपयोग का अधिकार' परिसम्पत्तियों का पट्टा अवधि की अल्पकालीनता और अन्तर्निहित परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन पर सरल-रेखा के आधार पर प्रारम्भण तिथि से मूल्य ह्रास किया गया है। जब भी

घटनायें या परिस्थितियां परिवर्तन इंगित करती है कि उनकी वहन राशियां पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकेंगी, 'उपयोग का अधिकार' परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पुनर्प्राप्ति के लिये किया जाता है।

पट्टे की देयता को आरम्भ में भावी पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्यों पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या यदि आसानी से निर्धारणीय नहीं है तो इन पट्टों की अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके पट्टा भुगतानों में छूट दी जाती है। यदि कम्पनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है यदि क्या वह विस्तार या समाप्ति के विकल्प का प्रयोग करेगी तो संबंधित 'उपयोग का अधिकार' परिसम्पत्तियों को अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा देनदारियों को पुनः मापा जाता है।

ख) समूह यथा पट्टादाता के

- अ. प्रचालन पट्टों के अन्तर्गत पट्टे पर दी गई आस्तियों को आस्तियों के संबंधित वर्ग के अधीन दर्शाना जारी है।
- ब. वित्त पट्टे के अन्तर्गत दी गई आस्तियां को पट्टे में शुद्ध निवेश की समतुल्य राशि पर यथा प्राप्य के मान्यता दी जाती है। पट्टे की आय को पट्टे की अवधि पर मान्यता दी जाती है जिससे कि पट्टे में शुद्ध निवेश पर स्थिर दर का प्रतिलाभ प्राप्त हो। पट्टा अवधि के प्रारम्भ होने पर मान्य विक्रय राजस्व, आस्ति का उचित मूल्य है, या यदि कम है, तो पट्टेदार के लिये उपार्जित न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य, जो ब्याज के बाजार दर पर गणना की गयी है।

2.7 कर्मचारी परिलाभ

कर्मचारी परिलाभों में वेतन, मजदुरी, भविष्य निधि, ग्रेच्यूटी, अनुपभोगित अवकाश के लिये अवकाश नकदीकरण, प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, पश्च-सेवानिवृति चिकित्सा लाभ शामिल है। सभी अल्पावधि कर्मचारी परिलाभों को उनकी बिना छूट की राशि पर उस लेखा अवधि में जिसमें वे उपगत हुये हैं, मान्यता दी जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारी परिलाभ जिसमें भविष्य निधि, पश्च-सेवानिवृति चिकित्सा परिलाभ एवं कर्मचारी कल्याण निधि समावेशित है, को योजना में अंशदान करने के लिये कम्पनी की प्रतिबद्धता को बिना छूट की राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित सेवानिवृति योजना में ग्रेच्यूटी शामिल है एवं परिभाषित लाभ प्रतिबद्धता के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है जिसकी गणना प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदित अवधि के अन्त में किये जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ प्रस्तावित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुये की जाती है। इनको या तो यथा चालू कर्मचारी लागत के लेखाबद्ध किया जाता है या अनुज्ञात आस्तियों की लागत में शामिल किया जाता है।

शुद्ध परिभाषित दायित्व पर शुद्ध ब्याज की गणना शुद्ध परिभाषित दायित्व या आस्ति की अवधि के प्रारम्भ पर छूट दर लगाते हुये की जाती है एवं लाभ व हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। परिभाषित सेवानिवृति लाभ योजनाओं का पुनः मापन जिसमें बीमांकिक प्राप्तियां और हानियां तथा योजना आस्तियों (जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है शुद्ध ब्याज रहित) पर प्रतिफल समावेशित है, को उस अवधि में जिसमें वे होती हैं, अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है एवं बाद में लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है। वित्तीय विवरणों

में मान्य सेवानिवृत्त लाभ दायित्व, कम्पनी के परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक कमी या अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है। इस गणना के परिणामतः कोई भी अधिशेष, योजनाओं में भावी अंशदानों में घटत के रूप में उपलब्ध किसी आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी परिलाभ

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी परिलाभ में अनुपभोगित अवकाश के लिये अवकाश नकदीकरण एवं प्रतिपूर्तिक अनुपस्थितियां समावेशित हैं; इनको परिभाषित लाभ प्रतिबद्धता के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है जिसकी गणना प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदित अवधि के अन्त में किये जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ प्रस्तावित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुये की जाती है। इनको या तो यथा चालू कर्मचारी लागत के लेखाबद्ध किया जाता है या अनुज्ञात आस्तियों की लागत में शामिल किया जाता है। अनुपभोगित अवकाश के तहत अवकाश नकदीकरण एवं प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों के पुनः मापन को लाभ व हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उनके जिनको उस अवधि में जिसमें व्यय होते हैं यथा अनुज्ञात आस्तियों की लागत में शामिल कर लिया गया हो।

2.8 आयकर

वर्ष के लिये आयकर के व्ययों में चालू कर समाविष्ट है। इसे लाभ व हानि विवरण में, उस सीमा के अतिरिक्त जहां तक इसका संबंध किसी आइटम से है जिसे सीधे ही इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया है, मान्यता दी जाती है।

चालू कर, पिछले वर्षों के संबंध में कर का कोई समायोजन एवं तुलन पत्र की दिनांक को प्रयोज्य कर दरों का उपयोग करते हुये वर्ष के लिये कर योग्य आय/हानि पर प्रत्याशित देय/प्राप्त कर है। आयकर से संबंधित आय/व्यय एवं शास्तियां, यदि कोई हो, को चालू कर व्यय में शामिल किया जाता है।

जब मान्यता प्राप्त राशियों को कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार है एवं शुद्ध आधार पर आस्ति एवं दायित्व का निपटान करने का उद्देश्य है, चालू कर आस्तियों एवं चालू कर दायित्वों को ऑफसेट किया जाता है।

अधिसूचना एस.ओ. 1465 (ई) दिनांक 02.04.2018 के साथ पठित अधिसूचना एस.ओ. 529 (ई) दिनांक 05.02.2018 के अनुसार, आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित कर दायित्व से संबंधित भारतीय लेखा मानक 12 के प्रावधान 01 अप्रैल, 2017 से उन सरकारी निगमों पर लागू नहीं होंगे जो कि: (ए) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (72) के उप-खण्ड (पअ) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान हैं।

रीको लिमिटेड (राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड) जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (72) के उप-खण्ड (पअ) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत सम्मिलित होगा एवं तदनुसार आस्थगित कर का लेखांकन नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

संव्यवहार या घटना जो लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त है, उसकी या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में प्रयोज्य कर के साथ प्रविष्टि की गयी है।

2.9 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को संचित मूल्य ह्रास एवं संचित ह्रासन हानियां, यदि कोई हो, की शुद्ध अधिग्रहण लागत पर कथित किया जाता है। पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है एवं

उचित हो, यथा पृथक आस्ति के मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि आइटम से सहबद्ध भावी आर्थिक लाभ निगम को मिलेंगे एवं आइटम की लागत को विश्वस्त रूप से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत एवं रख-रखाव के व्यय को उस अवधि के दौरान जिसमें यह उपगत हुये है, लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान या हटा देने से होने वाली प्राप्ति या हानि को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों की अभिवृद्धि पर/कटौती पर ह्रास को जिस दिनांक से आस्तियां उपभोग/निपटान के लिये उपलब्ध है, ह्रास को यथानुपात आधार पर प्रभारित किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-द्वितीय के अन्तर्गत विहित पूर्वानुमानित उपयोग जीवन पर ह्रास को सरल रेखा विधि द्वारा प्रभारित किया जाता है, इस अपवाद के कि 2500 रुपये या कम की लागत वाली आस्तियों का पूर्ण रूप से क्रय के वर्ष में मूल्य ह्रास किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन एवं मूल्य ह्रास की विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है एवं यदि उचित हो तो, भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण जो कि तुलन पत्र की दिनांक को आशातीत उपयोग के लिये तैयार नहीं हैं, को यथा 'प्रगतिरत पूंजी कार्य' के प्रकट किया जाता है।

भा.ले.मा. में संक्रमण की दिनांक अर्थात् 01 अप्रैल, 2015 को कम्पनी ने अपनी सभी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों को यथा इनकी मानी गयी लागत हेतु उनकी पूर्व जीएएपी वहन् मूल्य में मापने का चयन किया है।

2.10 निवेश सम्पत्ति

निर्माणाधीन, किराया और/अथवा पूंजी वृद्धि हेतु रोकी गयी, के सहित सम्पत्तियों को यथा निवेश सम्पत्ति के वर्गीकृत किया गया है एवं प्रारम्भिक तौर पर मापी गयी है और संव्यवहार लागतों सहित लागत पर रिपोर्ट की गयी है। प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात्, निवेश सम्पत्तियों को संचित मूल्य ह्रास एवं संचित ह्रासन हानि, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर लिया जाता है।

निवेश सम्पत्ति की लागत को अपलिखित करने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-द्वितीय में निर्दिष्ट उनके उपयोगी जीवन पर या उन आस्तियों के मामलों में जिनका उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया गया था, या पट्टेवाली आस्तियों के मामलों में, पट्टे की अवधि पर इस तरह से निर्धारित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्य को कम करके सरल रेखा विधि का उपयोग करते हुये मूल्य ह्रास को मान्यता दी जाती है। निवेश सम्पत्ति में प्रस्तुत किये गये भावी लाभों के उपभोग की प्रत्याशित पद्धति को दर्शाने के लिये मूल्य ह्रास विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है। आकलित उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्यों की भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है एवं उपयोगी जीवन/अवशिष्ट मूल्य के आकलनों में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। पूर्ण स्वामित्व की भूमि एवं निर्माणाधीन सम्पत्तियों को ह्रासित नहीं किया जाता है।

निवेश सम्पत्ति को निपटान पर या जब निवेश सम्पत्ति को उपयोग लेने के प्रयोजन से स्थायी रूप से हटा लिया जाता है और निपटान से कोई भावी लाभ प्रत्याशित नहीं है, अमान्य किया जाता है। सम्पत्ति की अमान्यता से होने वाली किसी भी प्राप्ति या हानि को उसी अवधि में लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.11 अमूर्त आस्तियां

पृथक रूप से क्रय की गयी अमूर्त आस्तियों को प्रारम्भिक रूप में लागत पर मापा जाता है। तत्पश्चात्, अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन एवं संचित ह्रासन हानियों, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर लिया जाता है।

अमूर्त आस्तियों का उपयोगी जीवन यथा या तो निश्चित या अनिश्चित निर्धारित किया जाता है। निश्चित जीवन काल की अमूर्त आस्तियों को उनकी प्रत्याशित उपयोगी जीवन की अवधि पर सरल रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है। निश्चित जीवन काल की अमूर्त आस्तियों के लिये परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है एवं यदि उचित हो तो भावी अवधि में समायोजित की जाती है। क्या अनिश्चित जीवन काल की निरन्तरता है, यदि नहीं, यह ह्रासित हो गयी है या भावी संशोधित आकलन के आधार पर परिवर्तित हो गयी है, का निर्धारण करने के लिये, अनिश्चित जीवन काल के निर्धारण की वार्षिक समीक्षा की जाती है।

निगम ने निम्नलिखित अमूर्त आस्ति के उपयोगी जीवन का निर्धारण किया है:

1. कम्प्यूटर साटवेयर— 5 वर्ष
2. ऑटोकैड साटवेयर— 3 वर्ष

2.12 साख/ख्याति के अतिरिक्त मूर्त एवं अमूर्त आस्तियों का ह्रासन

प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् निगम अपनी मूर्त एवं अमूर्त आस्तियों की, यह निर्धारित करने के लिये कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि उन आस्तियों को ह्रासन हानि हुई है, वहन राशि की समीक्षा करता है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान है तो आस्ति के वसूली योग्य राशि का आकलन ह्रासन हानि की सीमा निर्धारण करने के लिये किया जाता है। जब एक विशिष्ट आस्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन करना सम्भव नहीं तब निगम आस्ति वाली नकद—उत्पादन की इकाई की वसूली योग्य राशि का आकलन करता है। जब आवंटन के यथोचित व सतत् आधार निर्धारित किये जा सकते हैं, निगम की आस्तियों को भी विशिष्ट नकद उत्पादन इकाइयों को आवंटित किया जाता है, या अन्यथा उन्हें नकद—उत्पादन इकाइयों के लघुतम निगम जिसके लिये यथोचित व सतत् आधार निर्धारित किये जा सकते हैं, को आवंटित किया जाता है।

उपयोग में लिये जाने वाले मूल्य के निर्धारण में, उचित छूट की दर का प्रयोग करते हुये आंकलित भावी नकद प्रवाहों को उनके वर्तमान मूल्य में कम किया जाता है।

अनिश्चित उपयोगी—जीवन वाली अमूर्त आस्तियों एवं अमूर्त आस्तियों जो अभी तक उपयोग के लिये उपलब्ध नहीं है का प्रतिवर्ष ह्रासन के लिये या जहां यह संकेत हो कि आस्ति का ह्रासन हो सकता है, परीक्षण किया जाता है।

वसूली योग्य राशि, निपटान की लागत एवं उपयोग में आ रही के मूल्य को कम करके उचित मूल्य की उच्चतर होती है।

यदि आस्ति (या नकद उत्पादन इकाई) की वसूली योग्य राशि का इसकी वहन राशि से कम आकलन किया जाता है, आस्ति (या नकद उत्पादन इकाई) की वहन राशि को इसके वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है। ह्रासन हानि को तत्काल रूप से लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

पूर्व में मान्य ह्रासन हानि को तब पलटा जाता है जब अन्तिम ह्रासन हानि को मान्य किया गया था उससे आस्ति के वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिये उपयोग किये गये आकलनों में परिवर्तन है। विपर्य सीमित है

जिससे कि आस्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है, न ही उस वहन राशि से अधिक होगी जो कि यदि पूर्ववर्ती वर्षों में किसी ह्रासन हानि को मान्य नहीं किया गया होता तो मूल्य ह्रास के शुद्ध के निर्धारित की गयी होती ऐसे विपर्य को लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि आस्ति पुनर्मूल्यांकित राशि को वहन नहीं करती है, उस मामले में विपर्य को यथा पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के व्यवहृत किया जाता है।

2.13 इन्वेन्ट्रीयां

(ए) भूमि का मूल्यांकन :

भूमि के अन्तिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत या वसूलनीय मूल्य में जो भी कम हो पर किया जाता है। औद्योगिक भूमि के अन्तिम स्टॉक की लागत वास्तविक प्रत्यक्ष व्यय है। किन्तु विवादित/अनाधिकृत कब्जाधीन भूमि के स्टॉक का बाजार में वसूलनीय मूल्य शून्य माना जाता है।

(बी) अन्य :

- (i) कच्चे माल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स, टूल्स एवं औजारों को लागत या वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।
- (ii) शेड्स/शॉप्स/कियोस्क/लेट्स को लागत या वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक अनुगामी अवधि में प्राप्ति मूल्य का निर्धारण किया जाता है एवं जब ऐसी परिस्थितियां हो की पहले से ही लागत से कम पर लिखी गयी इन्वेन्ट्रीयां जब मौजूद नहीं है या जब परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों के कारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण है, पूर्व अवधि में लिखी गयी, यदि कोई हो, को लिखी गयी मूल राशि की सीमा तक परिवर्तित किया है जिससे की लागत एवं संशोधित शुद्ध प्राप्य मूल्य से परिणामी वहन राशि कम हो।

2.14 उधार राशि की लागतें

उधार राशि लागतों में शामिल है, प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके गणना किये गये ब्याज व्यय, वित्त पट्टे पर अर्जित आस्तियों के संबंध में वित्त प्रभार एवं विदेशी मुद्रा में उधार राशियों पर होने वाले विनिमय के अन्तर उस सीमा तक जहां तक ब्याज लागत में समायोजन के लिये ली गयी है।

संबंधित ऋणों के अस्थायी निवेश जो कि अर्हक आस्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन को आरोप्य है, से किसी भी निवेश की आय के शुद्ध की उधार राशि की लागतों को, उस समय तक जब आस्ति इसके आशयित उपयोग या विक्रय के लिये तैयार होती है, ऐसी आस्ति के लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक आस्ति वह आस्ति है जिसके आशयित उपयोग या विक्रय के लिये तैयार होने में आवश्यक रूप से बहुत अधिक समयावधि की आवश्यकता होती है। सभी अन्य उधार राशियों की लागतों को जिस अवधि में वे उपगत होती है, लाभ वह हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.15 प्रावधान एवं आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां

(ए) प्रावधानों को तब ही मान्यता दी जाती है, जब –

- (i) पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप निगम का वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) है; और

- (ii) यह संभाव्य है कि दायित्वों को निपटारा करने के लिये आर्थिक लाभों को शामिल किये हुये बाह्य स्त्रोंतो की आवश्यकता होगी; एवं
 - (iii) दायित्व की राशि का विश्वासप्रद आकलन किया जा सकता है।
 - (iv) वर्तमान दायित्वों का निपटारा करने के लिये अनुमानित नकद प्रवाह का उपयोग करते हुये प्रावधान को मापा जाता है एवं जब धनराशि के मूल्य पर समय का प्रभाव सारवान है तो प्रावधान की वहन राशि उन नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य है। प्रावधान के निपटारा करने के लिये अपेक्षित व्यय के संबंध में प्रत्याशित व्यय की प्रतिपूर्ति को तब ही मान्यता दी जाती है जब यथार्थ में यह निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।
- (बी) निम्न मामलों में आकस्मिक दायित्व को प्रकट किया जाता है –
- (i) पूर्व घटनाओं से होने वाले वर्तमान दायित्वों में, जब यह संभाव्य नहीं है कि दायित्वों के निपटारे के लिये स्त्रोंतों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी।
 - (ii) पूर्व घटनाओं से होने वाले वर्तमान दायित्वों में, जब कोई विश्वासप्रद आकलन संभव नहीं है।
- (सी) जहां आर्थिक लाभों का अन्तः प्रवाह सम्भाव्य है, आकस्मिक आस्तियों को प्रकट किया जाता है। प्रावधान एवं आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियों की प्रत्येक तुलन-पत्र की दिनांक पर समीक्षा की जाती है।
- जहां संविदा के अधीन दायित्वों की पूर्ति के लिये अवश्यंभावी लागते, ऐसी संविदा के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुमानित आर्थिक लाभों से अधिक है, वर्तमान दायित्व को संविदा के अन्तर्गत मान्य किया जाता है एवं यथा प्रावधान के मापा जाता है।

2.16 वित्तीय प्रपत्र

2.16.1 वित्तीय आस्तियां

जब निगम वित्तीय प्रपत्र के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार हो जाता है, वित्तीय आस्तियों को मान्यता दी जाती है।

प्रारम्भिक मान्यता पर, वित्तीय आस्ति को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। उन वित्तीय आस्तियों के मामलों में जिनको लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य किया गया है, इनकी संव्यवहार लागत को लाभ व हानि विवरण में मान्य किया जाता है। अन्य मामलों में, संव्यवहार लागत को वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण मूल्य में शामिल किया जाता है। वित्तीय आस्तियों को बाद में यथा निम्न पर मापी गयी के वर्गीकृत किया जाता है –

- i. परिशोधित लागत
- ii. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)
- iii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)

वित्तीय आस्तियों को उनकी मान्यता के पश्चात् पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है सिवाय इसके कि कालावधि में निगम वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिये अपने व्यापारिक मॉडल में कोई परिवर्तन करता है।

(ए) व्यापारिक प्राप्य एवं ऋण

व्यापारिक प्राप्यों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। बाद में, इन आस्तियों को, किसी भी प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के शुद्ध प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का प्रयोग करते हुये परिशोधित लागत पर धारित किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो कि वित्तीय प्रपत्र के अनुमानित जीवन के माध्यम से आकलित भावी नकद आय को कम करती है।

(बी) ऋण प्रपत्र

ऋण प्रपत्रों को आरम्भ में परिशोधित लागत पर, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) या लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मापा जाता है जब तक कि

- (i) वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन हेतु सत्ता का व्यापारिक मॉडल एवं
- (ii) वित्तीय आस्ति के संविदात्मक नकद प्रवाह विशिष्टताओं के आधार पर अमान्यता प्राप्त हो।

(ए) परिशोधित लागत पर मापी गयी :

उन वित्तीय आस्तियां को, जिनको व्यापारिक मॉडल में धारित किया हुआ है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह जो कि पूर्णतया मूलधन एवं ब्याज के भुगतान है, के संग्रह के लिये वित्तीय आस्तियों को धारण करना है, बाद में हासन कम करके प्रभावी ब्याज दर (एफआईआर) का प्रयोग करते हुये परिशोधित लागत पर मापी जाती है। ईआईआर का परिशोधन एवं हासन से हुई हानि, यदि कोई हो, को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(बी) अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापा गया उचित मूल्य :

उन वित्तीय आस्तियों को जिनको व्यापारिक मॉडल में धारित किया हुआ है जिसके दोनो उद्देश्यो अर्थात् वित्तीय आस्तियों का विक्रय एवं संविदात्मक नकद प्रवाह का संग्रह जो कि पूर्णतया मूलधन एवं ब्याज के भुगतान है, को प्राप्त कर लिया है, को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापा गया है। उचित मूल्य के संचालनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी गयी है। हासन कम करके प्रभावी ब्याज दर (एफआईआर) का प्रयोग करते हुये मापी गयी ब्याज की आय लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अमान्यता पर, पूर्व में अन्य व्यापक आय में मान्य संचयी प्राप्तियों या हानि को इक्विटी से लाभ व हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

(सी) लाभ या हानि के माध्यम से मापा गया उचित मूल्य:

वह वित्तीय आस्ति जिसको न तो परिशोधित लागत पर न ही एफवीओसीआई पर वर्गीकृत किया गया है, उसे यथा एफवीटीपीएल के वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी वित्तीय आस्तियों को ब्याज आय और लाभांश आय, यदि कोई हो, के सहित उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर मापा जाता है एवं लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

इक्विटी प्रपत्र (समनुषंगी, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम में निवेश के अतिरिक्त) :

वित्तीय आस्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत इक्विटी प्रपत्रों में सभी निवेशों को प्रारम्भिक तौर पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। निगम, प्रारम्भिक मान्यता पर, इनको या तो एफवीओसीआई पर या एफवीटीपीएल पर मापने का अपरिवर्तनीय रूप से चयन कर सकता है।

निगम ऐसा चयन प्रपत्र—प्रति—प्रपत्र के आधार पर करता है। किसी इक्विटी प्रपत्र के उचित मूल्य के परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक निगम ने ऐसे प्रपत्र को एफवीओसीआई पर मापने का चयन नहीं किया है। एफवीओसीआई पर मापे गये इक्विटी प्रपत्र के लाभांश के अतिरिक्त उचित मूल्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। अन्य व्यापक आय में मान्य की गयी राशियों को बाद में लाभ व हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इक्विटी प्रपत्रों में निवेश की लाभांश आय को लाभ व हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब ऐसे लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो गया हो।

वित्तीय आस्तियों की अमान्यता

जब वित्तीय आस्ति के नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह आस्ति से नकद प्रवाहों को प्राप्त करने के अधिकार का हस्तान्तरण कर देता है, निगम वित्तीय आस्ति को अमान्य करता है। वित्तीय आस्ति की इसकी सम्पूर्णता में अमान्यता पर, अमान्यता की दिनांक को मापी गयी वहन राशि एवं प्राप्त प्रतिफल के मध्य अन्तर को लाभ या हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय आस्तियों के नकद प्रवाह का रूपान्तरण एवं नकद प्रवाहों के पुर्वानुमानों में संशोधन

जब वित्तीय आस्ति के संविदात्मक नकद प्रवाहों पर पुनः समझौता होता है या अन्यथा रूपान्तरित होते हैं एवं भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, पुनः समझौता या रूपान्तरण के परिणामस्वरूप वह वित्तीय आस्ति अमान्य नहीं होती है, निगम वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करता है एवं रूपान्तरित प्राप्ति या हानि को लाभ या हानि में मान्य करता है। वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि की पुनः समझौता या रूपान्तरित संविदात्मक नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य जो कि वित्तीय आस्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर पर दी गयी छूट दर है, पर पुनः गणना की जाती है। किसी भी उपगत लागतों या शुल्कों को रूपान्तरित वित्तीय आस्ति की वहन राशि में समायोजन किया जाता है एवं रूपान्तरित वित्तीय आस्ति की शेष बची हुयी अवधि पर परिशोधन किया जाता है।

यदि निगम अपने भुगतानों या प्राप्तियों (रूपान्तरण एवं प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के आकलन में परिवर्तन के अतिरिक्त) के पुर्वानुमानों में संशोधन करता है, तो वास्तविक एवं संशोधित अनुमानित संविदात्मक नकद प्रवाहों को दर्शाने के लिये यह वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत का समायोजन करता है। निगम वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत की पुर्वानुमानित भावी संविदात्मक नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल प्रभावी ब्याज दर पर दी गयी छूट दर है, पुनः गणना करता है। समायोजन को लाभ या हानि में यथा आय या व्यय के मान्यता दी जाती हैं।

2.16.2 वित्तीय आस्तियों का हासन

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी नहीं गई वित्तीय आस्तियों के लिये भा.ले.मा. 109 के पैरा 5.5 द्वारा यथा अपेक्षित प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को मापने के लिये निगम त्रि-स्तरीय पद्धति को लागू करता है। प्रारम्भिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

स्तर 1 : प्रारम्भिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में जहां कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है एवं मौलिकता पर कोई क्रेडिट क्षीणता नहीं है, सभी जोखिमों को इस स्तर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 2 : प्रारम्भिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में जहां कोई महत्वपूर्ण वृद्धि है परन्तु क्रेडिट क्षीणता नहीं है, सभी

जोखिमों को इस स्तर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। ईआईआर विधि का उपयोग करते हुये ब्याज की आय को आस्ति की सकल वहन राशि पर बुक किया जाता है।

स्तर 3 : प्रतिवेदित दिनांक को हासन के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य वाली वित्तीय आस्तियां इस स्तर में आवृत हैं। इस स्तर में वर्गीकृत की गयी वित्तीय आस्तियों के लिये, ईआईआर का उपयोग करते हुये ब्याज की आय को वित्तीय आस्ति की शुद्ध वहन राशि पर गणना की जायेगी।

वित्तीय आस्ति की शुद्ध वहन राशि, हानि कटौती को कम करके सकल वहन राशि के बराबर है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानियां, क्रेडिट हानियों की भारित औसत के साथ यथा वजनदार होने के चूक की संबंधित जोखिम हैं। क्रेडिट हानि, संविदा के अनुसार निगम के बकाया सभी संविदात्मक नकद प्रवाहों एवं सभी नकद प्रवाह जो कि निगम प्राप्त करने की अपेक्षा करता है (अर्थात् सभी नकद कमियां), मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्राप्त, (क्रय के लिये क्रेडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर या उत्पादित क्रेडिट हासित वित्तीय आस्तियां), के मध्य अंतर है। निगम, वित्तीय प्रपत्र के अपेक्षित जीवन के माध्यम से वित्तीय प्रपत्र की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरणार्थ, पूर्वाभुगतान, विस्तार, आहावान एवं समान विकल्प) को ध्यान में रखते हुये नकद प्रवाहों का आकलन करता है।

यदि प्रारम्भिक मान्यता से उस वित्तीय प्रपत्र की क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि हो जाती है तो जीवनकाल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर की राशि पर निगम वित्तीय प्रपत्र के लिये हानि कटौती की माप करता है। यदि प्रारम्भिक मान्यता से उस वित्तीय प्रपत्र की क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि नहीं होती है, तो 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर की राशि पर निगम उस वित्तीय प्रपत्र के लिये हानि कटौती की माप करता है। 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियां, जीवनकाल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों का हिस्सा हैं एवं जीवनकाल की नकद कमियों को दर्शाती हैं जो कि यदि प्रतिवेदित दिनांक के पश्चात् 12 माह की अवधि के भीतर चूक होती है तो परिणामी होगी और इस प्रकार, वह नकद कमियां नहीं हैं जिनका कि अगले 12 माह की लिये पूर्वाभुगतान किया गया है।

किसी आस्ति पर क्या महत्वपूर्ण ढंग से क्रेडिट जोखिम बढ़ गयी है, का निर्धारण करने के लिये, निगम अपेक्षित क्रेडिट हानियों की राशि में परिवर्तन के स्थान पर वित्तीय प्रपत्र के अपेक्षित जीवन पर होने वाली चूक की जोखिम में परिवर्तन का उपयोग करता है।

व्यापारिक प्राप्यों के अपेक्षित क्रेडिट हानियों की गणना के लिये, भारतीय लेखा मानक 109 व्यावहारिक उपाय, जैसे कि प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग, के उपयोग द्वारा सरलीकृत पद्धति उपलब्ध कराता है। ऐसे प्रावधान मैट्रिक्स पर विचार करने में, निगम व्यापारिक प्राप्यों के लिये वित्तीय आस्तियों पर 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों या जीवनकाल की अपेक्षित क्रेडिट हानियां यथा आवश्यकता के जो भी संबंधित हो का आकलन करने के लिये अपने ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव (वर्तमान स्थिति को दर्शाने के लिये आवश्यकतानुसार समायोजित) का उपयोग करता है।

2.16.3 वित्तीय दायित्व :

प्रारम्भिक मान्यता एवं मापन

जब निगम वित्तीय प्रपत्र के संविदात्मक प्रावधानों में पक्षकार होता है तो वित्तीय दायित्वों को मान्यता दी जाती है। वित्तीय दायित्वों को प्रारम्भिक तौर पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब तक कि प्रारम्भिक मान्यता पर, उन्हें लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। व्यापारिक देयताओं के मामलों

में, प्रारम्भिक तौर पर उन्हें उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है एवं बाद में, प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुये इन दायित्वों को परिशोधित लागत पर रखा जाता है।

पश्चात्तर्वर्ती मापन

वित्तीय दायित्वों को बाद में ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुये परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य वाले वित्तीय दायित्वों को, लाभ व हानि विवरण में मान्य उचित मूल्य के सभी परिवर्तनों के साथ, उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय दायित्वों की अमान्यता

निगम वित्तीय दायित्वों को तब अमान्य करता है जब, और केवल जब, निगम के दायित्वों का निर्वाह हो गया है, रद्द हो गये हैं या समाप्त हो गये हैं। कई विभिन्न शर्तों के साथ ऋण प्रपत्रों के ऋणदाता के साथ आदान-प्रदान को मूल दायित्व के निर्वापन एवं नये वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में लेखाबद्ध किया है। इसी तरह विद्यमान वित्तीय दायित्व की शर्तों में पर्याप्त संशोधन (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण या नहीं) को मूल दायित्व के निर्वापन एवं नये वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में लेखाबद्ध किया है। अमान्य किये गये वित्तीय दायित्व की वहन राशि एवं प्रदत्त और संदेय प्रतिफल के मध्य अन्तर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.16.4 आस्तियों एवं दायित्वों की आसेटिंग (प्रतिसन्तुलन)

वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों का प्रतिसन्तुलन किया है एवं तुलन-पत्र में शुद्ध आधार पर प्रस्तुत किये हैं जब मान्य राशि के प्रतिसन्तुलन का चालू वैधिक प्रवर्तनयोग्य अधिकार है एवं आस्तियों को या तो शुद्ध आधार पर तय करने या वसूल करने का एवं साथ ही दायित्वों को तय करने का विचार है।

2.17 प्राप्त राशियों का संयोजन

(ए) ऋणियों से प्राप्त राशि को निम्न क्रम में संयोजित किया जाता है :

- (i) परिनिर्धारित नुकसानी
- (ii) सावधि ऋण पर ब्याज
- (iii) अतिशोध्य मूलधन
- (iv) चालू दायित्वों

(बी) इकाइयों की बिक्री पर प्राप्त राशि का निम्न क्रम में लेखांकन किया जाता है:

- (i) समस्त अधिग्रहण व्यय एवं अन्य बकाया राशि
- (ii) राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 05.04.2002 के अनुसार सरकारी बकाया के पेटे के लिये विशेषांकित (विक्रय राशि के शेष का 30 प्रतिशत)
- (iii) सावधि ऋण का मूलधन
- (iv) सामान्य ब्याज
- (v) परिनिर्धारित नुकसानी

(vi) अन्य बकाया

(vii) साम्या

उपरोक्त क्रम में संयोजन के पश्चात्, घटत, यदि कोई हो, को अपलिखित किया जाता है। आधिक्य की स्थिति में ऋणी को राशि तभी लौटाई जाती है, जब इकाई की आस्तियों के क्रेता से समस्त वसूलियां हो जाती हैं।

(सी) (i) सावधि ऋण के एक मुश्त समाधान (ओ.टी.एस.) के मामलों में, प्राप्त राशि को बकाया ऋण के विरुद्ध निम्न क्रम में समायोजित किया जाता है।

1. सावधि ऋण का मूलधन
2. सामान्य ब्याज
3. परिनिर्धारित नुकसानी

(ii) मूलधन/ब्याज की कमी, यदि कोई हो, को ओ.टी.एस. की शर्तानुसार पूर्ण भुगतान प्राप्त होने वाले वर्ष में अपलिखित किया जाता है। किन्तु ओ.टी.एस. की शर्तानुसार राशि प्राप्त न होने पर, ओ.टी.एस. निरस्त कर दिया जाता है।

(iii) ओ.टी.एस. की शर्तानुसार, ओ.टी.एस. के मामलों में ब्याज/मूलधन की वसूली को प्राप्ति के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

2.18 सरकारी अनुदान

अनुदान/सब्सिडी को इसकी योग्यता के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है जो कि एक व्यवस्थित एवं तर्क संगत आधार पर किया जाता है एवं उपगत लागत के साथ मिलान किया जाता है जिसके लिये अनुदान की क्षतिपूर्ति करना है। मान्यता हेतु योग्य अनुदानों/सहायता राशि को यथा आय के विचारित किया जाता है और "अन्य संचालन राजस्व" में प्रकट किया जाता है। प्राप्य अनुदान की मान्यता, अनुदानों की प्राप्ति के उचित आश्वासन के सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर की जाती है। इसकी स्वीकार्यता से अधिक प्राप्त अनुदान को यथा अनुपयोगी अनुदान के विचारित किया जाता है और यथा चल दायित्व के दर्शाया जाता है। अनुदान को मान्यता देने एवं यथा आय के व्यवहृत किये जाने के पश्चात्, यदि इसकी प्राप्ति के संबंध में कोई आकस्मिकतायें विद्यमान है, तो इसे भा.ले.मा. 36 "प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा एवं प्रावधान, यदि आवश्यक हो, तो किया जाएगा।

2.19 खण्ड की रिपोर्टिंग

संचालन खण्डों को विभिन्न जोखिमों एवं प्रतिलाभों, संगठन की संरचना एवं आन्तरिक रिपोर्टिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुये पहचाना जाता है एवं रिपोर्ट की जाती है।

2.20 पूर्व अवधि मदें

मदों के पूर्व अवधि के व्ययों/आय जो भौतिकता के स्तर से नीचे हैं, लेखों के वास्तविक शीर्षों को प्रभारित की जायेगी। पूर्व अवधि की मद के पूर्वव्यापी पुनर्कथन के प्रयोजनार्थ वर्ष के अंत में समीक्षा की जायेगी, यदि वह व्यक्तिगत रूप से कम्पनी की सीमा रेखा से अधिक है, जो कम्पनी के तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लाभ सहित) के कर पूर्व औसत लाभ (हानि) के 5 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है, को पूर्वव्यापी पुनर्कथन की आवश्यकता वाली सारवान पूर्व अवधि त्रुटि के रूप में माना जायेगा।

2.21 नकद प्रवाह विवरण

भा.ले.मा. 7, “नकद प्रवाहों के विवरण” के अनुसार, नकद प्रवाहों की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए की जाती है जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों, पिछले या भविष्य के ओपरेटिंग नकद प्राप्तियां या भुगतानों के आस्थगन या प्राप्तियों एवं निवेश या वित्तीय नकद प्रवाहों से जुड़े हुये आय या व्ययों की मद के प्रभावों के लिये कर पश्चात् लाभ को समायोजित किया जाता है। नकद प्रवाहों को, संचालन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों में विभाजित किया गया है।

2.22 नकद एवं बैंक शेष

तुलन-पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में, नकद एवं हस्तगत नकद एवं अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपत्र जो नकदी की ज्ञात माषा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन है तथा तुलन-पत्र दिनांक को तीन माह या कम अवधि की मूल अथवा लम्बित परिपक्वता वाले है, का समावेश है।

नकद एवं नकद समतुल्य में, सावधि जमा, सीमान्त धन जमा, बैंकों में परियोजना-विशिष्ट शेष एवं अन्य बैंक शेष जिसमें प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध है और अल्पावधि एवं मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम से अधिक के अधीन वाले तरल निवेश सम्मिलित है।

2.23 तात्कालिक लेखा घोषणायें

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 23 मार्च 2022 को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक/भा.ले.मा.) संशोधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है, जिसके द्वारा विभिन्न भारतीय लेखा मानकों में संशोधनों को 1 अप्रैल, 2022 से लागू किया गया है।

पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 23 मार्च, 2022 के माध्यम से किये गये संशोधनों से भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) में कुछ परिवर्धन और प्रतिस्थापन हुए हैं, विशेषतः भारतीय लेखा मानक 101 –पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना, भारतीय लेखा मानक 103 – व्यावसायिक संयोजन, भारतीय लेखा मानक 109 – वित्तीय विपत्र, भारतीय लेखा मानक 16 – सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, भारतीय लेखा मानक 37 – प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियाँ एवं भारतीय लेखा मानक 41 – कृषि में और कम्पनी इनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर

टिप्पणियां जो समेकित वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

टिप्पणी संख्या: 3 अचल सम्पत्तियां - सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
31 मार्च, 2022 को

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	लागत अथवा विचारी गयी लागत		संचित मूल्य ह्रास एवं हासन				वहन राशि	
	01 अप्रैल, 2021 को शेष	कटौतियां / विक्रय / हस्तान्तरण / समायोजन	31 मार्च, 2022 को शेष	01 अप्रैल, 2021 को शेष	मूल्य ह्रास व्यय	अन्य (समायोजन)	31 मार्च, 2022 को शेष	31 मार्च, 2021 को शेष
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण								
भूमि (देखें टिप्पणी 3.1)	22.87	—	22.87	—	—	—	22.87	22.87
भवन (देखें टिप्पणी 3.2)	70.74	—	70.74	50.57	0.92	—	19.25	20.17
संयंत्र एवं मशीनरी	19.75	—	19.75	19.73	0.02	—	0.01	0.02
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीक एवं अन्य संस्थापन, फिटिंग एवं उपकरण	247.55	34.58	282.13	175.22	17.75	—0.11	89.05	72.34
फर्नीचर, जिगस् एवं फिक्सचर्स	316.19	43.78	352.63	264.90	12.86	7.35	82.21	51.29
कार्यालय उपकरण एवं अन्य	177.72	29.58	194.26	147.32	11.95	13.04	48.03	30.40
कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर सर्वर	709.17	90.66	788.15	625.53	43.98	11.58	130.22	83.64
वाहन	279.53	—	279.53	251.02	15.01	—	13.51	28.51
पुस्तकें	30.09	0.28	30.38	30.09	0.28	—	0.00	0.00
ट्यूब वेल	3.19	—	3.19	1.73	0.04	—	1.42	1.46
उप-योग	1,876.81	198.88	2,043.62	1,566.10	102.80	31.86	406.58	310.71
प्रगतिरत पूंजी कार्य	—		—	—	—	—	—	—
योग	1,876.81	198.88	2,043.62	1,566.10	102.80	31.86	406.58	310.71

(राशि लाख रुपये में)

31 मार्च, 2021 को

विवरण	लागत अथवा विचारी गयी लागत		संचित मूल्य हास एवं हासन				वहन राशि	
	01 अप्रैल, 2020 को शेष	कटौतियां / विक्रय / हस्तान्तरण / समायोजन	31 मार्च, 2021 को शेष	01 अप्रैल, 2020 को शेष	मूल्य हास व्यय	अन्य (समायोजन)	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण								
भूमि (देखें टिप्पणी 3.1)	22.87	—	22.87	—	—	—	22.87	22.87
भवन (देखें टिप्पणी 3.2)	70.74	—	70.74	49.65	0.92	—	20.17	21.09
संयंत्र एवं मशीनरी	19.75	—	19.75	19.71	0.02	—	0.02	0.04
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीक एवं अन्य संस्थापन, फिटिंग एवं उपकरण	229.16	18.39	247.55	158.41	16.81	—	72.34	70.76
फर्नीचर, जिग्स एवं फिक्सचर्स	296.67	19.52	316.19	252.29	12.61	—	51.29	44.39
कार्यालय उपकरण एवं अन्य	153.47	24.24	177.72	135.42	11.89	—	30.40	18.05
कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर सर्वर	633.53	75.64	709.17	585.51	40.02	—	83.64	48.03
वाहन	279.53	—	279.53	231.28	19.74	—	28.51	48.25
पुस्तकें	30.00	0.09	30.09	30.00	0.09	—	0.00	0.00
ट्यूब वेल	3.19	—	3.19	1.70	0.04	—	1.46	1.49
उप-योग	1,738.93	137.88	1,876.81	1,463.96	102.14	—	310.71	274.96
प्रगतिरत पूंजी कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	1,738.93	137.88	1,876.81	1,463.96	102.14	—	310.71	274.96

टिप्पणियां

3.1 22.87 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 22.87 लाख रुपये) की भूमि को परिशोधित नहीं किया है। अग्रतर, 20.17 लाख रुपये की भूमि के लिये निगम के पक्ष में पट्टा विलेख के निष्पादन से संबंधित विशिष्ट दस्तावेजों का अभी तक निष्पादन नहीं हुआ है।

3.2 उन सम्पत्तियों पर भी मूल्य हास लगाया गया है जिनका पट्टा विलेख निगम के पक्ष में निष्पादित होना शेष है।

टिप्पणियां जो समेकित वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

4. अचल सम्पत्तियां – निवेश सम्पत्ति

(राशि लाख रुपये में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
निवेश सम्पत्ति	101.59	103.00
योग	101.59	103.00
लागत अथवा विचारी गयी लागत	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	139.68	139.68
वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	—	—
वर्ष के अन्त में शेष	139.68	139.68
संचित मूल्य ह्रास एवं हासन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	36.68	35.27
अवधि हेतु परिशोधन	1.41	1.41
वर्ष के अन्त में शेष	38.09	36.68

4.1 भा.ले.मा. 40 “निवेश सम्पत्ति” के अनुसरण में प्रकटीकरण

(ए) 31 मार्च, 2022 एवं 31 मार्च, 2021 को निगम की निवेश सम्पत्तियों के उचित मूल्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
निवेश सम्पत्ति (नीचे दी गयी टिप्पणी देखें)	56122.02	51503.44
योग	56122.02	51503.44

सम्मेलन केन्द्र सीतापुरा जयपुर के लिये 60 वर्ष के पट्टे पर दी गयी 42 एकड़ भूमि निगम की निवेश सम्पत्ति है। इसका उचित बाजार मूल्य 42 एकड़ भूमि के 60 प्रतिशत क्षेत्र को यथा बिक्री योग्य मानते हुये एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त औद्योगिक भू-खण्डों की उच्चतम निलामी दर को विचारित करते हुये, मूल्यांकन किया गया है। तथापि, भूमि की बिक्री 10 मार्च, 2012 को निष्पादित प्राधिकरण समझौता (पट्टा समझौता) के आस्ति स्वामित्व (संबंधित अधिकार), समापन खण्ड एवं उनसे अन्य संबंधित खण्डों के प्रावधानों के अध्याधीन है।

(बी) निवेश सम्पत्ति के लिये लाभ व हानि विवरण में मान्य राशि

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	2021-22	2020-21
निवेश सम्पत्ति से किराये की आय*	788.50	206.31

* निदेशक मण्डल के निर्णय दिनांक 24.03.2022 के अनुसार अपरिहार्य घटना के प्रावधान पर विचार करते हुये कोविड 2019 के कारण वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक प्रीमियम/किराये के 243.05 लाख रुपये के भुगतान के प्रति प्राधिकृति ने अपने दायित्व के प्रदर्शन से छूट दी।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर

टिप्पणियां जो समेकित वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

5. अचल परिसम्पत्तियां – अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां

31 मार्च, 2022 को

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	लागत अथवा विचारी गयी लागत			संचित मूल्य ह्रास एवं हासन			वहन राशि		
	01 अप्रैल, 2021 को शेष	अभिवृद्धियां	कटौतियां / विक्रय / हस्तान्तरण / समायोजन	31 मार्च, 2022 को शेष	01 अप्रैल, 2021 को शेष	मूल्य ह्रास व्यय	अन्य (समायोजन)	31 मार्च, 2022 को शेष	31 मार्च, 2021 को शेष
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	111.22	36.17	—	147.39	96.25	12.07	(12.12)	26.94	14.97
योग	111.22	36.17	—	147.39	96.25	12.07	(12.12)	26.94	14.97

31 मार्च, 2021 को

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	लागत अथवा विचारी गयी लागत			संचित मूल्य ह्रास एवं हासन			वहन राशि	
	01 अप्रैल, 2020 को शेष	अभिवृद्धियां	कटौतियां / विक्रय / हस्तान्तरण / समायोजन	01 अप्रैल, 2020 को शेष	मूल्य ह्रास व्यय	अन्य (समायोजन)	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	111.22	—	—	80.78	15.47	—	14.97	30.44
योग	111.22	—	—	80.78	15.47	—	14.97	30.44

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर
टिप्पणियां जो समेकित वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

6. अचल परिसम्पत्तियां – समनुषंगीयों, सहबद्ध, संयुक्त उद्यमों में निवेश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
अनुद्धृत निवेश (सभी पूर्णतया प्रदत्त)				
साम्या प्रपत्रों में निवेश				
राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कम्पनी प्रा.लि.	4,900	225.52	4,900	194.60
राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	2,441,097	244.11	2,441,097	244.11
राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी प्रा.लि.	245	0.48	245	0.47
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्सट्र्यूमेन्ट्स लि.	6,002,500	3,575.35	6,002,500	3959.07
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि.	39,000,000	11,183.41	39,000,000	8,788.36
कुल समग्र अनुद्धृत निवेश	47,448,742	15,228.87	47,448,742	13,186.60
कुल निवेश (ए)		15,228.87		13,186.60
घटाइये: राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. में निवेशों के मूल्य में हासन की राशि (बी)		244.11		244.11
कुल निवेश वहन मूल्य (ए)–(बी)		14,984.76		12,942.49

6.1 सहबद्ध कम्पनियों का ब्यौरा

सहबद्ध कम्पनियों का नाम	प्रमुख गतिविधि	निगमन का स्थान एवं व्यापार का मुख्य स्थान	स्वामित्व हित का अनुपात/ धारित वोटिंग अधिकार	
			31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
राजस्थान एसेट मैनेजमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.	वित्त कोष प्रबंधन	भारत	24.50%	24.50%
राजस्थान ड्रक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स	भारत	48.96%	48.96%
राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी प्रा.लि.	आरवीसीएफ के ट्रस्टी	भारत	24.50%	24.50%
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्सट्र्यूमेन्टस् लि.	इलेक्ट्रॉनिक मिल्क विश्लेषक एवं सौर ऊर्जा उपकरण	भारत	49%	49%
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि.	आधारभूत संरचना का विकास, सेज का विकास एवं रख-रखाव	भारत	26%	26%

7. निवेश

7ए. अन्य अचल निवेश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
अनुद्धृत निवेश (सभी पूर्णतया प्रदत्त)				
(ए) साम्या प्रपत्रों में निवेश (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)				
आई.जी. टेलिकोम लिमिटेड	357,000	0.23	357,000	0.23
प्रताप राज. कॉपर फोइल्स एण्ड लेमिनेटस् लिमिटेड	1,099,000	0.00	1,099,000	0.00
राजस्थान एक्स एल ओ सांवा मिड लेण्ड लिमिटेड	422,800	0.00	422,800	0.00
जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन	1,000,000	7,708.25	1,000,000	8,062.67

(बी) म्यूचअल फण्डस् में निवेश (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)				
राजस्थान वेन्च्यूर कैपिटल फण्ड-II	1,256,512	1,771.18	1,256,512	1,510.45
राजस्थान वेन्च्यूर कैपिटल फण्ड-III	3,874	7,643.54	2,592.00	2,767.40
कुल समग्र अनुद्धृत निवेश		17,123.21		12,340.75
कुल निवेश वहन मूल्य		17,123.21		12,340.75

7बी. चल निवेश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
उद्धृत निवेश (सभी पूर्णतया प्रदत्त)				
(ए) साम्या प्रपत्रों में निवेश (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)				
ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (श्री पाइप्स लिमिटेड)	1,206,600	753.52	1,206,600	272.09
जेसीटी लिमिटेड	301,462	12.24	301,462	3.23
श्री राजस्थान सिन्टेंक्स लिमिटेड	307,600	13.29	307,600	11.38
श्री राजस्थान सिन्टेंक्स लिमिटेड	133,334	26.98	133,334	26.98
कुल समग्र उद्धृत निवेश (ए)		806.03		313.67
अनुद्धृत निवेश (सभी पूर्णतया प्रदत्त)				
(बी) एफवीटीपीएल पर साम्या प्रपत्रों में निवेश				
अनिल स्टील (एएसआईएल)	33,939	0.00	33,939	0.00
बेसेरा सीमेन्ट लिमिटेड	124,000	1.18	124,000	1.18
डर्बी टेक्सटाइल्स लिमिटेड	520,000	60.07	260,000	60.07
डायमण्ड एण्ड जैम डवलमेन्ट कार्पोरेशन	1	0.01	1	0.01
ईको इण्डस्ट्रिज लिमिटेड	500,000	11.25	500,000	11.25

इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटस् लिमिटेड	170,000	3.00	170,000	3.00
गोल्डन पोली मारबल	150,000	0.00	150,000	0.00
एचपीएम इण्डस्ट्रिज लिमिटेड	200,000	0.00	200,000	0.00
जेएल निट (इण्डिया) लिमिटेड	440,000	8.80	440,000	8.80
जोधपुर इंजीनियरिंग को-आपरेटिव सोसाइटी	2,250	0.00	2,250	0.00
करनव लेदर लिमिटेड (राम जी दास कमिकल्स)	300,000	0.00	300,000	0.00
मार्डन डेनिम लिमिटेड (मार्डन सूटिंग लिमिटेड)	20,000	0.00	20,000	0.00
मॉडर्न सिन्टेक्स (इण्डिया) लिमिटेड	113,694	0.00	113,694	0.00
मॉडर्न थ्रेड्स (इण्डिया) लिमिटेड	244,900	0.00	244,900	0.00
मॉल्डवेल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड	50,000	0.00	50,000	0.00
माउन्ट ग्रेनाईट्स लिमिटेड	3,800	1.86	3,800	1.86
मुनक गलवा शीट्स लिमिटेड	614,000	0.00	614,000	0.00
एम.वी. कोट्सपिन लिमिटेड	250,000	25.00	250,000	25.00
निहोन निर्माण लिमिटेड	1,393,215	0.00	885,000	0.00
पेरीवाल ब्रिक्स लिमिटेड	100,000	0.00	100,000	0.00
पोलर मारमो एगलोमिरेट्स लिमिटेड	185,000	9.48	185,000	9.48
पूनसुमी फोयल्स एण्ड कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड	800,000	10.00	800,000	10.00
राजस्थान पोलीवीन ट्यूब्स लिमिटेड	70,000	0.00	70,000	0.00
रीवोना इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	50,000	5.00	50,000	5.00
राजस्थान एक्सप्लोजिव एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	1,000,000	1.99	1,000,000	11.02
सीरा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	250,000	0.00	250,000	0.00
सिरोस्मेल्ट (इ.डिया) लिमिटेड	500,000	0.00	500,000	0.00
स्टेनफोड इंजिनियरिंग लिमिटेड	105,000	1.40	105,000	1.40
सुदर्शन सीमेंट लिमिटेड	18,000	0.09	18,000	0.09

सूजूकी टेक्साटाईल्स लिमिटेड (सुपर सिन्कोटैक्स (इण्डिया) लि. – पूर्ववर्ती)	2,134	0.05	2,134	0.05
थार सीमेंट लिमिटेड	227,500	12.00	227,500	12.00
एक्जलो यूनाइटेड क्लच प्रोडक्ट्स लिमिटेड	150,000	0.00	150,000	0.00
राजस्थान कन्सलटेन्सी आरगेनाइजेशन लिमिटेड	100	2.56	100	2.56
(सी) अधिमानी अंशों में निवेश (लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)				
केसरी बनसपति प्रोडक्ट्स लिमिटेड	50,000	0.00	50,000	0.00
(डी) सरकारी या ट्रस्ट की प्रतिभूतियों में निवेश				
(ई) डिबेंचर या बॉण्ड में निवेश (लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)				
भण्डारी आफसेट प्रिन्टर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	380	0.02	380	0.02
कुल समग्र अनुद्धृत निवेश (बी)		153.75		162.77
कुल निवेश वहन मूल्य (ए)+(बी)		959.77		476.44

* साम्या निवेश के मुल्यांकन के लिये टिप्पणी 34.4.1 देखें

8. व्यापारिक प्राप्य

8ए. व्यापारिक प्राप्य – गैर चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) अप्रतिभूत, अच्छे विचारे गये (नीचे टिप्पणी 8.1 देखें)		
बकाया नहीं		
– भूमि के आवंटन के लिये	81,607.90	32,704.39
– अन्य के लिये (घर/दुकान/कियोस्क अन्य)	—	—
योग	81,607.90	32,704.39

8बी. व्यापारिक प्राप्य—चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) अप्रतिभूत, अच्छे विचारे गये (नीचे टिप्पणी 8.1 देखें)		
– शेड के आवंटन के लिये	8.29	8.29
– भूमि के आवंटन के लिये	34,928.63	23,515.90
– अन्य के लिये (घर/दुकान/कियोस्क अन्य)	2.22	2.22
योग (ए)	34,939.13	23,526.40
(बी) क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		
– भूमि के आवंटन के लिये	83.94	83.94
– शेड के आवंटन के लिये	0.96	0.96
योग (बी)	84.90	84.90
– भूमि के लिये बकाया नहीं	63,121.17	57,933.26
– अन्य के लिये बकाया नहीं	—	—
कुल योग	98,145.20	81,544.56

8.1 निगम को सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिवासी की बेदखली) अधिनियम, 1964 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत सम्पत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार होने से भूमि एवं घर/शेडों/कियोस्क गतिविधियों के संबंध में व्यापारिक प्राप्यों की बकाया राशि के विरुद्ध डूबत एवं संदिग्ध ऋण का प्रावधान नहीं किया गया है।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

व्यापारिक प्राप्तियों के काल प्रभावन की सूची

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया						
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	बकाया नहीं	योग
(i) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—अच्छे विचारे गये	13,723.90	4,485.33	4,147.05	2,240.05	9,509.74	144,729.07	178,835.15
(ii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है	—	—	—	—	—	—	—
(iii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—क्रेडिट हासित	—	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापारिक प्राप्य—अच्छे विचारे गये	—	—	—	—	833.06	—	833.06
(v) विवादित व्यापारिक प्राप्य—जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है	—	—	75.57	—	9.33	—	84.90
(vi) विवादित व्यापारिक प्राप्य—क्रेडिट हासित	—	—	—	—	—	—	—
योग	13,723.90	4,485.33	4,222.62	2,240.05	10,352.13	144,729.07	179,753.10

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया						
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	बकाया नहीं	योग
(i) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—अच्छे विचारे गये	10,202.42	2,883.15	1,354.71	373.01	7,880.07	90,637.65	113,330.99
(ii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है	—	—	—	—	—	—	—
(iii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य—क्रेडिट हासित	—	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापारिक प्राप्य—अच्छे विचारे गये	—	—	—	—	833.06	—	833.06
(v) विवादित व्यापारिक प्राप्य—जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है	—	—	75.57	—	9.33	—	84.90
(vi) विवादित व्यापारिक प्राप्य—क्रेडिट हासित	—	—	—	—	—	—	—
योग	10,202.42	2,958.72	1,354.71	373.01	8,722.46	90,637.65	114,248.95

9. ऋण – गैर चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) सावधि ऋण {विस्तृत टिप्पणी (i) एवं (iii) देखें}		
प्रतिभूत रुपया ऋण		
अच्छे विचारित किये गये	30,315.56	35,401.91
क्रेडिट क्षीणता	1,202.17	1,198.39
योग	31,517.73	36,600.29
घटाइये: अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिये छूट	(-)1,202.17	(-)1,198.39
योग (ए)	30,315.56	35,401.91
(बी) कर्मचारीवृन्द को अग्रिम		
अच्छे विचारित किये गये (प्रतिभूत) {विस्तृत टिप्पणी (ii) देखें}	783.57	841.82
योग (बी)	783.57	841.82
कुल योग (ए+बी)	31,099.14	36,243.73

(i) सावधि ऋणों का ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अच्छे विचारित किये गये	43,588.19	51,143.01
घटाइये: चालू परिपक्वतायें	13,272.62	15,741.10
गैर-चालू दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	30,315.56	35,401.91
क्रेडिट क्षीणता	8,302.00	8,098.81
घटाइये: चालू परिपक्वतायें	7,099.83	6,900.42
गैर-चालू दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	1,202.17	1,198.39

(ii) कर्मचारीवृन्द को अग्रिम का ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर्मचारीवृन्द को ऋण एवं अग्रिम	1,134.91	1,136.19
घटाइये: कर्मचारीवृन्द को अग्रिम की चालू परिपक्वतायें	351.34	294.37
कर्मचारीवृन्द को दीर्घावधि कुल अग्रिम	783.57	841.82

(iii) (ए) ऋण की अदायगी में चूक करने वाली इकाइयों के संबंध में जिन्हें एसएफसी अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत निगम या अन्य वित्तीय संस्थान या अभिगोपक या कस्टम/बिक्रीकर/आयकर/उत्पादक शुल्क प्राधिकारियों ने अन्य कारणों से अधिग्रहित कर लिया है, 31 मार्च, 2021 को ऋण की बकाया राशि 12826.92 लाख रुपये है (31 मार्च, 2020— 14640.42 लाख रुपये)।

(iii) (बी) पुनः संरचना, एक मुश्त बकाया सावधि ऋण राशि का निपटान, अधिग्रहित इकाइयों के ऋण एवं ब्याज का निपटान, इकाई की बिक्री, ऋण का अग्रिम भुगतान तथा अंशों का विनिवेश जैसे मामले गुणवत्ता के आधार पर निर्णित किये जाते हैं।

(iii) (सी) यह घोषणा की जाती है कि निगम के किसी भी निदेशक या अधिकारीगण का ऋण लेने वाली इकाइयों में कोई हित निहित नहीं है।

10. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

10ए. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां—अचल

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
— निक्षेप	1.42	1.42
बैंकों में सावधि जमाएं	68,754.90	40,584.44
बैंकों में विशेषांकित शेष (विवरणात्मक टिप्पणियां बी एवं सी देखें।)	—	—
योग	68,756.32	40,585.86

(ए) बारह माह से अधिक समयावधि में परिपक्व होने वाली सावधि जमाओं की राशि 31.03.2022 को 68,754.90 लाख रुपये है (गत वर्ष 40584.44 लाख रुपये)।

(बी) बैंकों के पास सावधि जमाओं में रहन/लीयन/नोन लियन जमाओं के शून्य रुपये (31 मार्च, 2021 को शून्य) शामिल हैं।

(सी) बैंकों के पास शेष राशि में निर्धारित शेष के शून्य रुपये (गत वर्ष शून्य रुपये) शामिल हैं।

10बी.अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां— चल

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	ब्यौरा	31 मार्च, 2022 को	ब्यौरा	31 मार्च, 2021 को
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों की चल परिपक्वता				
सुरक्षित ऋण रूप्यों में				
अच्छे माने गये	13,272.62		15,741.10	
क्रेडिट क्षीणता	7,099.83		6,900.42	
	20,372.46		22,641.52	
घटाइये: अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिये छूट	(-)7,099.83	13,272.62	(-)6,900.42	15,741.10
सरकारी उपक्रमों के अग्रिमों की चालू परिपक्वतायें {विस्तृत टिप्पणी (i) देखें}		20,434.81		18,814.52
कर्मचारियों को अग्रिम की चल परिपक्वता	351.34	351.34	294.37	294.37
अन्य अग्रिमों की चल परिपक्वता				
अच्छे माने गये	1,846.64		926.85	
क्रेडिट क्षीणता	1.48		1.48	
घटाइये : अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिये छूट	(-)1.48	1,846.64	(-)1.48	926.85
निक्षेप		2.59		2.59
परियोजनाओं से वसूली योग्य व्यय	362.11		403.47	
घटाइये : संदिग्ध वसूली हेतु प्रावधान	(-)6.75	355.36	(-)6.75	396.72
अंश आवेदन राशि लम्बित आवंटन	0.10		256.26	
घटाइये : आवंटन नहीं होने हेतु प्रावधान	—	0.10	(-)256.16	0.10
वसूली योग्य अनुदान		16.07		465.91
प्रोदभूत एवं बकाया किराया	256.09		177.40	
घटाइये : संदिग्ध वसूली हेतु प्रावधान	—	256.09	—	177.40
औद्योगिक क्षेत्रों से उपार्जित आय		12,309.37		10,276.80
भूमि अधिग्रहण के लिये आकस्मिक व्यय		496.03		305.73
सावधि जमाओं पर उपार्जित ब्याज		3,586.62		1,112.02
रीको — आरडीए		7802.34		48.31
बैंकों में विशेषांकित शेष {दिखे विस्तृत टिप्पणी (ii)}		3,133.87		3,004.49
अभिकर्ता व्यवसाय में सम्पत्तियां {दिखे विस्तृत टिप्पणी (iii)}		519.59		528.67
योग		64,383.44		52,095.59

टिप्पणियां :

- (i) विभिन्न निक्षेप कार्यों, भूमि प्रतिकर इत्यादि के लिये पीएचईडी, डिस्कोमों, अन्य सरकारी एजेंसीयों को अग्रिम का इसमें समावेश है। इसमें 2185.80 लाख रुपये (गत वर्ष 2185.80 लाख रुपये) के जे.डी.ए. को अग्रिम के जिसके तहत कूकस में भूमि का कब्जा अभी प्राप्त करना है और बी.आई.पी. के 30.60 लाख रुपये (गत वर्ष 30.60 लाख रुपये) शामिल है।
- (ii) नकद एवं नकद तुल्य राशि में विभिन्न बैंकों में सावधि जमा (पुनर्ग्रहणाधिकार/प्रयोजन विशिष्ट के अधीन) राशि 3133.87 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 3004.49 लाख रुपये) शामिल है जिसमें सीतापुरा में इण्डियन ऑयल में हुए अग्निकांड के एवं एनजीटी सेस, जोधपुर के पेटे जमा करवाया गया है।
- (iii) मैसर्स जयपुर मेटल एवं इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के विरुद्ध सेतु ऋण के 88.35 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 – 88.35 लाख रुपये) तथा मैसर्स परफेक्ट थ्रेड मिल्स (प्रा) लिमिटेड के विरुद्ध ब्याज मुक्त ऋण के 51.47 लाख रुपये बकाया (31 मार्च, 2021– 51.47 लाख रुपये) है, किन्तु इन ऋणों पर कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है क्योंकि निगम ने ये ऋण अभिकर्ता व्यवसाय के अन्तर्गत प्रदान किये हैं।
- (iv) एजेंसी व्यापार के अन्तर्गत ऋणों एवं अग्रिमों का विवरणात्मक ब्यौरा : (वित्तीय सहायता के लिये)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ब्याज मुक्त अवधि ऋण	51.47	51.48
सेतु ऋण	88.35	88.35
अच्छे माने गये एवं द्वितीय प्रभार से सुरक्षित		
– राजस्थान सरकार की बिक्री कर योजनान्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण	249.88	258.96
असुरक्षित किन्तु अच्छे माने गये		
– बीज पूंजी सहायता	119.35	119.35
अधिमानी अंशों में निवेश		
– इन्सूलेटरस एण्ड सिरामिक्स लिमिटेड	4.58	4.58
– राजस्थान वूलटेक्स लिमिटेड	4.95	4.95
– शील्ड शू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	1.00	1.00
योग	519.59	528.67

(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की संदिग्ध वसूली पर प्रावधान का समाधान

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	व्यय की संदिग्ध वसूली के लिये प्रावधान	शेयर आवेदन लम्बित धन राशि के तहत प्रावधान	प्रोदभूत किराये की संदिग्ध वसूली के लिये प्रावधान	एफएफडी पर डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	अन्य अग्रिमों के लिये प्रावधान
31 मार्च, 2021 को अवधि के प्रारम्भ में शेष	6.75	256.16	—	—	1.48
वर्ष के दौरान मान्य अतिरिक्त प्रावधान	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान उपभोग	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान वापस लिखे गये	—	—	—	—	—
वर्ष के अन्त में शेष	6.75	256.16	—	—	1.48
31 मार्च, 2022 को अवधि के प्रारम्भ में शेष	6.75	256.16	—	—	1.48
वर्ष के दौरान मान्य अतिरिक्त प्रावधान	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान उपभोग	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान वापस लिखे गये	—	—	—	—	—
वर्ष के अन्त में शेष	6.75	256.16	—	—	1.48

11. इन्वेन्ट्रीयां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ए) भूमि का स्टॉक/भूमि विकास/प्रगतिरित निर्माण कार्य/तैयार माल		
(i) भूमि (विकसित)	181,348.81	89,735.96
(ii) भूमि (विकासाधीन)	72,389.21	170,362.77
(iii) शेड / दूकानें / घर / प्लेट / कियोस्क	5.56	5.56
(iv) इकाई पर निर्माण सामग्री सहित स्टोर	339.57	360.18
योग (ए)	254,083.15	260,464.47
बी) खुले औजार	0.15	0.15
योग (बी)	0.15	0.15
योग (ए+बी)	254,083.30	260,464.62

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

- 11(i)(ए) कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का कुछ भाग वादानुगत 716.57 एकड़ भूमि (31 मार्च, 2021 को 624.75 एकड़) मूल्य 13242.12 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 11214.50 लाख रुपये) और/या अनाधिकृत 501.11 एकड़ भूमि (31 मार्च, 2021 को 449.85 एकड़) मूल्य 6830.95 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 4366.54 लाख रुपये) की है, कुल लगभग 20073.07 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 15581.04 लाख रुपये) की 1217.68 एकड़ भूमि (31 मार्च, 2021 को 1074.60 एकड़)। इसका बाजार से वसूलनीय मूल्य शून्य माना गया है।
- (बी) प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु मारबल स्लरी को डालने के स्थान को विकसित किये जाने हेतु 531.07 बीघा भूमि को किशनगढ़ मारबल उद्योग विकास समिति के सुपुर्द किया गया था। भूमि का स्वामित्व रीको के पास ही है जिसे व्यापार स्टॉक में एक रुपये पर दर्शाया गया है।
- (सी) शेड/दुकानें/घर/प्लेट/कियोस्क की इन्वेन्ट्री में 5.56 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को 5.56 लाख रुपये) शामिल है जिनके लिये संशोधित लेखा नीति को भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपेक्षित विशेष दस्तावेजों के अभाव के कारण परिवर्तनों का संचयी प्रभाव को निश्चित करना अव्यवहारिक है।

12. नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन-पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में, नकद एवं हस्तगत नकद एवं अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपञ्च जो नकदी की ज्ञात माषा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन है तथा तुलन-पत्र दिनांक को तीन माह या कम अवधि की मूल अथवा लम्बित परिपक्वता वाले है, का समावेश है।

नकद प्रवाह के विवरण में प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर यथा दर्शित नकद एवं नकद समतुल्यों को निम्न प्रकार से तुलन-पत्र के संबंधित मदों से मिलान किया जा सकता है :

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बैंकों में शेष	11,298.45	10,258.64
हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	—	—
हस्तगत नकद	0.32	0.57
बैंकों में सावधि जमा (3 माह से कम की परिपक्वता)	43,533.02	13,438.88
योग	54,831.78	23,698.08

12ए. नकद एवं नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अन्य बैंक शेष		
बैंकों में सावधि जमा (4-12 माह की परिपक्वता)	39,736.11	21,432.22
बैंक में चिन्हित शेष		
— सावधि जमा (नीचे विस्तृत टिप्पणी देखें)	—	2.34
अन्य		
— स्टाम्प	0.40	0.47
— राजकीय कोषागार में	20,312.10	18,023.14
— अग्रदाय खाता	0.96	0.65
योग	60,049.56	39,458.81

टिप्पणियां :

- (ए) नागौर में अविकसित भूमि आवंटन के पेटे अबूजा सीमेंट से प्राप्त राशि 78.50 लाख रूपयों (31 मार्च, 2021 को 234 लाख रूपये) को भी बैंकों में सावधि जमाओं में रखा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुआवजे का भुगतान किये जाने की संभावना है।
- (बी) राजकीय कोषागार (पीडी खाता) में जमा राशि 20312.10 लाख रूपये (31 मार्च, 2021 को 18023.14 लाख रूपये) जमाओं पर ब्याज के है।

13. अन्य परिसम्पत्तियां

13ए. अन्य परिसम्पत्तियां— अचल

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सेवा कर मांगों के तहत पूर्व जमा	664.42	710.62
वसूली योग्य सेवा कर	1,320.94	1,290.81
पूर्व प्रदत्त व्यय	66.48	63.91
अतिरिक्त ग्रेच्युटी कोष	586.46	921.47
अवकाश नकदीकरण कोष	112.73	134.59
योग	2,751.04	3,121.40

13बी. अन्य परिसम्पत्तियां— चल

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पूर्व प्रदत्त व्यय	84.79	51.19
वसूली योग्य जीएसटी	67.59	37.19
रजिस्ट्रार उद्योग भवन आमसुविधा	18.20	11.30
अतिरिक्त ग्रेच्युटी कोष	—	—
वसूली योग्य दावें	31.46	34.59
चांदी के सिक्के	—	0.04
योग	202.03	134.31

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर
टिप्पणियां जो समेकित वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

14. साम्या अंशपूंजी

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अधिकृत अंश पूंजी		
प्रत्येक 10 रु. मूल्य के साम्या अंश (संख्या में)	235,000,000	235,000,000
प्रत्येक 10 रु. मूल्य के साम्या अंश (लाख रुपये में)	23,500.00	23,500.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी		
प्रत्येक 10 रु. मूल्य के साम्या अंश पूर्णतः प्रदत्त (संख्या में)	210,185,800	210,185,800
प्रत्येक 10 रु. मूल्य के साम्या अंश पूर्णतः प्रदत्त (लाख रुपये में)	21,018.58	21,018.58
योग	21,018.58	21,018.58

14.1 अवधि के दौरान संचलन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	
	अंशों की संख्या	अंश पूंजी (राशि)	अंशों की संख्या	अंश पूंजी (राशि)
वर्ष के प्रारम्भ में	210185800	21,018.58	210185800	21,018.58
जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये	—	—	—	—
वर्ष के अन्त में	210185800	21,018.58	210185800	21,018.58

प्रमोटरों की अंशधारिता का प्रकटीकरण:

प्रमोटर का नाम	वर्ष के अन्त में प्रमोटरों द्वारा धारित अंश				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को		
	अंशों की संख्या	कुल का %	अंशों की संख्या	कुल का %	
राजस्थान सरकार	210,185,800	100%	210,185,800	100%	—
योग	210,185,800	100%	210,185,800	100%	—

प्रमोटर का नाम	वर्ष के अन्त में प्रमोटरों द्वारा धारित अंश				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को		
	अंशों की संख्या	कुल का %	अंशों की संख्या	कुल का %	
राजस्थान सरकार	210,185,800	100%	210,185,800	100%	—
योग	210,185,800	100%	210,185,800	100%	—

- (i) निगम एक सरकारी कम्पनी है जिसमें शत-प्रतिशत अंशधारिता राजस्थान सरकार एवं इसके नामितों की है [धारित अंश 21,01,85,800 (31 मार्च, 2021 को 21,01,85,800)]। कम्पनी में एक ही प्रकृति के अंश हैं जिसका अंकित मूल्य 10 रुपये प्रत्येक (31 मार्च, 2021 को 10 रुपये प्रत्येक) है तथा लाभांश एवं मताधिकार का समान अधिकार है।
- (ii) राज्य सरकार द्वारा अपने बजट 2014 में इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग (शेयर बाजार में सूचीबद्ध) करने एवं इक्विटी निवेश के विनिवेश की घोषणा की गई है। इस संबंध में प्रारम्भिक कार्यवाही प्रक्रियारत है।

15. अन्य साम्या

साम्या शेषों में विस्तृत संचलन के लिये साम्या में परिवर्तन का विवरण देखें

अन्य साम्या शेष का सारांश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ए) विशेष आरक्षित पूंजी [नीचे टिप्पणी संख्या (i) देखें]	20,804.97	20,553.97
बी) सामान्य आरक्षित	22,042.85	22,042.85
सी) प्रतिधारित उपार्जन	289,758.81	230,169.71
योग	332,606.63	272,766.53

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट संचय कम्पनी द्वारा सृजित एवं अनुरक्षित है।

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ए) विशेष आरक्षित		
प्रारम्भिक शेष	20,553.97	19,878.97
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	251.00	675.00
अन्तिम शेष	20,804.97	20,553.97
बी) सामान्य आरक्षित		
प्रारम्भिक शेष	22,042.85	22,042.85
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	—	—
अन्तिम शेष	22,042.85	22,042.85
सी) प्रतिधारित उपार्जन		
प्रारम्भिक शेष	230,169.71	179,462.03
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	59,589.09	50,707.69
अन्तिम शेष	289,758.81	230,169.71
योग	332,606.63	272,766.54

16. अन्य वित्तीय दायित्व

16ए. अन्य वित्तीय दायित्व— गैर चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिभूति जमा		
— ग्राहकों से	3,501.33	2,962.37
— ठेकेदारों से	1,038.47	1,546.52
— जल एवं अन्य प्रयोजनों के लिए	177.86	169.88
योग	4,717.66	4,678.77

प्रतिभूति जमाओं का विस्तृत ब्यौरा

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) ग्राहकों से प्रतिभूति जमा		
भूमि के लिये	13,355.60	11,224.25
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य)	9,854.27	8,261.88
(i) अचल देयताएं	3,501.33	2,962.37
शेड्स/शोप्स के लिए	2.13	2.13
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य)	2.13	2.13
(ii) अचल देयताएं	—	—
फ्लेट्स/आवासों के लिए	0.13	0.13
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य)	0.13	0.13
(iii) अचल देयताएं	—	—
निविदाओं/आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि के लिए	20.94	23.53
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य)	20.94	23.53
(iv) अचल देयताएं	—	—
ग्राहकों से कुल दीर्घावधि प्रतिभूति जमा (i+ii+iii+iv)	3,501.33	2,962.37
ग्राहकों से प्रतिभूति जमाओं में चल देयताओं की कुल राशि (टिप्पणी 24बी में ले जायी गयी)	9,877.47	8,287.66
(बी) ठेकेदारों से प्रतिभूति राशि	7,745.58	7,968.38
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य)	6,707.11	6,421.86
ठेकेदारों से दीर्घावधि प्रतिभूति जमा	1,038.47	1,546.52

विकास कार्यों के तहत ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिभूति जमा के स्थान पर एफडीआरों को स्वीकृत करने के लिये निगम ने निर्णय लिया है। 31 मार्च, 2021 को निगम के पास 1648.65 लाख रुपये (31 मार्च, 2022 को 1823.97 लाख रुपये) की एफडीआर की राशि है।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

16बी.अन्य वित्तीय दायित्व— चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिभूति जमा		
ग्राहकों से	9,877.47	8,287.66
ठेकेदारों से	6,707.11	6,421.86
अग्रिम		
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन से सीतापुरा में अग्नि दुर्घटना के लिये	1,133.25	1,080.29
ग्राहकों को वापसी की देय राशि	4,267.06	4,298.94
बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र के प्रति वसूली {दिखें विवरणात्मक टिप्पणी (i)}	2,013.97	1,940.13
व्ययों हेतु लेनदार	126.03	143.07
बकाया दायित्व	4,275.21	3,275.37
ऋण एवं अग्रिमों का जमा शेष	1.47	1.47
दावों की आधिक्य राशि वापसी योग्य	129.87	128.28
एजेंसी व्यवसाय के तहत दायित्व {दिखें विवरणात्मक टिप्पणी (ii)}	648.79	667.18
योग	29,180.21	26,244.25

टिप्पणियां :

- (i) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार प्रदुषकों द्वारा देय के आधार पर आवंटियों से प्राप्त सेस की राशि को सावधि जमाओं 2011.24 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 1934.82 लाख रुपये) तथा बैंक चालू खाते में 2.72 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 5.31 लाख रुपये) रखा गया है।

(ii) एजेंसी व्यवसाय के अन्तर्गत ऋणों का विवरणात्मक ब्यौरा (उद्योगों को वित्तीय सहायता हेतु)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से		
निम्न के अन्तर्गत बीज पूंजी एजेन्सी		
(ए) आईडीबीआई	103.22	103.22
(बी) सीडबी	26.66	26.66
योग (ए)	129.88	129.88
सरकार से		
सुलभ ऋण	88.35	88.35
ब्याज मुक्त ऋण	—	0.00
(ए) ब्याज मुक्त बिक्री कर ऋण के लिये	379.08	397.47
(बी) ब्याज मुक्त सावधि ऋण के लिये	51.48	51.48
योग (बी)	518.90	537.29
कुल योग (ए+बी)	648.79	667.17

एजेंसी व्यवसाय के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/राज्य सरकार से ऋण प्राप्त हुआ है जिसे विभिन्न उद्योगों को वितरित किया गया है तथा अन्य चल सम्पत्तियों में यथा 'एजेंसी व्यवसाय के अन्तर्गत सम्पत्तियां' शीर्ष में दर्शाया गया है। (टिप्पणी संख्या 10बी)। ये ऋण संबंधित औद्योगिक इकाई से वसूली पर चुकाये जाने हैं।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर
टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

17. प्रावधान

17ए. प्रावधान— गैर चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर्मचारी परिलाभ		
अर्धवैतनिक अवकाश की क्षतिपूर्ति के लिये प्रावधान	272.63	264.08
योग	272.63	264.08

17बी. प्रावधान— चालू

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर्मचारी परिलाभ		
— बोनस्	1.03	0.60
— भविष्य निधि	60.50	60.50
— अर्धवैतनिक अवकाश की क्षतिपूर्ति के लिये प्रावधान	12.80	11.03
लम्बित मुकदमेंबाजी के लिये प्रावधान	109.47	52.01
योग	183.80	124.14

18. आस्थगित कर शेष

(राशि लाख रुपये में)

तुलन-पत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर परिसम्पत्तियां / (दायित्व) का विश्लेषण निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिये प्रावधान	—	—
निवेश पर उचित मूल्य प्राप्ति / (हानि)	—	—
अर्धवैतनिक अवकाश की क्षतिपूर्ति के लिये प्रावधान	—	—
उपार्जित अवकाश के लिये प्रावधान	—	—
ग्रेच्युटी के लिये प्रावधान	—	—
धारा 43बी के अन्तर्गत अन्य अमान्य	—	—
अन्य प्रावधान	—	—
आधारभूत संरचना गतिविधियों की मान्य राजस्व की लेखा नीति में परिवर्तन	—	—
मूल्य ह्रास	—	—
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (ए)	—	—
आस्थगित कर दायित्व		
मूल्य ह्रास	—	—
ऋणों पर प्रोदभूत ब्याज	—	—
परिसम्पत्तियों की हानि	—	—
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित	—	—
निवेश पर उचित मूल्य प्राप्ति / (हानि)	—	—
कुल आस्थगित कर दायित्व (बी)	—	—
शुद्ध आस्थगित कर दायित्व (ए-बी)	—	—

18.1 अधिसूचना एस.ओ. 1465 (ई) के साथ पठित अधिसूचना एस.ओ. 529 (ई) के अनुसार, आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित कर दायित्व से संबंधित भारतीय लेखा मानक 12 के प्रावधान 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2024 तक उन सरकारी कम्पनियों जो कि

(ए) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (72) के उप-खण्ड (पअ) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, लागू नहीं होंगे।

रीको लिमिटेड (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड) जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (72) के उप-खण्ड (पअ) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत आवृत्त है एवं तदनुसार वित्तीय वर्ष 16-17 में आस्थगित कर का लेखांकन नहीं किया गया और 01 अप्रैल, 2017 के प्रारम्भिक शेष का अपलेखन कर दिया गया।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

19. अन्य दायित्व

19ए. अन्य गैर चालू दायित्व

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) भूमि एवं अन्य के लिये ग्राहकों से अग्रिम (नीचे टिप्पणी (i) से लाये गये)	6,165.83	5,776.71
(बी) भूमि आवंटन के तहत लम्बित कार्यों के लिये दायित्व	302,917.77	224,179.20
(सी) आस्थगित राजस्व	410.99	367.68
योग	309,494.59	230,323.59

19बी. अन्य चालू दायित्व

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) अग्रिम		
— ग्राहकों से	27,694.38	18,317.71
— सरकार एवं अन्य से	1,420.09	1,449.55
(बी) अप्रयुक्त अनुदान/सहायता	3,046.30	1,944.31
(सी) अन्य	—	
— आस्थगित राजस्व	535.67	672.77
— वैधानिक प्राधिकरणों को देय	1,313.84	1,782.50
— भूमि आवंटन के पेटे बकाया कार्यों के दायित्व	8,189.67	5,754.58
— ग्रामीण सुविधा कोष	2,259.47	2,139.29
— दक्षता विकास कोष	3,887.73	3,715.56
— रुग्ण इकाईयों की बिक्री	1,088.64	1,387.03
— सीएसआर दायित्व	636.10	284.74
योग	50,071.90	37,448.04

- (i) भारत सरकार से एमएसई-सीडीपी योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि की जिम्मेदारी के लिए रीको को नोडल एजेंसी के रूप में अभिहित किया गया है। प्राप्त अनुदान राशि को एक अलग खाते में जमा किया जाता है तथा इसी खाते से वितरण किया जाता है। जमा शेष 1379.02 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को शून्य रुपये)। एमएसई-सीडीपी योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान को चल दायित्व तथा संबंधित नाम शेष को चल सम्पत्तियों में दर्शाया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
भूमि एवं अन्य के लिये ग्राहकों से अग्रिम	31,030.42	21,070.21
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य) (टिप्पणी 8 को ले जाया गया)	24,864.58	15,293.50
अचल देयताएं (i)	6,165.83	5,776.71
ग्राहकों से अग्रिम (मुख्यालय)	2,829.80	3,024.21
घटाइये : चल देयता (अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के अन्तर्गत वापसी योग्य) (टिप्पणी 8 को ले जाया गया)	2,829.80	3,024.21
अचल देयताएं (ii)	—	—
ग्राहकों से दीर्घावधि कुल अग्रिम (i+ii)	6,165.83	5,776.71
ग्राहकों से अग्रिम की चल देयता (टिप्पणी 8 को ले जाया गया)	27,694.38	18,317.71

(ii) जेमस्टोन पार्क क्षेत्र आवंटियों से पहले से ही प्राप्त वसूलियों की राशि 8.89 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 8.89 लाख रुपये) को आवंटियों से अग्रिम शीर्ष में लेखांकित किया है।

20. व्यापारिक देयतायें (चालू)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का बकाया	—	—
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के अतिरिक्त लेनदार	6,059.83	4,818.56
योग	6,059.83	4,818.56

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया#				
	1 साल से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से ज्यादा	योग
(i) एमएसएमई					.
(ii) अन्य	1,388.53	225.91	1,643.11	2,668.15	5,925.70
(iii) विवादित बकाया —एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv) विवादित बकाया — अन्य	—	—	0.04	134.09	134.13
योग	1,388.53	225.91	1,643.15	2,802.24	6,059.83

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकायारु				
	1 साल से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से ज्यादा	योग
(i) एमएसएमई					.
(ii) अन्य	319.07	883.58	846.85	2,634.97	4,684.46
(iii) विवादित बकाया —एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv) विवादित बकाया — अन्य	—	—	—	134.09	134.09
योग	319.07	883.58	846.85	2,769.06	4,818.56

जहां भुगतान की देय तिथि उपलब्ध नहीं है, संव्यवहार की तिथि पर विचार किया गया है।

21. कर परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

21ए. अचल कर परिसम्पत्तियां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वापसी-योग्य आयकर	3,693.24	1,550.64
योग	3,693.24	1,550.64

21बी. चल कर परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कराधान के लिये प्रावधान (नीचे विस्तृत टिप्पणी (i) देखें)	19,100.00	—
प्रदत्त अग्रिम कर/टीडी,स	19,500.00	—
योग	400.00	—

21सी. चल कर दायित्व — प्रदत्त अग्रिम कर का शुद्ध

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कराधान के लिये प्रावधान (नीचे विस्तृत टिप्पणी (i) देखें)	—	20,103.83
घटाइये: प्रदत्त अग्रिम कर/प्रदत्त टीडीएस	—	20,000.00
योग	—	103.83

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 400 लाख रुपये की चालू कर आस्ति को टिप्पणी सं. 21बी में दर्शाया गया है।

(i) कराधान के लिये प्रावधान के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
चालू वर्ष	19,100.00	19,000.00
गत वर्ष	—	1,103.83
योग	19,100.00	20,103.83

- (ii) आयकर का आवश्यक प्रावधान कर-सलाहकार की राय से किया गया है। निर्धारण/कारण बताओं कार्यवाही पर की गयी मांग जो अपील/संदर्भ के अधीन है, को यथा आकस्मिक दायित्व दर्शाया जाता है जब तक कि कर-सलाहकार की राय में यह निगम का दायित्व न हो। अपील/पुनरीक्षण/संदर्भों और न्यायालय के मामलों के वित्तीय प्रभाव एवं उस पर ब्याज के विरुद्ध वापसी को संबंधित कर विभाग से इन आदेशों/संदर्भों/संशोधनों के प्रभाव की प्राप्ति पर लेखाबद्ध किया जाता है।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

टिप्पणियां जो समेकित वित्तीय विवरणों का ही भाग हैं

22. संचालनों से राजस्व

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
(ए) आधारभूत सुविधा गतिविधियों से आय		
(i) भूमि का आवंटन एवं विकास गतिविधियां		
भूमि के आवंटन से आय (पट्टा)	48,172.62	32,994.85
भूमि के आवंटन से आय (विकास गतिविधि)	63,757.82	48,554.95
अविकसित भूमि के आवंटन से आय	21.34	(69.24)
योग (i)	111,951.78	81,480.56
(ii) अन्य परिचालन आय		
दण्डित ब्याज सहित ब्याज	7,210.44	5,232.32
आर्थिक किराया	113.50	279.09
जल प्रभार	2,182.60	2,117.56
सेवा प्रभार	10,737.61	9,425.62
किराया	146.72	126.09
प्रतिभूति राशि की जब्ती	482.31	1,072.99
हस्तांतरित क्षेत्रों से आय	582.25	773.01
धारण प्रभार	1,098.23	2,610.61
हस्तांतरण प्रभार	1,965.98	2,056.41
अन्य आय	2,650.46	2,282.57
डूबत ऋणों की वसूली	1,110.59	2,125.41
अनुदानों का उपयोग किया गया	1,356.88	2,245.71
योग (ii)	29,637.57	30,347.41
योग (i)+(ii)	141,589.35	111,827.96
(बी) वित्तीय गतिविधियों से आय		
(i) ब्याज		
अवधि ऋणों पर ब्याज की आय	3,401.24	5,153.63
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम पर	103.02	107.40
ब्याज की आय—परिशोधित लागत पर मापे गये ऋणों की अनविंडिंग	2,154.06	2,087.11
योग (i)	5,658.32	7,348.15

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
(ii) अन्य वित्तीय सेवायें		
समयपूर्व भुगतान पर प्रीमियम/आईआरआरएस	53.79	14.91
एग्रो फूड पार्क से आय	5.14	5.14
अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	1.21	1.21
गैर चालू निवेशों के विक्रय पर शुद्ध प्राप्ति	—	24.55
गैर चालू निवेशों पर प्राप्ति/(हानि) का उचित मूल्य	3,500.35	(52.91)
चालू निवेशों पर प्राप्ति/(हानि) का उचित मूल्य	483.33	127.95
राशि/पुनः लिखित/डूबत ऋणों की वसूली	1,423.55	174.16
योग (ii)	5,467.37	295.01
योग बी (i) + (ii)	11,125.68	7,643.15
कुल योग (ए+बी)	152,715.03	119,471.12

- (i) रीको या किसी अन्य वित्तीय संस्थान/सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इकाई का अधिग्रहण करने एवं/अथवा रूग्ण होने के संबंध में सूचना/नोटिस की तिथि से व्यतिक्रम करने वाले आवंटियों से सेवा प्रभारों की बकाया राशि को रोक दिया गया है।

23. अन्य आय

ए) ब्याज की आय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
बैंक जमाएं	3,907.67	2,669.26
सरकारी पी/डी खाता	588.96	588.00
योग (ए)	4,496.63	3,257.26

बी) लाभांश आय

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
अधिमानि अंशों से लाभांश	—	—
सहबद्ध कम्पनियों में इक्विटी निवेश से लाभांश	—	—
योग (बी)	—	—

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

सी) अन्य गैर-संचालित आय

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
निवेश सम्पत्ति से आय (कन्वेन्शन सेन्टर)	788.50	206.31
विविध आय	3.66	3.70
सेवा कर की वसूली	3.96	6.14
आयकर वापसी पर ब्याज	—	118.82
योग (सी)	796.12	334.98

डी) अन्य प्राप्तियां एवं हानियां

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर प्राप्ति / (हानि)	5.21	—
योग (डी)	5.21	—
(ए+बी+सी+डी)	5,297.96	3,592.24

24. भूमि के स्टॉक में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
भूमि (विकसित)		
प्रारम्भिक स्टॉक	89,735.96	173,742.70
घटाइये: अन्तिम स्टॉक	181,348.81	89,735.96
	(91,612.85)	84,006.74
भूमि (विकासाधीन)		
प्रारम्भिक स्टॉक	170,362.77	80,865.18
घटाइये: अन्तिम स्टॉक	72,389.21	170,362.77
	97,973.56	(89,497.59)
योग	6,360.71	(5,490.86)

25. कर्मचारी परिलाभ व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
वेतन एवं प्रोत्साहन राशि निम्न में अंशदान :	6,315.70	5,946.87
भविष्य निधि एवं अन्य	602.26	640.17
निक्षेप सह बीमा प्रीमियम	27.77	20.71
चिकित्सा कोष (सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये)	5.19	6.31
ग्रेच्युटी व्यय*	189.49	209.99
अवकाश नकदीकरण अनुलाभ*	259.54	4.89
अर्धवेतनिक अवकाश हेतु क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	10.31	—
रियाती दर पर कर्मचारियों को ऋण	19.35	33.32
कर्मचारी कल्याण व्यय	26.67	20.66
योग	7,456.27	6,882.93

* ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण कोषों के प्रबंधन के लिए निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम, एसबीआई लाईफ एवं एचडीएफसी लाईफ के साथ करार किया है। लाभ-हानि विवरण पत्र में लाभ/हानि/व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मान्य किया गया है।

26. वित्त लागतें

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
निरन्तर संचालन		
(ए) ब्याज की लागत	—	—
बैंकों को प्रदत्त ब्याज		
अन्य		
— वित्तीय दायित्वों पर ब्याज की अनविडिंग	484.29	431.34
योग	484.29	431.34
एफवीटीपीएल में अवर्गीकृत वित्तीय दायित्वों के लिये कुल ब्याज व्यय घटाइयें: अर्हक आस्तियों की लागत में शामिल राशियां		
उप-योग (ए)	484.29	431.34
(बी) मोचनीय अधिमान अंशों पर लाभांश	—	—
(सी) उधार की लागतों के समायोजन के रूप में माना गया विनिमय अंतर	—	—
(डी) आयकर पर ब्याज व्यय	34.01	1.37
योग (ए+बी+सी+डी)	518.30	432.71

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

27. मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्य ह्रास (टिप्पणी 3)	103.01	102.14
निवेशी सम्पत्ति का मूल्य ह्रास (टिप्पणी 4)	1.41	1.41
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का मूल्य ह्रास (टिप्पणी 5)	24.19	15.47
कुल मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	128.62	119.02

28. अन्य व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
किराया	7.04	—
दर एवं कर	2.52	2.80
निम्न की मरम्मत :		
भवन	307.89	342.31
अन्य	74.64	59.14
औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव	10,247.52	9,098.89
विशेष रखरखाव	3,109.29	1,400.82
बीमा	8.81	9.47
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ निदेशक को भुगतान	25.83	23.34
डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों अपेक्षित क्रेडिट हानि के पुनःमापन पर (लाभ)/हानि	463.29	(-)1,921.84
अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन पर व्यय	4,554.36	6,969.35
हस्तांतरित क्षेत्रों का रखरखाव	514.93	300.31
निगमित सामाजिक सरोकार पर व्यय	835.98	480.66
वित्तीय आस्ति की अमान्यता पर लाभ/(हानि)	598.55	
एग्रों फुड पार्क पर व्यय	—	35.90
विविध व्यय [देखें टिप्पणी 28.1]	13,909.03	9,381.57
योग	34,659.68	26,182.73

28.1 विविध व्ययों का ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
प्रशासनिक व्यय		
विधि व्यय	177.25	94.93
मुद्रण, स्टेशनरी एवं प्रकाशन	145.11	123.36
वाहन परिचालन व्यय	119.95	96.31
वाहन किराया व्यय	206.20	119.08
आवेदकों/ग्राहकों को प्रदत्त ब्याज	98.73	622.62
ऋणियों को छूट एवं रियायत	976.74	1,417.72
यात्रा एवं वाहन	115.20	79.28
आंतरिक अंकेक्षकों को भुगतान	9.45	16.85
सामान्य सुविधा केन्द्र पर व्यय	45.72	55.49
परामशदार्ताओं को भुगतान	96.84	122.69
सेवाओं की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान	846.89	629.15
दूरभाष एवं ट्रंककॉल व्यय	67.47	62.85
पट्टा किराया	0.25	0.24
सेवाकर व्यय	—	9.30
ग्रामीण सुविधा विकास पर व्यय	172.18	95.64
दक्षता विकास पर व्यय	172.18	95.64
अर्जित आय अपलिखित	5,182.52	3,238.25
वैधानिक अंकेक्षकों को भुगतान {देखे विवरणात्मक टिप्पणी (i)}	9.19	8.20
लागत अंकेक्षक को भुगतान	0.30	0.30
इआरपी की संधारण लागत	39.68	—
सचिवीय अंकेक्षक को भुगतान	1.20	1.00
विविध शेष/सावधि ऋण अपलिखित	852.85	—
विविध देनदार अपलिखित	0.50	—
स्टेट रिन्यूअल फंड को अंशदान	20.00	20.00
योग (i)	9,356.39	6,908.88
विक्रय एवं वितरण व्यय		
प्रचार व्यय	1,841.10	2,127.11
व्यवसाय उन्नयन एवं विकास व्यय	1,582.29	86.31
योग (ii)	3,423.39	2,213.42
अन्य विविध व्यय		
विविध व्यय	879.98	259.27
भर्ती व्यय	249.26	—
योग (iii)	1,129.24	259.27
कुल योग = (i)+(ii)+(iii)	13,909.03	9,381.57

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

(i) वैधानिक अंकेक्षकों को भुगतान

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
यथा अंकेक्षक	7.00	7.00
यथा कर अंकेक्षक	1.20	1.20
अन्य सेवाओं के लिये	—	—
व्यय के प्रतिपूर्ति के लिये	0.99	—
योग	9.19	8.20

29. आय कर

29.1 लाभ या हानि में मान्य आय कर

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
चालू कर		
चालू अवधि के संबंध में	19,100.00	19,000.00
पूर्व अवधि के संबंध में		
— पूर्व वर्षों के लिये प्रदत्त आय कर	—	—
— पूर्व वर्षों के लिये वापस मिला आय कर	—	—
(ए)	19,100.00	19,000.00
आस्थगित कर		
चालू अवधि के संबंध में (देखें नीचे टिप्पणी (i) एवं (ii))	—	—
(बी)	—	—
चालू अवधि में मान्य किये गये कुल आय कर व्यय (ए+बी)	19,100.00	19,000.00

29.2 अन्य व्यापक आय में मान्य आय कर

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
चालू कर		
परिभाषित लाभ दायित्व का पुनः मापन	—	—
आस्थगित कर		
परिभाषित लाभ दायित्व का पुनः मापन	—	—
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल आय कर	—	—

- (i) प्रयोज्य कर दर (दरों) से गुणित लेखांकन लाभ के उत्पाद एवं कर व्यय (आय) के मध्य संख्यात्मक समाधान तैयार नहीं किया गया है क्योंकि निगम ने एमसीए की अधिसूचना एस.ओ. 1465 (ई) के साथ पठित अधिसूचना एस.ओ. 529 (ई) की पालना में 01 अप्रैल, 2017 से आस्थगित करों के लिये लेखांकन नहीं किया है। यह भी कि चालू वर्ष के लिये साम्या घटकों के अस्थायी अंतरों पर किसी आस्थगित आस्ति/दायित्व को मान्य नहीं किया गया है।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर

टिप्पणियां जो समेकित वित्तीय विवरणों का ही भाग है

30. अर्जन प्रति अंश

मूल अर्जन प्रति अंश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	इकाई	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार, साम्या अंशधारियों को आरोप्य कर पश्चात् शुद्ध लाभ (ए)	रु. लाख	62,250.29	53,316.04
इपीएस की गणना हेतु हर (डिनोमीनेटर) के रूप में प्रयोग किये गये साम्या अंशों की भारित औसत संख्या (बी)	सं. (लाख में)	2,101.86	2,101.86
प्रति अंश अर्जन (इपीएस)	रु.	29.62	25.37
प्रति समता अंश अंकित मूल्य	रु.	10.00	10.00

मन्दित अर्जन प्रति अंश

विवरण	इकाई	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार, साम्या अंशधारियों को आरोप्य कर पश्चात् शुद्ध लाभ (ए)	रु. लाख	62,250.29	53,316.04
इपीएस की गणना हेतु हर (डिनोमीनेटर) के रूप में प्रयोग किये गये साम्या अंशों की भारित औसत संख्या (बी)	सं. (लाख में)	2,101.86	2,101.86
प्रति अंश अर्जन (इपीएस)	रु.	29.62	25.37
प्रति समता अंश अंकित मूल्य	रु.	10.00	10.00

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

31. कर्मचारी परिलाभ योजनायें

31.1 परिभाषित अंशदान योजनायें

निगम अपने निगम के सभी अर्हकारी कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं को सम्पादित करता है। योजना की आस्तियों को, निगम की आस्तियों से पृथक रूप में न्यासीयों के नियंत्रण के अधीन निधि में धारित किया जाता है।

31.2 परिभाषित परिलाभ योजनायें

निगम अर्हकारी कर्मचारियों के लिये निधिबद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं को प्रवर्तित करता है। परिभाषित लाभ योजनाओं का पृथक निधि द्वारा प्रबंध किया जाता है जो कि सत्ता से विधितः अलग है। निधि मण्डल में नियोजको एवं (भूतपूर्व) कर्मचारियों दोनों के समान संख्या में प्रतिनिधि है। निधि मण्डल से विधि द्वारा एवं संगम अनुच्छेद द्वारा यह अपेक्षा है कि निधि एवं योजना में सभी संबंधित पणधारियों अर्थात् सक्रिय कर्मचारी, निष्क्रिय कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं नियोजक के हित में कार्य करें। निधि की आस्तियों के संबंध में निवेश नीति के लिये निधि मण्डल उत्तरदायी है।

31.3 सेवानिवृत्त कार्मिक तथा दायित्वों के सम्बन्ध में, कम्पनी ने कर्मचारियों को दिये गये विभिन्न परिलाभों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है ::

1. अन्य दीर्घावधि परिलाभ योजना—अस्वस्थता अवकाश
2. परिभाषित परिलाभ योजना—ग्रेच्युटी
3. अन्य दीर्घावधि परिलाभ योजना— अर्जित अवकाश

भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसरण में प्रकट किये जाने वाले अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार है:

1. परिभाषित लाभ योजना

(राशि लाख रुपये में)

	31 मार्च, 22	31 मार्च, 21
शुद्ध परिभाषित लाभ (आस्ति)/दायित्व :		
ग्रेच्युटी	(586.46)	(921.47)
अस्वस्थता अवकाश	285.43	275.12
अर्जित अवकाश	(112.73)	(134.59)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	गैर-चालू		चालू	
	31 मार्च, 22	31 मार्च, 21	31 मार्च, 22	31 मार्च, 21
ग्रेच्युटी	4678.43	4,209.59	473.00	822.10
अस्वस्थता अवकाश	272.63	264.08	12.80	11.03
अर्जित अवकाश	2,892.81	2,615.75	269.74	416.03
योग	7,843.86	7,089.43	755.54	1,249.16

(ए) 31.03.2022 एवं 31.03.2021 को परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	ग्रे च्यूटी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश
1 अप्रैल को दायित्वों का वर्तमान मूल्य	5,031.69	275.12	3,031.78
	(5,415.88)	(309.97)	(3,298.41)
ब्याज लागत	337.12	18.43	203.13
	(362.86)	(20.77)	(220.99)
सेवा लागत	242.29	12.65	156.98
	(228.64)	(11.89)	(146.72)
संदत्त परिलाभ	819.64		110.66
	(836.16)	.	(257.04)
जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से होने वाले दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—
	—	—	—
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से होने वाले दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	143.73	7.72	98.35
	—	—	—
अनुभवी समायोजन से होने वाले दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(503.69)	13.05	20.33
	(139.54)	(67.51)	(377.30)
31 मार्च को दायित्वों का वर्तमान मूल्य	5,151.42	285.43	3,162.55
	(5,031.69)	(275.12)	(3,031.78)

(बी) 31.03.2022 एवं 31.03.2021 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश
1 अप्रैल को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5,953.16	3,166.37
	(5,796.27)	(3,111.79)
ब्याज की आय	398.86	212.15
	(388.35)	(208.49)
ब्याज की आय के अतिरिक्त योजना आस्तियों पर प्रतिफल	33.69	7.43
	(29.18)	(6.27)
अंशदान	171.81	—
	(575.52)	(96.87)
संदत्त परिलाभ	819.64	110.66
	(836.16)	(257.04)
हस्तान्तर	—	—
	—	—
31 मार्च को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5,737.89	3,275.28
	(5,953.16)	(3,166.37)

(सी) 31.03.2022 एवं 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय
(राशि लाख रुपये में)

विवरण	ग्रे च्यूटी	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश
वर्तमान सेवा लागत	242.29	12.65	156.98
	(228.64)	(11.89)	(146.72)
पूर्व सेवा लागत	—	—	—
	—	—	—
शुद्ध ब्याज लागत	61.74	18.43	(9.02)
	(25.49)	(20.77)	(12.50)
ब्याज की आय के अतिरिक्त योजना आस्तियों पर प्रतिफल	—	—	7.43
	—	—	(6.27)
जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से होने वाले दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—
	—	—	—
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	7.72	98.35
	—	—	—
अनुभवी समायोजन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	13.05	20.33
	—	(67.51)	(377.30)
शुद्ध नियतकालीन लागत	180.55	10.31	21.85
	(203.16)	34.85	224.34

* पूर्व वर्ष के आंकड़े (कोष्ठक में) उपलब्ध परिमाण तक दिये गये हैं।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

(डी) 31.03.2022 एवं 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिय अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि
(राशि लाख रुपये में)

विवरण	ग्रेच्यूटी	अर्जित अवकाश
प्रतिपूर्ति हानि/(लाभ): निम्न से होने वाले बीमांकिक हानि/(लाभ)		
जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन	—	—
	—	—
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन	143.73	98.35
	—	—
अनुभवी समायोजन	(503.69)	20.33
	(139.54)	(377.30)
ब्याज की आय के अतिरिक्त योजना आस्तियों पर प्रतिफल	33.69	7.43
	(29.18)	(6.27)
अन्य व्यापक आय में मान्य की जाने वाली राशि	(326.27)	126.11
	(168.71)	(383.56)

(ई) अन्य प्रकटीकरण

(राशि लाख रुपये में)

ग्रेच्यूटी	31.03.2022 को	31.03.2021 को
31 मार्च को दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,151.42	5,031.69
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5,737.89	5,953.16
दायित्व (आस्तियां)	(586.46)	(921.47)
अमान्य पिछली सेवा लागत	—	—
तुलन पत्र में मान्य दायित्व (आस्तियां)	(586.46)	(921.47)

अस्वस्थता अवकाश	31.03.2022 को	31.03.2021 को
31 मार्च को दायित्व का वर्तमान मूल्य	285.43	275.12
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	—	—
दायित्व (आस्तियां)	285.43	275.12
अमान्य पिछली सेवा लागत	—	—
तुलन पत्र में मान्य दायित्व (आस्तियां)	285.43	275.12

अर्जित अवकाश	31.03.2022 को	31.03.2021 को
31 मार्च को दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,162.55	3,031.78
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(3,275.28)	—
दायित्व (आस्तियां)	(112.73)	3031.78
अमान्य पिछली सेवा लागत	—	—
तुलन पत्र में मान्य दायित्व (आस्तियां)	(112.73)	3031.78

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
छूट दर	7.13 प्रतिशत	6.70 प्रतिशत
मृत्यु दर	भारतीय बीमांकृत जीवन मृत्यु दर	भारतीय बीमांकृत जीवन मृत्यु दर
मूल्यांकन विधि	(प्रक्षिप्त ईकाई क्रेडिट)	(प्रक्षिप्त ईकाई क्रेडिट)
भावी वेतन वृद्धियां	7 प्रतिशत प्रति वर्ष	7 प्रतिशत प्रति वर्ष

बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन वृद्धियों के आकलन को विचारित किया गया है, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, एवं अन्य तत्व जैसे की रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति को ध्याम में रखा गया है।

(एफ) योजना आस्तियों में निम्नलिखित का समावेश है

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को			31.03.2021 को		
	उद्धृत	अनुद्धृत	योग	उद्धृत	अनुद्धृत	योग
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—
निगम के बॉण्ड/डिबेंचर	—	—	—	—	—	—
साम्या एवं साम्या से जुड़े निवेश	—	—	—	—	—	—
मुद्रा बाजार प्रपत्र/लिक्विड म्यूचल फण्ड	—	—	—	—	—	—
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित कोष	—	—	—	—	—	—
ग्रेच्युटी	5,737.89	—	5,737.89	5,953.16	—	5,953.16
अर्जित अवकाश	3,275.28	—	3,275.28	3,166.37	—	3,166.37
योग	9,013.17	—	9,013.17	9,119.53	—	9,119.53

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

संवेदनशीलता विश्लेषण:

अन्य धारणाओं को स्थिर रखते हुये, प्रतिवेदित दिनांक को संबंधित बीमांकिक मान्यताओं में से एक के यथोचित संभव परिवर्तन परिभाषित लाभ दायित्व को नीचे दर्शायी गई राशियों द्वारा प्रभावित किया होगा:

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
		अभिवृद्धि	कमी	अभिवृद्धि	कमी
ग्रे च्यूटी	छूट दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	(157.94)	168.62	(150.39)	160.43
	वेतन वृद्धि दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	168.02	(158.84)	159.20	(150.66)
अस्वस्थता अवकाश	छूट दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	(8.48)	9.01	(8.17)	8.71
	वेतन वृद्धि दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	8.98	(8.53)	8.59	(8.17)
अर्जित अवकाश	छूट दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	(107.29)	114.93	(100.53)	107.73
	वेतन वृद्धि दर (0.5 प्रतिशत की चाल)	114.52	(107.90)	106.58	(100.64)

यद्यपि विश्लेषण में योजना के अन्तर्गत आश्रयित रोकड़ प्रवाह का पूर्ण वितरण पर विचार नहीं किया गया, परन्तु यह दिखाये गये संवेदनशीलता के पूर्वानुमानों को लगभग बताता है। उपरोक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित बेनिफिट बाध्यता पर प्रभाव को बढ़ाता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

जोखिम अनावरण:

मूल्यांकन कदाचित धारणाओं पर आधारित है जो कि गतिशील प्रकृति की है एवं समय के साथ भिन्नता लिये हुये है। इस प्रकार कम्पनी में निम्न प्रकार के विभिन्न जोखिम हैं:

- ए) **वेतन वृद्धि** – वास्तविक वेतन वृद्धि योजना के दायित्वों में वृद्धि कर देगी। भावी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धियों के आकलन में अभिवृद्धि दायित्वों में भी वृद्धि करेगी।
- बी) **निवेश के जोखिम** – यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो संपत्ति देनदारियां बेमेल होती है एवं अन्तिम मूल्यांकन दिनांक पर स्वीकृत छूट दर से कम रिटर्न आस्तियों पर वास्तविक निवेश रिटर्न दायित्वों को प्रभावित कर सकता है।
- सी) **छूट दर** – आगामी मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना के दायित्वों को बढ़ा सकते है।
- डी) **मृत्यु-दर एवं निशक्तता:** – मूल्यांकन में स्वीकृत वास्तविक मृत्यु एवं निशक्तता के मामलों में कमी या अधिकता दायित्वों को प्रभावित कर सकता है।
- ई) **आहरण** – आगामी मूल्यांकनों में स्वीकृत आहरण से उच्च या कम साबित करने वाले वास्तविक आहरण एवं आहरण की दर में परिवर्तन योजना के दायित्वों को प्रभावित कर सकते है।

भावी वर्षों में परिभाषित परिलाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(राशि लाख रुपये में)

	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष के मध्य	2 से 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 22					
ग्रेच्यूटी	473.00	565.57	1,563.22	2,549.64	5,151.42
अस्वस्थता अवकाश	12.80	54.98	84.11	133.55	285.43
अर्जित अवकाश	269.74	317.26	880.83	1,694.71	3,162.55
योग	755.54	937.81	2,528.16	4,377.89	8,599.40
31 मार्च, 21					
ग्रेच्यूटी	822.10	355.04	1,253.62	2,600.94	5,031.69
अस्वस्थता अवकाश	11.03	56.19	68.57	139.33	275.12
अर्जित अवकाश	416.03	205.62	702.89	1,707.24	3,031.78
योग	1,249.16	616.85	2,025.07	4,447.51	8,338.59

आगामी वर्ष के व्यय हेतु एन्टरप्राइज का सर्वोत्तम प्राक्कलन 237.86 लाख रुपये है – ग्रेच्यूटी

आगामी वर्ष के व्यय हेतु एन्टरप्राइज का सर्वोत्तम प्राक्कलन 33.66 लाख रुपये है – अस्वस्थता अवकाश

आगामी वर्ष के व्यय हेतु एन्टरप्राइज का सर्वोत्तम प्राक्कलन 159.69 लाख रुपये है – अर्जित अवकाश

32. संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरण

एमसीए द्वारा जारी किये गये भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण" द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटीकरण निम्न प्रकार है:

(अ) सम्बन्धित पक्षकारों की सूची :

(i) मुख्य प्रबन्धन कार्मिक

31 मार्च 2022 को

नाम	पद	अवधि
श्री कुलदीप रांका	अध्यक्ष	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर	प्रबंध निदेशक	01.04.2021 से 17.01.2022
श्रीमति अर्चना सिंह	प्रबंध निदेशक	18.01.2022 से 31.03.2022
डॉ. सुबोध अग्रवाल	निदेशक	18.06.2021 से 31.03.2022
श्री आनन्द कुमार	निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री अखिल अरोड़ा	निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री अजिताभ शर्मा	निदेशक	01.04.2021 से 18.06.2021
श्री टी. रविकांत	निदेशक	10.02.2022 से 31.03.2022
श्री पी. रमेश	निदेशक	09.11.2020 से 31.03.2021
श्रीमति अर्चना सिंह	निदेशक	01.04.2021 से 17.01.2022
श्री महेन्द्र पारख	निदेशक	18.03.2022 से 31.03.2022
श्री शक्ति सिंह राठौड़	निदेशक	18.06.2021 से 31.03.2022
श्री इंदरजीत सिंह	निदेशक	10.02.2022 से 31.03.2022
श्री सीताराम अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	20.04.2021 से 31.03.2022
श्री सुनील परिहार	स्वतंत्र निदेशक	20.04.2021 से 31.03.2022
श्री अशोक पाठक	मुख्य वित्त अधिकारी	01.04.2021 से 31.03.2022
श्री डी.के. शर्मा	सचिव	01.04.2021 से 31.03.2022

31 मार्च 2021 को

नाम	पद	अवधि
श्री कुलदीप रांका	अध्यक्ष	01.04.2020 से 31.03.2021
श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर	प्रबंध निदेशक	01.04.2020 से 31.03.2021
डॉ. सुबोध अग्रवाल	निदेशक	01.04.2020 से 02.12.2020
श्री निरंजन कुमार आर्य	निदेशक	01.04.2020 से 02.12.2020
श्री कुंजी लाल मीणा	निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020
श्रीमति उर्मिला राजोरिया	निदेशक	01.04.2020 से 14.09.2020
श्री मुक्तानन्द अग्रवाल	निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2020
श्री संदीप वर्मा	निदेशक	01.04.2020 से 31.07.2021
श्री नरेश पाल गंगवार	निदेशक	31.07.2020 से 11.02.2021
श्री आनन्द कुमार	निदेशक	31.07.2020 से 31.03.2021
श्रीमति अर्चना सिंह	निदेशक	31.07.2020 से 31.03.2021
श्री पी. रमेश	निदेशक	09.11.2020 से 31.03.2021
श्री कैलाश चंद वर्मा	निदेशक	14.09.2020 से 09.11.2020
श्री अजिताभ शर्मा	निदेशक	02.12.2020 से 31.03.2021
श्री अखिल अरोड़ा	निदेशक	02.12.2020 से 31.03.2021
श्री अशोक पाठक	मुख्य वित्त अधिकारी	01.04.2020 से 31.03.2021
श्री डी.के. शर्मा	सचिव	01.04.2020 से 30.06.2020
श्री डी.के. शर्मा	सचिव	22.01.2021 से 31.03.2021

(ii) 31 मार्च 2022 को सहयोगी कम्पनियां

- ❖ राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
- ❖ राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
- ❖ महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड
- ❖ राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
- ❖ राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड

(iii) नियोजनोत्तर योजनायें

- ❖ अंशदायी भविष्य निधि
- ❖ ग्रेच्युटी
- ❖ मेडिकल रिलीफ फण्ड

(बी) सम्बन्धित पक्षकारों के साथ संव्यवहार

मूल के साथ संव्यवहार

(राशि लाख रुपये में)

संबंधित पक्षकार का नाम	संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
राजस्थान सरकार	अग्रिमों की प्राप्ति	—	—
	सीइटीपी भिवाडी-I के लिये अनुदान की प्राप्ति	2,500.00	—
	सरकार को प्रदत्त राशि (आईएफएसटीएल)	88.92	—

मूल के साथ बकाया शेष

(राशि लाख रुपये में)

संबंधित पक्षकार का नाम	संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
राजस्थान सरकार	अग्रिमों की प्राप्ति		
	— डीआईसी पाली में सीमा दीवाल के निर्माण के लिये	1.24	1.24
	— क्रिटिकल इन्फ्रा विकास के लिये राजस्थान सरकार से	134.39	163.86
	— केलिब्रेशन टॉवर के लिये	38.81	38.81
	— डीआईसी भवन में मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य के लिये	0.29	0.29
	— डीआईसी भवन के विस्तार के लिये राजसीको से	4.79	4.79
	— एमएसएमई निवेश सुविधा केंद्र खाता	15.56	15.56
	— खोज बचाव एवं संचार का क्रय	1,225.00	1,225.00
	अनुदान एवं आर्थिक सहायता प्राप्त		
	— वस्त्र क्रेन्द्र आधारभूत योजना के लिये	—	100.00
	— सीइटीपी भिवाडी-I के लिये अनुदान प्राप्त	2,404.10	84.80
	एजेन्सी व्यापार के अन्तर्गत ऋण		
	— सुलभ ऋण	88.35	88.35
	— ब्याज मुक्त ऋण		
	ए) आईएफएसटीएल के लिये	379.08	397.47
	बी) ब्याज मुक्त अवधि ऋण के लिये	51.48	51.48

सहयुक्त कम्पनियों के साथ संव्यवहार

(राशि लाख रुपये में)

संबंधित पक्षकार का नाम	संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(1) राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	—	4.90
(2) राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	—	—
(3) महेन्द्र वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	1170.00	—
	भूमि का आवंटन	—	—
(4) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	—	—
(5) राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेंट्स लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	—	—
	सोलर पैनल के क्रय के तहत दिया गया अग्रिम	—	—
	सोलर पैनल का क्रय	—	—

लाभ योजनाएं

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
नियोजनोत्तर लाभ योजनाओं से संव्यवहार		
— नियोजनोत्तर लाभ योजना को किया गया अंशदान	1,483.14	1,992.32
3. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिफल		
— अल्पावधि परिलाभ	2.53	1.75
— नियोजनोत्तर परिलाभ	5.47	55.51
— बैठक फीस	—	—
— पारिश्रमिक	68.77	60.53
— अन्य दीर्घावधि परिलाभ	—	—
योग	76.77	117.79

33. समाश्रित दायित्व, समाश्रित आस्तियां एवं प्रतिबद्धतायें

33.1 समाश्रित दायित्व

निगम के विरुद्ध दावें जिन्हें यथा ऋण के स्वीकृत नहीं किया

- 1) विभिन्न कारण बताओं नोटिसों के तहत सेवाकर मय विविध उपकर की कुल मांग राशि 8328.31 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 8339.97 लाख रुपये) के मामले आयुक्त/ अधिकरण/ माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। अग्रतर, आयकर की मांगों की समग्र राशि 5667.12 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 5123.36 लाख रुपये) मुकदमेबाजी के अधीन है।
- 2) आई.पी.आई. एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित न्यायालयों में लम्बित विवादों की समग्र राशि 10833.75 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 को 10431.81 लाख रुपये)।
- 3) ऋणियों की बेची गई इकाइयों के विरुद्ध सरकारी बकाया/ वसूली के संबंध में, राशि अभिनिश्चित नहीं है।
- 4) 7वें वेतन आयोग के लागू होने के उपरान्त उन कर्मचारियों के संबंध में वेतन एवं भत्तों का दायित्व जिनका वेतन स्थिरीकरण लम्बित/ विवादित है, राशि अभिनिश्चित नहीं है।

33.2 आकस्मिक आस्तियां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आकस्मिक आस्तियां (नीचे टिप्पणी देखें)	20,170.48	15,678.45

कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में, भूमि का कुछ भाग मुकदमेबाजी के अधीन है— 716.57 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 13242.12 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 11214.50 लाख रुपये के मूल्य की 624.75 एकड़) है एवं 501.11 एकड़ भूमि अतिक्रमण के अधीन है जिसका मूल्य 6830.95 लाख रुपये (गत वर्ष 4366.54 लाख रुपये के मूल्य की 449.85 एकड़) है।

अग्रतर, कहारनी औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा अधिग्रहित भूमि की आधारभूत संरचना की लागत के प्रति उनसे 97.41 लाख रुपये की वसूली योग्य राशि विवाद में है।

राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादन बैंक गारंटी पर रीको द्वारा भुगतान किये गये बैंक प्रभारों के कारण 13.29 लाख रुपये।

33.3 वचनबद्धता

- (1) पूंजीगत कार्यों में निष्पादित होने से शेष रही संविदाएं साथ ही आस्तियों के लिये सामान्य सेवाओं, विकास, रख-रखाव व्यय, आपूर्ति आदेशों एवं अन्य कार्यों की लागत के 41168.19 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 12881.78 लाख रुपये)।
- (2) आरवीसीएफ—III – अनमॉगी पूंजी के विरुद्ध वचनबद्ध दायित्व 326.37 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 1608.48 लाख रुपये)।
- (3) रीको के आईटी एनेबलमेंट प्रोजेक्ट के लिये शून्य रुपये (31 मार्च, 2021 को 200 लाख रुपये)।
- (4) रीको के जीआईएस प्रोजेक्ट के लिये 283.00 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 283.00 लाख रुपये)।
- (5) राजस्थान सांस्कृतिक कोष में योगदान 500.00 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को 500.00 लाख रुपये)
- (6) राजस्थान औद्योगिक कॉरीडोर विकास कार्पोरेशन लिमिटेड (RIDCO)— रीको की समनुषंगी

34. वित्तीय प्रपत्र

भारतीय लेखा मानक-107 “वित्तीय साधन- प्रकटीकरण” के अनुसार प्रकटीकरण

34.1 पूंजी प्रबंधन

निगम के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजनार्थ साम्या अंश पूंजी एवं अन्य साम्या को विचारित किया जाता है।

निगम अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह करता है जिससे कि उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान की स्थिति की निरन्तरता को बनाये रखने एवं अंशधारियों के प्रतिलाभ को अनुकूलित करने की अपनी क्षमता का सुरक्षण कर सकें। निगम की पूंजी संरचना, कुल इक्विटी पर ध्यान केन्द्रित करते हुये इसकी महत्वपूर्ण एवं दैनिक आवश्यकताओं के लिये प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है। निगम के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य, एक सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित करते हुए अंशधारियों के मूल्य को अधिकतम करना है।

निगम की पूंजी संरचना में कुल इक्विटी निहित है। निगम किसी भी बाह्य रूप से अधिरोपित पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

34.1.1 गियरिंग अनुपात

प्रतिवेदित अवधि के अन्त में निगम का कोई बकाया ऋण नहीं है। तदनुसार, निगम का 31 मार्च, 2022 एवं 31 मार्च, 2021 को शुन्य गियरिंग अनुपात है।

34.2 श्रेणीवार वित्तीय साधन

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां :			
निवेश			
— साम्या साधन	8,668.25	—	—
अधिमानी शेयर	0.00	—	—
— म्यूचअल फण्ड	9,414.72	—	—
डिबेन्चर	0.02	—	—
ऋण	—	—	44,723.10
व्यापारिक प्राप्त्य	—	—	179,753.10
अन्य वित्तीय आस्तियां	—	—	234,397.15
कुल वित्तीय आस्तियां	18,082.98	—	458,873.35
वित्तीय दायित्व :			
व्यापारिक देयतायें	—	—	6,059.83
अन्य वित्तीय दायित्व	—	—	33,897.88
कुल वित्तीय दायित्व	—	—	39,957.71

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां :			
निवेश			
— साम्या साधन	8,539.33	—	—
अधिमानी शेयर	0.00	—	—
— म्यूचअल फण्ड	4,277.86	—	—
डिबेन्चर	0.02	—	—
ऋण	—	—	52,279.20
व्यापारिक प्राप्त्य	—	—	114,248.95
अन्य वित्तीय आस्तियां	—	—	139,802.88
कुल वित्तीय आस्तियां	12,817.20	—	306,331.03
वित्तीय दायित्व:			
व्यापारिक देयतायें	—	—	1,904.79
अन्य वित्तीय दायित्व	—	—	33,836.79
कुल वित्तीय दायित्व	—	—	35,741.58

निगम ने वित्तीय प्रपत्रों जैसे कि नकद एवं नकद समतुल्य, गैर चालू/चालू व्यापारिक प्राप्त्य, चालू व्यापारिक देयतायें एवं अन्य गैर चालू/चालू वित्तीय आस्तियां/दायित्व को वहन मूल्य पर प्रकट किया है क्योंकि उनकी वहन राशि उचित मूल्य का यथोचित अनुमान है।

34.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

निगम की व्यापारिक गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों अर्थात् बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं तरलता/नकदी जोखिम के सम्पर्क में है। निगम में जोखिमों की पहचान और निर्धारण उनके न्यूनीकरण करने के उपाय एवं उनके उचित तथा समय पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिये तंत्र सहित उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली है। प्रबंधन समय-समय पर निगम के लिये जोखिम प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की समीक्षा करता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन

बाजार जोखिम, संभव बाजार मूल्य प्रवृत्ति से होने वाली जोखिम या अनिश्चतता है एवं व्यापार के भावी निष्पादन पर उनके प्रभाव है। व्यापार की वस्तु मूल्य के जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम, बाजार जोखिम के प्रमुख घटक हैं।

निगम की गतिविधियां, मुख्य रूप से कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के वित्तीय जोखिम के सम्पर्क में है। [नीचे टिप्पणी (i) देखें]

निगम का बाजार के जोखिम के प्रति एक्सपोजर या जिस तरीके से इन जोखिमों का प्रबन्ध किया जाता है और मापा जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(i) मूल्य जोखिम प्रबंधन

निगम की इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम, या तो ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तुलन-पत्र में धारित एवं वर्गीकृत निवेशों से होती है।

निगम ने क्वोटेड इक्विटी प्रपत्रों एवं म्यूचअल फण्डों की क्लोज्ड एण्डेड योजना में भी निवेश किया है। फण्ड के अन्तर्निहित निवेश में परिवर्तन से मूल्य जोखिम हो सकता है।

इक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रतिवेदित अवधि के अन्त में इक्विटी शेयरों एवं म्यूचअल फण्डों में निवेश के संबंध में कीमत में $+/- 5$ प्रतिशत परिवर्तन के लिये लाभ या हानि की संवेदनशीलता एवं शुद्ध आस्ति मूल्य नीचे प्रस्तुत किया गया है :

- i) एफवीटीपीएल पर मापे गये क्वोटेड इक्विटी प्रपत्रों के उचित मूल्य के 5 प्रतिशत परिवर्तन के परिणामतः 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये कर पूर्व लाभ 40.30 लाख रुपये से बढ़ेंगे/कम होंगे (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये 15.68 लाख रुपये से बढ़ेंगे/कम होंगे)।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को निर्दिष्ट करती है जिसमें उधारकर्ता अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप निगम को वित्तीय हानि होगी।

निगम को क्रेडिट जोखिम दो स्रोतों से उत्पन्न होती है:

- (i) वित्तीय सेवाएं
- (ii) आधारभूत संरचना की गतिविधियां

वित्तीय सेवाएं :

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को निर्दिष्ट करती है जिसमें उधारकर्ता अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप निगम को वित्तीय हानि होगी। चूक से वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करने के लिये केवल साख विश्वसनीयता उधार लेने वाले के साथ ही संव्यवहार करना और, जहां उचित हो, पर्याप्त सहायक ऋणाधार प्राप्त करना, की नीति को निगम ने अंगीकृत की है। निगम केवल उन्हीं सत्ताओं से संव्यवहार करता है जिनकी अच्छी रेटिंग (स्तर) होती है। यह सूचना, जहां उपलब्ध है, स्वतंत्र स्तर-निर्धारक संस्था द्वारा, सीआईबीआईएल रिपोर्टों एवं क्रेडिट रिपोर्टों द्वारा प्राप्त होती है, और यदि उपलब्ध नहीं है तो निगम अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय सूचना का उपयोग करता है एवं इसके मुख्य ग्राहकों के स्तर के लिये अपने ऐतिहासिक (पुराने) डाटा का उपयोग करता है। निगम की जोखिम एवं इसके ऋणियों की क्रेडिट रेटिंग की लगातार निगरानी की जाती है। निगम द्वारा क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन हमेशा जोखिम प्रबंध प्रक्रिया एवं क्रेडिट स्वीकृतियां और व्यापार के सामान्य अनुक्रम में निगम ने जिनको ऋण स्वीकृत किया है उन ऋणियों की क्रेडिट योग्यता की लगातार निगरानी (अर्थात् जोखिम प्रतिक्रिया योजना) के माध्यम से किया जाता है। क्रेडिट जोखिम कार्य स्थापित क्षेत्र के विशिष्ट आंतरिक ढांचे के आधार पर प्रस्तावों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करते हैं जिससे कि परिसम्पत्तियों के जोखिम आधारित मूल्य को सक्षम करने के साथ-साथ जोखिमों की पहचान, कमी एवं आवंटन कर सके।

एक पक्षकार को डिफाल्ट तब माना जाता है जब वह पूर्वनिर्धारित समय पर या तो मूलधन या ब्याज के अपने अनुबंधित भुगतान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। यह माना जाता है कि निगम की नीति में यथा परिभाषित डिफाल्ट के मानदण्डों की पूर्ति होती है तब वित्तीय आस्ति की क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है।

क्रेडिट जोखिम

भारतीय लेखा मानक 109 के अंगीकरण के कारण, निगम हासन हानि या प्राप्ति का निर्धारण करने के लिये ईसीएल मॉडल का उपयोग करता है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि में संचलन

31 मार्च, 2022

विवरण	12 माह ईसीएल	जीवन काल ईसीएल
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	137.61	7,961.19
नये के लिये प्रावधान	—	—
12 माह से जीवन काल तक अन्तरित	—	—
वर्ष के दौरान विपर्य	—	—496.26
विद्यमान में परिवर्तन	699.46	—
वर्ष के अन्त में शेष	837.07	7,464.93

31 मार्च, 2021

विवरण	12 माह ईसीएल	जीवन काल ईसीएल
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	134.74	10,068.81
नये के लिये प्रावधान	—	—
12 माह से जीवन काल तक अन्तरित	—	—
वर्ष के दौरान विपर्य	—	(2,107.61)
विद्यमान में परिवर्तन	2.88	—
वर्ष के अन्त में शेष	137.61	7,961.19

टिप्पणी :

- अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करते हुये वित्तीय आस्तियों पर नुकसान कटौतियों की गणना में अनुमानों का मुख्य उपयोग किया गया है। यथा डूबत क्रेडिट के वर्गीकृत आस्तियों के लिये अनुमानित वसूली का प्रबंधन द्वारा, आगे दिखने वाले दृष्टिकोण साथ ही ऋणी के ऐतिहासिक डाटा, हाल ही हुये परिवर्तनों एवं उपलब्ध सूचना को विचारित करते हुये, आकलन किया जाता है। ये अनुमान प्रत्येक कट-ऑफ की दिनांक और जीवनकाल की समीक्षा के अधीन है। वित्तीय आस्ति के शेष जीवन (राशि) पर अनुमानित वसूलियों में किसी भी परिवर्तन के कारण ईसीएल की पुनः गणना की जायेगी।

- (ii) संबंधित ऋणों के नकद प्रवाह मॉडल को विचारित करते हुये दिये गये ऋणों (उपार्जित ब्याज सहित) की अनुमानित प्राप्ति दिनांक को निर्धारित किया जाता है जो कि प्रबंधन के दृष्टिकोण में दिये गये ऋणों (उपार्जित ब्याज सहित) की प्राप्ति पैटर्न का आकलन करने के लिये सबसे यथार्थवादी और उचित तरीका है। प्रबंधन ने अपनी आन्तरिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है और तदनुसार, संबंधित ऋणों की प्राप्ति की दिनांक का अनुमान लगाया गया है।

मूलभूत संरचना गतिविधियां :

मूलभूत संरचना गतिविधियों के मामलों में, क्रेडिट जोखिम की अधिकतम आशंका व्यापारिक प्राप्यों की संबंधित वहन राशि है। मूलभूत संरचना गतिविधियों के अन्तर्गत भूमि का आबंटन रीको भूमि का व्ययन नियम, 1979 के अनुसार किया जाता है।

निगम को सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिवासी की बेदखली) अधिनियम, 1964 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत सम्पत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार होने से भूमि एवं शैडों के संबंध में बकाया राशि के विरुद्ध डूबत एवं संदिग्ध ऋण का प्रावधान नहीं किया गया है।

तरलता (नकदी) जोखिम प्रबंधन :

तरलता जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी निगम की है जिसमें निगम के लघु, मध्यम एवं दीर्घावधि वित्त पोषण एवं तरलता प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिये एक उचित तरलता जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा बना रखी है। निगम पर्याप्त संचितियां, बैंक सुविधाओं एवं आरक्षित उधार सुविधाओं के संधारण एवं पुर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाहों की लगातार निगरानी द्वारा तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है। संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह दिन-प्रतिदिन आधार पर वित्तीय दायित्वों के पोषण के लिये पूंजी उपलब्ध करता है। निगम पर्याप्त नकदी बनाये रखने के द्वारा तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है। निगम की निवेश नीति एवं कार्यनीति पूंजी के संरक्षण पर एवं निगम की नकदी आवश्यकताओं को संबल देने पर केन्द्रित है। निगम अपने निवेश की कार्यनीति का निष्पादन करने के लिये आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों के संयोजन का उपयोग करता है एवं अपने निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त करता है।

34.4 उचित मूल्य मापन

यह टिप्पणी यह जानकारी देती है कि निगम विभिन्न वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों का उचित मूल्य कैसे निर्धारित करता है।

34.4.1 निगम की वित्तीय आस्तियां एवं दायित्व जो कि आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापी गयी है का उचित मूल्य

प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अन्त में निगम की कुछ वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर मापा गया है। निम्नलिखित तालिका यह सूचना देती है कि इन वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों को कैसे निर्धारित किया गया है (विशिष्ट रूप से, उपयोग की गयी मूल्यांकन तकनीकें एवं महत्वपूर्ण निविष्ट)।

वित्तीय आस्तियां/ वित्तीय दायित्व	उचित मूल्य		उचित मूल्य का अधिक्रम	मूल्यांकन तकनीक एवं महत्वपूर्ण निविष्ट	महत्वपूर्ण अविश्वसनीय निविष्ट	अविश्वसनीय निविष्टों का उचित मूल्य से संबंध
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को				
1) उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश	806.03	313.67	स्तर 1	वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबार के दिन बंद भाव के आधार पर उद्धृत शेयरों के लिये मूल्यांकन किया जाता है।		
2) म्यूचुल फण्डों में निवेश	9414.72	4,277.86	स्तर 2	उचित मूल्य को संबंधित तुलन-पत्र की दिनांकों पर संबंधित म्यूचुअल फण्ड के एनएवी को ध्यान में रखते हुये विचारित किया जाता है। जब फण्ड परिसमापन के अधीन है, उचित मूल्य को अंतिम अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शुद्ध मूल्य को ध्यान में रखते हुये विचारित किया जाता है।		
3) निजी इक्विटी निवेश	7,862.24	8,225.67	स्तर 3	अनुद्धृत शेयरों के मामले में, शेयरों के अंकित मूल्य की गणना संबंधित निगम के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर की जाती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां संबंधित निगम के अंकेक्षित वार्षिक लेखे उपलब्ध नहीं है साथ ही ऐसे जहां निगम रूग्ण/बंद/बीआईएफआर में पंजीकृत है, निगम की समग्र शेयरधारिता को केवल एक रूपया की सांकेतिक कीमत पर मूल्यांकन किया जाता है। अग्रतर, क्रय द्वारा वापस लेने की व्यवस्था के अधीन शेयरों एवं अन्य	निवेशक निगम की शुद्ध आस्ति	प्रत्यक्ष

						प्रतिभूतियों के मामलों में (ए) जहां क्रय द्वारा वापसी के तहत प्राप्त अग्रिम उपरोक्त तरीके से गणना की गयी इसके मूल्यांकन से अधिक है, तो मूल्यांकन को प्राप्त अग्रिम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है एवं (बी) जहां उपरोक्त तरीके से गणना किया गया मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति पर क्रय द्वारा वापसी की कीमत से अधिक है, तो मूल्यांकन को क्रय द्वारा वापसी की कीमत से प्रतिस्थापित किया जाता है।					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

इस अवधि में स्तर 1, 2 एवं 3 के मध्य कोई अन्तरण नहीं थे।

34.4.2 वित्तीय आस्तियां एवं वित्तीय दायित्व जिनका उचित मूल्य नहीं मापा गया है, का उचित मूल्य (परन्तु उचित मूल्य प्रकटीकरण अपेक्षित है)

(राशि लाख रुपये में)

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियां				
परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियां	458,873.35	459,780.77	306,331.03	306,641.62
— कर्मचारिवृन्द को ऋण एवं अग्रिम	1,134.91	1,064.15	1,136.19	1,068.26
— अन्य पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम	43,588.19	44,566.37	51,143.01	51,521.53
— व्यापारिक प्राप्त्य	179,753.10	179,753.10	114,248.95	114,248.95
— अन्य वित्तीय आस्तियां	234,397.15	234,397.15	139,802.88	139,802.88
वित्तीय दायित्व				
परिशोधन लागत पर वित्तीय दायित्व	39,957.71	39,957.71	35,741.58	35,741.58
— व्यापारिक देयतायें	6,059.83	6,059.83	1,904.79	1,904.79
— अन्य वित्तीय दायित्व	33,897.88	33,897.88	33,836.79	33,836.79

उचित मूल्य अधिक्रम

यह खण्ड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारण करने में लिये गये निर्णय एवं आंकलनों को स्पष्ट करता है जो कि :-

- ए) उचित मूल्य पर मान्यता दी गई एवं मापे गये, तथा
- बी) परिशोधित लागत पर एवं जिसके लिये उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है। उचित मूल्यों के निर्धारण में उपयोग किये गये इनपुट्स की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिये, कम्पनी ने अपने वित्तीय प्रपत्रों को लेखा मानकों के अन्तर्गत विहित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे टेबल में दिया गया है।

(राशि लाख रुपये में)

31 मार्च, 2022 को उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय आस्तियां एवं दायित्व	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
एफवीटीपीएल पर वित्तीय आस्तियां				
— उद्धृत साम्या प्रपत्रों में निवेश	806.03			806.03
— निजी साम्या प्रपत्रों में निवेश	—	—	7,862.24	7,862.24
— म्यूचअल फंडों में निवेश	—	9,414.72	—	9,414.72
परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियां				—
— कर्मचारीवृन्द को ऋण एवं अग्रिम	—	—	1,064.15	1,064.15
— अन्य पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम	—	—	44,566.37	44,566.37
योग	806.03	9,414.72	53,492.76	63,713.51

(राशि लाख रुपये में)

31 मार्च, 2021 को उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय आस्तियां एवं दायित्व	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
एफवीटीपीएल पर वित्तीय आस्तियां				
— उद्धृत साम्या प्रपत्रों में निवेश	313.67	—	—	313.67
— निजी साम्या प्रपत्रों में निवेश	—	—	8,225.67	8,225.67
— म्यूचअल फंडों में निवेश	—	4,277.86	—	4,277.86
परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियां				
— कर्मचारीवृन्द को ऋण एवं अग्रिम	—	—	1,068.26	1,068.26
— अन्य पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम	—	—	51,521.53	51,521.53
योग	313.67	4,277.86	60,815.46	65,406.98

ऊपर यथा निर्दिष्ट वित्तीय प्रपत्रों को उचित मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किये गये निविष्टों पर विश्वास करते हुये तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। समरूप आस्तियों और दायित्वों के लिये सक्रिय बाजार में उद्धृत कीमतों को अधिक्रम उच्चतम प्राथमिकता (स्तर 1 मापन) एवं अविश्वसनीय निविष्टों को निम्नतम प्राथमिकता (स्तर 3 मापन) देता है।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग किये गये ईनपुट्स के आधार पर उचित मूल्य अनुक्रम में, उचित मूल्यों को विभिन्न स्तरों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है।

स्तर-1 : स्तर 1 के अनुक्रम में उद्धृत मूल्य का उपयोग कर के मापे गये वित्तीय साधन शामिल हैं।

स्तर-2 : जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता उन वित्तीय साधनों का उचित मूल्य उन मूल्यांकन तकनीकों जो विचारयोग्य बाजार को अधिकतम करे एवं सत्ता के विशिष्ट प्राक्कलनों पर कम से कम विश्वास करते हुये, का उपयोग कर के निर्धारण किया जाता है। यदि किसी साधन के उचित मूल्य में सभी महत्वपूर्ण इनपुट्स की आवश्यकता हो यह साधन स्तर 2 में सम्मिलित है। इस स्तर में बन्द एनएवी का उपयोग करते हुये जिन म्यूचल फण्डों का मूल्यांकन किया गया है, शामिल है।

स्तर-3 : यदि एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट्स विचारयोग्य बाजार के आकड़ों के आधार पर नहीं है तो वित्तीय साधना को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

टिप्पणी — उचित मूल्य अधिक्रम के विभिन्न स्तरों में उचित मूल्य मापन का वर्गीकरण, उचित मूल्य मापन में निविष्टों की विश्वसनीयता की अवस्था एवम् उचित मूल्य मापन के निविष्टों की सार्थकता के अंश पर निर्भर करता है।

ऊपर स्तर 2 एवं स्तर 3 श्रेणी में सम्मिलित वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों को कटौती किये हुये नकद प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यतः स्वीकृत कीमत-निर्धारण मॉडल के अनुसार निर्धारित किया जाता है, छूट दर होने से अत्यन्त सार्थक निविष्टों के साथ निम्न प्रकार से गणना की गयी :

1. कर्मचारीवृन्द को ऋणों एवं अग्रिमों के मामलों में : उपयोग की गयी छूट दर, समान शर्तों पर आइटमों के लिये उपलब्ध दर है।
2. अन्य पक्षकारों को ऋणों एवं अग्रिमों के मामलों में : समान शर्तों एवं क्रेडिट जोखिम के लिये संबंधित कट-ऑफ दिनांक को उपलब्ध सत्ता की स्वयं की उधार देने की दर।

टिप्पणियां जो समेकित वित्तीय विवरणों का ही भाग है

35. घटकों पर प्रतिवेदन

भारतीय लेखा मानक 108 “संचालन खण्ड” के अनुसार प्रकटीकरण

कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय औद्योगिक परियोजनाओं को मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना (वित्तीय), भूमि का आवंटन एवं विकास तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है (आधारिक संरचना)। इसके अतिरिक्त केन्द्र/राज्य सरकार/सीडबी (अभिकर्ता व्यवसाय) की ओर से, निगम विभिन्न विकासात्मक/उत्थानात्मक/वित्त गतिविधियों को मोनीटर/प्रबंध करने में लगा हुआ है।

कम्पनी में रिपोर्ट के योग्य तीन खण्ड हैं:

1. वित्त गतिविधि
2. बुनियादी ढांचा गतिविधि
3. अन्य

घटक से संबंधित आय व व्यय तथा आस्तियां व दायित्व को उन मदों के, जो कि वैयक्तिक रूप से घटक को अभिज्ञेय हैं, आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जबकि शेष जो केवल वित्तीय एवं आधारभूत संरचना से संयुक्त रूप से संबंधित है को यथा निगमित व्यय/राजस्व/आस्तियां/ दायित्वों के वर्गीकृत किया जाता है।

प्रशासनिक एवं प्रधान कार्यालय व्यय, जो कि आधारभूत संरचना एवं वित्तीय गतिविधियों को प्रत्यक्षतः आवंटनीय नहीं हैं, को भी यथा निगमित व्यय के व्यवहृत किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के परिणामों से संबंधी सूचना को नीचे सम्मिलित किया गया है। निष्पादन को आयकर से पहले खण्ड के लाभ के आधार पर मापा जाता है। निष्पादन के माप के लिये खण्ड के लाभ का उपयोग किया जाता है क्योंकि

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

प्रबंधन विश्वास करता है कि इन उद्योगों के भीतर संचालित अन्य सत्ताओं के सापेक्ष खंड के परिणामों का मूल्यांकन करने में ऐसी जानकारी सबसे अधिक प्रासंगिक है।

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		वित्त गतिविधि	बुनियादी ढांचा गतिविधि	अन्य	योग
राजस्व	2021-22	9,601.59	141,589.35	—	151,190.94
	2020-21	7,460.57	111,827.96	—	119,288.53
व्यय	2021-22	10,625.74	68,294.00	—	78,919.74
	2020-21	4,412.70	45,624.44	—	50,037.14
खण्ड परिणाम	2021-22	(1,024.15)	73,295.35	—	72,271.20
	2020-21	3,047.86	66,203.52	—	69,251.39
अविभाज्य निगम राजस्व	2021-22				6,822.05
	2020-21				3,774.83
अविभाज्य निगम व्यय	2021-22				1,582.27
	2020-21				943.65
निवेश एवं कर के शुद्ध लाभ	2021-22				3,194.34
के अंश के पूर्व लाभ	2020-21				229.47
कर पूर्व शुद्ध लाभ	2021-22				80,705.33
	2020-21				72,312.04
आस्थगित कर सहित आय कर	2021-22				18,455.03
	2020-21				19,000.00
कर पश्चात् शुद्ध लाभ	2021-22				62,250.29
	2020-21				53,312.04
खण्ड आस्तियां	2021-22	90,123	469,470.59	519.59	560,113.59
	2020-21	88,463	406,875.96	528.67	495,867.78
अविभाज्य निगम आस्तियां	2021-22	—	—	—	193,492.24
	2020-21	—	—	—	101,922.59
कुल आस्तियां	2021-22	90,123.40	469,470.59	519.59	753,605.83
	2020-21	88,463.16	406,875.96	528.67	597,790.37
खण्ड दायित्व	2021-22	5,711.90	391,504.65	648.79	397,865.34
	2020-21	4,935.72	296,597.89	667.17	302,200.79
अविभाजित निगम दायित्व	2021-22	—	—	—	2,115.28
	2020-21	—	—	—	1,804.47
कुल दायित्व	2021-22	5,711.90	391,504.65	648.79	399,980.61
	2020-21	4,935.72	296,597.89	667.17	304,005.26

जैसाकि निगम के व्यापारिक संचालन केवल राजस्थान राज्य तक ही सीमित है, इसलिये कोई महत्वपूर्ण भौगोलिक खण्ड रिपोर्ट के योग्य नहीं है।

टिप्पणियां जो समेकित वित्तीय विवरणों का ही भाग है

36. ग्राहकों के साथ की गयी संविदा से राजस्व

भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ की गयी संविदा से राजस्व" के अनुसार प्रकटीकरण

(ए) राजस्व का विभाजन

राजस्व प्रमुख रूप से वित्त पोषण और विकास गतिविधियों से उत्पन्न होता है। इसको, वित्तीय विवरण तैयार करने व प्रस्तुत करने के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था द्वारा जारी किये गये प्रयोज्य लेखांकन मानक तथा ढाँचे के अन्तर्गत यथापरिभाषित प्रोद्भवन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। विकास गतिविधियों के लिये राजस्व को मान्यता समापन पद्धति की प्रतिशतता के आधार पर दी जाती है। इस पद्धति के अन्तर्गत, राजस्व को आज तक विकास गतिविधियों पर उपगत लागत के आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण में लिया जाता है। इसके साथ ही, अनुबन्धों को पूरा करने के लिये किये गये व्यय को इन अनुबन्धों पर व्यय के रूप में माना गया है।

राजस्व का उत्पाद एवं कम्पनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और राजस्व मान्यता के समय निर्धारण के अनुसार विभाजन किया गया है:

विवरण	बुनियादी ढांचा	वित्त पोषण	अन्य	योग
2021-22				
राजस्व मान्यता का समय निर्धारण				
समय के साथ संतुष्ट	88,479.63	5,663.46	5,288.78	99,431.87
समय बिन्दु (निक्षेप कार्य से संबंधित)	53,109.72	5,462.23	9.17	58,581.12
योग	141,589.35	11,125.68	5,297.96	158,012.99
2020-21				
राजस्व मान्यता का समय निर्धारण				
समय के साथ संतुष्ट	71,401.83	7,353.29	3,467.27	82,222.40
समय बिन्दु (निक्षेप कार्य से संबंधित)	40,426.13	289.87	124.97	40,840.97
योग	111,827.96	7,643.15	3,592.24	123,063.36

(बी) शेष निष्पादन दायित्वों के लिये आवंटित संव्यवहार मूल्य

विवरण	को	योग	रिपोर्टिंग तिथि से राजस्व के रूप में अपेक्षित मान्यता	
			12 माह में	12 माह के पश्चात
शेष निष्पादन दायित्वों के लिये आवंटित संव्यवहार मूल्य	31 मार्च, 2022	311,107.44	8,189.67	302,917.77
	31 मार्च, 2021	229,933.78	5,754.58	224,179.20

असंतुष्ट (या अंशतः संतुष्ट) प्रदर्शन दायित्व विभिन्न घटकों जैसे कि समापन, प्राक्कलनों का पुनर्वैधीकरण, आदि घटकों के कारण परिवर्तिता के अध्यक्षीन है।

ग्राहकों के साथ की गयी संविदा से किसी प्रतिफल को उपर उल्लिखित राशि में से वर्जित नहीं करते है।

(सी) अनुबन्धों के शेष

व्यापारिक प्राप्य निगम का प्रतिफल अधिकार है, जो अशर्त है।

जहां निगम को अनुबन्धों के लिये राशि प्राप्त हुई है जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इन्हें ग्राहकों से अग्रिम लेखाशीर्ष के अन्तर्गत मान्यता दी जाती है। अनुबन्ध के सृजन नहीं होने की स्थिति में राशि ग्राहक को वापस कर दी जाती है।

जब ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया जाता है और विकास गतिविधियों को निष्पादित नहीं किया गया है तब लंबित कार्य के लिये देयताओं को मान्यता दी जाती है।

निम्न तालिका व्यापारिक प्राप्यों, ग्राहकों से अग्रिम और लंबित कार्य के लिये देयताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
व्यापारिक प्राप्य	98,145.20	81,607.90	81,544.56	32,704.39
ग्राहकों से अग्रिम	27,694.38	6,165.83	18,317.71	5,776.71
लंबित कार्यों के लिये देयता	8,189.67	302,917.77	5,754.58	224,179.20

(डी) संविदा दायित्वों का समाधान

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	लम्बित कार्य के लिये दायित्व
भा.ले.मा. 115 के अनुसार प्रारम्भिक शेष	229,933.78
चालू अवधि में मान्य राजस्व	(111,935.15)
आवंटन/(रद्दकरण) के कारण मान्य/(प्रतिवर्तित) दायित्व	193,108.80
भा.ले.मा. 115 के अनुसार अंतिम शेष	311,107.44

टिप्पणियां जो एकल वित्तीय विवरणों का ही भाग है

37. पट्टे

37(ए) निगम एक पट्टेदार के रूप में :

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 द्वारा प्रदत्त विशेष शक्ति के आधार पर रीको ने औद्योगिक के विकास के लिये सरकारी भूमि/निजी भूमि का अधिग्रहण करता है।

ये आवंटित भूमि 99 वर्षों के लिये है परन्तु पट्टादाता को वापस लौटाना प्रत्याशित नहीं है और कोई स्थायी पट्टा देयता नहीं है।

37(बी) निगम एक पट्टेदाता के रूप में :

भारतीय लेखा मानक 116 के कारण रीको यथा पट्टादाता के मामलों में पट्टे के लेखांकन में कोई बदलाव नहीं किया गया है अन्तर्गत पट्टे के तहत भूमि घटक के राजस्व को और भारतीय लेखा मानक 115 के अन्तर्गत विकास राजस्व को मान्यता देते हुये पिछले वर्ष संशोधित की गई राजस्व मान्यता नीति का इस वर्ष अनुसरण किया गया है।

37(बी) (i) परिलाचन के पट्टे की व्यवस्थायें

निगम ने कम्पनी के स्वामित्व वाले सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र (जयपुर) में प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर को 60 वर्षों के लिये पट्टे पर दिया है। पट्टे के प्रारम्भ और समाप्ति की तारीख क्रमशः 04.08.2012 और 03.08.2072 है। उपर्युक्त पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये की आय 3 वर्षों में एक बार 15 प्रतिशत बढ़ जाती है। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। आय अर्जित करने में किये गये मूल्यहास सहित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

रद्द नहीं करने योग्य परिचालन पट्टा अवधि के लिये भविष्य के न्यूनतम पट्टा प्राप्य

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1 वर्ष से अधिक नहीं	1,031.55	1,031.55
1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष से अधिक नहीं	4,923.07	4,590.40
5 वर्ष से अधिक	226,669.26	228,033.48
योग	232,623.88	233,655.43

37(बी) (ii) वित्त पट्टा व्यवस्थाएं

वित्तीय पट्टा के लिये कम्पनी द्वारा प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों के समय का निश्चय करना, व्यवहार्य नहीं है। इसलिये इससे एवं अनर्जित वित्त आय से संबंधित प्रकटीकरणों को नहीं दिया गया है।

38. निगमित सामाजिक सरोकार (सीएसआर)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	835.98	480.66
किये गये व्यय की राशि	484.62	472.00
वर्ष के अन्त में कमी	588.88	134.10
गत वर्षों की कमी का योग	47.21	150.62
कमी के लिये कारण	जारी परियोजना	जारी परियोजना
गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं और अनाथों के छात्रावास आदि	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन आदि
संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के विवरण जैसेकि प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कम्पनी द्वारा नियंत्रित न्यास में योगदान	नहीं	नहीं

(राशि लाख रुपये में)

प्रावधान की गति	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
आरम्भिक प्रावधान	284.74	276.07
जोड़िये : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	588.88	134.10
घटाइये : वर्ष के दौरान गत वर्षों से संबंधित खर्च की गयी राशि	237.52	125.44
अन्तिम प्रावधान	636.10	284.74

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि लाख रुपये में)

	सीएसआर परियोजना	खर्च की गयी वास्तविक राशि	अभी तक खर्च की जाने वाली राशि	योग
1	बच्चों एवं महिलाओं हेतु पारिवारिक घर का सहारा	15.00	30.36	45.36
2	महिलाओं और अनाथों के लिये छात्रावास एवं घर बनाना	—	100.00	100.00
3	निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित संप्रवर्तन स्वास्थ्य देखभाल— सहायक अस्पताल	120.00	100.00	220.00
4	शिक्षा उन्नयन	112.10	358.52	470.62
	कुल राशि	247.10	588.88	835.98

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि लाख रुपये में)

	सीएसआर परियोजना	खर्च की गयी वास्तविक राशि	अभी तक खर्च की जाने वाली राशि	योग
1	निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता एवं विपदा प्रबंधन सहित संप्रवर्तन स्वास्थ्य देखभाल	100.00	—	100.00
2	ऐतिहासिक महत्व के भवन एवं स्थलों के जीर्णोद्धार सहित राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	23.16	—	23.16
3	राजस्थान विधान सभा में सोलर उर्जा संयंत्र की स्थापना एवं प्रारम्भण	173.40	—	173.40
4	निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित संप्रवर्तन स्वास्थ्य देखभाल— सहायक अस्पताल	50.00	—	50.00
5	शिक्षा उन्नयन	—	134.10	134.10
	कुल राशि	346.56	134.10	480.66

39. कुल 38 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा निगम को हस्तांतरित किये गये थे। इन क्षेत्रों के कुल भूमि और भूखंडों की संख्या क्रमशः 3626.91 एकड़ और 3110 है।
40. प्रबंधन की राय में सम्पत्तियों, दायित्वों, ऋण एवं अग्रिमों का कारबार के सामान्य अनुक्रम में वसूली योग्य मूल्य तुलन-पत्र में दर्शाये गये मूल्य से कम नहीं है हालांकि यह मिलान एवं पुष्टिकरण के अधीन है।
41. चालू वर्ष में उपरिव्ययों की राशि 9950.67 लाख रुपये (वित्तीय वर्ष 2020-21, 11449.14 लाख रुपये) औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटित की गयी हैं।
42. औद्योगिक क्षेत्र की विद्यमान बुनियादी संरचना के उन्नयन हेतु अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करते समय उपरिव्ययों, वित्तीय प्रभारों, बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन एवं जल पुनः भरण हेतु प्रावधान को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस वित्तीय वर्ष में निगम ने 4554.36 लाख रुपये (वित्तीय वर्ष 2020-21, 6970.56 लाख रुपये) व्यय किये हैं जिन्हें लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया गया है। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में स्वीकृति की राशि की तुलना में अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति द्वारा इन्फ्रा सुधार कार्यों पर अधिक व्यय किया गया है।
43. निगम ने दीपावली 2007 पर अपने कर्मचारियों को रुपये 42.68 लाख वितरित किए थे। बाद में राशि को कर्मचारियों को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया जिसका अभी तक समायोजन किया जाना शेष है क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
44. संयुक्त वित्त पोषित इकाइयों की दशा में जहां वसूलियां सहभागी संस्था द्वारा की गयी हैं, उनका मूलधन एवं ब्याज के रूप में लेखांकन राशि की प्राप्ति/पुष्टिकरण पर किया जाता है।
45. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये, निदेशकों ने 2101.86 लाख रुपये (31 मार्च, 2021, 2101.86 लाख रुपये) की राशि के अंतिम लाभांश भुगतान की सिफारिश की है।
46. चालू वर्ष के आकड़ों के अनुरूप करने के लिये गत वर्ष के आकड़ों को पुनर्समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

47. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) द्वारा यथा अपेक्षित 31 मार्च, 2022 को सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ए) किसी आपूर्तिकर्ता की अदत्त शेष राशि: मूल राशि उस पर देय ब्याज	—	—
बी) नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को संदत्त राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के निबन्धनों में संदत्त ब्याज की राशि।	—	—
सी) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिये बकाया एवं देय ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है परन्तु नियत तिथि के पश्चात्) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	—	—
डी) प्रोदभूत एवं शेष अदत्त ब्याज की राशि	—	—
ई) एमएसएमईडी अधिनियम 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के प्रयोजनार्थ, उत्तरवर्ती वर्षों में भी शेष रही बकाया एवं देय आगे के ब्याज की राशि तब तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की राशि का वास्तव में छोटे उपक्रमों को भुगतान किया जाता है।	—	—

48. सभी आस्तियां व देयतायें, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प् में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार यथा चालू अथवा गैर-चालू के प्रस्तुत हैं। कम्पनी ने अपने प्रचालक चक्र को 12 महीने से कम में अभिनिश्चित किया है। तदनुसार, आस्तियों एवं दायित्वों का चालू/गैर चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ 12 महीने की अवधि पर विचार किया गया है।
49. घरेलू कम्पनियों को घटाये हुये कॉर्पोरेट टैक्स दर का लाभ देने के लिये 01 अप्रैल, 2020 से आयकर अधिनियम की धारा 115बीए को अन्तःस्थापित किया गया था। इन प्रावधानों के अनुसार, घरेलू कम्पनियों के पास वित्त वर्ष 2019-20 (निर्धारण वर्ष 2020-21) से 25.168 प्रतिशत (अधिभार और उपकर सहित) की दर से कर भुगतान करने का विकल्प है, यदि ऐसी घरेलू कम्पनियों कुछ शर्तों का पालन करती हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 115 बीए के अधीन कर का भुगतान करने के लिये ऐसी इकाई पर एमएटी के प्रावधान भी लागू नहीं हैं। कम्पनी ने कराधान प्रावधान धारा 115 बीए के अनुसार किया है।
50. विभिन्न इकाइयों में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आने वाले डेबिट और क्रेडिट शेष को पूर्व पद्धति के अनुसार नेटिंग के बाद दर्शाया जा रहा है।
51. कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को या में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकार्ड की गयी हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से, किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) में निवेश करेगा या उधार देगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति या इनकी तरह कोई अन्य प्रदान करेगा; कोई धनराशि (या तो उधार ली गयी धनराशि या प्रीमियम या किसी अन्य प्रकार से कोष से) अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी गयी है या निवेश नहीं की गयी है।

कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधीयन पक्षकार") सहित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकार्ड की गयी हो या अन्यथा, कि कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधीयन पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से, किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) में निवेश करेगा या

उधार देगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति या इनकी तरह कोई अन्य प्रदान करेगा, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

52. विघटित कम्पनी के साथ संबंध

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये

राशि लाख रुपये में

विघटित कम्पनी का नाम	विघटित कम्पनी से संव्यवहार की प्रकृति	शेष बकाया	विघटित कम्पनी के साथ संबंध
मोल्डवैल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्लास्टिकस् लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	0.00	उपलब्ध नहीं है।
जिप्सम फाइबर इण्डिया लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	—	उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये

राशि लाख रुपये में

विघटित कम्पनी का नाम	विघटित कम्पनी से संव्यवहार की प्रकृति	शेष बकाया	विघटित कम्पनी के साथ संबंध
मोल्डवैल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्लास्टिकस् लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	0.00	उपलब्ध नहीं है।
जिप्सम फाइबर इण्डिया लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	44.00	उपलब्ध नहीं है।

53. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खण्ड II के सामान्य निर्देशों द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त नियामक सूचना/प्रकटीकरण कम्पनी पर लागू सीमा तक प्रकट किये गये हैं।

54. चालू वर्ष के आकड़ों के अनुरूप करने के लिये गत वर्ष के आकड़ों को पुनर्समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणियां 1 से 54 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारे समदिनांक के अंकक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन: 001100सी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
; 017184, D, 4558

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-7670414

(कुलदीप रांका)
अध्यक्ष
डीआईएन-00279526

(मनीष शुक्ला)
मुख्य वित्त अधिकारी

(डी.के. शर्मा)
सचिव
स. सं. ए-7037

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

56. भा.ले.मा. के अनुसार अन्य इकाईयों में हित का प्रकटीकरण

सहयोगी कम्पनीयां जो कि इकाई के लिये अमूर्त है, से संबंधित सूचना

सहयोगी कम्पनी का नाम	मुख्य गतिविधि	निगमन का स्थान एवं व्यापार का मुख्य स्थान	निगम द्वारा धारित स्वामित्व हित का अनुपात एवं मताधिकार		वहन राशि	
			31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
राजस्थान एसेट मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड	वित्त कोष प्रबन्धन	भारत	24.50%	24.50%	225.52	194.60
राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स	भारत	48.96%	48.96%	—	—
राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	आरवीसीएफ के ट्रस्टी	भारत	24.50%	24.50%	0.48	0.47
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध विश्लेषक एवं सौर उर्जा उपकरण	भारत	49%	49%	3,575.35	3,959.07
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	आधारभूत संरचना, विकास, सेज एवं रख-रखाव	भारत	26%	26%	11,183.41	8,788.36

विवरण	को समाप्त वर्ष के लिये	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
निरन्तर संचालनों से लाभ या हानि	13014.18	2015.91
अन्य व्यापक आय	40.73	5.15
कुल व्यापक आय	13,054.91	2,021.07

- अ. सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुसार तैयार किया गया है। कम्पनी एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों की लेखांकन नीतियों की भिन्नता का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, सिवाय नीचे बिन्दू (ब) में दर्शाये गये अनुसार।
- ब. अधिसूचना एस.ओ. 1465 (ई) दिनांक 02.04.2018 के साथ पठित अधिसूचना एस.ओ. 529 (ई) दिनांक 05.02.2018 के अनुसार, आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित कर दायित्व से संबंधित भारतीय लेखा मानक 12 के प्रावधान 01 अप्रैल, 2017 से उन सरकारी कम्पनियों जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (72) के उप-खण्ड (iv) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, लागू नहीं होंगे।

रीको लिमिटेड (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड) जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (72) के उप-खण्ड (पअ) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत सम्मिलित होगा एवं तदनुसार आस्थगित कर का लेखांकन नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

जैसाकि सहयोगी कम्पनियों पर उपरोक्त अधिसूचना लागू नहीं होती है, अतः रीको लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों की लेखांकन नीति में भिन्नता विद्यमान है एवं सहयोगी कम्पनियों अथवा संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीति में जिन्हें रीको लिमिटेड के अनुरूप करने के लिये समायोजन नहीं किया गया है। 31.03.2021 एवं 31.03.2022 को सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों में स्थित आस्थगित कर के शेषों के लिये नीचे दी गयी टिप्पणी (ए) को देखें।

ए) 31.03.2022 को सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों में स्थित आस्थगित कर के शेष

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	अंश	डीटीए / (डीटीएल)	डीटीए / (डीटीएल) में अंश
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड	49.00%	1566.26	767.47
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	26.00%	(2061.20)	(535.91)
राजस्थान एसेट मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड	24.50%	(6052.46)	(1482.85)
राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	24.50%	0.00	0.00
योग		(6547.40)	(1251.29)

* विव 2021-22 के लिये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड के आकड़े अनंतिम तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण के अनुसार हैं।

बी) 31.03.2021 को सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों में स्थित आस्थगित कर के शेष

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	अंश	डीटीए / (डीटीएल)	डीटीए / (डीटीएल) में अंश
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड	49.00%	1658.73	812.78
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	26.00%	(1348.77)	(350.68)
राजस्थान एसेट मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड	24.50%	0.75	0.18
राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	24.50%	0.00	0.00
योग		310.71	462.28

* विव 2021-22 के लिये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड के आकड़े अनंतिम तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण के अनुसार हैं।

53वां वार्षिक प्रतिवेदन

- स. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये हैं। लेखा मानक 28 के अनुसार, सहयोगी कम्पनियों में निवेश समता विधि का उपयोग करते हुये किया गया है। साम्या विधि के अधीन सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में निवेश की आरम्भिक मान्यता को लागत पर मान्य किया जाता है और अधिग्रहण की दिनांक के पश्चात् निवेशी के लाभ या हानि में निवेशक के हिस्से को ज्ञात करने के लिये वहन राशि में वृद्धि या कमी करते हैं। निवेशी के लाभ या हानि में निवेशक के हिस्से को निवेशक के लाभ या हानि में मान्य किया जाता है। निवेशी से प्राप्त भुगतान, निवेश की वहन राशि को कम कर देता है। निवेशी की अन्य व्यापक आय के परिवर्तनों से उत्पन्न निवेशी में निवेशक के आनुपातिक हित में परिवर्तन के लिए, वहन राशि में भी समायोजन आवश्यक होंगे।
- ए. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड की आवंटित साम्या पूंजी में कम्पनी के 49 प्रतिशत अंश धारिता, 31 मार्च, 2021 को 3959.07 लाख रुपये पर मूल्यांकित एवं यह वर्ष 2021-22 के लिये अन्य व्यापक आय (383.72 लाख रुपये) सहित राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड के लाभ में अंश द्वारा एवं वर्ष 2021-22 में प्राप्त लाभांश (शून्य रुपये) द्वारा कम हो गया है।
- बी. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की आवंटित साम्या पूंजी में कम्पनी 48.96 प्रतिशत धारित करती है। कम्पनी का शुद्ध मूल्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। भारतीय लेखा मानक 28 “सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश” के पैरा 39 के अनुसार सहयोगी कम्पनी में सत्ता का हित शून्य हो गया है, अतिरिक्त हानियों को केवल उस सीमा तक दिया गया है कि सत्ता ने विधिक या परोक्ष दायित्वों को उपगत किया है या सहयोगी कम्पनी की ओर से भुगतान किये हैं। 31.03.2022 को कम्पनी परिसमापन की प्रक्रियाधीन है।
- सी. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड की आवंटित साम्या पूंजी में कम्पनी के 26 प्रतिशत अंश धारिता, 31 मार्च, 2021 को 8788.36 लाख रुपये पर मूल्यांकित, वर्ष 2021-22 के लिये अन्य व्यापक आय (3565.05 लाख रुपये) सहित महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड के लाभ में अंश द्वारा बढ़ गया है एवं वर्ष 2021-22 में प्राप्त लाभांश (1170 लाख रुपये) द्वारा कम हो गया है।
- डी. राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कम्पनी की आवंटित साम्या पूंजी में कम्पनी के 24.5 प्रतिशत अंश धारिता, 31 मार्च, 2021 को 194.60 लाख रुपये पर मूल्यांकित, वर्ष 2021-22 के लिये अन्य व्यापक आय (30.92 लाख रुपये) सहित राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की हानि में अंश द्वारा बढ़ गया है एवं वर्ष 2020-21 में प्राप्त लाभांश (शून्य रुपये) द्वारा कम हो गया है।
- ई. राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कम्पनी की आवंटित साम्या पूंजी में कम्पनी के 24.50 प्रतिशत अंश धारिता, 31 मार्च, 2021 को 0.47 लाख रुपये पर मूल्यांकित, वर्ष 2021-22 के लिये अन्य व्यापक आय (0.01 लाख रुपये) सहित राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के लाभ में अंश द्वारा बढ़ गया है एवं वर्ष 2021-22 में प्राप्त लाभांश (शून्य रुपये) द्वारा कम हो गया है।
- एफ. आरआईडीसीओ 15 मार्च, 2022 को निगमित हुयी है एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 510 लाख रुपये की राशि का पूंजी अंशदान किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई भी संव्यवहार दर्ज नहीं किया गया है।

टिप्पणियां जो समेकित वित्तीय विवरणों का ही भाग है

53. अन्य इकाइयों में हित का प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहयोगी कम्पनीयों के वित्तीय विवरणों के प्रमुख लक्षण।

उपक्रम का नाम	अद्यतन अंकेक्षित तुलन-पत्र	वर्ष के अन्त में कम्पनी द्वारा धारित सहयोगीयों के अंश	सहयोगीयों में निवेश की राशि	धारिता की सीमा	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है का वर्णन
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड	31.03.2022	6002500	600.25	49.00%	20 प्रतिशत से अधिक अंश धारिता
	31.03.2021	6002500	600.25	49.00%	
राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड*	31.03.2022	2441100	244.11	48.96%	20 प्रतिशत से अधिक अंश धारिता
	31.03.2021	2441100	244.11	48.96%	
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	31.03.2022	39000000	3900.00	26.00%	20 प्रतिशत से अधिक अंश धारिता
	31.03.2021	39000000	3900.00	26.00%	
राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	31.03.2022	245	0.25	24.50%	20 प्रतिशत से अधिक अंश धारिता
	31.03.2021	245	0.25	24.50%	
राजस्थान एसेट मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड	31.03.2022	4900	4.90	24.50%	20 प्रतिशत से अधिक अंश धारिता
	31.03.2021	4900	4.90	24.50%	

* विव 2021-22 के लिये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स लिमिटेड के आकड़े अनंतिम तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण के अनुसार हैं।

** सभी सहयोगी कम्पनियों को समेकन में विचारित किया गया है सिवाय राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के जिसमें कम्पनी के शुद्ध मूल्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है।

विवरण	शुद्ध आस्तियां अर्थात् कुल दायित्वों को कम करके आस्तियां				लाभ या हानि में अंश				अन्य व्यापक आय में अंश				कुल व्यापक आय में अंश			
	31 मार्च, 2022	यथा समेकित शुद्ध आस्तियों का प्रतिशत	यथा समेकित शुद्ध आस्तियों का प्रतिशत	राशि (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2022	यथा समेकित लाभ या हानि का प्रतिशत	राशि (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2022	यथा समेकित कुल व्यापक आय का प्रतिशत	राशि (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2022	यथा समेकित कुल व्यापक आय का प्रतिशत	31 मार्च, 2022	यथा समेकित कुल व्यापक आय का प्रतिशत	राशि (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021
मूल																
राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको)	95.76%	338640.44	95.59%	280842.63	94.87%	59055.95	99.57%	53086.57	105.81%	(326.27)	168.71	94.81%	58729.68	99.57%	53255.28	
सहबद्ध कम्पनियां: (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)																
राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड	1.01%	3575.35	1.35%	3959.07	(0.01)	(399.35)	(0.01)	(626.09)	(0.05)	15.63	(3.29)	(0.01)	(383.72)	(0.01)	(629.37)	
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	3.16%	11183.41	2.99%	8788.36	5.72%	3562.76	1.58%	842.64	(0.01)	2.29	3.08	5.76%	3565.05	1.58%	845.72	
राजस्थान एसेट मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड	0.06%	225.52	0.07%	194.60	0.05%	30.92	0.02%	12.90	0.00%	-	0.00	0.05%	30.92	0.02%	12.90	
राजस्थान ट्रस्टी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	0.00%	0.48	0.00%	0.47	0.00%	0.01	0.00%	0.02	0.00%	-	0.00	0.00%	0.01	0.00%	0.02	
राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
योग	100%	353625.21	100%	293785.12	100%	62250.29	100%	53316.04	100%	(308.34)	168.51	100%	61941.95	100%	53484.55	

टिप्पणियां 1 से 57 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारे समदिनांक के अंकेक्षण
प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी.एल. अजमेरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्
एफआरएन: 001100सी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

(सीए राजेन्द्र सिंह झाला)
साझेदार
सदस्य संख्या 017184
यूडीआईएन : 22017184एक्यूटीएसईएल4558

(शिवप्रसाद नकाते)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-7670414

(कुलदीप रांका)
अध्यक्ष
डीआईएन-00279526

(मनीष शुक्ला)
मुख्य वित्त अधिकारी

(डी.के. शर्मा)
सचिव
स. सं. ए-7037

स्थान : जयपुर
दिनांक : 2 सितम्बर, 2022

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005
दूरभाष : 0141-4593201-05, 2227751-755 • फैक्स : 0141-4593210
ई-मेल : riico@riico.co.in • वेबसाइट : www.riico.co.in